सप्तम माला, 30 July 1980

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

Third-Session

(सातवीं लोक सभा)



लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद का हिन्दी संस्करण

बुधवार, 30 जुलाई, 1980/8 श्रावण, 1902 (शक)

का शुद्धि-पत्र

विषय सूची, पृष्ठ (iii), पंक्ति 5 में "श्री जार्ज जोसफ" के स्थान पर "श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल" पढ़िये ।

पृष्ठ 27, पंक्ति 8 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़िये :

पिछड़े जिलों के लिये नई योजना

x 763: श्री चित्त बसु :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने उन पिछड़े क्षेत्रों के लिए नई योजना तैयार की है जिनमें अधिकांशत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लोग रहते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)

(क) और (ख) जी नहीं । पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिये वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता देने के अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं जो अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों को भी उपलब्ध हैं । इस प्रकार की योजनाओं का एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है ।

योजना आयोग द्वारा स्थापित पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के संबंध में बनाई गई राष्ट्रीय समिति इस वर्ष के अन्त तक उपयुक्त नीति अथवा पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से सुलझाने के लिये अपनी सिफारिशें पेश करेगी ।

पृष्ठ 97, पंक्ति 21 में प्रश्न संख्या "6148" के स्थान पर "6149" पढ़िये ।

पृष्ठ 131, नीचे से पंक्ति 4 में "श्री ए0 नीलालोहिथादसन नाडार" के पूर्व "6203" पढ़िये ।

पृष्ठ 202, पंक्ति 17 में "महोदय" के पूर्व "गृह मंत्री (श्री जैल सिंह):" पढ़िये ।

विषय-सूची

अंक 39, बुधवार, 30 जुलाई, 1980/8 श्रावण 1902 (शक)

विषय		
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 757 से 759, 761, 763, 764, 766, 767 और 769	...	1-34
भारतीय हाकी टीम को मास्को ओलम्पिक खेलों में विजयी होने पर बधाई	...	34
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 1	...	34-43
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 760, 762, 765, 768, 770 से 774 और 776	...	44-48
अतारांकित प्रश्न संख्या 6059 से 6062, 6064 से 6101, 6103 से 6107, 6109 से 6111, 6113 से 6168 और 6170 से 6211	...	48-136
अतारांकित प्रश्न संख्या 3491 दिनांक 9-7-1980 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	...	137
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	...	137-138
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	...	138-139
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति सातवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत किया गया।	...	140
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक) चीन द्वारा पाकिस्तान को अपने पहले परमाणु उपकरण का विकास करने और उसे छोड़ने के परीक्षण में सहायता देने के निर्णय का समाचार		
श्री वी. एन. गाडगिल	...	140

किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह * इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(दो) बंगला फिल्मों को रिलीज करने में होने वाली कथित कठिनाइयां
प्रो. रूपचन्द पाल ... 140-141
(तीन) केरल के कुछ भागों में एक कार्मिक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं का समाचार
श्री जार्ज जोसफ ... 141
(चार) आजमगढ़ के वेनुपुर गांव में सात व्यक्तियों की हत्या का समाचार
श्री छंगुर राम ... 141-142
(पांच) मिजोरम में आवश्यक वस्तुओं की कमी का समाचार
डा. आर. रोथुअम्मा ... 142-143
(छः) केरल में पैट्रो-रसायन परियोजनाएं स्थापित करने की आवश्यकता
श्री जेवियर अराक्कल ... 143-144
श्री वीरेन्द्र पाटिल ... 143-144
(सात) कच्चे पटसन के मूल्यों में भारी गिरावट का समाचार
श्री नारायण चौबे ... 144
(आठ) भारत में खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिये सुविधाएं
श्री एडुआर्डो फेलीरो ... 144-145
वित्त (संख्या 2) विधेयक
विचार करने का प्रस्ताव
कृष्ण दत्त ... 145-148
श्री बी० डी० सिंह ... 148-153
श्री परसराम भारद्वाज ... 153-155
श्री चित्त वसु ... 155-159
प्रो० सत्यदेव सिंह ... 160-163
श्री ए० के० राय ... 163-166
श्री महेन्द्र ... 166-170
श्री कालीचरण शर्मा ... 170-172
श्री जी० एम० बनातवाला ... 172-174
श्री के० टी० कोसलराम ... 174-177
श्री श्रीमती उषा वर्मा ... 178-179
श्री पीयूष तिरकी ... 179-181
श्री डा० कृपासिन्धु भोई ... 181-183
श्री शिवकुमार सिंह ... 183

श्री अशोक गेहलोत ... 18.
श्री विलास मुत्तेमवार ... 185-1
श्री पी० नामग्याल ... 186-185
श्री आर० वेंकटरामन ... 189-202
खंड 2 से 8 ... 203-216
श्री लालडेंगा के साथ वार्ता पुन: आरम्भ करने के बारे में वक्तव्य
श्री जैलसिंह ... 159
असम के बारे में वक्तव्य
श्री जैलसिंह ... 202-203
आधे घन्टे की चर्चा
अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता पैदा करना
श्री निरेन घोष ... 216-203,228
श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी ... 220-222,228
श्री के० लकप्पा ... 222-223
श्री रामबिलास पासवान ... 223-224
श्री रामावतार शास्त्री ... 224-225,228
श्री चित्त बसु ... 225-228

लोक सभा

बुधवार, 30 जुलाई, 1980/8 श्रावण, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पुलिस आवास के लिए महाराष्ट्र को वित्तीय सहायता

*757. श्री आर. के. महालगी : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान पुलिस आवास के निमित्त केन्द्रीय ऋण सहायता के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार को कुल कितनी धनराशि दी गई है :—

(ख) महाराष्ट्र में इस अवधि 'के' दौरान केन्द्रीय सहायता से कितने प्रगृहों (टेनामेंट्स) का निर्माण किया गया;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई केन्द्रीय मार्गदर्शी निदेश भी है; और

(घ) वर्ष 1980-81 के दौरान कितनी धनराशि दी जायेगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 126.53 लाख रुपये।

(ख) राज्य सरकार ने पुलिस आवास के लिए प्राप्त केन्द्रीय सहायता को पुलिस आवास के लिए आवंटित राज्य योजना धनराशि के साथ मिला दिया था और केन्द्रीय ऋण सहायता से कोई परियोजना हाथ में लेने के लिए न तो निर्धारित की गई थी और न कोई अलग लेखा जोखा रखा गया था । तथापि राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 1977-78 में 88 पुलिस अधिकारियों और 1,944 कांस्टेबलों के लिए क्वाटर बनाये गये थे । 1978-79 में 38 पुलिस अधिकारियों और 715 कांस्टेबलों के लिए क्वाटर बनाये गये थे ।

(ग) केन्द्रीय सहायता का अभिप्राय राज्य में पुलिस कार्मिकों (अराजपत्रित) के लिए क्वाटर/बैरक बनाना था । इस प्रकार के कोई अन्य विस्तृत मार्गदर्शी निर्देश जारी नहीं किए गये ।

(घ) केन्द्रीय योजना के रूप में पुलिस आवास योजना 1979-80 में समाप्त कर दी गई है। लेकिन सरकार ने इस योजना को फिर से चालू करने के लिए योजना आयोग के साथ विचार विमर्श किया है। जब यह फिर से चालू हो जाएगी तो महाराष्ट्र को इस योजना से उसका उचित शेयर मिलेगा।

श्री आर. के. महालगी : पुलिस आवास के लिये केन्द्रीय सहायता वास्तव में एक कल्याण योजना है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने पुलिस आवास के लिए अनेक ठोस सुझाव दिये हैं। सातवें वित्त आयोग ने भी 15 राज्यों में पुलिस कर्मियों को आवास देने के लिये 82.86 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह कैसे हो सकता है कि पुलिस आवास योजना, जो एक केन्द्रीय योजना थी, 1979-80 में समाप्त कर दी गई थी ? क्या मैं उसके कारण जान सकता हू ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : इसे पिछली सरकार ने समाप्त किया था परन्तु वर्तमान सरकार ने इसे पुनः चालू करने का निर्णय किया है।

श्री आर. के. महालगी : पिछली सरकार ने शायद इसे रद्द किया हो या समाप्त किया हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि किन कारणों से उन्होंने ऐसा किया ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : ये उन्हें ही पता है।

श्री सुनील मैत्रा : यह क्या उत्तर है। सरकार तो चलती ही रहती है।

श्री आर. के. महालगी : ऐसा करने के कुछ कारण तो होंगे ? मैं वे कारण जानना चाहता हूं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : कारण नहीं बताये हैं। उन्होंने इसे समाप्त कर दिया था, हम इसे पुनः चालू कर रहे हैं।

श्री आर. के महालगी : मेरा प्रश्न यह है, मेरा यह प्रश्न नहीं कि इस सरकार ने किया है या उस सरकार ने यह योजना 1971 से 10 वर्षों से चल रही थी और इसे समाप्त कर दिया गया है। इसके कुछ तो कारण होंगे ही। वे क्या कारण हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : राष्ट्रीय विकास परिषद् ने इस योजना को राज्य सरकारों को अन्तरित करने का निर्णय किया है।

श्री भगवत झा आजाद : ऐसा कहिए न।

श्री आर. के. महालगी : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है। पुलिस आवास का अखिल भारतीय औसत 58.2% है और अकेले महाराष्ट्र में इस समय 771 पुलिस कर्मिक निःशुल्क आवास के हकदार हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि पुलिस आवास का औसत बढ़कर 75 प्रतिशत कब होगी और विचाराधीन नई योजनाएं क्या हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, सरकार का यह प्रयास होगा कि पुलिस कार्मिकों के लिए आवासों की संख्या बढ़ाई जाये। जहांतक सातवें वित्त आयोग का सम्बन्ध है, उन्होंने 15 राज्यों को धन का आवटन किया है शेष राज्यों के लिए केन्द्रीय सरकार का विचार योजना के अनुसार धन देने का है।

दिल्ली में बिना लाइसेंस की शराब की बिक्री

*758. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान बिना लाइसैंस प्राप्त किये शराब बनाने और बेचने के लिए कुछ स्थानों पर छापे मारे गये थे;

(ख) यदि हाँ, तो इन छापों के परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया, कितने पर मुकदमा चलाया गया तथा कितनों को दंडित किया गया; और

(ग) क्या सरकार ने राजधानी में अवैध और दूसरी किस्म की शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों सम्बन्धी कोई सर्वेक्षण किया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हाँ, श्रीमान ।

(ख) वर्ष 1977-79 के दौरान शराब बनाने वाले स्थानों पर मारे गये छापों के परिणाम स्वरूप 52 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इन व्यक्तियों में से 4 को सजा हुई और एक व्यक्ति को मुक्त कर दिया गया । शेष 47 व्यक्तियों के विरूद्ध मुकदमें अदालतों में विचारण के लिए लंबित पड़े हैं । इसके अतिरिक्त वर्ष 1980 में (जून 1980 तक) मारे गये 6 छापों के परिणामस्वरूप, 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है । ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान ।

श्री अर्जुन सेठी : अध्यक्ष महोदय, अवैध शराब के व्यापार में वृद्धि का एक कारण ऐसे मामलों में न्यायालयों द्वारा व्यक्तियों को दोष-मुक्त किया जाना है; प्रक्रिया ऐसी है कि न्यायालों द्वारा मामलों को निपटाने में काफी समय लगता है ।

मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई विशेष कदम उठाये गये हैं ताकि वह ऐसे मामलों के सन्दर्भ में एक विस्तृत विधेयक ला सकें ? चूंकि ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, अतः आपको अपराधियों के संक्षिप्त विचारण की व्यवस्था करनी होगी ।

श्री योगेन्द्र मकवाना हम निश्चय ही जनता को शिक्षित करके इसे कम कर सकते हैं । केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही शुरू कर दी है ।

श्री अर्जुन सेठी : दिल्ली में हाल की घटनाओं, जिनमें नकली या विषैली शराब के सेवन से कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, के सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूँ कि न्यायालयों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ताकि वे शीघ्र तथा समय पर मामलों का निपटान कर सकें ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जहां तक न्यायालयों का सम्बन्ध है, उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है क्योंकि वे स्वतन्त्र हैं । परन्तु हमने ऐसी घटनाओं को कम करने के लिये कुछ कदम उठाये हैं । आमतौर पर गरीब लोग, औद्योगिक मजदूर और अन्य व्यक्ति शराब पीते हैं, यह पड़ौसी राज्यों, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आती है । दिल्ली में शराब बनाने का कोई कारखाना नहीं है । अतः हमें शराब की सप्लाई को रोकने के प्रश्न पर विचार करना होगा ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : ये सब बातें कहना तो ठीक हैं । परन्तु व्यावहारिक रुप में राज्यों के लिये यह असम्भव है, यदि आप उनसे उनका उत्पादक-शुल्क राजस्व छीन लेते हैं । इससे पुलिस बल में भ्रष्टाचार पैदा हुआ है और इससे तस्करों को प्रोत्साहन मिला है । इस बात को ध्यान में

रखते हुए मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या वह इस नीति का विरोध करेगी और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में मद्यनिषेध को समाप्त करेगी ? क्या इस नीति को समाप्त करने का आप में साहस है, सरकार में साहस है और प्रवर्तन निदेशालय को समाप्त किया जायेगा जैसाकि महाराष्ट्र में किया गया है ? मद्यनिदेश लागू करने के लिये उत्तरदायी पुलिस बल पूर्णतया भ्रष्ट है, चाहे वे चाहें या नहीं, इससे काफी हद तक भ्रष्टाचार बढ़ेगा।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, यह एक सुझाव है, जिसे मैंने नोट कर लिया है।

श्री ई. बालानन्द : महोदय, समूचे देश में समाचारों से हम देखते हैं कि शराब पीने से अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। ऐसा सरकार द्वारा अपनाई गई मद्यनिषेध नीति के कारण है। क्या सरकार यह बतायेगी कि क्या वह प्रत्येक राज्य में मद्यनिषेध नीति की समीक्षा करेगी ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, यह वही प्रश्न है। मैंने इस सुझाव को नोट कर लिया है।

श्री नारायण चौबे : महोदय, प्रश्न मद्यनिषेध से सम्बन्धित नहीं है। प्रश्न बिना लाइसेंस के बनाई गई शराब से सम्बन्धित है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि बिना लाइसेंस की शराब की बिक्री से महानगरों में दिन प्रति दिन अपराध बढ़ रहे हैं। इस बात को तथा जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि कानून इतने उदार हैं कि बिना लाइसेन्स के शराब बनाने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई कड़ी सजा नहीं मिलती और वह तुरन्त छूट जाता है, इसे ध्यान में रखते हुए क्या सरकार कानून में ऐसा परिवर्तन करने का विचार कर रही है जिससे वह अधिक सख्त बन सके और पकड़े गये व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा सके ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : ये कानून राज्य कानून हैं और उन्हें कड़ा बनाना राज्यों का काम है, जहाँ तक संघ राज्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है, हम सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

श्री रतनसिंह राजदा : महोदय, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह नहीं बताया गया है कि इस सरकार की मद्यनिषेध नीति क्या है क्या यह सरकार मद्यनिषेध के पक्ष में है या मद्यनिषेध के विरुद्ध है। इस सम्बन्ध में अभी तक स्थिति अस्पष्ट है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात का पता है कि बम्बई में उल्हास नगर के एक शराब विक्रेता ने एक विज्ञापन के बीचो बीच माननीय प्रधान मन्त्री का फोटो छापा है जिससे यह आभास होता है कि प्रधान मन्त्री भारत के लोगों को शराब का अधिक सेवन करने के लिये प्रोत्साहन दे रही हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे लोगों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करेगी और क्या सरकार मद्यनिषेध के बारे में अपनी नीति स्पस्ट करेगी ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : महोदय, मैंने यह विज्ञापन नहीं देखा है। मेरा यह कहना है कि मेरा फोटोग्राफ या किसी ऐसे जन प्रतिनिधि का जो विशेषरुप से शराब नहीं पीता, फोटोग्राफ छापना बहुत गलत है। हमारे दल की नीति यह है कि लोग शराब न पीयें परन्तु प्रश्न यह है कि मद्यनिषेध नीति से ऐसा हुआ है या नहीं। इस बारे में हम चिन्तित हैं। इसी कारण शुरू में हमने यह सोचा था कि हमें मद्यनिषेध के बजाय समय पर जोर देना चाहिये। जैसाकि मैंने पहले बताया है— यह मेरा निजी विचार है न कि सरकार का— जहाँ तक एक धनी व्यक्ति का सम्बन्ध है, यदि वह शराब पीना चाहता है और शराब पीकर मरना चाहता है, तो उसकी मर्जी है परन्तु जब एक मजदूर या गरीब व्यक्ति शराब पीने की आदत से अपने

परिवार को खाने तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं से वन्चित रखता है, तो यह काम समाज तथा सरकार का हो जाता है। इसलिये हमें एक नीति बनानी होगी। मुझे खेद है, अभी तक ऐसा कहीं भी नहीं किया गया है, गुजरात में भी नहीं जहाँ पर इस सम्बन्ध में बहुत प्रयास किये गये हैं।

श्री रतनसिंह राजदा : मैं प्रधान मन्त्री को धन्यवाद देता हूं परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि जिस सज्जन ने विज्ञापन दिया है वह स्थानीय कांग्रेस (आई) के प्रेजीडेंट हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे इसका पता नहीं है। हम इसकी जाँच करेंगे।

ग्रामीण विद्युतीकरण

*759. **श्री रामविलास पासवान :** क्या योजना मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने ग्रामीण विद्युतकीरण के बारे में कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त मुल्यांकन करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई और किन-किन गांवों के बारे में उक्त मूल्यांकन किया गया तथा यह मूल्यांकन किस अवधि में किया गया;

(ग) क्या उसके अंतरिम निष्कर्षों की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का मूल्यांकन से संबंधित एक अध्ययन किया है।

राज्यों को स्तर मानते हुए बहु-चरणीय स्तरबद्ध नमूना-चयन की प्रक्रिया अपनाई गई है, इस में जिले नमूना-चयन की प्राथमिक इकाई हैं, राज्य बिजली बोर्डों के अनुभाग कार्यालय/सब डिवीजन, पोषक लाइनें, गांव और लाभग्राही परिवार नमूना-चयन की बाद की इकाइयाँ है। 19 राज्यों के 48 जिलों में अवस्थित 397 नमूना गाँवों के नामों की सूची सभा पटल पर प्रस्तुत है। इस अध्ययन का क्षेत्रीय कार्य जनवरी, 1979 में शुरू किया गया था और सितम्बर, 1979 के अंत तक पूरा हुआ था अन्तरिम निष्कर्षों की किसी रिपोर्ट को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है या प्रकाशित नहीं किया गया है।

विवरण

अध्ययन द्वारा समावेशित गाँवों 1979 में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किए गये ग्रामीण विद्युतीकरण की सूची।

क्रम-सं०		राज्य	जिला	समावेशियत गाँव
1	2	3		4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1. करीमनगर		1. पोलमपल्ली
				2. वन्नरम
				3. कांडा-पाला-कला
				4. मुल्कानूर

1	2	3	4
1	आन्ध्र प्रदेश	1.करीम नगर	5. गुडुर
			6. मगलीपेट
			7, वर्षाकोंडा
		2. श्री काकुलम 1	1. अन्नावरम
			2, तालावरम
			3. तांपटपल्ली
			4. कोटुरु
			5, पेड्डा सालिकी
			6, येर्रागाम
			7, तिम्मपुरम
		3. चितूर	1. चिन्नामारेड्डी कंड्रीगा
			2, सामीरेड्डीपल्ली
			3. चेरावागानीपल्ली
			4. अम्मागारीपल्ली
			5. गौडुगुचिन्टा
			6. पोलावरम
			7. नल्लापालम
			8. जीपालेम
			9. कुराकाल्वा
			10. श्री निवासन-दासीपरम
			11. करकमवाडी
			12. वेदल्लाचेरुनु
2	असम	1. नौगांव	1. कवाईमारीपन
			2. कटीमारीग्रांट
			3. नीलबागान
			4. देवस्थान
			5. दखिन सवजपुर
			6. लंका राजस्व कस्बा
			7. उत्तर बालुचंदर
			8. पजावी बस्ती
			9. देवगांव
3	बिहार	1. पटना	1. भगवतीपुर-का-मेर
			2. रैल्ली
			3. ममरखावाद

1	2	3	4
3.	बिहार	1. पटना	4. वेहारीबीघा
			5. कुंडी
			6. पंडारा
			7. हवसपुर
			8. पतरींगा
			9. खापुरा
			10. ठाकुरी
			11. सराय
			12. पीपरदाहा
		2. सिंघभूम	1. गोयलकेरा
			2. गागपुर
			3. हरंगदा
			4. नकटी
			5. डोंगवापुर
		3. मुजफ्फरपुर	1. कुरसेदा
			2. इमादपुर
			3. नवागर
			4. एहियापुर
			5. नारायणपुर
			6. बनिया
			7. राजारामपुर
			8. गंगोलिया
			9. अजीजपुर
			10. वीघनिघरी
4.	गुजरात	1. कैरा	1. नरसांदा
			2. गुटल
			3. बार वमरोली
			4. वल्ला
			5. हठम
			6. नवगाम
			7. वनोदा
			8. वानकवोरी
			9. राजपुर
			10. पिलोदरा

1	2	3	8
4.	गुजरात	1. कैरा	11. फगवेल
			12. नवगाम
		2. राजकोट	1. रावाना
			2. रनसीली
			3. वसनद
			4. संथाली
			5. आकोला
			6. देवकी गलोल
			7. पीपलना
			8. मेवासा
			9. नवगंडु
			10. पेढला
		3. बनासकांठा	1. घेघल
			2. लोरवाडा
			3. अखोल-मोटी
			4. थेरवाडा
			5. रूनी
			6. डुंगरासन
			7. साल्युरान
			8. राविपाना
5.	हरियाणा	1. महेन्द्रगढ़	1. मंडीशापुर
			2. मंघाना
			3. मुकंदपुर
			4. भूषण खुर्द
			5. भूषण कलां
			6. कादीपुर
			7. गुमीना
			8. आलियावास
			9. नांगली गोटा
			10. मौरिया अस्सनपुर
			11. गोठरा टप्पा खिरी
			12. अहरोद
6.	हिमाचल प्रदेश	1. सिरमौर	1. जामली
			2. सुरला-चारजन

1	2	3	4
6.	हिमाचल प्रदेश	1. सिरमौर	3. नौनी
			4. आराट
			5. अंधेरी
			6. लुधियाना
		2. चैबा	1. सरोगा
			2. बाकली
			3. मेहले
			4. डाँख
7.	जम्शू और कश्मीर	1. श्रीनगर	1. डांगेरपोरा
			2. मचवा
			3. बमतोकानियापुरा
			4. मेहमूरु
			5. कुनुनगोपुरा
			6. सोगाम
			7. बदरान
			8. नाजन
			9. बीरवा
		2-ऊधमपुर	1. भागटा
			2. कुंकन्यालन
			3. ग्रामवर्यात्रन
			4.पानसा
8.	कर्नाटक	1. बंगलौर	1. तलैकैरा
			2. नागरूर
			3. बैरनाहल्ली
			4. मातराहल्ली
			5. होन्ना सांदरा
			6. हुल्लैगोदनाहल्ली
			7. कोडीमंचनाहल्ली
			8. अक्कुपेटा
			9. परसनाहल्ली
			10. तल्लाहल्ली अग्राहर
			11. रायासांद्रा
		2. उत्तरी कनारा	1. कोनाडा
			2. अंवेली

1	2	3	4
8.	कर्नाटक	2. उत्तरी कनारा	3. बोम्मानाहल्ली
			4. कुलगी
			5. गुंडोल्ली
			6. मुंगलवाड
			7. हंपैनाहल्ली
			8. कावालवाद
		3. बीजापुर	1. जानावाद
			2. चिक्क पादसलगी
			3. बीदरी-भाग 2
			4. टूंगल
			5. मालगी
			6. अगसाराकोप्पा
			7. येरगोप्पा
			8. मट्टी कट्टी
			9. यान कानेही
			10. हालकुर्की
9.	केरल	1. त्रिचूर	1. अंबाल्लूर
			2. नांदीपुरम
			3. मुपलीस्म
			4. कुरीम्बिलायु
			5. तानीयम
			6. किझक्कुमारी
			7. आल्लाप्पाद
		2. कन्नूर	1. कंदबूर
			2. चेमबिलोदे
			3. चेलोर
			4. कान्हागड
			5. मादिकी
10.	मध्य प्रदेश	1. छिंदवाड़ा	1. नोनिया
			2. खैराबाडा
			3. सारसवाडा
			4. वोरिया
			5. वोहरा

1	2	3	4
10.	मध्य प्रदेश	1. छिंदवाड़ा	6. परासिया
			7. खिरखिरी
			8. कुंडा
			9. खूटपिपरिया
			10. लाखापिपरिया
			11. पलटवाडा
		2. इंदौर	1. उज्जैनी
			2. राजधारा
			3. पवदई
			4. सिन्नोद
			5. मंडोत
			6. काछाटिया
			7. खलखाला
			8. खटेदिया बिज्जट
			9. पिपलाई
		3. दुर्ग	1. देवधन
			2. मर्दाखुदे
			3. माटिया
			4. लिर्मारा
			5. गुंडरडेही
			6. कचंदूर
			7. उंडा
			8. जरवाई
			9. पथारा
			10. नारदीही
			11. सिवनी
			12. कुरुदीह
		4. शहडोल	1. मेदियाराव
			2. चचई
			3. केल्होरी
			4. धम्मी
			5. डोंमारटोला
11.	महाराष्ट्र	1. जलगांव	1. तारदा
			2. बावला

1	2	3	4
11.	महाराष्ट्र	1. जलगांव	3. पस्ताने
			4. बबोरी
			5. सावें
			6. सतगांव
			7. कोल्हे
		2. कोल्हापुर	1. मंडयाल
			2. शेन्द्री
			3. हितनी
			4. नागदाववाडी
			5. खुंपीरे
		3. रत्नागिरी	1. वरवाली
			2. पन्हाले
			3. घोआवे
			4. आसगोली
		4. नागपुर	1. सोनमांह
			2. मरकसुर
			3. सुबकुंड
			4. सलाई (केलापुर)
			5. वाई
			6. खापारी
			7. चंकापुर
			8. मानेगाँव
			9. चिचोली
			10. इसापुर
			11। रोहना
			12. पोटा
12.	मेघालय	1. खासी पहाड़ियां	1. स्यात
			2. उमसनिंग
			3. लावमेल
			4. डंवीर
			5. त्यारसाद
			6. मावरीनरम
			7. ऊपरी शिलांग
			8. सादेव

1	2	3	4
13.	नागालैंड	1. कोहिमा	1. दुसिया पहाड़ी
			2. घानसिरीपार
			3. फेसेमा
			4. खिसमेवा
			5. चिसवेंमा
			6. चेदेमा
14.	उड़ीसा	1. कटक	1. तालागडिया
			2. गोपालपुर
			3. रामपल
			4. साहापुर
			5. बानाहरा 2
			6. जालांदा
			7. शुक्लेश्वर
			8. केदारेश्वर
			9. पेरिया
			10. रायसुंयुदा
		2. सुन्दरगढ़	1. गैंबीरा
			2. पचमहुला
			3. करमदीही
			4. बाचल
			5. कुंडुकेला
			6. भवानीपुर
			7. पूरणवाणी
			8. हाटीबार
			9. करीकारामा
		3. कोरापुट	1. जानीगुडा
			2. बालादा
			3. निगावानीगुडा
			4. चिकपाटा
			5. घाटगुडा
15.	पंजाब	1. रोपड़	1. सील (कापरा)
			2. मछीपुर
			3. चैपारचिरी छोटी
			4. झाभोरी

1	2	3	4
15.	पंजाब	1. रोपड़	5. अंधेरा
			6. घनौरी
			7. खेरा
			8. काले वाल
		2. लुधियाना	1. तलबंडीलखुर्द
			2. भाटियम
			3. मानेवाल
			4. लाखांवाल
			5. माकीसालु
			6. खनासु
			7. पहारुवाल
16.	राजस्थान	1. जयपुर	1. खुर्दी
			2. सारूद
			3. सुन्दरपुरा
			4. नागा सुजैसा बोहारा
			5. बायटावाला उर्फ पुरुषोत्तमपुरा
			6. निवारु
			7. कंवरकावास
			8. कुर्जनियावास
			9. कापडियाकावास
		2. झुंझनू	1. बदरवास
			2. चुरियाजीतगढ़
			3. पबाना
			4. दुराना
			5. श्योपुरा
			6. हेतसमसरा
			7. डावरी
			8. मालसीसार
			9. नॉलवा
			10. बाजवा
			11. गोविन्दपुरा
			12. तिग्गास
		3. बांसवाड़ा	1. उपलीमोरडी
			2. टिम्बगामरी

1	2	3	4
3	राजस्थान	3. बांसवाड़ा	3. सवानिया
			4. उदाजीका गढ़
			5. तामातीय
			6. बोरवाट
17.	तमिल नाडु	1. चिंगलपेट	1. मामकावकम
			2. टी० सी० कांडीगाई
			3. वीराकुप्पम
			4. सेंगलातुर अग्राहरम्
		2. कोयम्बुटूर	1. किलनर्कुदल
			2. कुम्मारापालायम
			3. पेन्नीवाडी
			4. मुलानूर
			5. मालीपालायम
			6. काल्लापुरम
			7. सांगारामनाल्लूर
		3, रामनाथपुरम	1. सन्नावनम
			2. पुडुर
			3. इलंगुडी
			4. अमरावती
			5. कालारी
			6. उज़रातुर
			7. कोटनकुलम
			8. सिरयकुलम
18.	उत्तर प्रदेश	1. लखनऊ	1. पहाड़पुर
			2. बरूत्थानगर
			3. मनकेरती
			4. कठुलजा
			5. ईसापुर
			6. जामुलिया
			7. दीघरी
			8. परेहटा
			9. मदरुख
			10. मरसांदा
			11. बरवालिया
			12. भान उर्फ़ मोहनलालगंज

1	2	3	4
18.	उत्तर प्रदेश	2. आजमगढ़	1. पेकारीखुर्द
			2. गंगापुर
			3. खैरा
			4. सलीमपुर
			5. चंदौरा
			6. खानपुर सुकल
			7. गोवर्धनपुर
			8. महेशपुर
			9. धंधेरी
			10. मारछाहर
			11. बंधिया
			12. चौछहरा
		3. मेरठ	1. राजपुरा
			2. घीरखेड़ा
			3. कैली
			4. चांदपुरा
			5. नान
			6. आलमपुरा
			7. शाहजहाँपुर
			8. पालरा
			9. शाहपुर बांगढ़
			10. इदरीशपुर
			11. नागल भगवनापुर
			12. कनहाड
		4. अल्मोड़ा	1. बाखली
			2. मिरई मल्ला
			3. तालुपट्टी
			4. किलकेटी
			5. खोराकोट
			6. बैजनाथ
			7. खूंट
			8. धारी
19.	पश्चिम बंगाल	1. नदिया	1. हिजूली
			2. मय्यावनंतपुर

1	2	3	4
19.	पश्चिम बंगाल	1. नदिया	3. दक्षिण हजरापोटा
			4. कृष्णनगर
			5. दक्षिण झीटलौपोटा
			6.बहादुरपुर
		2. पश्चिम दीनाजपुर	1. बसंता
			2. बिनसिरा
			3. साहापुर
			4. जियाखेरी
			5. जीवाकाटा
		3. हुगली	1. वेगमपुर
			2. आडन
			3. खसटमई
			4. पैरागाछी
			5. नैती
			6. चिकरंद
			7. हंसरुप
			8. वेतवैनी
			9. नावदुली
			10. लालुका

श्री राम विलास पासवान : एक तरफ कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ सेंट परसेंट गाँवों में बिजली उपलब्ध है, दूसरी तरफ बिहार यू. पी. पश्चिम बंगाल उड़ीसा जैसे राज्य हैं जहाँ मुश्किल से 25 से 32 परसेंट तक गाँवों में विद्युतीकरण हुआ है। यह जो क्षेत्रीय असन्तुलन है, इसको मिटाने के लिए आप क्या कर रहे हैं ? आपने क्या कोई सैम्पल सर्वे कराया है कि कितने किसानों को समय पर बिजली नहीं मिलने के कारण कितनी क्षति उठानी पड़ती है और विगत जनवरी से जून 1980 तक प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में कितने घटे तक बिजली रही है ? क्या सरकार फसल तैयार होने के समय अगर बिजली नहीं मिलती है और उस कारण से फसल की बरबादी होती है तो किसान को कम्पैसेट करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : विद्वान सदस्य मुझ से सहमत होंगे कि यह मूल्यांकन का प्रश्न नीति निर्धारण से भिन्न होता है। मूल्यांकन जो पहले से कार्यक्रम चल रहे हैं उनका दूरगामी तथा तात्कालिक क्या—प्रभाव पड़ा है, उसका होता है। इसलिए जो प्रश्न विद्वान सदस्य ने पूछा है वह मूल्यांकन से सम्बन्धित नहीं है। जहाँ तक क्षेत्रीय असन्तुलन का सम्बन्ध है छठी योजना का जो विद्युत प्रक्रिया वर्ग है, वर्किंग ग्रुप है वह उस सम्बन्ध में अपनी संस्तुति देगा कि ग्रामीण विद्युतीकरण के मामले में जो असन्तुलन है उसको किस प्रकार दूर किया जा सकता है।

जहां तक उनका दूसरा प्रश्न है कि गांवों में समय से बिजली पहुंची या नहीं, यह प्रश्न भी मूल्यांकन की जो प्रश्न मारणी है उसमें पूछा गया है । ग्रामीण जीवन में बिजली समय से न मिलने के कारण उसका क्या प्रभाव पड़ा है ये सब प्रश्न सारणी में उपलब्ध हैं। उनके उत्तरों का इस समय विश्लेषण किया जा रहा है, एनेलेसिस किया जा रहा है और जब उसकी अंतरिम रिपोर्ट आएगी तो इसका मूल्यांकन भी हमें प्राप्त हो जाएगा ।

श्री राम विलास पासवान : मेरा सीधा सा प्रश्न हिन्दी में था । अंग्रेजी में प्रश्न इस प्रकार है : 'व्हैदर प्लानिंग कमीशन हैज मेड एन असेसमेन्ट इन रिगार्ड टू रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन' पता नहीं आपने कैसे उसको मूल्यांकन के नाम पर काट दिया है । सीधा सा जो प्रश्न पूछा गया है वह यह है कि बिजली नहीं मिलने के कारण गांवों में जो तबाही होती है और वहां जहां ईलैक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, किसान का खेत सूख जाता है, उसकी पैदावार मारी जाती है, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं ?

दूसरे मैं यह जानना चाहता हूँ कि कुल कितने गांव देश में हैं उनमें से शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के कितने गांव हैं, उनमें से कितने गांव का आपने विद्युतीकरण कर दिया है और जिनका नहीं किया है उसका क्या कारण है ? क्या सरकार विद्युतीकरण के साथ-साथ उसके मुताबिक क्षमता भी उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है, कोई प्रयास कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : अगर आप इस सवाल को एनर्जी मिनिस्टर से करते तब आप को इसका उत्तर मिल सकता था कि बिजली क्यों नहीं मिल रही है ?

श्री राम विलास पासवान : कितने गांवों में विद्युतीकरण की आपकी योजना है और कितने गांवों का अभी तक विद्युतीकरण हो गया है ?

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न इसके बारे में एनर्जी मिनिस्टर से पूछ लें तो ज्यादा बेहतर होगा ।

श्री राम विलास पासवान : कितने गांवों में बिजली देने की योजना है और कितने गांवों में लग चुकी है, यह भी बताना क्या इनके लिए मुश्किल है ?

अध्यक्ष महोदय : आपके पास तो यह इनफार्मेशन नहीं होगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : इसके बारे में यदि विद्वान सदस्य दूसरा प्रश्न पूछ ले तो ज्यादा अच्छा होगा । इसका मूल्यांकन से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, : आप कितने गांवों का विद्युतीकरण करने जा रहे हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : इसके लिए छठी योजना में प्रावधान किया जायेगा । वह अभी बन रही है ।

श्री राम विलास पासवान : यह तो स्पष्ट ही है कि छठी योजना में किया जायेगा, चाहे दस गांवों में करें या बीस गांवों में करें । मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने गांवों के विद्युतीकरण की योजना है और उनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के कितने गांव इनक्लूड किये जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि इस समय उनके पास यह जानकारी होगी, क्योंकि योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

प्रो. मधु दण्डवते : ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण के कार्यक्रम के लिए स्टेट इलेक्ट्रिसिटी

बोर्ड्ज की मदद ली जाती है। आज स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्ज जिस तरह से काम कर रहे हैं और उन्हें जो घाटा हो रहा है, उसे देखते हुए क्या सरकार के पास ऐसी परियोजना है कि स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्ज को केन्द्र अपने हाथ में ले ले, या उसके विकल्प में क्या सरकार यह तय करेगी कि एक नेशनल ग्रिड का निर्माण किया जाये ?

श्री के. लक्कप्पा : यह प्रश्न योजना विभाग से सम्बन्धित नहीं है। वह योजना मन्त्री से इस प्रश्न को कैसे पूछ सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह योजना का प्रश्न हो सकता है। वह यह जानना चाहते हैं कि क्या वह ऐसा करना चाहते हैं अथवा नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, विद्वान सदस्य के पहले प्रश्न के उत्तर में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्तमान संवैधानिक स्थिति में यह सम्भव नहीं होगा कि राज्य विद्युत बोर्डों को केन्द्र अपने हाथ में ले ले। उन पर नियत्रण किस प्रकार किया जा सकता है, इस पर माननीय ऊर्जा मत्री जी ने इस सदन का समाधान किया है। जहाँ तक नेशनल ग्रिड बनाने का प्रश्न है, यह एक ऐसा प्रश्न है, जिस पर विचार किया जा रहा और हम इसको प्राथमिकता देने का प्रयास करेंगे कि नेशदल ग्रिड का निर्माण किया जाये।

श्री एम. सत्य नारायण राव : माननीय सदस्य, श्री पासवान, ने प्रश्न पूछा है कि इलैक्ट्रिफाइड गांवों का परसेंटेज क्या है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन आपको मालूम है कि आजादी के समय हिन्दुस्तान में सिर्फ 1500 गावों में इलैक्ट्रिसिटी थी। अब वैसी स्थिति नहीं है। लाखों गाँवों का इलैक्ट्रिफिकेशन हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सवाल पूछें।

श्री एम. सत्यनारायण राव : केवल 45 प्रतिशत गाँवों को ही विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत लाया जा सका है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि क्या छठी योजना में कम से कम शत प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा। अभी हाल में मैंने ऊर्जा मंत्री से एक प्रश्न पूछा था। उन्होंने यह बताया कि यह प्रश्न उनके मन्त्रालय के अधीन नहीं आता। ऊर्जा मन्त्री ने यह कहा कि उनके पास कोई वित्तीय शक्तियां नहीं हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या योजना मन्त्री यह जानकारी दे सकेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी : उनके प्रश्न का उत्तर पहले तो राज्य सरकारों द्वारा दिया जाना चाहिए। उन्हें अपनी राज्य योजनाओं में ग्रामीण विद्युतीकरण परिव्यय के लिए प्रावधान करना होगा। इसलिए विभिन्न राज्यों में मामले के बारे में भिन्न-भिन्न विचार हैं और कुछ राज्यों में हमने शत प्रतिशत विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है और कुछ राज्यों में हमने 60 से 70 प्रतिशत विद्युतीकरण कर दिया है और कुछ अन्य राज्यों में 30 से 40 प्रतिशत विद्युतीकरण ही हो सका है। इसलिए मूल रूप से योजना को तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। हम उन्हें उच्च प्राथमिकता देना चाहेंगे।

श्री भागवत झा आजाद : ग्रामीण विद्युतीकरण से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या विद्युत ताप घर को फिटहैड पर बनाया जाये, जहाँ कम से कम खर्च हो, या वहाँ बनाया

जाये, जहाँ कोयला 100 मील दूर ले जाना पड़े और खर्च अधिक से अधिक हो। मैं यह जानना चाहता हूं कि विद्वान योजना मन्त्री जी इनमें से किसी को अधिक उपयुक्त समझते हैं।

श्री नरायण दत्त तिवारी : हमारे परम विद्वान सदस्य ने जो विचार व्यक्त किया है कि हम कीमत के पिट हैंड्ज पर थर्मल स्टेशन बनाये जायें, यह बहुत स्तुत्य है और स्वागतयोग्य है और ऊर्जा मन्त्री जी ने इस सम्बन्ध में जो नीति घोषित की है, उसमें यही कहा है कि भविष्य में प्राथमिकता पिट हैड थर्मल्स को ही दी जायेगी, लेकिन जो दूरगामी राज्य हैं जहां पर कि ऊर्जा को ले जाने में बहुत खर्चा करना पड़ता है और वहां की क्षेत्रीय आवश्यकताओं को देखते हुये कहीं-कहीं पर यह हो सकता है कि उनको भी थर्मल स्टेशन बनाने की इजाजत दी जाये, लेकिन जहांतक प्राथमिकता का सवाल है कि यह पिट हैड थर्मल स्टेशन्ज को ही दी जानी चाहिए, यह नीति तय हो चुकी है।

महिलाओं के प्रति अपराध

*761 **श्रीमती गीता मुखर्जी** :

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महलाओं के प्रति अपराधों का कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या उनसे सम्बन्धित आंकड़े एकत्रित किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) महिलाओं के प्रति अपराधों की घटनाओं के आंकड़ों का राज्यवार ब्यौरा अर्थात (1) 1975 से 1978 तक बलात्कार के सूचित किए गये मामले, (2) 1975 से 1979 तक पत्नियों को जलाये जाने की दुखद घटनायें, (3) 1977 से 1979 तक नव विवाहित महिलाओं द्वारा की गई आत्महत्यायें और (5) 1978-1979 में दहेज मांगने के कारण हुई मौतों के मामले संलग्न विवरण में दिए गए हैं। (अनुलग्नक) 1 से 4 तक)

महिलाओं के प्रति अपराधों का और अधिक व्यापक सर्वेक्षण करने के लिए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरों ने फिलहाल इस विषय पर अध्ययन के लिए एक परियोजना शुरू की है, जो प्रगति पर है।

अनुलग्नक–1

1975 से 1979 के दौरान सूचित किए गए बलात्कार के मामलों के आंकड़ों का राज्य-वार विवरण।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1975	1976	1977	978
1. आंध्र प्रदेश	88	109	119	128
2. आसाम	150	160	179	163
3. विहार	304	351	345	उपलब्ध नही हैं।
4. गुजरात	55	99	82	100

5. हरियाणा	49	52	70	64
6. हिमाचल प्रदेश	17	22	29	23
7. जम्मू तथा कश्मीर	70	91	63	118
8. कर्नाटक	39	39	66	67
9. केरल	59	52	50	52
10. मध्य प्रदेश	728	698	766	787
11. महाराष्ट्र	283	315	358	367
12. मणिपुर	7	11	—	3
13. मेघालय	9	12	7	6
1 . नागालैंड	1	7	6	2
15. उड़ीसा	38	61	57	73
16. पंजाब	105	90	93	81
17. राजस्थान	164	200	219	318
18. सिक्किम	1	8	2	8
19 तमिलनाडु	50	75	101	118
20. त्रिपुरा	9	6	13	19
21. उत्तर प्रदेश	760	745	736	820
22. पश्चिम बंगाल	322	395	459	477
23. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2	3	—	—
24. अरुणाचल प्रदेश	7	4	3	3
25. चंडीगढ़	3	3	3	3
26. दादर तथा नागर हवेली	—	—	—	—
27. दिल्ली	35	48	60	57
28. गोवा, दमन तथा द्वीव	4	2	1	4
29. लक्षद्वीप	—	—	—	—
30. मिजोरम	13	20	30	22
31. पांडिचेरी	3	8	5	15
जोड़	3675	3686	3922	3899

अनुलग्नक-2

1975 से 1979 तक पत्नियों को जलाये जाने की दुखद घटनाओं के मामलों का राज्यवार विवरण ।

क्र. सं. राज्य का नाम	1975	1976	1977	1978	1979
1. आंध्र प्रदेश	165	200	200	248	249
2. अ.साम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

3.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	गुजरात	2	3	4	2	7
5.	हरियाणा	2	7	6	7	12
6.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	जम्मू तथा कश्मीर	4	2	4	3	8
8.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	केरल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	मध्य प्रदेश	9	17	15	16	29
11.	महाराष्ट्र	277	313	347	362	362
12.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
14.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	उड़ीसा	5	8	6	3	6
16.	पंजाब	3	11	11	13	23
17.	राजस्थान	49	75	75	87	98
18.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	तमिलनाडु	शून्य	1	1	1	2
20.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
21.	उत्तर प्रदेश	26	18	31	40	44
22.	पश्चिम बंगाल	30	36	37	44	48
23.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25.	चण्डीगढ़	7	13	25	17	23
26.	दादर तथा नागर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	दिल्ली	91	88	94	123	148
28.	गोवा, दमन तथा द्वीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जोड़	670	792	857	966	1064

अनुलग्नक-3

1977, 1978 और 1979 में नव-विवाहित महिलाओं द्वारा की गई आत्म हत्याओं का विवरण

क्र. स	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1977	1978	1979
1.	आंध्र प्रदेश	...	...	...
2.	आसाम	...	...	...

3. बिहार	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
4. गुजरात	...	...	...
5. हरियाणा	2	2	7
6. हिमाचल प्रदेश	...	...	...
7. जम्मू तथा कश्मीर	...	...	2
8. कर्नाटक	...	...	...
9. केरल	...	...	...
10. मध्य प्रदेश	...	...	...
11. महाराष्ट्र	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
12. मणिपुर	...	...	...
13. मेघालय	...	...	...
14. नागालैंड	...	...	...
15. उड़ीसा	1	...	...
16. पंजाब	7	8	10
17. राजस्थान	1	1	...
18. सिक्किम	...	...	...
19. त्रिपुरा	...	...	...
20. तमिलनाडु	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
21. उत्तर प्रदेश	...	...	2
22. पश्चिम बंगाल	...	...	...
23. अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	...	...	...
24. अरुणाचल प्रदेश	...	...	...
25. चंडीगढ़	...	...	...
26. दादर तथा नागर हवेली	...	...	...
27. दिल्ली	1	1	1
28. गोवा, दमन तथा द्वीव	...	...	...
29. लक्षद्वीप	...	...	...
30. मिजोरम	...	...	...
31. पांडिचेरी	...	...	...
जोड़	12	12	22

अनुलग्नक-4

1978-1979 के दौरान दहेज मांगने के कारण हुई, मौतों का राज्यवार विवरण

	1978	1979
1. आंध्र प्रदेश	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
2. आसाम	शून्य	शून्य

3. बिहार	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
4. गुजरात	शून्य	शून्य
5. हरियाणा	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
6. हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
7. जम्मू तथा कश्मीर	शून्य	शून्य
8. कर्नाटक	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
9. केरल	शून्य	शून्य
10. मध्य प्रदेश	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
11. महाराष्ट्र	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
12. मणिपुर	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
13. मेघालय	शून्य	शून्य
14. नागालैंड	शून्य	शून्य
15. उड़ीसा	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
16. पंजाब	14	21
17. राजस्थान	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
18. सिक्किम	शून्य	शून्य
19. तमिलनाडु	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
20. त्रिपुरा	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
21. उत्तर प्रदेश	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
22. पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य
संघ शासित राज्य		
1. अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
2. अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
3. चंडीगढ़ प्रशासन	शून्य	शून्य
4. दादर तथा नागर हवेली	शून्य	शून्य
5. दिल्ली	3	11
6. गोवा, दमन तथा द्वीव	शून्य	शून्य
7. लक्षद्वीप	शून्य	शून्य
8. मिजोरम	शून्य	शून्य
9. पांडिचेरी	शून्य	शून्य
जोड़	17	32

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं चाहती थी कि वर्ष 1980 के भी आंकड़े होते। फिर भी मैं मन्त्री महोदय का ध्यान उबन्ध दो, तीन और चार में दिये गये आंकड़ों की ओर आकर्षित करना चाहूंगी जिनमें पत्नियों को जलाये जाने की दुखद घटनाओं, नव विवाहित महिलाओं द्वारा की गई आत्म हत्याओं और दहेज मांगने के कारण हुई मौतों के मामलों का उल्लेख है। वर्ष

1975 से 1979 तक की अवधि में पत्नियों को जलाये जाने की दुखद घटनाओं के बारे में दिये गये आंकड़ों से पता चलता है कि गुजरात में क्रमश: 2,3,4,2 और 7 तथा हरियाणा में क्रमश: 2,7,6,7, और 12 मामले हुए थे। इस विवरण के अनुसार अधिकांश राज्यों में कोई मामले नहीं हुए थे। जब हम दहेज मांगने के कारण हुई मौतों सम्बन्धी आंकड़ों पर आते हैं, तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अधिकांश राज्यों से 'शून्य' दर "उपलब्ध नहीं हैं" का उत्तर प्राप्त हुआ है। क्या कोई भी व्यक्ति जो हमारे देश को और विशेष रूप से देश के इस भाग को जानता है, इस बात पर विश्वास कर लेगा कि इन सभी वर्षों के दौरान दहेज मांगने के कारण कोई भी मौत नहीं हुई है। यह एक असम्भव बात है। इससे इन मामलों को पता लगाने और उनकी जानकारी देने में हमारे तन्त्र की स्थिति के बारे में पता चलता है, उन लोगों को दण्ड देने की बात को तो छोड़ ही दीजिए। यह एक अच्छी बात है कि पुलिस अनुसन्धान और विकास ब्यूरो ने महिलाओं के प्रति अपराधों के बारे में अभी हाल में एक अध्ययन प्रारम्भ किया है। क्या महिलाओं के प्रति अपराधों के बारे में राज्यों को कोई निश्चित निर्देश और मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये हैं और ऐसे अपराधों का पता लगाने के लिए कोई विशेष शाखा गठित की है, जिससे इस प्रकार की बातों को समाप्त किया जा सके ? इस ब्यूरो का क्षेत्राधिकार क्या है और राज्यों को मन्त्री महोदय क्या मार्गदर्शी निर्देश देना चाहते है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : जैसा कि मैंने बताया, पुलिस अनुसन्धान और विकास ब्यूरो ने महिलाओं के विरुद्ध अपराधो के बारे में अध्ययन को एक परियोजना शुरू की है। यह कई शीर्षों के अन्तर्गत विभाजित है, दहेज मांगने के कारण हुई मौतें, बलात्कार, महिलाओं में अनैतिक पाप्य निवारण अधिनियम के अधीन अपराध आदि। यह ब्यूरो का क्षेत्राधिकार होगा। वे आंकड़ों को एकाचित करेंगे और उनकी जांच पड़ताल करेंगे और वे विभिन्न राज्यों में रहते हैं, तो वे आंकड़ों का संकलन करेंगे।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मन्त्री महोदय, ने न तो क्षेत्राधिकार के बारे में उत्तर दिया है कि वह क्षेत्रवार होगा और किस स्तर पर कार्य करेगा और न ही मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बारे में उत्तर दिया है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : हमने सभी राज्यों से यह कहा है कि वे आंकड़े एकत्रित करें और हमें भेज दें। साथ ही साथ राज्य सरकारों से यह कहा गया है कि वे इन मामलों में कठोर कार्यवाही करें।

श्रीमती गीता मुखर्जी : दो महीने पहले, दिल्ली में ही दहेज मांगने के कारण हुई कथित मौतों के 6 मामले मैंने दिये थे, जिनमें स्वयं मन्त्री महोदय ने काफी रुचि दिखाई थी और वे मामले गृह मन्त्री को भेज दिये थे, जिससे उन्हें केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जा सके। आज के दिन तक यह कार्य नहीं किया गया है। क्या यह सच है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री महोदय हमें यह आश्वासन देंगे कि इन मामलों को अब केन्द्रीय जांच ब्यूरो कम से कम सात दिनों में अपने हाथ में लेगा क्योंकि विलम्ब से मिलने वाला न्याय तो न्याय से वंचित रखना ही है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : जी, हां।

डा. कर्ण सिंह : जिन आंकड़ों का उल्लेख किया जा रहा है, उनके अलावा भी— इसमें

कोई सन्देह ही नहीं है कि ये आंकड़े बहुत ही कम करके बताये गये हैं— महिलाओं के प्रति अपराध की समस्या एक बहुत गम्भीर समस्या है, जो हमारे सामाजिक जीवन के मर्मस्थल का स्पर्श करती है। मैं समझता हूं कि आज भारत में यह एक शर्मनाक स्थिति है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि हो रही है या कम से कम अधिक सख्या में वे प्रकाश में आ रहे हैं। क्या सरकार इस बात से सहमत हैं कि इस बुराई से तभी निपटा जा सकता है जबकि सामाजिक संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं और सांस्कृतिक संगठनों को साथ लेकर जन शिक्षा का एक व्यापक अभियान चलाया जाए ? हमारे बहुत महान आदर्श हैं। हम स्त्री को 'शक्ति' का एक महान प्रतीक समझते हैं और फिर भी हम अपने रोजमर्रा के जीवन में यह देखते हैं कि उनके प्रति अधिकाधिक संख्या में अपराध हो रहे हैं। जैसा कि किसी ने बताया— जब राजस्थान में सिनेमा वाली घटना हुई अर्थात् जबकि बिजली चली गई थी— यह हमारी भारतीय संस्कृति है कि जब तक तो ल इट है तब तक तो सब माताएं बहनें हैं और जब बिजली चली जाती है वह माता बहन सब भूल जाते हैं। यह एक शर्मनाक स्थिति है।

इस मामले में हम क्या-क्या दीर्घकालीन उपाय करने जा रहे हैं ? अब हमारे यहां महिला प्रधान मन्त्री हैं। यदि हम इन सभी संगठनों के सहयोग से अभी कार्यवाही नहीं कर सकते, तो हम कब कार्यवाही कर सकेंगे ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : माननीय सदस्यों और अन्य लोगों द्वारा व्यक्त चिन्ता के साथ मैं भी पूरी तरह सहमत हूँ। जब मुख्य मन्त्री यहां पर आये थे, तब यही रुख मैंने अपनाया था अर्थात् सभी कानून उपाय— सख्त कार्यवाही, कठोर दण्ड, ये तो करने ही हैं— करने के अलावा यह अत्याधिक आवश्यक है कि एक ऐसा सामाजिक वातावरण तैयार किया जाये, जहां इस प्रकार की बातें खम्भव ही न हो सकें, और यह एक ऐसी बात है जिसे विशेष रूप से नवयुवक प्रारम्भ कर सकते हैं, क्योंकि मैं समझती हूं कि वे ऐसी स्थिति में हैं, जो यह कह सकते हैं कि वे दहेज की मांग नहीं करेंगे, वे अपनी बहिनों के लिए दहेज नहीं देंगे आदि आदि। जैसा कि मैंने पहले बताया, हम उन स्थानों का सामाजिक बहिष्कार कर सकते हैं, जहां ऐसी घटनायें होती हैं। हमने राज्य सरकारों के साथ इस मामले पर बातचीत की है और कुछ महिला संगठनों के साथ तथा अन्य लोगों के साथ, जो मुझसे इस बारे में मिले थे, हमने बातचीत की है। लेकिन यह केवल सरकार का ही काम नहीं है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर सभी लोगों को एक राष्ट्रीय प्रश्न समझ कर कार्यवाही करनी चाहिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि इस बारे में और कोई प्रश्न है।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : 1975 में दिल्ली में 350 महिलाएं जल कर मर गई, ऐसा भूतपूर्व और दिवंगत लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री कृष्ण चन्द्र ने कहा था और उन्होंने उस समय कहा था कि हर मृत्यु एक खून है ऐसा समझ कर उसकी जांच की जाय, तो उसके बारे में 1975 में कुछ हुआ क्या ?

मेरा दूसरा सवाल यह है दिन बदिन महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, यह समाज के लिये बड़ी चिन्ता की बात है। मि. लैटिन आफ मेरी स्टोप्स ट्रस्ट ने कहा है कि हमारे देश में साल दो मिलियन महिलाओं पर बलात्कार होते हैं यह बिल्कुल सच नहीं होगा लेकिन मैं जानना चाहती

हूं क्या हमारी प्रधान मन्त्री देश में एक नेशनल कमीशन आन वीमेन बनाकर, महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं उनको रोकने की व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : ऐसे कमीशन्स का बहुत सा हम सबको अनुभव है। उससे कोई जरूरी नहीं है कि काम आगे बढ़े या ज्यादा अच्छी तरह से हो। जैसा मैंने कहा, जो एग्जिस्टिंग आर्गनाइजेशन महिलाओं के संगठन हैं या दूसरे लोग हैं जो इस विषय में रूचि रखते हैं, जिनको इसके बारे में परेशानी है जैसी कि हम सबको है, हम लोग मिलकर देखें कैसे समाज में ऐसी आबो हवा बनाये, वातावरण बनायें जिसमें यह नहीं हो सकता है। केवल कमेटी और कमीशन्स से मेरे ख्याल से कुछ खास होगा नहीं।

श्री चित्त बसु : मंत्री महोदय ने आगे के बहुत से कार्यक्रमों का संदर्भ दिया है आगे के इन कार्यक्रमों में नीति सम्बन्धी तथा प्रशासनिक कमियां हैं अतः एक नया दृष्टिकोण आवश्यक है। मंत्री महोदय ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि केन्द्रीय सरकार पिछड़े क्षेत्रों में केन्द्रक (न्यूक्लीय) उद्योग स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। क्या मंत्री महोदय ने इन केन्द्रक उद्योगों के बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे और यह भी बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रक उद्योग के बारे में उनके विचार भूतपूर्व सरकार की जिला उद्योग केन्द्र योजना से किस प्रकार भिन्न हैं ?

श्री चरनजीत चानना : मैंने इस पहलु की ओर सदन का ध्यान दिलाया है। मैं नीति बताते समय ही केन्द्रक (न्यूक्लीय) यूनिट की परिभाषा पहले ही बता चुका हूं। परन्तु माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं फिर से यह बताना चाहता हूँ कि जिला उद्योग केन्द्र और न्यूक्लीय यूनिट के बीच बिल्कुल कोई समानता नहीं है क्योंकि जिला उद्योग केन्द्र का तात्पर्य संचालनात्मक ढंग से था जब कि न्यूक्लीय यूनिट एक ऐसा उद्योग है जिसकी स्थापना की स्वीकृति बहुत से सहायक तथा छोटे उद्योगों के सृजन के लिये दी जाती है। जिला उद्योग केन्द्र एक बिल्कुल ही अलग चीज है और न्यूक्लीय यूनिट से इसकी तुलना करना तर्क संगत नहीं है।

श्री चित्त बसु : श्री वी. शिवरामन की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक समिति की थी जिसने ग्रामीण विकास के लिये एक राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी। मेरा विचार है कि ग्रामीण विकास के लिये राष्ट्रीय बैंक की स्थापना ग्रामीण औद्योगीकरण में सहायक सिद्ध हो सकती है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विकास के लिये नेशनल बैंक की स्थापना की सिफारिश किस स्थिति में है ?

श्री चरनजीत चानना : इस बैंक की स्थापना का प्रश्न वित्त मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है और मेरे पास इस बारे में कोई ब्यौरा नहीं है।

श्री सुनील मैत्रा : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को केन्द्रीय निवेश राज सहायता उपलब्ध है। सरकार ने समय समय पर 247 पिछड़े जिले घोषित किये हैं जिनमें से 17 जिले राज सहायता पाने के पात्र हैं और केन्द्रीय निवेश राज सहायता योजना के अन्तर्गत आते हैं। क्या यह सच है कि आसाम राज्य में जहां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये विधान सभा के 24 स्थान हैं, वर्ष 1972-73 से 1979-80 तक राज सहायता के रूप में 1.42 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है। बिहार में जहां ऐसे स्थानों की

संख्या 74 है, 1.17 करोड़ रुपये का राशि व्यय की गई है। उडीसा में जहाँ ऐसे स्थानों की संख्या 56 है, 0 95 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है ।उत्तर प्रदेश में, जहाँ ऐसे स्थानों की संख्या 90 है, 1.46 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है। पश्चिम बंगाल जहाँ ऐसे स्थानों की संख्या 76 है, 1.52 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है। तमिलनाडु में जहाँ ऐसे स्थानों की संख्या 44 है, 14.7 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है। गुजरात राज्य में, जहाँ ऐसे स्थानों की संख्या 37 है, 8.3 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है। महाराष्ट्र में, जहाँ स्थानों की संख्या 34 है, 10.9 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है।

प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि क्या सरकार हमें ऐसा आश्वासन देगी कि पिछड़े क्षेत्रों को सदैव पिछड़ा बनाए रखने वाली नीति में परिवर्तन किया जायेगा।

श्री चरनजोत चानना : माननीय सदस्य ने एक रूचि पूर्ण अध्ययन अभिव्यक्ति की है और उन्होंने राजनैतिक निर्वाचन क्षेत्रों तथा आर्थिक जिलों के लिए जो औद्योगिक रूप से पिछड़े हुये हैं, पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया है। उन्होंने जो दिलचस्प अध्ययन किया है उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है। परन्तु माननीय सदस्य ने प्रश्न की प्रस्तावना में स्वयं ही प्रश्न का उत्तर दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वह विकास के लिये ग्रामीण विकास के लिये चुने गये दो प्रकार के क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। मैं केवल उनकी बात ही दोहरा रहा हूं पहली बात उन्होंने यह कही है कि 10 जिले केन्द्रीय राज सहायता और रियायती दरों पर वित्त पाने के पात्र हैं और 247 जिले रियायती वित्त पाने के पात्र हैं। माननीय सदस्य को उनके सम्पूर्ण प्रतिवेदन का अध्ययन करना चाहिये। वास्तव में दुर्भाग्य से, आपने जो मानदंड निकाला है संसद अथवा विधान स ा के राजनैतिक निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र तथा विकास के बीच जो पारस्परिक सम्बन्ध बनाया है वह ठीक नहीं है। यह विकास का आधार नहीं है। यदि आप इस प्रकार का विचार रखते हैं, यदि इस प्रकार का सुझाव देते हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप पिछड़े क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति से सम्पर्क करें जो इस विषय में कार्यकर रहे हैं, आपका अध्ययन प्राप्त करना चाहेंगे।

डा० सुब्रह्मणियम स्वामी : मैं मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहूँगा कि क्या उन्हें पता है कि बहुत से लेख प्रकाशित हुये हैं जिनमें कहा गया है कि पिछड़े क्षेत्र की परिभाषा ही दोषपूर्ण है और इसका पुनरीक्षण किया जाना चाहिए क्या मंत्री महोदय सदन को परिभाषा की मुख्य बातें बतायेंगे और क्या इस मामले का राष्ट्रीय समिति द्वारा पुनरीक्षण किया जायेगा।

श्री चरनजोत चानना : औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाते समय दो समितियों ने कार्य किया है जो योजना आयोग द्वारा नियुक्ति की गई थीं। बाद में अर्थात हाल ही में महसूस किया गया कि क्षेत्रों के विकास पर राज सहायता के प्रभाव की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है और इसलिए पिछड़े क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति गठित की गई। समिति इस विषय पर कार्य कर रही है और आपके द्वारा उठाया गया मुद्दा समिति का एक निदेशक है। हमें आशा है समिति का प्रतिवेदन इस वर्ष के अन्त तक प्राप्त हो जायेगा। इसके पश्चात ही हम समस्त मामले का पुनरीक्षण कर सकेंगे।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : अधिकांश पिछड़े क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन

जातियों के लोग ही रहते हैं। मैं यह बात जानना चाहूँगा कि क्या पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों का विकास करने का दायित्व सरकार और सार्वजनिक उपक्रम अपने पर लेंगे !

श्री चरन जीत चानना : जी, हाँ।

सोवियत रुस से कागज की सप्लाई के लिए करार

*764. **श्री के. प्रधानी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रुस और भारत में शिक्षा के क्षेत्र की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए लिखाई और छपाई का कागज सप्लाई करने के बारे में कोई करार हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सोवियत रुस मांग पूरी करने में सफल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में कागज की मात्रा और इसमें खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) सोवियत संघ और भारत के बीच लुगदी तथा कागज उद्योग के क्षेत्र में एक कार्यकारी सहयोग कार्यक्रम तैयार किया गया है। अन्य बातों के आप साथ कार्यक्रम में कागज और लुगदी उत्पादों के परस्पर विनिमय की संभवता पर और पारस्परिक सहमति के आधार पर अन्य वस्तुओं के विनिमय की व्यवस्था है। आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के पश्चात, दोनों पक्षों द्वारा इस प्रकार की सप्लाई का ब्यौरा अभी तैयार किया जाना है।

श्री के. प्रधानी : इस तथ्य को देखते हुए कि वर्ष 1978-79 के दौरान भारत को बहुत सस्ती दरों पर सबसे अधिक कागज सप्लाई करने वाले देशों में सोवियत रुस का दूसरा स्थान था, सोवियत रुस से और अधिक कागज आयात करने के विचार का मैं स्वागत करता हूँ। परन्तु इसी के साथ-साथ, चूंकि इसमें विदेशी मुद्रा का व्यय होता है, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बांस पर निर्भर करने वाली वर्तमान कागज-मिलों की उपयोगी क्षमता को बढ़ाने का विचार रखती है तथा दूसरे क्योंकि भारत में बांस के जंगल सीमित संख्या में हैं, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार घास फूंस तथा खोई जैसे कृषि अवशेषों पर निर्भर करने वाली कुछ नई फैक्टरियों की स्थापना करने का विचार रखती है ?

श्री चरणजीत चानना : दोनों प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरा उत्तर 'हां' में है।

श्री के. प्रधानी : पिछले महीने कुछ प्रेस रिपोर्टें थी कि आयात किया हुआ लगभग 50,000 टन कागज उपभोक्ताओं को वितरित किए बिना हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के गोदामों में रखा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सच है और यदि हां, तो यह कागज गोदमों में क्यों रखा हुआ था, जबकि देश में कागज की कमी थी तथा कीमतें बढ़ रहीं थी ?

श्री चरणजीत चानना : प्रश्न बहुत संगत है परन्तु समाचार पत्रों में जो खबर छपी थी वह सही नहीं थी क्योंकि 30 जून, 1980 तक भारत के विभिन्न बन्दरगाहों पर उतारे गए कागज की मात्रा 38,800 टन थी। 30 जून, 1980 तक अनुमानित बिक्री 30,200 टन थी 30 जून 1980 तक विभिन्न बन्दरगाहों पर मार्गस्थ मात्रा 8600 टन थी। इस कागज की या तो ढुलाई की जा रही थी या आवेदकों को आवंटित की जा रही थी।

श्री राम नगीना मिश्र : मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा —जहां बगास अधिक होता है, आप इस बात से सहमत हैं कि वहां पेपर मिल बैठाई जा सकती है। देवरिया जनपद में 14 चीनी मिलें हैं और वहां बगास अधिक मात्रा में मिलता है यह क्षेत्र नेपाल की सरहद पर है, वहां बांस भी मिलता है। क्या आप कोई सरकारी पेपर मिल देवरिया जिले में बैठाने की कोशिश करेंगे ?

श्री चरणजीत चानना : सभापति जी, थयौरैटिकली तो माननीय सदस्य की बात ठीक है, लेकिन जहां तक बगास का सम्बन्ध है, जहां बगास लगी हुई है, वहां शुगर मिलें बगास को फियुअल की तरह से इस्तेमाल करती हैं। परसों हमारे पास तमिलनाडू के चीफ मिनिस्टर आये थे और वह भी यही कह रहे थे, लेकिन बगास का जो आल्टरनेटिव फ्यूल कोल होगा, उसकी उनको तीन हजार टन कोल की आवश्यकता है। अगर कोई बगास पर पेपर मिल एस्टेब्लिस कर सकता है तो हम उसको वेलकम करेंगे। लेकिन बगास पेपर मिल के लिए उसका जो सोर्स फ्यूल है वह अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर कहीं भी वह फिजिबल हो तो उसको हम वेलकम करेंगे।

श्री रामनगीना मिश्र : मैंने माननीय मन्त्री जी से यह स्पष्ट सवाल किया था कि देवरिया में बेगास की बहुतायत है। क्या वहां सरकार सरकारी स्तर पर कोई पेपर मिल खोलने का विचार कर रही है ? इसका जवाब मुझे नहीं मिला है।

श्री चरणजीत चानना : मैंने माननीय सदस्य को यह बताया है कि जब तक कागज-उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में खोई की उपयोगिता पर विस्तार से विचार नहीं कर लिया जाता, उनके प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, देश में कागज की कमी का आलम यह है कि बच्चों को पढ़ाई-लिखाई के लिए भी कागज नहीं मिल रहा है, कापियां नहीं मिल रही हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कागज की इस कमी को पूरा करने के लिए, अपने देश में कागज बनाने के लिए क्या सरकार ने सोवियत रूस के अतिरिक्त किसी अन्य देश के साथ भी कागज के आयात के लिए कोई करार किया है ? अगर किया है तो उसका ब्योरा क्या है ?

श्री चरणजीत चानना : मैं माननीय सदस्य को उन देशों के नाम बता सकता हूं जिनसे आयात का अनुबन्ध किया गया था। ये हैं—बांगलादेश, इन्डोनेशिया, नोर्वे, स्वीडन, ब्राजील, जापान, रूमानिया तथा हंगरी।

जहां तक इन देशों से आयात की गई मात्रा का सम्बन्ध है, मैं एक सूचना पत्र सभा पटल पर रखूंगा।

नये हवाई जहाजों के निर्माण के लिये हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड के प्रस्ताव

*766. **डा. बसन्त कुमार पंडित** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड में वर्ष 1982 से सोवियत ढंग के ए. एन. 32 हवाई जहाज तथा ब्रिटिश ढंग के कोक्टगार्डर एव्रो हवाई जहाज बनाये जाने की योजना बनाई जा रही है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : जी नहीं।

डा. बसन्त कुमार पंडित : यह एक अत्यन्त आश्चर्यजनक उत्तर है। हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड के अनुसार—उन्होंने प्रेस को यह समाचार दिया है—यद्यपि वे अभी वायुसेना

तथा इन्डियन एअरलाईन्स के लिए एच. एस. 748 हवाई जहाज बना रहे हैं, वायु सेना तथा इन्डियन एअरलाईन्स, दोनों ने अपनी आवश्यकताओं को बदल दिया है तथा अब वे और अधिक एवो विमान नहीं चाहते। इसलिए हिन्दुस्तान एरोनिटिक्स लिमिटेड ने एक दो वर्ष में इस हवाई जहाज के उत्पादन को बन्द करने का निर्णय किया है तथा केवल 21 जहाज जो निर्माण अवस्था में हैं, इनके द्वारा बनाये जाने वाले अंतिम विमान होंगे। ऐसी अवस्था में हिन्दुस्तान एरोनिटिक्स लिमिटेड के लिए भविष्य के निर्माण की क्या योजना है।

श्री सी. पी. एन. सिंह : माननीय सदस्य ने एव्रो को बन्द करने का उल्लेख किया है। यह सही है परन्तु इसको तुरन्त बन्द नहीं किया जा रहा है। वर्ष 1982-83 तक इसे बन्द किया जायेगा तथा हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड की कानपुर शाखा इस पक्ष का अध्ययन कर रही है। सरकार तीन प्रकार की आवश्यकताओं के लिए कुछ हवाई जहाजों का अध्ययन कर रही है। एक तो मेटक अर्थात मीडियम टेक्टीकल ट्रान्सपोर्ट एअरक्रफ्ट है, दूसरा अनुमान (ट्रेलर) कार्यों के लिए पिस्टन-इन्जन युक्त हवाई जहाज तथा तीसरे सहायक विमान सेवाओं के लिए हवाई जहाज इन विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जा रहा है। जब भी कोई हवाई जहाज किसी विशेष आवश्यकता के अनुरूप पाया जायेगा, हम विदेशी राष्ट्र के सहयोग से उसका निर्माण करेंगे अथवा एच. पी. टी. 32, जिसकी हमारी वायु सेना के पाइलटों द्वारा जांच की जा चुकी है तथा जिनका डिजाइन पहले ही तैयार किया जा चुका है, उसका निर्माण करेंगे।

डा. बसन्त कुमार पंडित : क्या यह सच है कि इसके लिए दो विभिन्न प्रस्ताव हैं, पहला तो यह कि सोवियत रूस के सहयोग से ए. एन. 32 हवाई जहाज के पुर्जे जोड़ने का कारखाना स्थापित करना तथा दूसरा, ब्रिटिश एरोस्पेस के सहयोग से कोस्टगार्ड नामक हवाई जहाज की उन्नत किस्म के निर्माण का एक कारखाना स्थापित करने का विचार है तथा यदि हाँ, तो इस दिशा में क्या प्रगति की गई है ?

श्री पी. सी. एन. सिंह : मैंने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है। परन्तु माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हू कि 1979 में पिछली सरकार ने एक नये रूसी जहाज ए. एन. 32 के सम्बन्ध में बातचीत की थी। परन्तु यह औद्योगिक अवस्था में है, निर्माण अवस्था में नहीं। यह डिजाइन की अवस्था में है। हमें इस पहलू की ओर ध्यान देना है कि क्या हमे उस हवाई जहाज का प्राप्त करना है जोकि डिजाइन-अवस्था में है अथवा उस हवाई जहाज को प्राप्त करना है जो कि पहले ही निर्माण अवस्था में है। इनका मूल्यांकन किया जा रहा है।

देवनागरी लिपि की बिजली से चलने वाली टाइप मशीनों का उत्पादन

*767. **श्री केशवराव पारधी** :

श्री नन्द किशोर शर्मा : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देवनागरी लिपि की बिजली से चलने वाली टाइप मशीनों का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ तो ऐसी टाइप मशीनें कौन कौन कम्पनियां बना रही हैं और मांग की तुलना में उनका उत्पादन कितना है;

(ग) क्या उनके कार्यकरण के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) उनका उत्पादन अधिक संख्या में कब से आरम्भ होगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री केशवराव पारधी : अध्यक्ष महोदय, देवनागरी लिपि की बिजली से चलने वाली टाइप मशीनों के उत्पादन के बारे में जो प्रश्न किया था, उसका उत्तर 'ना' में दिया गया है। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इसके बारे में किसी कम्पनी से ऐसी मशीनें बनाने के लिए इजाजत मांगी है और अगर मांगी है, तो सरकार का इस बारे में क्या विचार है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : हिन्दुस्तान टेली प्रिन्टर्स ने हाल ही में संचार मंत्रालय को प्रतिवर्ष 10,000 बिजली से चलने वाली टाइप मशीनों के उत्पादन के सम्बन्ध में एक सम्भाव्यता रिपोर्ट पेश की गई है।

घड़ी एककों की क्षमता का उपयोग

769 **डा. कृपासिंह भोई** : क्या **उद्योग मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाथ की घड़ियों को बनाने के लिए अब तक कितने एककों को लाइसेंस दिए गये हैं और उनकी लाइसेंस क्षमता कितनी कितनी है;

(ख) क्या बाजारी मांग की कमी के कारण कुछ एकर्क अपनी पूरी लाइसेंस क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रही है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी एकर्क अपने उत्पादों का निर्यात करने में सफल हो पाई हैं और उनके द्वारा कितना निर्यात किया गया;

(घ) क्या ऐसे समय में जब कि स्वदेशी एकर्क कठिनाई का सामना कर रही है, सरकार ने कुछ जापानी कम्पनियों को भारत में अपने उत्पादों की बिक्री करने की अनुमति दे दी है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) संगठित क्षेत्र की 17 कम्पनियों को प्रति वर्ष 123 लाख यानिकी कलाई घड़ियों का उत्पादन करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा 88 लघु एककों को प्रतिवर्ष 47.28 लाख कलाई घड़ियों का उत्पादन करने की स्वीकृति दी गई है, यह क्षमता मुख्यता पुर्जे जोड़कर (एसेम्बली कार्य) घड़ियां तैयार करने के लिए है।

(ख) इस समय देश में घड़ियों के उत्पादन की अनुमानित क्षमता संगठित क्षेत्र में 43.10 लाख घड़ियों और लघु क्षेत्र में 9.88 लाख घड़ियों की है। इसकी तुलना में बाजार में 90 लाख घड़ियों की मांग होने का अनुमान लगाया गया है। उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्वीकृति प्राप्त उत्पादकों को ऐसेम्बली कार्य के लिए घड़ियों के हिस्से-पुर्जों का आयात करने की अनुमति दी गई है। इन तथ्यों को देखते हुए मांग की कमी के कारण कुछ उत्पादकों द्वारा क्षमता का कम उपयोग किए जाने की बात सही प्रतीत नहीं होती।

(ग) पिछले तीन वर्षों में केवल मैसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स और मैसर्स हेगड़े एंड गोले

लिमिटेड द्वारा किए गए सीमित निर्यात को छोड़ कर अन्य एककों द्वारा किए गए निर्यात के ठीक ठीक आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं। इन दो कम्पनियों द्वारा किए गए निर्यात का विवरण निम्न प्रकार है :

निर्यात की गई घड़ियों की संख्या

वर्ष	मैसर्स एच. एम. टी.	मैसर्स हेगड़े एण्ड गोले
1977-78	45,025	950
1978-79	22,248	4,050
1979-80	45,455	सूचना नहीं मिली।

(घ) सरकार ने किसी जापानी कम्पनी को भारत में अपनी घड़ियां बेचने की अनुमति नहीं दी है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

डा. कृपासिन्धु भोई : घड़ी बनाने वाली संगठित क्षेत्र की लगभग समस्त एककें विदेशी सहयोग से चल रही हैं। अतः वे आवश्यक पुर्जों का देश में निर्माण नहीं कर रही हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इनके पास पर्याप्त मात्रा में अनुसंधान तथा विकास की गतिविधियों का अभाव है। क्या सरकार स्वदेशी फालतू पुर्जों उत्पादन क्षमता से कम उत्पादन करने वाली एककों को निर्धारित क्षमता का उत्पादन बढ़ाने अथवा अपनी एककों को बन्द करने, को कहेगी ?

श्री चरनजीत चानना : विवरण में इसका उत्तर दिया जा चुका है। माननीय सदस्य का यह अनुमान बिल्कुल सही नहीं है कि ये एककें विदेशी पुर्जों का आयात कर रही हैं। जहां तक स्वदेशी एककों का सम्बन्ध है, कुछ पुर्जों को छोड़कर, एच. एम. टी. का पूर्णतया स्वदेशीकरण किया जा चुका है। अन्य एककों का भी स्वदेशीकरण किया जा रहा है। केवल एस. सी. एस. एस. आई द्वारा अनुमोदित लघु क्षेत्र एककें ही आयातित पुर्जे प्राप्त करती हैं।

डा. कृपासिन्धु भोई : संगठित क्षेत्र के अन्तर्गत अनेक निजी क्षेत्रों की एककें विदेशी सहयोग से चलती हैं। क्या सरकार इन एककों के कार्यकरण का अध्ययन करने तथा इनमें विदेशी सहयोग तथा फालतू पुर्जों के आयात को समाप्त करने के साथ-साथ अनुसन्धान एवं विकास को प्रोत्साहन देने के लिए एक अध्ययन दल नियुक्त करने का विचार कर रही है ?

श्री चरनजीत चानना : विदेशी सहयोग के प्रभाव के अध्ययन के लिए किसी अध्ययन दल की नियुक्ति नहीं की गई है। जब तक देश में इस उद्योग के विकास पर विदेशी सहयोग के प्रभाव का अध्ययन नहीं कर लिया जाता, मैं माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

प्रो. नारायण चन्द पराशर : मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जिन कम्पनियों को लाइसेंस दिये गये हैं, उनमें से क्या किसी कम्पनी ने किसी धूल रहित पर्वतीय प्रदेश में, विशेषकर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जैसे जिले में अपना कोई एकक स्थापित किया है अथवा स्थापित करने का विचार है।

श्री चरनजीत चानना : यहां मेरे पास हिमाचल प्रदेश में स्थित कम्पनियों के नाम हैं।

परन्तु मैं उनका ब्योरा देने में असमर्थ हूँ। इनमें से एक कम्पनी मैसर्स जी. एस. पुरेवाल एण्ड एसोसिएट्स प्राइवेट, सोलन, हिमाचल प्रदेश की है । परन्तु यदि माननीय सदस्य हिमाचल प्रदेश के सम्बन्ध में पूरा विवरण प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं उन्हें सप्लाई कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्ड हार्बर) : महोदय, डाक्टर अनिश्चित कालीन हड़ताल पर हैं तथा सरकार एक मूक दर्शक बनी हुई है। (व्यवधान) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास अल्पसूचना प्रश्न है। इससे पहले कि हम अल्प सूचना को लें, प्रधान मंत्री एक वक्तव्य देंगी।

भारतीय हाकी टीम को मास्को ओलम्पिक खेलों में विजयी होने पर बधाई

प्रधान मत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : वाजपेयी जी, आपकी आज्ञा अगर हो तो। अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्य मुझे अनुमति दें, तो मैं उनकी ओर से तथा अपनी ओर से भी मास्को के ओलम्पिक खेलों में अपनी हाकी टीम की विजय पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करती हूँ तथा टीम के सदस्यों को सभी की हार्दिक बधाई एवं शुभ कामनाएं भेजती हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब, अल्प सूचना प्रश्न।

अल्प सूचना प्रश्न

दिल्ली में डकैतियों में वृद्धि

1. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

   डा. बसन्त कुमार पण्डित :

   श्री के. लकप्पा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में सशस्त्र डकैतियों की संख्या में बहुत भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो विगत 15 दिनों में पड़ी डकैतियों का ब्योरा क्या है और कितने मामलों में पुलिस अपराधियों का पता लगाने में सफल रही है; और

(ग) क्या यह सच है कि लारेंस रोड के निकट रामपुरा में 22 जुलाई, 1980 की रात को पड़ने वाली डकैती, जिसमें डकैत 1,70,000 रु० नकद तथा कुछ जेवरात ले जाने में सफल हो गये थे, पुलिस घटना स्थल पर बहुत देरी से पहुँची थी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) जी नहीं,

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मान । 11-7-1980 से 26-7-1980 तक के पखवाड़े के दौरान दिल्ली में डकैती के दो मामले सूचित किये गये, जबकि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान ऐसे 4 मामले सूचित किये गये थे । इन दो मामलों का ब्यौरा सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है।

(ग) यह डकैती नहीं बल्कि लूटमार की घटना है । यह सही नहीं है कि पुलिस ने घटनास्थल पर पहुँचने में विलम्ब किया था । वास्तव में केन्द्रीय पुलिस नियन्त्रण कक्ष द्वारा टेलीफोन पर सूचना प्राप्त करने के 15 मिनट बाद, पुलिस घटनास्थल पर पहुँच गई थी ।

विवरण

11-7-1980 से 26-7-1980 की अवधि के दौरान सूचित किये गये डकैती के दो मामलों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. पुलिस स्टेशन किंगसवे कैम्प में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395/397 के अन्तर्गत तारीख 15-7-1980 की प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 626

सी-1/1 माडल टाऊन दिल्ली के निवासी श्री संतोष मण्डारी ने सूचित किया कि 15-7-1980 को प्रात: लगभग 3.45 बजे चौकीदार धन बहादुर ने उन्हें सूचित किया कि घर का एक दरवाजा खुला है उन्होंने इसकी जाँच की और पाया कि उनके बड़े भाई श्री विजय भंडारी और उनकी पत्नी श्रीमती अरुणा भंडारी अपने बिस्तरों में घायल पड़े हैं और वस्तुएं बिखरी पडी हुई हैं । उन्होंने पुलिस नियन्त्रण कक्ष को सूचित किया । उनकी भतीजी के अनुसार लगभग 3-30 बजे प्रात: 5 व्यक्ति कमरे में आये, दम्पत्ति को पीटा, घर को लूटा और जेवहरात आदि लेकर भाग गये ।

2. पुलिस स्टेशन करोलबाग में भा. दंड संहिता की धारा 395 के अन्तर्गत तारीख 19-7-1980 की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 695.

19-7-1980 को शिकायतकर्ता श्री सुभाषचन्द अग्रवाल अपनी गेहूं की दुकान सं. 5465 रैगरपुरा के पास सो रहा था । लगभग 4 बजे प्रात: एक ट्रक सं. डी. एल. जी. 8441 में कुछ व्यक्ति आए और गेहूं की दो बोरियाँ उठाई । जब शिकायतकर्ता नींद से जागा और देखा तो अपराधियों ने उसे मारा-पीटा और सम्पत्ति लेकर भाग गये । पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की। अब तक निम्नलिखित दोषी गिरफ्तार किये गये हैं :—

1. गोपी कृष्णन, वाहन चालक ।
2. सूखदेव सिंह उर्फ सुखा ।
3. जय नारायण ।
4. ओम प्रकाश ।

ट्रक पकड़ लिया गया है । यह मालूम हुआ है कि एक बोरी गेहूँ लूटा गया था जिसे बरामद कर लिया गया है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं गृह मंत्री महोदय से सवाल पूछूं, मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । गृह मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह मेरे प्रश्न के जवाब में तो दिया है लेकिन उसमें ऐसी जानकारी जोड़ दी है जो मैंने नहीं मांगी थी । क्या मंत्री महोदय के लिये यह उचित है कि जो जानकारी माँगी नहीं गई

है उसे भी मंत्री महोदय मेरे सवाल के जवाब में दें ? जरा जवाब देखिये । मेरा सवाल यह था कि—

'क्या यह सच है कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में सशस्त्र डकैतियों की संख्या में बहुत भारी वृद्धि हुई है ?

जवाब क्या है—

'जी नहीं, श्रीमान् । 11-7-1980 से 26-7-1980 तक के पखवाड़े के दौरान दिल्ली में डकैती के दो मामले सूचित किये गये, जबकि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान ऐसे 4 मामले सूचित किये गए थे । इन दो मामलों का ब्योरा सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है ।'

यह कैसे पैदा होता है ? जो जानकारी माँगी नहीं गई उसे आज देने के लिये मंत्री महोदय बड़े उदार हो गये । अभी तक हाल यह था कि हम पूछते थे और वह बताते नहीं थे, आज बिना पूछे बता रहे हैं । एक गड़बड़ हुई है इसमें । इन्होंने पिछले साल की संख्या डकैतियों की बताई है कि चार पड़ी थीं । इस साल इनको कम करके बतानी थीं । पचास परसेंट कट । दो डकैतियाँ बता दी हैं । और जो डकैतियाँ बताई गई हैं उनमें 22 तारीख को लारेंस रोड के निकट रामपुरा में जो डकैती हुई थी जिसमें 1 लाख 70 हजार रुपये डाकू लूट कर ले गये थे, उसका भी हवाला नहीं है । आप जानते हैं कि सारा मामला उसी डकैती को लेकर उठा था । हमने स्थगन प्रस्ताव दिया था, आपने उसको स्वीकार नहीं किया । फिर आपने मंत्री महोदय को तैयार किया कि वह अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार कर लें । लेकिन जवाब में उस डकैती का उल्लेख नहीं है । मेरे पास पूरी सूची है । 10 जुलाई को कीर्तिनगर में डाका पड़ा, खालसा कालेज के श्री अमरजीत सिंह और उनकी पत्नी श्रीमती बलबीर कौर को डाकुओं ने बुरी तरह घायल कर दिया ।

12 जुलाई को जनकपुरी में आधा दर्जन सशस्त्र डाकुओं ने श्री कैलासम के घर पर धावा बोला और उन्हें, उनकी पत्नी और उनके एक रिश्तेदार को घायल कर दिया । 15 जुलाई का इसमें उल्लेख है । 16 जुलाई को श्री भंडारी के घर से आधा किलोमीटर दूर श्री बालमुकुन्द महेश्वरी के घर पर डाका पड़ा ।

17 जुलाई को पुरानी सीलमपुरी के एक घर में डाका पड़ा । 22 साल के एक नौजवान फारूक मियां जिन्होंने डाकुओं का पीछा किया, को गोली से मार दिया गया ।

18 जुलाई को किंग्सवे कैंप में कोनिया से आई हुई तीन लड़कियों के घर पर डाकुओं ने हमला किया ।

21 जुलाई को सफदरजंग एनक्लेव के एक अध्यापक के घर को दिन दहाड़े लूट लिया गया । श्री लूथरा की जिन्दगी भर की कमाई डाकू ले गये ।

मेरा आरोप है कि मंत्री महोदय जान बूझ कर तथ्यों को दबा रहे हैं, सदन को अन्धेरे में रख रहे हैं, पूरी सच्चाई सामने नहीं आ रही है । आप मंत्री महोदय से पहले इस बारे में खुद सवाल पूछ कर पता लगा लें कि तथ्यों को दबाया क्यों गया है, फिर मैं बाद में सवाल करूंगा ।

श्री जैल सिंह : आनरेबल मैम्बर एक तरफ तो यह कह रहे हैं कि मैं अन्धेरे में रख रहा हूँ और दूसरी तरफ कहते हैं कि जितनी रोशनी माँगी उससे दुगुनी क्यों दी । मैंने तो रोशनी

देने के लिये कुछ बढ़ावा किया है, कम नहीं किया है। आनरेबल मैम्बर भारतीय जनता पार्टी के नेता से, जिन्होंने तकरीर की है, सप्लीमेंटरी नहीं, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये जो घटनाएं बता रहे हैं ये डकैतियां नहीं हैं। डकैती और रावरी में फर्क होता है (व्यवधान) आनरेबल स्पीकर साहब, जिनका वास्ता पड़ा है सी.आर.पी.सी. से वे जानते हैं कि और एक या दो आदमी किसी को बुला कर, धमका कर··· (व्यवधान) इंडियन पीनल कोड को आप नहीं सुनना चाहते तो न सुनें, नहीं मानते हैं तो न मानें (व्यवधान) श्री वाजपेयी जी ने जो अखबारों का हवाला दे कर बताया कि इतनी घटनाएं हुई हैं, मैंने उनके प्रति सिर्फ इतना ही कहा है कि ये घटनाएं डकैती की नहीं हैं, लूटमार की हैं। मेरा मतलब यह था कि ये घटनाएं रावरी की हैं डकैती की नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा सवाल हिन्दी में था और हिन्दी में, रोबरी हो या डकौटी हो, दोनों के लिये शब्द एक है डाका। कितने लोग हमला करते हैं, यह कानूनी मसला हो सकता है, मगर जिस पर हमला होता है, जिसे डाके का निशा या बनाया जाता है, जिसे लूटा जाता है, उसको इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि लूटने वाले 3 थे, 5 थे या 7 थे ? मेरा कहना है गृह-मन्त्री जी से कि वह शब्दों की जादूगरी न करें, यह अदालत नहीं है, अगर कोर्ट है तो जन अदालत है और यहां रोबरी और डकौयटी का फर्क करके यह बहानेबाजी करने की कोशिश न करें कि रोबरी तो बढ़ गई है, मगर डकौयटी कम हो गई है।

मन्त्री महोदय खुद गलतबयानी कर रहे हैं, मैं इन्हीं के जवाब से बताना चाहता हूं। इन्होंने जो जवाब दिया है, (व्यवधान) मेरे सवाल का पार्ट "सी" देखिये जिसमें मैंने लारेंस रोड की डकैती की घटना का उल्लेख किया है। उसके जवाब में मंत्री महोदय ने स्वयं यह कहा है कि यह डकैती नहीं लूटमार की घटना है। (व्यवधान) अगर मंत्री महोदय यह कह देते कि डकैती की ये घटनाएं हैं, रोबरी की यह घटनाएं है तो मैं मान सकता था। इन्होंने एक मामले में फर्क कर दिया।

एक माननीय सदस्य : अब कह दिया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दूसरी बात यह है, इस सिलसिले में इनका स्टेटमैंट देखिये और उस स्टेटमैंट में जो दूसरा उदाहरण है श्री सुभाष चन्द्र अग्रवाल का, उसको डकैती में लिखा गया है। वह किस तरीके पर डकैती लिखा गया है ? वह तो लूटमार है, दो बोरे गेहूं के लूट कर ले जाने की कोशिश की गई। जिसको यह चाहें डाका कह दें, और जिसको चाहें लूटमार कह दें। अध्यक्ष महोदय मैं आपसे कह रहा हूं। अब मैं सवाल पूछता हूं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। एक पूरक प्रश्न पूछने की बजाय वे भाषण दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार करता हूँ।

22 जुलाई को रामपुरा में यह डाका पड़ा था। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, दिल्ली का ला एंड आर्डर का सवाल पार्टी का सवाल नहीं है, आप इसे दल-बदली का सवाल मत बनाइये।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। 22 जुलाई 1980 को लारेंस रोड के निकट रामपुरा में जो डाका पड़ा था, उसमें डाकू 1,70,000

रुपये ले गये। वहां और भी लोग बैठे हुए थे, डाकू उनकी अंगूठियां और जंजीरें ले गये। क्या यह सच है कि डाकुओं को पकड़ने के बजाये जिन्हें डाकुओं ने अपना निशाना बनाया था, उन्हीं दो लोगों को पुलिस ने गैर-कानूनी तौर से पांच छः दिन से अपनी हिरासत में रख रखा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनके घर वालों को उनसे मिलने नहीं दिया जाता है और उनमें से जो एक आदमी छोड़ दिया गया है, उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं ? क्या सरकार चाहती है कि मादीपुर जैसी घटना लारेंस रोड के थाने में भी हो और राहगढ़िया की तरह कोई पुलिस के जुर्मों का शिकार हो जाये ? क्या यह सच है कि डाकुओं को पकड़ने के बजाये पुलिस ने ऐसे दो आदमी हिरासत में ले लिये, जो डाकुओं का निशाना बने थे ?

श्री जैल सिंह : आनरेबल स्पीकर साहब, मैं श्री वाजपेयी का बड़ा सत्कार करता हूं। वह बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं। सप्लीमेंटरी सवाल करते करते वह एक बहुत लम्बी तकरीर कर गये। इस लिए मुझे भी लम्बा जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनका आदर करता हूं।

उन्होंने 1,70,000 रुपये वाले जिस वाकये का जिक्र किया है, अगर उसमें निर्दोष लोगों को पकड़ा गया होगा, तो मैं उसकी जानकारी करवा लूंगा, और अगर दोषियों को पकड़ा होगा तो यह दुरुस्त होगा।

पिछले साल जनवरी से ले कर इस महीने तक, और इस साल जनवरी से लेकर इस महीने तक, के जो आँकड़े हैं, वे क्या बोलते हैं ? आनरेबल मेम्बर ने सरकार पर सबसे बड़ा इल्जाम यह लगाया कि डाके बढ़ गये हैं, क्राइम बढ़ गया है। मैं उन आँकड़ों को सदन की जानकारी के लिए रखना चाहता हूं।

1979 के पहले छः महीनों में डकैतियां 44 थीं और इस साल के छः महीनों में 22 थीं। एटेम्ट आफ मर्डर : 1979 में 181 और इस साल 153, राबरी : 1979 में 347 और इस साल 186, रायट्स : 1979 में 170 और इस साल 100 रह गये, चैन-स्नैचिंग : 1979 में 181 और इस साल 101, हर्ट्स : 1979 में 1141 और उसके मुकाबले में इस साल 1039 थे।

मैं ज्यादा आँकड़े नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि इसमें हाउस का टाइम लगेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले साल जनवरी से लेकर जुलाई तक जो वाकयात हुए, वे थे 23,146 और इस साल 20,118 हुए। इससे आप कम्पेरेटिव अन्दाजा लगा सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने मंत्री महोदय से जो सवाल पूछा था, उसका जवाब नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कह दिया है कि वह जानकारी करवा लेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गृह मंत्री महोदय ने बहुत से आँकड़े दिए हैं। मगर जिस तरह से अनाज के आंकड़ों से भूखे का पेट नहीं भर सकता है उसी तरह से ये आंकड़े दिल्ली के नागरिकों को यह विश्वास नहीं दिला सकते कि सरकार उनके जानो-माल और इज्जत की हिफाजत की पूरी कोशिश कर रही है।

आज सत्तारूढ़ पार्टी ने, दिल्ली की कांग्रेस पार्टी ने कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चिन्ता प्रकट की है। यह घर का मामला नहीं है। कांग्रेस के पार्लियामेन्ट मेम्बरों ने बयान दिया, स्वयं ज्ञानी जी ने दिल्ली के पुलिस अफसरों को बुला कर कहा है कि उनकी कार्य-क्षमता

में वृद्धि होनी चाहिए, अपराध घटने चाहिए। मगर मेरी समझ में नहीं आता वह हमारा मुँह बन्द करने के लिए अगर ऐसा कर रहे हैं···(व्यवधान)···मैं सवाल पूछना चाहता हूं। सचाई यह है कि दिल्ली में अपराध बढ़े हैं और असुरक्षा की भावना बढ़ी है। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले छः महीने में दिल्ली की पुलिस का राजनीतिकरण, पोलिटिकलाइजेशन कर दिया गया पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति से लेकर एक कांस्टेबल की नियुक्ति तक। पुलिस कमिश्नर नियुक्त किये गये सीनियर अफसरों को हटा कर, उनके अधिकार पर छापा मार कर और सिपाही के लिए दिल्ली में कोई नौजवान उपलब्ध नहीं है, गुरदासपुर से नौजवान भर्ती करके लाए जा रहे हैं। पुलिस में डिमारेलाइजेशन पैदा किया जा रहा है। इससे पुलिस वाले जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय यह जो पोलिटिकलाइजेशन हो रहा है पुलिस का, भगवान के लिए, इसको बन्द करेंगे ?

श्री जैल सिंह : पुलिस में जो पोलिटिकलाइजेशन हो रहा हैइसको बन्द करेंगे लेकिन फिर मैं अदब से कहता हूं कि यह डिबेट नहीं है, आपको सप्लीमेंट्री करना चाहिए था, वह एक लम्बी तकरीर करने के बाद कर रहे हैं। मेरा मतलब आपका मुँह बन्द करने का नहीं है। मेरा मतलब आपको असलियत बताने का है। पोलिटिकलाइजेशन पुलिस का किया गया था, हम उसको रोक रहे हैं। और जो वाकयात आप बताते हैं ऐसे होते रहे हैं, हम उसको रोक रहे हैं। एक बात मैं मानता हूँ, क्राइम में जितनी मैं चाहता था उतनी कमी नहीं हुई और अब भी मुझे चिन्ता है आप के साथ साथ कि क्राइम को खत्म करने के लिए और सख्त उपाय करने चाहिए। इसके लिए मैंने मीटिंगें भी बुलायी हैं, लोगों की कोआपरेशन को भी इनवाइट किया है और जहाँ जहां कमी है, जहाँ आबादी बढ़ गई, पुराने जमाने के थाने थे, वहां फोर्स कम थी, एक्विपमेंट कम थे, उनकी ट्रांसपोर्ट निकम्मी थी, सब चीजों को मंजूर करके उनको तैयार किया। लेकिन जहाँ भी पुलिस की तरफ से निर्दोष लोगों को मारा जायगा, पोलिटिकली किसी का नुकसान किया जायेगा, धक्का दिया जायेगा, ऐसी बातों को बर्दास्त नहीं किया जायगा ये पुराने जमाने की बातें हैं, आज की नहीं हैं।

डा. बसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : कोई भी इससे इन्कार नहीं कर सकता कि दिल्ली शहर में अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है। यह बात हम सभी की सामान्य जानकारी में है। चोरी, लूटमार, डकैती, महिलाओं के प्रति अपराधकी घटनायें रोजाना समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही हैं जिससे दिल्ली के सामान्य नागरिकों का जीवन भयाक्रांत हो गया है तथा उनके जान-माल की कोई सुरक्षा नहीं है

इस स्थिति से निपटने के तीन उपाय हैं, अपराध की रोकथाम, अपराध के सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही तथा उसके बारे में अनुवर्ती कार्यवाही। इन तीनो मोर्चों पर सरकार असफल रही है। ऐसी स्थिति में पुलिस का कोई भी विभाग शर्म से सिर झुका लेगा।

माननीय मन्त्री महोदय ने मेरे माननीय मित्र श्री वाजपेयी को उत्तर दिया है कि उन्होंने पुलिस का राजनीतिकरण नहीं किया है तथा, इसके विपरीत वे उसे राजनीति से पृथक करने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये।

डा. बसन्त कुमार पंडित : क्या यह सच है कि लोगों की भर्ती करने के लिए एक डिप्टी

कमिश्नर को गुरदासपुर भेजा गया तथा उसने पुलिस भर्ती के सभी नियमों को ताक पर रख केवल मौखिक परीक्षा द्वारा 300 लोगों को भर्ती किया है तथा उस अधिकारों को डिस्ट्रिक्ट चीफ के पद पर बैठाया दिया गया है। क्या यह सच नहीं है कि नगर के समूचे पुलिस दल का हौसला बिलकुल परस्त हो चुका है तथा, यदि हां, तो उनका हौसला बढ़ाने तथा उन अधिकारियों के बीच जिन्हें निलम्बित कर दिया गया है अथवा जिनकी वरीष्ठता का अधिक्रमण किया गया है अथवा जिन्हें स्थानांतरित कर दिया है, के बीच असंतोष को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

श्री जैल सिंह : स्पीकर साहब मेरी समझ में नहीं आया कि बैरोमीटर क्या होता है क्राइम्स बढ़ने का, उसकी गिनती करने का, ये अखबारों की खबरों के आधार पर कहते हैं लेकिन पुरानी फाइलें देखी जा सकती हैं।

दूसरी बात उन्होंने कही कि पुलिस का मोरेल गिर गया है और इसको बहाल करने के लिए उन्होने सुझाव दिए हैं, तीन सुझाव दिए हैं और वह तीनों सुझाव मैंने नोट कर लिए हैं। लेकिन यह सप्लीमेन्ट्री का हिस्सा नहीं है, उन्होंने कहा है कि जो भर्ती किए गए हैं एक ही जिले से किए गए हैं। पुलिस में जो भर्ती की जाती है उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन्स मुकर्रर हैं—एजूकेशनल, फिजिकल और अदरवाइज—उन क्वालिफिकेशन्स को इग्नोर करके किसी आदमी को अगर लिया गया हो तो हम उसकी जानकारी कर सकते हैं वे उसका नाम बता दें। अगर यह कहें कि एक इस इलाके से ज्यादा आए हैं तो यह भर्ती खुली है, इसमें दूसरे इलाके से भी ज्यादा आ सकते हैं, कभी कम आ सकते हैं। अगर बेकायदगी की गई हो तो उस पर हम ऐक्शन लेने के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

डा. बसन्त कुमार पण्डित : मैंने जानना चाहा था कि अपराधों की रोक थाम के लिये सरकार ने कौन से विशेष उपाय किए हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है।

श्री लकप्पा।

श्री के. लकप्पा : (टुमकुर) मेरे मित्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली में बढ़ रहे अपराधों के बारे में एक कथा कली नृत्य किया है। (व्यवधान)। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा दल तथा हमारी सरकार अपराधों, आगजनी, लूटमार तथा डकैती जैसे अपराधों को, जो दिल्ली में अथवा देश में कहीं भी हो रहे हैं समर्थन नहीं दे रही। जनता शासन के दौरान देश की कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी थी तथा अपराधो की सख्या में वृद्धि हुई थी क्योंकि उसमें समाज विरोधी तत्व यहां तक कि पुलिस खेमे में भी सरकारी स्तर पर असामाजिक तत्व घुस गए थे। जब देश में कांग्रेस सरकार थी, तो दिल्ली के अनेक असामाजिक तत्वों सहित उसने उन सभी असामजिक तत्वों को जेल में डाल दिया था जिससे कि वे गड़बड़ी न कर सकें। किन्तु दुर्भाग्यवश, जनता शासन के ढाई वर्ष के दौरान 2,000 लोगों को छोड़ दिया गया तथा ये लोग अब भी दिल्ली में इस प्रकार की कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसे राजनैतिक दल हैं जो राजनैतिक लाभ के लिए इस प्रकार के गुंडों तथा असामजिक तत्वों को प्रोत्साहन देते हैं, यदि ऐसी स्थिति है तो मैं गृह मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि

उनमें से कितने लोगों को जेल में डाला गया, गिरफ्तार किया गया तथा ऐसे असामजिक तत्वों के विरूद क्या कार्यवाही को गई, जिन्हें ऐसे राजनैतिक दलों का आश्रय प्राप्त है ।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहूंगा कि गृह मंत्री महोदय ने अधिकारियों की बैठक बुलाई है। मैं जानना चाहता कि हूं कि उन असामजिक तत्वों को जो जनता शासन के दौरान घुस आये थे तथा जो अब राजनैतिक वातवरण को दूषण कर रहें हैं तथा अपराधों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं, को दवाने के लिए कौन से अल्प कालिक तथा दीर्घ कालिक उपाय किये गए हैं। मैं देश में इन अपराधों तथा असामजिक तत्वों को दवाने के लिए माननीय गृह मंत्री द्वारा किए गए उपायों को जानना चाहता हूं ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय···

श्री जैल सिंह : आनरेबिल स्पीकर साहब, मैं बागड़ी जी का बड़ा अदब करता हूं, लेकिन उनकी हमेशा यह आदत रही कि न तो वे सप्लीमेंट्री पूछते हैं, न पूवांइट आफ आर्डर पूछते हैं, अपनी मर्जी से शुरू कर देते हैं ।

खैर मैं विनती कर रहा था कि जो कमियां हैं, उनको डिस्कस करके हल निकालने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा मैंने पब्लिक के नुमाइंदों से भी बात की है। इसके लिए केवल दो ही तीरके हो सकते हैं। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर जितने नुमाइंदें हैं, अब कारपोरेशन तो है नहीं अब तो सिर्फ, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के जितने मेम्बर हैं, वे बैठ जायें, अगर एक मेंम्बर के सिवाय कोई कह दे कि मेरी बात में गलती है, तो मैं उसकी बात मान लूंगा अब एक मैम्बर जो पाँच हजार की मैजोरिटी से जीता है और वह कहे कि यह आवाम की आवाज है और दूसरे छः यह कहें कि यह आवाम की आवज नहीं है, तो क्या बात हुई। आवाम की बात हर एक को कहने का हक है, लेकिन देखना पड़ता है कि आवाम उसके साथ है या नहीं ।

डा. सुब्रहमण्यम स्वामी : दिल्ली में चुनाव करायें ।

श्री जैल सिंह : चुनाव होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपका यही हाल रहा और आज जितनी पार्टियाँ हैं, तो पहले चुनाव में जितने वोट मिले थे, वे भी अब नहीं मिलेंगे।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : महोदय, अल्प सूचना प्रश्न का तात्पर्य आधे घन्टे की चर्चा नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह किसी अन्य प्रश्न की भाँति है ।

श्री जैल सिंह : माननीय स्पीकर साहब, जो माननीय सदस्य का क्वेशचन है, उसमें काफी···

एक माननीय सदस्य : वह क्वेश्चन नहीं है भाषण है ।

श्री जैल सिंह : यह तो आनरेबिल वाजपेयी जी ने शुरू कर दिया है। मैं तो स्पीकर साहब से अलहदा पूछूंगा कि शार्ट नोटिस क्वेश्यन में और दूसरे क्वेश्चन में कितना अन्तर होता है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वही जो राबरी और डैकोयटी में होता है ।

श्री जैल सिंह : स्पीकर साहब, वाजपेयी जी आप की मदद में आ गए और आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। राबरी और डैकौयटी में जितना फर्क होता है, मैं तो उनकी बात मान लूंगा। मैं उनकी बात की कदर करता हूं लेकिन में प्रार्थना करता हूं कि भाषण के बजाय सप्लीमेंट्री कर लिजिए और भाषण का और समय रख लीजिए। खैर अब तो उन्होंने शुरू कर

दिया है ···(व्यवधान)··· आनरेबिल स्पीकर साहब, इनके सप्लीमेंट्री में जो शुबहे पैदा किये गये हैं, वे दुरुस्त हैं और इसके लिये मैं यही कहता हूं कि मैं स्क्रीनिंग करूंगा। बहुत से ऐसे एलीमेंटस जो सियासी तौर पर और कम्यूनल नुकते नजर से पुलिस में भर्ती हो गए हैं उनको छांटने की कोशिश करूंगा। उन्होंने पूछा कि क्या उपाय कर रहे हैं शार्ट टर्म और लांग टर्म ? इसके लिए मैंने दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के आला- अफसरों को भी बुलाया है और पोलिटिकल नुमाइंदों को भी बुलाया है। मैं इस आंकड़े में नहीं पड़ना चाहता हूं, क्योंकि आंकड़ों में पड़ने से आनरेबिल मैम्बरों को तकलीफ होती है लेकिन लोग क्या कहते हैं, लोगों की आवाज क्या है। इसके लिये मैं मानता हूं कि चिन्ता है···(व्यवधान)

डा. कर्णसिंह (उधमपुर) : इस प्रश्न पर पूछे गए पूरक प्रश्नों से अनेक नये मुद्दे सामने आये हैं। जिससे इससे न तो उन्हें ही संतोष हुआ है जो इसके शिकार हुए हैं और न ही मुझे विश्वास है कि अपराध की दर में कीमत कमी से सरकार भी इतना ही संतोष महसूस कर सकेगी।

यह प्रश्न डकैती के सम्बन्ध में है। यह सर्वविदित है कि डाकू अपना कार्य दिल्ली से लगते हुए राज्यों से संचालित करते हैं, चाहे वह हरियाणा हो राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश। क्या माननीय गृह मन्त्री महोदय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली का पुलिस सगठन तथा इससे लगते हुए राज्यों की पुलिस ने समन्वित तथा सहकारी डकैती विरोधी अभियान शुरू करने के लिए उपाय किये हैं जिससे कि इस आंतक का अन्त किया जा सके ? बात यह नहीं है कि चार डाके पड़े हैं अथवा दो। मैं नहीं समझता कि यदि भारत की राजधानी में एक भी डकैती पड़ती है तो हम इस बात पर सतोष कर सकें।

अतः आप दिल्ली की लगते राज्यों के साथ समन्वित ढंग से कौन से उपाय कर रहे हैं जिससे कि डाकुओं को उस स्थान पर ही समाप्त किया जा सके जहां से वे अपना काम करते हैं, जिससे कि इस सम्बन्ध में एक अग्रिम नीति बनायें जिससे कि इस आंतक से, जो हमारे देश के लिए एक स्थाई कलंक है, दिल्ली को सुरक्षित रखा जा सके।

श्री जैलसिंह : डाक्टर साहब ने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। इसके लिये जरूरी था कि जो एडजवाइनिंग एरियाज हैं, जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान—इन प्रान्तों के पुलिस अफसरों के साथ दिल्ली पुलिस राबता कायम करें, यह किया गया है, उन्होंने उनसे बात भी की है। यह भी सच है कि दिल्ली में तकरीबन 4 लाख से लेकर 5 लाख लोग रोजाना आते और वापस जाते हैं। उनमें क्रिमनल-टाइप के लोग भी आ जाते हैं, जिनको डिटेक्ट करना अकेले दिल्ली पुलिस का काम नहीं है, उसमें पड़ौसी रियास्तें ही नहीं, बल्कि तमाम हिन्दुस्तान की रियास्तों की सी. आई डी. और पुलिस के आला-अफसरों से राबता कायम करना है, ताकि कोई चला जाय तो उसको पकड़ सकें।

इसके अलावा यह इन्तजाम भी किया गया है कि पहले दिल्ली में जो बैड-करैक्टर्स होते थे, उनको यहां से निकाल कर दूसरे प्रान्तों में भेज देते थे, लेकिन अब हम ने यह कहा है —चाहे कानून बदलना पड़े, रूल्ज बदलने पड़े या कोड बदलने पड़े, इनको बदलो, लेकिन ऐसा इन्तजाम होना चाहिये कि जो बदमाश और गुण्डे हैं वे छुप न सकें, छुटकारा मिलने के बाद वे क्राइम करने के काबिल न हो सकें। पुलिस ने मेरे पास यह शिकायत की है कि हम तीन-तीन, चार

चार मुकदमों में गिरफ्तार करते हैं, लेकिन वे जमानत पर रिहा हो जाते हैं और फिर क्राइम करते हैं। ऐसी बातों को देखने के लिए कानून में जो भी संशोधन करना पड़ेगा, उसके लिए भी हमने तैयारी कर रखी है। मैं आशा रखता हूं, डाक्टर साहब जैसे विद्वान मेम्बर इस मामले में हमारी और भी ज्यादा सहायता करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु।

श्री ज्योतिमय बसु (डायमंड हार्बर) : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय गृह मंत्री महोदय हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है अथवा नहीं कि गृह मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार, 31 मार्च 1980 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान राजधानी दिल्ली में हत्या के मामले 176 से बढ़कर 197, हत्या के प्रयास के मामले 228 से बढ़कर 304, दंगे के मामले 330 से बढ़कर 353 तथा चोरी के मामले 24,829 से बढ़कर 25,560 हो गये हैं? श्री मकवाना ने भी इस सदन में बताया है कि फरवरी से मई—(जून तथा जुलाई इसमें शामिल नहीं हैं) के दौरान केवल 67 हत्यायें हुई, जो कि अभूतपूर्व है। राजधानी को 'मिनी चिकागो' की संज्ञा दी गई है।

क्या उन्हें उस तथ्य की जानकारी है जो इनके अपने मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई है? फिर भी वे सदन को गुमराह कर रहे हैं। क्या आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि क्या ये तथ्य तथा आंकड़े सही हैं अथवा नहीं।

श्री जैलसिंह : जो आंकड़े इन्होंने बतलाये हैं, ऐसा लगता है कि उनमें महीने जनता को डाल दिए है और तीन महीने कांग्रेस (आई) के डाल दिए हैं। आनरेबिल स्पीकर साहब, ज्योति य बसु कभी कभी बहुत इंसाफ पसन्द हो जाते हैं। वह चाहते हैं कि वर्तमान सरकार को भी थोड़ा समझाया जाए और पुरानी सरकार का भी पर्दा उठाया जाए। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री ज्योतिमय बसु : महोदय, फरवरी से मई 1980 तक 67 हत्यायें हुयीं। यह बात श्री मकवाना द्वारा सदन में दिए गए वक्तव्य से है। यह अभूतपूर्व है (**व्यवधान**)। जब जनता पार्टी सत्ता में आई थी, तो क्या यह ऐसा था? कृपया आप धर्म तथा झूठ के बारे में एक साथ चर्चा न करें।

अध्यक्ष महोदय : श्री भाटिया यह अन्तिम पूरक प्रश्न होगा।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : महोदय, अब दिल्ली में अपराधों की संख्या में कमी है। अतः मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह बात इस तथ्य के कारण है कि अपराधों में कमी बेहतर अनुशासन तथा पुलिस के मध्य ज्यादा समन्वय के कारण आई है। मैं यह बात माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा।

श्री जैलसिंह : पहले ही ज्यादा कोआर्डीनेशन है और बेटर एडमिनिस्ट्रेशन है लेकिन अभी कुछ और काम करने की जरूरत है और कुछ कमियां हैं, जिनको दूर करना चाहते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पंजाबी बाग, दिल्ली के निकट एक महिला का अपहरण

760. श्री रसीद मसूद : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 जुलाई, 1980 के 'टाइम्स आफ इंडिया" में पजाबी बाग दिल्ली के निकट एक महिला के अपहरण किये जाने से सम्बन्ति समाचार की ओर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले से सम्बद्ध पुलिस के सिपाहियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) दिल्ली सशस्त्र पुलिस, प्रथम बटालियन के सिपाही सुरेन्द्रसिह को गिरफ्तार किया किया गया है तथा वह तीन अन्य अभियुक्यों सहित न्यायिक हिरासत में है ।

शाहदरा दिल्ली में लघु उद्योगों को कठिनाइयां

*762. **श्री वी किशोर चन्द्र एस. देव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के शाहदरा क्षेत्र में लगभग एक हजार लघु उद्योग एककों को उनकी प्रगति के लिए अपेक्षित सुविधाओं के अभाव में कठिनाई हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) शाहदरा के पंजीकृत लघु उद्योग एककों को सामान्यता केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली के अन्य लघु एककों को उपलब्ध कराये जाने वाली विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है। किन्तु, वहां नागरिक सुविधाओं संबंधी सामान्य समस्याएं हैं जिनसे जमुनापार की सभी बस्तियां ग्रस्त हैं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मिजोरम में विद्रोहों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही रोका जाना

*765 **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केन्द्र शासित क्षेत्र मिजोरम में बातचीत से होने वाली स्थायी शान्ति के लिए वातावरण उत्पन्न करने हेंतु 4 जुलाई, 1980 को वहां लड़ाई बन्द करने तथा विद्रोह के विरुद्ध होने वाली कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार की इस घोषणा से मिजोरम में समझौता करने में सहायता मिली है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी सहायता मिली है ?

गृह मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) से (ग) : 4 जुलाई, 1980 को सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई।

योजना आयोग द्वारा मध्यम दर्जे की पांच सिचाई योजनाओं की स्वीकृति

*768. **श्री पी. एम. सईद** :

डा. फारुक अब्दुल्ला : क्या योजना मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाली विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने विभिन्न राज्यों द्वारा शुरू की जाने वाली मध्यम दर्जे की पाँच सिचाई परियोजनाओं को हाल में स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) ये परियोजनाएं कुल कितनी लागत की हैं;

(ग) क्या अन्य अनेक राज्य सरकारों ने भी सिचाई परियोजनाओं के प्रस्तावों को उनकी स्वीकृति के लिए भेजा है;

(घ) यदि हां, तो कुल कितने प्रस्ताव भेजे गए हैं;

(ङ) क्या योजना आयोग ने इनके सम्बन्ध में अभी तक अपनी स्वीकृति नहीं दी है; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण है और किस तारीख तक इनके विषय में स्वीकृति दिए जाने की आशा है ?

योजना मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) योजना आयोग ने 30 मई, 1980 से 13 मझौली सिचाई परियोजना स्वीकृत की है।

(ख) इन स्कीमों की कुल अनुमानित लागत 8603.345 लाख रु. है।

(ग) राज्य सरकारों से बड़ी और मझौली सिचाई परियोजना रिपोर्टें केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त की जाती हैं जिन्हें, विस्तृत तकनीकी जांच के बाद, योजना की सिचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहु-उद्देश्यीय परियोजनाओं से संबंधित सलाहकार समिति के सामने विचार के लिए समय समय पर प्रस्तुत किया जाता है। इस सलाहकार समिति की सिफारिशों पर योजना आयोग स्वीकृति के लिए मामलों पर कार्यवाई करता है।

(घ) और (ङ.) दि. 1-6-1979 से, सलाहकार समिति द्वारा सिफारिश की गई 54 बड़ी और मझौली सिचाइ परियोजनाओं में से 11 परियोजनाएं योजना आयोग द्वारा स्वीकृत होने के लिए शेष है।

(च) सलाहकार समिति द्वारा उपर्युक्त 11 सिचाई परियोजनाओं को पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति/राज्य वित्त विभागों की सहमति जैसी कुछ शर्तों के अधीन स्वीकृति के लिए सिफारिश की गई है। इन प्रश्नों को संतोषजनक रूप में हल हो जाने पर इन परियोजनाओं को स्वीकृत किया जाएगा।

नये पौधे पैदा करने में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र को सफलता

*770 **श्री एस. बी. सिदनाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र को पौधों की रेडियो एक्टिविटी के प्रभाव में रखकर उनमें आनुवांशिक उत्परिवर्तन पैदा करके उनकी नई किस्म पैदा करने में सफलता मिली है;

(ख) यदि हां, तो उन वाणिज्यिक पौधों के नाम क्या हैं जिनके संबन्ध में यह परीक्षण सफल हुआ है;

(ग) क्या खाद्य विशेषज्ञों द्वारा की गई जांच में यह पास हो गये हैं और उन्हें खाने योग्य घोषित किया गया है ;

(घ) किसानों को यह लाभ उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है, और

(ङ) इस संबन्ध में अन्य ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) मूंगफली, धान, जूट, गन्ना, अरहर, मूंग तथा सरसो।

(ग) बुवाई के लिए दी जाने वाली उत्परिवर्तियों की किस्में आरम्भिक विकिरण के बाद पैदा हुई आठवीं से दसवीं पीढ़ी तक की होती हैं और उनमें विकिरण का कोई भी प्रभाव नहीं रहता है। वे उपभोग के लिए पूर्णत: सुरक्षित होती है। इस कारण सुरक्षा की दृष्टि से उनकी जांच करना आवश्यक नहीं है।

(घ) तथा (ङ) उत्परिवर्तियों के बीजों की सफल किस्मों का विमोचन केन्द्रीय और राज्य किस्म विमोचन समितियों द्वारा किया जाता है और तब वे किस्में राज्य और राष्ट्रीय बीज निगमों और अन्य लोगों को नए बीज तैयार करने और वितरण के लिए दी जाती हैं।

केन्द्रीय नमक आयोग केमुख्य कार्यालय का स्थानान्तरण

*771. **श्री आर. पी. गायकवाड़** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय नमक आयोग का मुख्य कार्यालय राजस्थान से गुजरात स्थानान्तरित करने के बारे में कोई ज्ञापन गुजरात से प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां। गुजरात सरकार ने नमक जांच समिति की मार्च, 1979 में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नमक आयुक्त का कार्यालय गुजरात में स्थानान्तरित करने का भी प्रस्ताव किया गया था।

(ख) सरकार द्वारा नमक आयुक्त का कार्यालय स्थानान्तरित करने के प्रश्न पर निर्णय इस बारे में नमक जांच समिति की सिफारिशों की जांच कर लेने के पश्चात ही लिया जायेगा।

गोला बारूद के आयात पर प्रतिबन्ध

*772. **श्री एस. एम. कृष्ण** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोला बारूद के आयात पर कोई नये प्रतिबन्ध लागू किये गये हैं;

(ख) यदि हां तो क्या गोला बारूद की कुछ किस्मों का आयात बन्द कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 2 के अधीन निम्नलिखित विवरण के गोला बारूद पर और अधिनियम की धारा 11 के अधीन उसके आयात पर अधिसूचना द्वारा प्रतिबंध लगा रखा है।

"कोई बहुगुणित प्रक्षेपी गोला बारूद जिसमें किसी प्रक्षेपी का व्यास 5 मि. मी., अथवा उससे अधिक का हो।"

(ग) ये आदेश वन्य जीवन के संरक्षण और अवैध गतिविधियों के लिए उक्त गोला बारूद के प्रयोग को रोकने के हित में जारी किये गये हैं।

दिल्ली में वेश्यावृत्ति के आरोप में गिरफ्तारी

*773. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस ने गत तीन महीनों में वेश्यावृत्ति के आरोप में कितनी युवा स्त्रियों को गिरफ्तार किया है; और

(ख) वेश्यावृत्ति रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पिछले तीन महीनों के दौरान अर्थात अप्रैल से जून 1980 के दौरान वेश्यावृत्ति के आरोप में 30 साल से कम उम्र वाली 145 महिलाओं और 30 साल से अधिक उम्र वाली 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया।

(ख) निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(एक) दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा में एक अलग वेश्वावृत्ति निवारक एकक की स्थापना की गई है। बार-बार छापे मारे जाते हैं।

(दो) सभी संदिग्ध स्थानो पर अतिरिक्त निगरानी रखी जाती है।

(तीन) सभी पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले बदनाम स्थानों पर छापे मारने के निर्देश दिये गये हैं।

अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषदें

*774. **श्री भीखाभाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के लिये अनुसूचित जनजातीय सलाहकार परिषदें गठित की गई हैं;

(ख) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने अपने 25 वें प्रतिवेदन में अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषदों के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार उनको किस ढंग से सक्रिय कर रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में जिनमें अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषदें गठित की गई हैं और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा और तमिलनाडु में अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं।

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जगजातियों के आयुक्त ने कहा है कि 1977-78 में गुजरात, हिमाचम प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषदों की कोई बैठक नहीं की गई।

(ग) राज्यो को जनजाति सलाहकार परिषद की बैठकें नियमित रूप से बुलाने और संविधान की पांचवी अनुसूची में निहित उपवन्धों के अनुसार जनजातीय विकास मामलों में परिषदों को सम्बद्ध करने के लिए समय-समय पर सलाह दी जाती रही है।

नारियल जटा उद्योग के लिए निर्यात संवर्धन परिषदें

*776 **श्री अरविन्द नेताम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नारियल जटा उद्योग के लिये निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) कयर उद्योग के लिए एक निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना करने के लिये प्रस्ताव कयर उद्योग के कुछ प्रमुख निर्यातकों से प्राप्त हुआ है, जिसका उद्देश्य प्रमुखत: कयर के सामान के निर्यात व्यापार की ओर ध्यान केन्द्रित कराना है, यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

राज्यों में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी

6059. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1980 को देश में भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में अधिकारियों की कुल संख्या कितनी थी और प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र में इसी तारीख तक भारतीय पुलिस सेवा के कितने अधिकारी आवंटित किये गये थे;

(ख) प्रत्येक संवर्ग में वरिष्ठ और कनिष्ट वेतनमानों के आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इस समय वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारी बड़ी संख्या में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और सीमा सुरक्षा बल आदि अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर हैं;

(घ) यदि हां, तो इन प्रत्येक संगठन में कितने अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं और वे कितनी अनुमानित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर हैं अथवा उन्हें प्रतिनियुक्ति पर रहने की अनुमति दी गई है;

(ङ) क्या उनमें से अधिक अधिकारियों को सीमा सुरक्षा बल में प्रतिनियुक्ति पर भेजने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) एक विवरण-1 संलग्न है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय पुलिस संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त भा. पु. सेवा के उच्च वेतनमान के अधिकारियों की संख्या को दिखाने वाला विवरण-2 संलग्न है। इन अधिकारियों को आम तौर से 4 से 5 साल की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर रहने की अनुमति दी जाती है।

(ङ) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को सीमा सुरक्षा बल में उपलब्ध रिक्तियों को भरने के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाना जारी रहेगा।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-1

राज्यों में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी (31-3-1980 को

राज्य संवर्ग का नाम	संवर्ग की कुल सं०	प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र संवर्ग को आवंटित भा. पु. से. के अधिकारियों की सं०	कार्यरत अधिकारियों का ब्यौरा सुपर टाइम स्केल	सीनियर टाइम स्केल	जूनियर स्केल
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	150	128	49	64	15

1	2	3	4	5	6
असम-मेघालय	98	86	25	45	16
बिहार	176	157	48	81	28
गुजरात	102	87	21	53	13
हरियाणा	70	67	20	34	13
हिमाचल प्रदेश	54	47	9	31	7
जम्मू और कश्मीर	49	45	12	29	4
कर्नाटक	101	88	34	43	11
केरल	78	75	26	36	13
मध्य प्रदेश	219	213	39	163	11
महाराष्ट्र	178	148	57	74	17
मणिपुर-त्रिपुरा	58	41	11	18	12
उड़ीसा	104	99	36	56	7
पंजाब	94	89	14	64	11
राजस्थान	107	102	38	55	9
सिक्किम	14	अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया			3
तमिलनाडु	130	112	41	50	21
संघ शासित क्षेत्र *	85	79	11	54	14
उत्तर प्रदेश	333	397	80	161	66
पश्चिम बंगाल	204	183	44	113	26
कुल जोड़	2404	2155	615	1224	317

विवरण-2

केन्द्रीय पुलिस संगठनों में प्रतिनियुक्ति पदों पर नियुक्त भा. पु. सेवा के वरिष्ठ वेतनमानों के अधिकारियों की संख्या का विवरण।

क्रम संख्या	संगठन का नाम	प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की संख्या
1.	आसूचना ब्यूरो	62
2.	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	29
3.	पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो	4
4.	सीमा सुरक्षा बल	11
5.	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	20
6.	सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी	4

* सभी संघ शासित क्षेत्रों का भारतीय पुलिस सेवा का संयुक्त संवर्ग है।

1	2	3
7.	भारत-तिब्बत पुलिस बल	2
8.	केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल	1
9.	समन्वय निदेशालय पुलिस संघणक	1
	कुल	134

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दिया गया ब्याज और 1978-79 में क्षमता उपयोग

6060. **श्री के. मालन्ना** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ने वर्ष 1978-79 में सरकार द्वारा दिये गये ऋण पर कितना ब्याज दिया गया है; और

(ख) प्रत्येक उपक्रम में कितनी क्षमता का उपयोग किया गया ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर रक्षा क्षेत्र के 9 सरकारी उपक्रमों द्वारा 1978-79 के लिए अदा की गई ब्याज की रकम इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	उपक्रमों का नाम	अदा की गई ब्याज की कुल रकम
1.	हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड	रु. 4,05,45,568·07
2.	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	रु. 18,33,069·00
3.	भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड	रु. 1,60,24,986·00
4.	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	रु. 2,58,08,344·00
5.	भारत डाइनामिक्स लिमिटेड	रु. 11,32,185·00
6.	माझगांव डाक लिमिटेड	रु. 1,30,88,350·00
7.	प्रागा टूल्स लिमिटेड	रु. 30,58,640·05
8.	गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एण्ड इन्जीनियर्स लिमिटेड	शून्य
9.	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	शून्य

(ख) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड तथा भारत डायनामिक्स लिमिटेड और भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के बंगलोर कॉम्प्लेक्स में 1978-79 में करीब 100% क्षमता का उपयोग किया गया। सितम्बर 1978 में अभूतपूर्व बाढ़ आने के कारण भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड की गाजियाबाद यूनिट में सामान्य उत्पादन पर असर पड़ा जिससे इस यूनिट की वर्ष भर की समस्त क्षमता के उपयोग पर भी असर पड़ा।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड की सभी शाखाओं में औसतन करीब 75% क्षमता का उपयोग किया गया तथा प्रागा टूल्स लिमिटेड में 73·66 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हुआ।

माझगांव डाक लिमिटेड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स तथा इन्जीनियर्स लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के मामलों में लाइसेंस के अंतर्गत उत्पादन या उत्पादन क्षमता के अनुसार कोई निर्धारित स्तर नहीं रखा गया है। लेकिन जहाज निर्माण और जहाजों की मरम्मत के

कार्य में काम मंदी आने के कारण इन शिपयार्डों की उत्पादन क्षमता के उपयोग में कुछ हद तक अवश्य असर पड़ा। वर्ष के दौरान औद्योगिक अशांति तथा हड़तालों के कारण गार्डन रीच शिपबिल्डर्स तथा इन्जीनियर्स लिमिटेड की क्षमता पर और अधिक असर पड़ा।

श्रमिकों को विस्थापित किए बिना प्रौद्योगिकों के क्षेत्र में इलैक्ट्रोनिको का उपयोग

6061. **श्री मधु दण्डवते** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रमिकों को विस्थापित किये बिना प्रौद्योगिकों के क्षेत्र में इलैक्ट्रोनिकों का अधिक उपयोग करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो वे नए क्षेत्र कौन से हैं जिनमें इलेक्ट्रोनिकों का उपयोग किए जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) जी, हाँ। अधिक कार्यकुशलता और बेहतर क्वालिटी के उत्पाद प्राप्त करने की दृष्टि से इलेक्ट्रानिको विभाग ने अपने समुचित स्वचालन कार्यक्रम (ए. ए. पी.) के माध्यम से इलेक्ट्रानिको के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग करने के लिए परियोजनाएं शुरू की हैं। ये क्षेत्र हैं, खनन, चीनी, जूट, कृषि, दुग्ध व्यवसाय, धातू-विज्ञान रसायन तथा उर्वरक आदि। यह दृष्टिकोण इस बात को ध्यान में रखकर अपनाया गया है कि इन उद्योगों में जो श्रमिक पहले से ही लगे हैं उन पर कोई विपरित असर न पड़े।

नए सीमेंट कारखानों का उत्पादन

6062. **श्री डी. पी. जदेजा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सीमेंट निगम के अन्तर्गत कार्यरत सीमेंट एककों की संख्या और ब्योरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान इन एककों में से सीमेंट का उत्पादन क्या था ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) :

एकक का स्थापना स्थल	वार्षिक क्षमता (लाख मी. टन)	उत्पादन 1978-79	1979-80
		(लाख मी. टन)	
मेंढर	3·8	1·95	2·73
जिला रायपुर (म. प्र.) कर्नाटक	3	1·65	1·72
जिला-गुलबर्गा (कर्नाटक) बोकाजन	2	1·23	1·5
जिला करबी एंगलोंग (आसाम) राजबन	2	—	—
जिला-सिरमौर (हि. प्र·)		(अप्रैल, 1980 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया)	

स्वागत अधिकारियों का पृथक संवर्ग

6064. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा नियन्त्रित स्वागत अधिकारियों का एक पृथक संवर्ग है;

(ख) यदि हां, तो क्या उद्योग भवन, शास्त्री भवन आदि में स्थित महत्वपूर्ण मंत्रालयों में किसी विशेष सीट पर किसी स्वागत अधिकारी के जहां उन्हें जनसंपर्क अधिकारियों और अन्य बड़े उद्योग-पतियों के संपर्क में आना पड़ता है, कार्यकाल की अवधि निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान। स्वागत अधिकारियों को आमतौर पर महत्वपूर्ण डेस्कों पर एक वर्ष से अधिक रहने नहीं दिया जाता।

छम्ब जोरियां में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के कारण गिरफ्तार किए गए भारतीय नागरिक

6065. **श्री आर. एल. भाटिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1980 के अन्तिम सप्ताह के दौरान छम्ब-जोरियां सीमा से कुछ भारतीय नागरिक पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और उनसे बरामद दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि ये व्यक्ति एक बहुत बड़े गिरोह के सदस्य हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) सूचना मालूम की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सीधे भर्ती किए गए सहायकों की अनुभाग अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति

6066. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार में सीधे भर्ती किये गये ऐसे सहायकों की संख्या कितनी है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान वरिष्ठता के आधार पर अनुभाग अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति दी गयी है;

(ख) अनुभाग अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति के समय उन्होंने कितने वर्ष सेवा कर ली थी; और

(ग) सीधे भर्ती किये गये सहायक को वरिष्ठता के आधार पर अनुभाग अधिकारी बनने में सामान्यत: कितना समय लगता है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (ग) सभी संवर्गों से सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उसे सदन के पटल पर यथा समय रख दिया जायेगा।

टेलीविजन और रेडियो सेटों के निर्माण के लिए रियायतें

6067. **श्री बी. बी. देसाई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या टेलीविजन और रेडियो निर्माता उद्योग को हाल में दी गई रियायतों के बाद टेलीविजन सेटों और रेडियो सेटों के मूल्य अभी तक कम नहीं किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने ऐसा कोई सर्वेक्षण किया है कि इन रियायतों का टेलीविजन और रेडियो सेटों के मूल्यों पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ा है;

(घ) यदि हाँ, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) इन रियायतों के परिणाम स्वरूप सरकार ने टेलीविजन और रेडियो सेटों की लागत में कितनी कमी की आशा की थी ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) से (ङ) इलेक्ट्रानिकी उद्योग में प्रयुक्त होने वाली कुछ विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों पर लगने वाले आयात-शुल्क में वर्ष 1980-81 के केन्द्रीय बजट में कटौती की जो घोषणा की गई है, उसका मुख्य उद्देश्य माँग बढ़ा कर उत्पादन को बढ़ावा देना है. जहां तक कम लागत वाले दूरदर्शन सेटों का संबंध है इसका कारखाना गत मूल्य (उत्पादन शुल्क से पूर्व) गत तीन वर्षों से 1750 रुपये के स्तर पर स्थिर था; इसे बढ़ाकर प्रति सेट 1800 रुपये कर दिया गया है। मूल्यों में यह स्थिरता उत्पादन-शुल्क की रियायती दर का लाभ सहारा लेकर बनाई रखी जाती है, जो केवल कम लागत वाले दूरदर्शन सेटों पर ही दी जाती है। इलेक्ट्रानिकी उद्योग ने समग्रत: कच्ची सामग्रियों पर आयात-शुल्क में कटौती की माँग की थी ताकि वह दूरदर्शन सेटों के निर्माण में लगने वाली सामग्री की लागत और श्रमिकों आदि पर आने वाले खर्च के रूप में मुद्रास्फीति के प्रभाव को वर्दाश्त कर सके और साथ ही वह दूरदर्शन के सस्ते सेटों का निर्माण और उसकी बिक्री लाभ के आधार पर करना जारी रख सकें।

ग्राहकों को कम लागत वाले दूरदर्शन सेटों का मूल्य इसलिए कम देना पड़ रहा है क्योंकि दूरदर्शन सेटों पर लगने वाले उत्पादन-शुल्क में 5 प्रतिशत की कटौती की गई है। भारतीय दूरदर्शन निर्माता संघ से प्राप्त सूचना के अनुसार निर्माताओं ने इस कटौती का लाभ (जो उत्पादन शुल्क पर लगने वाले अधिभार और बिक्री कर की शुद्ध रकम है) सीधे ग्राहकों को अन्तरित कर दिया है।

रेडियो रिसीवरों के मूल्यों की आम प्रवृत्ति में कितना परिवर्तन हुआ है इसका प्रभाव देखने अथवा उसका विश्लेषण करने में अभी कुछ समय लगेगा क्योंकि इन रिसीवरों के उत्पादन में जो संघटक पुर्जे लगे हैं, वे फिलहाल उन्हीं सामग्रियों पर आधारित हैं जिन्हें आयात शुल्क के पुराने ढांचे के अन्तर्गत आयात किया गया था।

मुद्रास्फीति और मजदूरी, किराया-भाड़ा, पानी और बिजली की दर में बढ़ोतरी, स्थानीय सामग्रियों की लागत में वृद्धि आदि के कारण तथा विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण अन्तिम उत्पाद के मूल्यों में आयात-शुल्क की कटौती का शायद ही कोई प्रभाव पड़ता हो। किन्तु आने वाले महीनों में संघटक पुर्जों के मूल्यों में कुछ कमी का प्रभाव अवश्य पड़ने की संभावना है।

आयात-शुल्क में की गई कटौती का प्रभाव मांग में होने वाली वृद्धि के कारण इलेक्ट्रानिक मदों के उत्पादन में बढ़ोतरी से प्रदर्शित किया जा सकता है और यही एक पैमाना है जो अर्थ-व्यवस्था में समग्र रूप से मुद्रास्फीति का निराकरण कर सकता है।

मध्य प्रदेश में धोबियों और कुम्हारों की जातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में माना जाना

6168. श्री सुन्दर शर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "धोबी" और "कुम्हार" जातियों को, जिन्हें अनेकों राज्यों में अनुसूचित जाति माना जाता है मध्य प्रदेश में इस रूप में स्वीकार नहीं किया जाता;

(ख) क्या सरकार का विचार इनको अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान। मध्य प्रदेश में भोपाल, रायसन और सिहोर जिलों में "धोबी" समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है जबकि मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर, नत्तिया, पन्ना, रिवां, सतना, शाहडोल सिंद्री और टीकमगढ़ जिलों में कुम्हार को अनुसूचित जाति घोषित किया गया है।

(ख) और (ग) इन समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा उपर्युक्त समय पर ऐसे अन्य लम्बित पड़े प्रश्नों के साथ, विचार किया जाएगा।

नये उद्योगों की स्थापना करने हेतु लाइसेंस के लिए तमिलनाडु सरकार से आवेदन पत्र

6059. **श्री डी. एस. ए. शिवप्रकाशम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए उद्योग आरम्भ करने हेतु लाइसेंस देने के लिए वर्ष 1979 और 1980 में तमिलनाडु सरकार से कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हाँ, तो कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और उनका विषय क्या है,

(ग) यह विभिन्न आवेदन-पत्र किन तारीखों को प्राप्त हुए थे, और

(घ) किन तारीखों को लाइसेंस दिये गये थे अथवा आवेदन-पत्र अस्वीकृत किये गये थे;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री चरणजीत चानना : (क) और (ख) नया उद्योग चालू करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस की स्वीकृति हेतु वर्ष 1979 तथा 1980 (24.7.80 तक) तमिलनाडु सरकार से कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। किन्तु इसी अवधि में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस स्वीकृत करने के लिए तमिलनाडु औद्योगिक विकास नियम लिमिटेड, मद्रास से 5 आवेदन के इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ तमिलनाडु से दो आवेदन तथा तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एन्ड पेपर्स लिमिटेड, मद्रास से एक आवेदन प्राप्त हुआ था। ये सभी आवेदन नये उपक्रम स्थापित करने के सम्बन्ध में हैं।

(ग) और (घ) विभिन्न आवेदन प्राप्त होने की तिथियाँ लाइसेंस स्वीकृत किये जाने की तिथियाँ अथवा रद्द या अन्यथा निपटाये गये आवेदन निम्नलिखित हैं :—

क्र. सं.	आवेदक का नाम	उत्पाद की वस्तु	आवेदन प्राप्त होने की तिथि	निपटान की तिथि
1	2	3	4	5
1.	तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगमलिमिटेड मद्रास।	डिलोलिग पल्प पोलिनोसिक स्टेपल फाइवर तथा सल्फरिक एसिड	7.4.79	31.8.79 को रद्द की गई

1	2	3	4	5
2.	तमिलनाड औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड मद्रास	प्रैसेसियन आप्टीकल कम्पोनेन्ट (लेन्सेस प्रिज्म)	25.4.79	13.9.79 को आशय पत्र जारी किया गया
3.	-वही-	2- इथाईल हैक्सा-नाल आदि	7.11.79	1.4.80 को बन्द कर दिया गया
4	-वही-	औद्योगिक विस्फोटक सामग्री	13. 11.79	22·12.79 को आशय पत्र जारी किया गया ।
5.	तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर्स लिमिटेड मद्रास द्वारा आयुक्त एवं सचिव, उद्योग विभाग, तमिलनाडु सरकार	छपाई व लिखाई के अखबारी कागज	16.2.79	3.7.79 को आशय पत्र जारी किया गया ।
6.	तमि नाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड मद्रास ।	पैन्टारी थिटोल तथा सोडियम फोरमेट	24.5.80	अनिर्णीत
7.	इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ तमिलनाडु, मद्रास	टी. वी. रिसीवर्स	16.6.80	-वही-
8.	-वही-	अल्युमीनियम इलैक्ट्रोलेटिक कैपीसेटर्स	9.7.80	-वही-

दूसरे देशों में इलेक्ट्रोनिकी की जानकारी (नो-हाऊ) प्राप्त करना

6070. **श्री ब्रजमोहन महन्ती** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) इलेक्ट्रानिकी के किन क्षेत्रों में भारत दूसरे देशों की जानकारी अथवा प्रौद्योगिकी का आयात कर रहा है अथवा उधार ले रहा है;

(ख) कौन से देश भारत को इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी सप्लाई कर रहे हैं; और

(ग) इस क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने में कितना समय लगेगा ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) इलेक्ट्रानिकी के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कम्प्यूटर, संचार, रक्षा इलेक्ट्रानिकी, इलैक्ट्रानिक संघटक-पुर्जे आदि चुनिन्दा आधार पर संयुक्त

राज्य अमरीका, ब्रिटेन, जापान, स्वीडन जर्मनी संघीय गणतंत्र (एफ. आर. जी.) तथा फ्रांस जैसे देशों से हम तकनीकी जानकारी खरीदते रहे हैं। हमारी कम्पनियां ऐसी प्रौद्योगिकी जानकारियों को विशिष्ट रूप से अगले पाँच वर्षों में अपनाने के काम में सक्रिय रूप से संलग्न है। साथ ही अनुसंधान तथा विकास के कई कार्यक्रम, न केवल हमारी कम्पनियों में अपितु सरकारी प्रयोगशालाओं, भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्थानों आदि में हाथ में लिये जा रहे हैं, ताकि ऐसे नये उत्पादों/प्रौद्योगिकियों का विकास किया जा सके जो इस प्रकार खरीदी गई विदेशी तकनीकी जानकारी के अन्तर्गत नहीं आती। देश में प्रौद्योगिकी के विकास के सम्बन्ध में जो प्रयास किये जा रहे हैं उसके अधिकांश भाग की योजना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में इलेक्ट्रानिक विभाग द्वारा बनायी जाती है और साथ ही उन प्रयासों को बढ़ावा देकर वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य सामाजिक तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय दृष्टि से आत्म-निर्भरता हासिल करना और इस बात का इत्मीनान करना है कि देश इलेक्ट्रानिकी के उन अन्य क्षेत्रों में भी विदेशों में हुए प्रौद्योगिकी विकासी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले जो हमारी आवश्यकताओं के संदर्भ में संगत हैं।

तिरुचिरापल्ली में डेयरी उपकरण निर्माता एकक की स्थापना के लिये एच. एम. टी. की अनुमति

6071. **श्री एस. ए. दोराई सेवस्तियन :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० को तिरुचिरापल्ली में डेयरी उपकरण निर्माता एककों की स्थापना के लिये अनुमती दे रही है :

(ख) क्या सरकार को पता है कि बी. एच. ई. एल. के 6000 श्रमिकों वाले 120 लघु एकक बी. एच. ई. एल. द्वारा इन एककों को कच्चे माल की नगण्य सप्लाई के कारण अपनी क्षमता का केवल 40 प्रतिशत ही उपयोग कर रहे हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या बी. एच. ई. एल. के इन 120 लघु एककों को उनके अनुरोध के अनुसार डेयरी उपकरण बनाने हेतु उनको औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति के रूप में उभरने के लिए अनुमति देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) सरकार ने औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में डेयरी मशीन निर्माण की एच. एम. टी. की एक परियोजना को अपनी स्वीकृत दे दी है।

(ख) जी, हाँ। लेकिन बी. एच. ई. एल. ने बताया है कि इन एककों की क्षमता उपयोग में इस्पात की काफी अनुपलब्धता के कारण अस्थायी गिरावट सेल के माध्यम से तथा सीधे बी. एच. ई. एल. द्वारा इस्पात के आयात द्वारा ठीक की जा रही है।

(ग) एच. एम. टी. की परियोजना में विशिष्ट मशीनों जिनके लिए आधुनिकतम प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है कि निर्माण होना है तथा लघु उद्योग क्षेत्रों के लिये सुरक्षित मदें छोड़ दी गई हैं। वास्तव में यह परियोजना सहायक उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देगी। बी. एच. ई. एल. के लघु पैमाने के एककों पर गैर बी एच. ई. एल. कार्य करने पर प्रतिबन्ध नहीं है तथा यदि वे चाहें तो डेयरी उपकरण के क्षेत्र सहित विविधीकरण के लिये स्वतन्त्र है।

तमिलनाडु में परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना

6072. **श्री एस. सिंगारवाडीवेल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में पन तथा तापीय विद्युत संयन्त्रों को ही रही बिजली की कमी और कठिनाइयों को देखते हुए तमिलनाडु में एक और परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इसे शीघ्र ही स्थापित किया जायेगा ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

परमाणु बिजली केन्द्रों की स्थापना

6073. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दो परमाणु बिजली केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो ये कहाँ स्थापित होंगे और उन पर होने वाले खर्च का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : (क) तथा (ख) 1980-85 की पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ और परमाणु बिजलीघर लगाने के एक कार्यक्रम पर सरकार विचार कर रही है। उस कार्यक्रम का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

आन्तरीक विवादों के कारण कमानी उद्योग समूह का बन्द होना

6074. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कमानी उद्योग समूह की कुछ कम्पनियों ने उग्र विवादों के कारण उत्पादन बन्द कर दिया है,

(ख) इसके कारण कितने श्रमिक बेकार बैठे हैं और कितने शेयरधारी अपना धन माँग रहे हैं, और

(ग) क्या सरकार इस कम्पनी को रुग्ण एकक के रूप में अपने नियंत्रण में लेने पर विचार कर रही है क्योंकि इसकी स्थिति का समाधान नहीं हुआ है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) उद्योग मन्त्रालय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार कमानी ग्रुप की दो कम्पनियाँ अर्थात कमानी ट्यूब्स लिमिटेड तथा कम्पनी मैटलिक आक्साईड लिमिटेड के उत्पादन पर बुरी तरह प्रभाव पड़ा है जिससे लगभग 900 कामगर प्रभावित हुए हैं ।

(ग) कम्पनी ग्रुप या उसके किसी एकक के प्रबन्ध को हाथ में लेने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

दिल्ली में लूटमार और डकैतियां

6075. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या गृहमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में इस वर्ष जून और जुलाई में लूटमार और डकैती की कितनी घटनाएँ हुईं और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या राजधानी में लूटमार और डकैतियों की घटनाएं आजकल इतनी जल्दी-जल्दी हो रही हैं कि इनसे कानून और व्यवस्था की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं को प्रभावशाली ढंग से रोकने के लिये सरकार आगे क्या कार्यवाही कर रही है ?

(गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) 1 जून से 15 जुलाई, 1980 तक की अवधि में लूटमार डकैती के 40 मामले सूचित किए गए जबकि गत वर्ष के इसी अवधि के दौरान ऐसे 85 मामले सूचित किए गए थे। अतः यह कहना सही नहीं है कि लूटमार और डकैती की घटनाएं जल्दी-जल्दी हो रही हैं। इन मामलों में 41 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं।

(ग) निम्नलिखित उपाये किए गए हैं :—

1. वाकी-टाकी सैटों सहित गहन पैदल और चलती-फिरती गश्त और वायरलैस युक्त मोटर साईकल की गश्त। रात्रि गश्त के लिए जिलों को डी. ए. पी./सी. आर. पी. एफ. की 10 अतिरिक्त बटालियनें उपलब्ध कराई गई हैं और इस उद्देश्य के लिए सी. आर. पी. एफ. की एक अतिरिक्त बटालियन उपलब्ध कराई गई है। गश्त की जांच और निगरानी स्वयं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाती है।

2. 60 और अधिक वाहनों का खरीदने और 5 पुलिस चौकियों को स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है।

3. बदमाशों और अपराधियों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की सामान्य निवारक धाराओं के अंतर्गत कार्यवाई की जाती है।

4. अपराध करने वालों का पता लगाने के लिये वाहनों की अकस्मात जाँच करना।

5. जिलों के विशेष दस्तों द्वारा आसूचना एकत्र करके डकैतों, लूटमार करने वालों, जंजीर छीनने वालों और अन्य बदमाशों का पता लगाने के लिए सतत अभियान चलाना।

6. बस्तियों के निवासियों को उठाये गये कदमों की जानकारी देने और उनके सुझाव लेने के लिये पुलिस उप-आयुक्तों/सहायक आयुक्तों द्वारा उनके साथ बैठकें करना।

7. उन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है—जहां रोशनी का बन्दोबस्त नहीं है या अपर्याप्त है, जिससे अपराधियों को अपराध करने और भाग निकलने में मदद मिलती है। उन स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर रोशनी का प्रबन्ध करने के लिये दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली विद्युत संस्थान समेत सभी सम्बन्धित प्राधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं।

8. ज्ञात अपराधियों पर निगरानी सख्त की गई है और अपराधियों के रिकार्ड को अतद्यम किया गया है।

9. रिहा किये गये अपराधियों पर विशेष निगरानी रखी जाती है।

10. ठिकरी पहरा और स्थानीय लोगों और निजी चौकीदारों द्वारा पुलिस गश्त और टुकड़ियों के समन्वय से गश्त का आयोजन करना।

11. कुछ असुरक्षित बस्तियों में नियमित आधार पर पुलिस चौकियों की स्थापना की स्वीकृति होने तक अस्थाई पुलिस चौकियों की स्थापना करना।

12. निष्कासन की कार्यवाईयों को तेज करना।

विशेष सेवा आदेशों के अन्तर्गत सिविल कर्मचारियों को सुविधायें

6076. **श्री चतुर्भुज** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष सेना आदेश 4-एम.53 अथवा 8-एम-76 के अन्तर्गत सिविल कर्मचारियों को क्या सुविधाएं दी गई हैं और यदि नियुक्ति निचले पदों पर की गई हो तो क्या वे समान पदों और पुनर्नियुक्ति के हकदार हैं; और

(ख) उपर्युक्त आदेशों के अन्तर्गत 15 जून, 1980 तक कितने शिक्षकों का, जो सिविल कर्मचारी हैं, पुन: नियुक्त किया गया अथवा समान पद दिये गये और यदि नहीं, तो उक्त आदेशों का उल्लंघन करने वालों को क्या निर्देश दिये जा रहे हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) विशेष थलसेना आदेश 4/एस/5३, न कि -एम-53, जैसा प्रश्न में दिया गया है, के अनुसार, जिसका विशेष थलसेना आदेश 8/एस/76 द्वारा न कि 8-एम-76 द्वारा अतिकरण किया गया है, रक्षा मन्त्रालय के अधीन निम्न विरचनाओं में फालतू घोषित किये गए ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'डी' वर्गों के सिविलियन कर्मचारी समकक्ष अथवा निम्न पदों पर नियुक्ति के पात्र हैं बशर्ते कि उन्हें शुरू में ही नियमित कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया हो। इस प्रकार जिन कर्मचारियों को निम्न पदों पर नियुक्त किया जाता है वे अपने मूल पदों पर पुनर्वर्गीकरण पाने के हकदार हैं, बशर्ते कि वे उस पद के लिए आवेदन करें और उस पद में रिक्त स्थान उपलब्ध हों।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सूचित कर दी जाएगी।

धनबाद की समस्यायें

6077. श्री ए. के. राय : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो ने धनबाद में कानून और व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन किया था;

(ख) क्या इस बारे में कोई रिपोर्ट पेश की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उस रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जी हां, श्रीमान।

सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग्रथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी-1188/80)

मनीपुर में हुए हमले

6078. **श्री नगनगं म मोहेन्द्रा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर की घाटी में अज्ञात हमलावरों ने वर्ष 1978 से अब तक वर्षवार कितने व्यक्तियों को गोली से मारा, मृतक व्यक्तियों में से कितने सिविलियन हैं और कितने सुरक्षा कर्मचारी हैं;

(ख) क्या इनमें से किसी हत्या में किसी कथित हमलावर को अब तक गिरफ्तार किया गया है और उन पर मुकदमा चलाया गया है और यदि हां, तो इस मुकदमें का क्या परिणाम रहा;

(ग) वर्ष 1978 से अब तक, वर्षवार मनीपुर की घाटी में दिन दहाड़े हत्या सहित कितनी सशस्त्र डकैतियां और बिना हत्या वाली कितनी डकैतियाँ हुई; और

(घ) क्या उपरोक्त डकैतियों में अब तक किन्हीं अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और उन पर मुकदमा चलाया गया है और यदि हाँ, तो उनका क्या परिणाम रहा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मणिपुर सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 1978 में 7 व्यक्तियों (3 सिविलियन और 4 सुरक्षा बलों के कर्मचारी) और 1979 के दौरान 25 व्यक्तियों (14 सिविलियन और 11 सुरक्षा बलों के कर्मचारी की जाने गई। 1980 के सम्बन्ध में सूचना राज्य सरकार से मालूम की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) 12 हमलावरों पर मुकदमें चलाए गए हैं उनमें से एक बरी हो गया है और शेष पर अभी मुकदमा चल रहा है।

(ग) मणिपुर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 1978 में ऐसे 6, 1979 में 16 और 1980 (5 जुलाई, 1980 तक) के दौरान 13 मामले थे।

(घ) 10 संदिग्ध व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है और अब उनके मुकदमें न्यायालय में चल रहे हैं।

विदेशों में नौकरियों का लालच देने पर चालान

6079. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में नौकरियों का लालच देकर भोले-भाले लोगों से बहुत बड़ी राशि ऐंठने के आरोप में 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान कितने व्यक्तियों का चालान किया गया; और

(ख) गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों से जुर्माने के रूप में कितनी राशि वसूल की गई और उन्हें कितनी अवधि के लिए तथा किन तारीखों को सजा दी गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसके प्राप्त होने पर एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

कागज के मूल्य और उसकी सप्लाई के बारे में हुई बैठक

6080. **श्री रतनसिंह राजदा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्यार्थियों और आम लोगों के लिए सफेद कागज के मूल्य और उसकी सप्लाई के बारे में 4 मार्च, 1980 को उद्योग मंत्री और कागज उद्योग के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में क्या निर्णय किए गए थे; और

(ख) क्या यह सच है कि विद्यार्थियों के लिए छपाई के सफेद कागज की सप्लाई में कमी करने और उसके मूल्यों को वर्तमान कानूनी स्तर से बढ़ाने की अनुमति देने तथा सफेद क्रीम वोवन लेड पेपर पर से नियन्त्रण हटाने के बारे में सहमति हुई थी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) उद्योग मंत्री की कागज उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ 4 मार्च, 1980 को हुई एक बैठक में छपाई के सफेद कागज और क्रीम वोवन/लैड पेपर के उत्पादन व मूल्य के बारे में शैक्षिक क्षेत्र को कागज की सप्लाई बढ़ाने के बारे में वे सरकारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संभरण करने जैसे विभिन्न विषयों पर विचार किया गया था।

(ख) बैठक में कोई भी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया और कानूनी मूल्य तथा उत्पादन स्तर सम्बन्धी विद्यमान नीति में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया।

उड़ीसा में ट्रकों तथा जीपों का दिया जाना

6081. **श्री चिन्णामणि जेना** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा राज्य सरकार जीपों तथा ट्रकों की अनुपलब्धता के कारण सूखा प्रभावित क्षेत्रों में नलकूपों के रख-रखाव और उनके लगाये जाने के सम्बन्ध में कठिनाई अनुभव कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य सरकार की आवश्यकता के अनुसार मैसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि., को मैसर्स अशोक लेलैण्ड लि., मद्रास, तथा मैसर्स प्रीमियर आटो मोबाइल्स लि., बम्बई को ट्रकों का तुरन्त सप्लाई करने के लिए कहने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) उड़ीसा सरकार ने रखरखाव कार्य तथा राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ट्यूबवेल लगाने के लिए निर्माताओं से जीपों तथा ट्रकों की आवश्यकताओं को प्राप्त करने में अपनी सहायता के लिए इस मंत्रालय से संपर्क किया था।

(ख) मै. अशोक लेलैंड लि., मै. महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि., तथा मै. प्रीमियर आटो-मोबाल्इस लि. समेत सम्बद्ध निर्माताओं से इस विभाग ने पहले ही अनुरोध कर दिया है कि राज्य सरकार की जरूरत के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर वाहन रिलीज किए जाएं।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कार्मिकों द्वारा आंदोलन

6082. **श्री टी. एस. नेगी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा जून, 1979 में आरम्भ किए गए आन्दोलन के कारण केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के लगभग 350 कार्मिकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था;

(ख) क्या सेना ने 25 जून, 1979 को इन आन्दोलनकारियों पर गोली चलाई थी;

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त घटना की कोई न्यायिक जांच की थी; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उपरोक्त घटना की स्वतन्त्र जांच हेतु उच्च-स्तरीय जाँच न्यायालय नियुक्त करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1773 को बर्खास्त किया गया।

(ख) केवल झड़ोदाकलाँ में स्थिति ऐसी थी जहाँ सेना को गोली चलाने की जरूरत पड़ी।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं श्रीमान।

तिहाड़ जेल में एक अपराधी की बिजली से मृत्यु की जांच

6083. **श्रीमती किशोरी सिंहा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 जून, 1980 को तिहाड़ जेल में एक 35 वर्षीय अपराधी की बिजली से मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो इस व्यक्ति की मृत्य के बारे में जाँच की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि 23 वर्षीय अभियुक्त श्री कृष्ण की, जो जेल हस्पताल में कार्य कर रहा था, तारीख 26-6-80 को बिजली के करेंट के लीक होने के कारण बिजली से अकस्मात मृत्य हो गई प्रशासन ने घटना की जाँच करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच कराने का आदेश दिया है। इसके अलावा भारतीय दण्डसंहिता की धारा 304-क के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया है और इसकी पुलिस द्वारा जाँच पड़ताल की जा रही है। मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जाँच की रिपोर्ट की भी प्रतीक्षा है।

यूरेनियम का विकल्प

6084. **श्री पी. राजगोपाल नायडु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमें अपने ही देश में यूरेनियम मिल रहा है; और

(ख) क्या यूरेनियम का कोई विकल्प है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं।

कर्नाटक राज्य को आबंटित किया गया सीमेंट

6085. **श्री टी. आर. शमन्ना** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य को गत पांच वर्षों के दौरान सीमेंट की कितनी मात्रा (टनों में) का आबंटन किया गया,

(ख) उक्त अवधि में वास्तव में सीमेंट की कितनी मात्रा (टनों में) सप्लाई की गयी,

(ग) माँग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने सीमेंट की कितनी मात्रा की माँग की थी; और

(घ) क्या सरकार का विचार कर्नाटक राज्य की सीमेंट की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्यवाही करने का है;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) (क) और (ख) :

वर्ष	आवंटन	भेजी गई सीमेंट
	(हजार मी. टन. में)	
1975-76	229	749
1976-77	1050	985
1977-78	984	8 2
1978-79	1183	1028
1979-80	1171	991

(ग) हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने जुलाई-सितम्बर, 1980 में 3 लाख मी. टन सीमेंट के आवटन की माँग की है।

(घ) : देश मे सीमेंट की उपलब्धता-स्थिति मांग से कम है, इसलिए राज्यों के तिमाहीं आवंटन में, जिसमें कर्नाटक का तिमाही आवटन भी शामिल है, पर्याप्त वृद्धि करना देश में, सीमेंट की उपलब्धता स्थिति सुधर जाने के बाद ही सम्भव होगा, जिसके लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है। किन्तु, कर्नाटक राज्य में सीमेंट की उपलब्धता स्थिति को सुधारने के लिए चालू तिमाई (जुलाई-सितम्बर, 1980) में 20,000 मी. टन अतिरिक्त आवंटन किया गया है।

राष्ट्रीय आय के अनुपात में बचतों की दर

6086 **डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1976-77, 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के वर्षों में राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर क्या रही; और

(ख) उपरोक्त वर्षों में राष्ट्रीय आय के अनुपात में बचतों की दर क्या रही ?

योजना मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) और (ख)

वर्ष	राष्ट्रीय आय में वृद्धि	बचत की दरें (शुद्ध)
197 -77	1.3	18.4
1977-78	8.2	18.3
1978-79	4.1	19.3
1979-80	—उपलब्ध नहीं हैं	—

टिप्पणी : स्तम्भ (2) : 1970-71 के मूल्यों के आधार पर पिछले वर्षों की तुलना में प्रतिशतता में परिवर्तन के रूप में निकाली हुई है।

स्तम्भ (3) : प्रचलित बाजार भावों के आधार पर शुद्ध घरेलू उत्पाद (आय) के प्रतिशत के रूप में व्यक्त प्रचलित मूल्यों (भावों) के आधार पर शुद्ध घरेलू बचत।

"नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन वूमैन की ओर से ज्ञापन

6087. **पी. के. कोडियन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नेशनल फेडरेशन आफ इन्डियन वूमैन" की ओर से जून, 1978 में भारत के राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन में दिए गए सुझावों पर भारत सरकार ने कोई कार्यवाही की है और;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हाँ श्रीमान।

(ख) ज्ञापन में निहित मुख्य मांगों और उन पर की गई कार्यवाई का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारतीय महिलाओं के राष्ट्रीय महासंघ द्वारा जून, 1978 में भारत के राष्ट्रपति को दिये गए ज्ञापन में निहित मुख्य माँगों और उन पर की गई कार्यवाई का विवरण

मुख्य माँगें	की गई कार्यवाही
1. वर्तमान नियमों को इस प्रकार कार्यान्वित किया जाना चाहिए कि किसी भी महिला को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन पर न ले जाया जाय।	दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 में यह व्यवस्था है कि किसी भी महिला को पुलिस जांच के प्रयोजन के लिए उस स्थान के अलावा जहां वह रहती है; अन्य किसी स्थान पर न जाना पड़े। गृह सचिव के ता: 10/14 मार्च, 1980 के अर्ध शासकीय पत्र संख्या 9/18/79-न्यायिक एकक में राज्य सरकारों को उपयुक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने की सलाह दी गई है।
2. दंगों के समय पर महिलाओं के केवल महिला पुलिस को निपटाना चाहिए।	सभी अवसरों पर इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया।
3. रात्रि को किसी भी महिला को गिरफ्तार न किया जाये।	इन दो माँगों पर राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को विस्तृत टिप्पणियां अब प्राप्त हो गई हैं। इन टिप्पणियों पर आधारित और विधि आयोग द्वारा दं. प्र. सं. में 417-क, नई धारा को जोड़ने के सुझाव पर, इन दोनों माँगों की व्यवहार्यता विचाराधीन है।
4. किसी भी महिला को पुलिस हिरासत में न रखा जाय। उन्हें सीधे जेल ले जाया जाये।	
5. महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार के लिए सख्त सजा होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में कानून को अधिक सख्त बनाया जाना चाहिए।	मार्च, 1980 में सरकार ने विधि आयोग से महिलाओं के साथ बलात्कार और उनके सम्मान पर आक्रमण करने और इससे सम्बन्धित मामलों के कानूनों का विशेष अध्ययन करने का अनुरोध किया था। आयोग ने अपनी 48वीं रिपोर्ट में अपनी सिफारिशें दी हैं। विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के सक्रिय विचाराधीन हैं।

आसाम में गिरफ्तार किये गये व्यक्ति

6088. **श्री एन. ई. होरो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में निवारक नजरबन्दी अध्यादेश, 1980 तथा आसाम में सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम, 1947 के अधीन गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों (राजनैतिक तथा अन्य) की संख्या कितनी है;

(ख) क्या गिरफ्तार किये गये उक्त व्यक्तियों के मामलों की इस प्रयोजन के लिए गठित तत्सम्बन्धी सलाहकार बोर्डों द्वारा पूरी जांच की गई थी; और

यदि हां, तो इस बारे में प्राप्त प्रतिवेदनों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) 29 जुलाई, 1980 तक असम निवारक नजरबन्दी अधिनियम, 1980 के अधीन 203 व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया है। अभी तक इस प्रयोजन के लिए गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा 100 मामलों का पुनरीक्षण किया गया है। सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों पर 70 व्यक्तियों को रिहा किया गया है। असम में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने सम्बन्धी अधिनियम, 1947 के अधीन गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नेल्लोर जिले के इस्कापल्ली में हरिजनों और मछुआरों के बीच संघर्ष

6089. **श्री पसाला पेंचालैया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले के इस्कापल्ली में हुई एक घटना में हरिजनों और मछुआरों के बीच हुई मुठभेड़ में कितने व्यक्ति मारे गये थे;

(ख) इसमें कितने हरिजन मारे गये;

(ग) क्या उनके परिवारों को अनुग्रह अनुदान दिया गया था;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस मुठभेड़ में किन तत्वों का हाथ है और सरकार ने उन तत्वों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार, 23 मई, 1980 को आन्ध्र प्रदेश के नेलोर जिला, इस्कपल्लि में घटी एक घटना में हरिजनों और मछेरों के बीच हुए झगड़े तथा इसके परिणाम स्वरूप पुलिस की गोली बारी से 10 व्यक्ति मारे गये। मारे गये 10 व्यक्तियों में से 5 हरिजन थे।

(ग) से (ङ) तक राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम के डा. थंकय्यन का आविष्कार

6090. **श्री ए. नील लोहिथादसन नाडार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम के डा० थंकय्यन के आविष्कारों के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार अपने द्वारा नियुक्त एक आयोग द्वारा डा० थंकय्यन के उक्त आविष्कारों का मूल्यांकन करेगी; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीसी. पी. एन. सिंह) : (क) से (ग) नेशनल रिसर्च एण्ड डिवेल्प मेन्ट कार्पोरेशन आफ इंडिया 1974 से मेडिकल कालिज, त्रिवेन्द्रम के डा. थकय्यन से आविष्कारों के लिए पुरस्कार प्रदान करने और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आवेदन प्राप्त कर रही

है। आविष्कार प्रतिमा को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एन. आर. डी. सी., जो कि एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का अभिकरण है और जिसे इस क्षेत्र में उत्तरदायित्व सौंपा गया है, व्यक्ति आविष्कारकों और वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्रों में ऐसे सराहनीय आविष्कार करने वालों को पुरस्कार प्रदान करती है और वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो कि व्यवहार्य, लाभप्रद, उपयोगी और व्यापारिक दृष्टि से हितकर सिद्ध हो सकते हैं। एन. आर. डी. सी. द्वारा अनुसरण की गई प्रक्रिया के अनुसार इन आविष्कारों को मूल्यांकन के लिए इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को भेजा जाता है जिसके पश्चात इस मामले को पुरस्कार प्रदान और वित्तीय सहायता समिति के समक्ष विचारार्थ और निर्णयार्थ रखा जाता है। 1977 में डा थंकाय्यन को उनके एक आविष्कार के लिए वित्तीय सहायता प्रदानसहायता की गई थी। उन्हें 2,000 रुपये की राशि निर्मुक्त की गई थी क्योंकि काम में पर्याप्त प्रगति नहीं की गई थी इसलिए उन्हें और कोई राशि प्रदान नहीं की गई थी। हाल ही में डा. थंकाय्यन से एक पुस्तिका प्राप्त हुई है जिसमें उनके दस आविष्कारों (इनमें चार आविष्कार वे हैं जिनके बारे में उल्लेख पहले आ चुका था) का उल्लेख किया गया है। इनका भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के परामर्श से परीक्षण किया जा रहा है।

भारतीय सीमेंट निगम के अन्तर्गत नई परियोजना

6091. **श्री अमर सिंह बी. राठवा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम के अन्तर्गत कोई नई सीमेंट परियोजना निर्माणाधीन है,

(ख) यदि हाँ, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा वे कहां स्थित हैं तथा उनकी क्षमता क्या है, और

(ग) उनमें उत्पादन कब से आरम्भ होगा;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग)

स्थापना स्थल	अधिष्ठापित की जाने वाली वार्षिक क्षमता (लाख मी. टन)	उत्पादन शुरू होना
1	2	3
नीमच जिला मंदसौर मध्य प्रदेश	4	जनवरी, 80 से क्लिंकर का उत्पादन शुरू हो गया है तथा जुलाई, 80 से सीमेंट का परीक्षण के तौर पर उत्पादन किया जा रहा है।
अकलतारा जिला बिलासपुर मध्य प्रदेश	4	मई, 80 से क्लिंकर का उत्पादन शुरू है तथा अक्तूबर, 1980 से सीमेंट का उत्पादन शुरू हो जाने की आशा है।

1	2	3
येरंगुन्तला जिला कुडुप्पा आंध्र प्रदेश	4	सितम्बर, 80 से क्लिंकर का उत्पादन तथा दिसम्बर 1980 से सीमेंट का उत्पादन शुरू हो जाने की आशा है
अदिलाबाद आंध्र प्रदेश	4	1982-83 में पूरा होने की की आशा है।
तेन्दूर आंध्र प्रदेश	4 संशोधन करके 10 लाख मी० टन कर दिए जाने का प्रस्ताव है)	परियोजना का स्थापना संबंधी प्रारम्भिक कार्य हाथ में ले लिया गया है।

मनीपुरी विद्रोहियों की गिरफ्तारी

6092. **श्री एस. एम. कृष्ण** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 42 मनीपुरी विद्रोही गिरफ्तार किए गए हैं;

(ख) यदि हां तो क्या भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किये गये हैं, जैसा कि टाइम्स आफ इंडिया दिनांक 6 जुलाई, 1980 में प्रकाशित हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) सूचना मालूम की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सी आई. एम. कर्मचारी संघ को मान्यता

6093. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी. आई. एम. कर्मचारी संघ, कानपुर (डी. जी. आई संगठन के अधीन) ने मान्यता के लिए आवेदन किया है;

(ख) उपरोक्त नाम के संघ की मान्यता देने के आवेदपत्रों को संशोधन हेतु कितनी बार वापस भेजा गया है; और

(ग) क्या उक्त संघ को आवेदन पत्रों में अभी कुछ और संशोधन करने हैं या उसे मान्यता दी जा रही है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सात बार।

(ग) जी नहीं। मान्यता दिये जाने का मामला विचाराधीन है।

पश्चिम बंगाल में भारत इलैक्ट्रानिक्स लि. की यूनिट स्थापित करना

6094. **श्री सुधीर गिरि** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में भारत इलैक्ट्रानिक्स लि. की एक यूनिट स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल में मैसर्स भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड की नई यूनिट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि रक्षा सेवाओं की अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ने अपनी उपस्कर निर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए दो नई यूनिटें स्थापित करने का एक प्रस्ताव रखा है पश्चिम बंगाल सहित कई राज्य सरकारों ने यह अनुरोध किया है कि इन यूनिटों में से एक यूनिट उनके राज्य में स्थापित की जाये। इन यूनिटों की स्थापना किस राज्य में की जाए इस प्रश्न पर उस समय विचार किया जायेगा जब सभी सम्बन्धित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के उक्त प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

✓ **1977-79 में रक्षा उत्पादन पर बुरा प्रभाव**

6095. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1977,1978 और 1979 में हमारे देश में रक्षा उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा था;

(ख) यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन वर्षों में उत्पादन में कितने प्रतिशत कमी हुई;

(घ) उत्पादन में वृद्धि करने के लिए वर्तमान सरकार ने क्या प्रभावी कार्यवाही की है; और

(ङ) क्या इस कार्यवाही के पश्चात कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.पी.एन. सिंह) : (क) जी, नहीं

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से प्रशासन अधिक कारगर बनाने, बिजली की सप्लाई में सुधार लाने और आवश्यक सामान की व्यवस्था करने के उपाय किए गए हैं। इन उपायों के परिणाम कुछ समय बाद ही मालूम हो पाएंगे।

✓ **पटना में बाढ़ नियंत्रण उपायों की परियोजना**

6096. **श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा पटना, बिहार में बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए 27,13 करोड़ रुपये की परियोजना की स्वीकृति की गई है;

(ख) क्या इस योजना से 75 हजार हेक्टेयर भूमि तथा 6 लाख की आबादी को बाढ़ से बचाने में सहायता मिलने की संभावना है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस योजना पर कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाने की आशा है और परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जी, हाँ। योजना आयोग

ने 75,300 हैक्टेयर भूमि और 6 लाख जनसंख्या के संरक्षण में सहायता करने के लिए 27,13 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के लिए जून, 1980 में पटना बाढ़ संरक्षण स्कीम स्वीकृत की है।

(ग) : इस परियोजना पर कार्य फरवरी-मार्च, 1976 में शुरू हुआ था और अब यह उन्नत चरण में है। इस परियोजना के निर्माण कार्यों की मदें संलग्न विवरण में बताई गई हैं।

विवरण

पटना बाढ़ संरक्षण स्कीम के संघटकों की लागत

(लाख रुपये)

क्रम संख्या	संघटक का नाम	अनुमानित लागत
1	2	3
	प्राथमिकता 1	
(1) (क) (ख)	दीघा से मनेर तक गंगा के दक्षिणी किनारे-किनारे जल द्वारों के साथ-साथ तटबंध और चिनाई बांध दीवार का निर्माण	514,30
(2)+(8)	दीघा से पुनपुन तटबंध के अन्तिम छोर तक गंगा के दक्षिणी किनारे पर तटबंध और चिनाई बांध डावेल का निर्माण तथा प्रभावित होने वाले स्थानों पर किनारा संरक्षण	99,48
(3)	सोन के दाहिने किनारे-किनारे मनेर से सैदाबाद तक मिट्टी के तटबंध का निर्माण और सैदाबाद से रानी तालाब तक मनेर वितरिका के बाएं किनारे को ऊंचा करना और मजबूत करना	486,24
(4)	खजूरी वितरिका और पनचोवा नाला होकर पटना नहर से नौबतपुर के ऊपरी प्रवाह पर एक निकास प्रणाल का निर्माण।	50,06
(5)	पटना नहर पर दीघा में लाक गेट को बन्द करना और एक गेट की व्यवस्था करना	93,01
(6)	पटना नहर और मनेर वितरिका के मूल खण्डों का पुन. स्थापन।	
(7)	दानापुर वितरिका को ऊंचा करना और मजबूत करना।	55,00
(8)	पटना शहरी जल निकासी स्कीम (क्षेत्रक 7 से 9)	410,00
	जोड़:	1717,99

1	2	3
	प्राथमिकता 2	
(1) (क)	दीघा से मनेर तक तटबंध के दक्षिणी क्षेत्रों के लिए ग्रामीण जल निकासी स्कीम (क्षेत्रक 2 से 6)	432,42
(1) (ख)	पुनपुन जल्ला क्षेत्र के लिए ग्रामीण जल निकासी स्कीम (क्षेत्रक 1, 12, 14)	250,20
(2)	पुनपुन के बाएं तटबंध को ऊंचा करना और मजबूत करना तथा निकास प्रणाल तक उसके ऊपर के प्रवाह के अग्रांशों में नए तटबंध का निर्माण ।	313,28
	जोड़:	995,90
	कुल जोड़ 1+2	2712,99
	अर्थात्	2713,00

तारापुर परमाणु बिजलीघर को क्षति

6097. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर परमाणु बिजलीघर को हाल में हुई क्षति को ठीक कर दिया गया है;

(ख) क्या की गई मरम्मत अस्थायी है अथवा स्थायी;

(ग) क्या मरम्मत कार्य भारतीय तकनीशियनों द्वारा किया गया था अथवा इसके लिए कोई विदेशी परामर्श सेवा प्राप्त की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) की गई मरम्मत स्थायी है । तथापि, एक और ज्यादा संतोषजनक हल निकालने, अर्थात् रिसर्कुलेशन बाई पास लाइन के कुछ सैक्शनों को बदलने, की योजना है ।

(ग) तथा (घ) : मरम्मत का काम भारतीय तकनीशियनों द्वारा किया गया था और कोई विदेशी परामर्श-सेवा प्राप्त नहीं की गई ।

गोवा, दमण और दीव के लिए छठी योजना के अंतर्गत दी गई सहायता

6098. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा, दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितनी सहायता रखी गई है;

(ख) भू-संरक्षण इस संघ राज्य क्षेत्र के भीतरी जलमार्गों के बाढ़ नियंत्रण, औद्योगिक और घरेलू उपयोग के लिए पानी की सप्लाई और बिजली सप्लाई की व्यवस्था के लिए कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या इस संघ राज्य क्षेत्र का द्रुत गति से विकास करने की बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विशेष वित्तीय आवंटन की व्यवस्था करने पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी : (क) से (घ) 1980-85 की छठी पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास कार्यक्रम का पुनरीक्षण करने के लिए विशेष सैल

6099. **श्री मुकुन्द मंडल :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास कार्यक्रम का पुनरीक्षण करने हेतु योजना आयोग में एक विशेष सैल स्थापित किया गया है;

(क) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सैल ने आरम्भ होने के बाद कोई पुनारीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी : (क) और (ख) योजना आयोग के राज्य योजना प्रभाग का वहु स्तरीय आयोजना एकक राज्य योजनाओं के लिए सलाहकार (रा. यो.) की अध्यक्षता में उत्तर-पूर्वी परिषद् और क्षेत्र के विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकरियों के साथ विचार-विमर्श करके पंच वर्षीय और वार्षिक योजनाए तैयार करता है, जिसके बाद योजना आयोग द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों और उत्तर-पूर्वी परिषद के अध्यक्ष के साथ विचार-विमर्श करके इनको अंतिम रूप दिया जाता है। यह एक सतत संक्रिया है।

इसके अलावा, केन्द्रीय गृह मंत्रालय क्षेत्रीय समस्याओं के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के रूप में केन्द्रीय मंत्रालयों की योजनेतर स्कीमो का समन्वय करता है।

उत्तर-पूर्वी परिषद के प्रस्ताओं पर तेजी से कार्यवाई को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से योजना आयोग के सलाहकार, गृह मंत्रालय के अपर सचिव और मंत्रालयों के संबंधित अधिकारी इस कार्यवाई करने की प्रक्रिया को तेजी से करने के लिये यथावश्यक बैठक कर लेते हैं। ये अधिकारी उत्तर-पूर्वी परिषद की बैठकों में भी सम्मिलित होते हैं जो हर वर्ष कम से कम एक बार नियमित रूप से होती है।

मंत्रियों के स्तर पर सहायता करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय, योजना आयोग और अन्य मंत्रालयों के अधिकारियों की सहायता से माज्य मंत्रियों की एक समिति इस क्षेत्र की समस्यओं और प्रगति की समीक्षा करती है।

(ग) और (घ) : उपर्युक्त की दृष्टि से प्रश्न उपस्थिति नहीं होते।

भारतीय सीमेंट निगम द्वारा विश्व बैंक से मांगी गई सहायता

6100. **श्री रामगोपाल रेड्डी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम ने 1980 की दशाब्दी में महत्वाकांक्षी उत्पादन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये विश्व बैंक से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

उद्योग मन्त्राय में राज्य मंत्री श्री चरणजीत चानना : (क) और (ख) भारतीय सीमेंट निगम ने नीमच (मध्य प्रदेश) और येरगुन्तला (आन्ध्र प्रदेश) अपने सीमेंट के संयंत्रों के विस्तार हेतु अपने प्रस्ताव विश्व बैंक को भेजे हैं। विश्व बैंक के एक दल ने भी भारतीय सीमेंट निगम से बातचीतकी थी ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

बिम्कों में नान रेजीडेंट शेयरधारी

6101. **श्री इरामोहन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिम्को के 39.5 प्रतिशत शेयर एक नान-रेजीडेंट शेयरधारी अर्थात स्वीडिस सैल कम्पनी, स्वीडन के पास हैं;

(ख) क्या लाभांश के रूप में प्रतिवर्ष चालीस लाख रुपये स्वीडिन कम्पनी को जा रहें हैं और

(ग) क्या माचिस उद्योग में मशीनों से काम करने के लिये पर्याप्त कार्यवाही की जा रही है जिससे कि देश की समग्र मांग को पूरा करने के लिये उत्पादन करने हेतु लघु उद्योग क्षेत्र की सहायता की जा सके;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों में स्वीडिश कंपनी द्वारा लाभांश के रूप में भेजी गई धनराशि निम्नलिखित है।

1976-77	37, 54, 777 रु०
1977-78	52, 44, 082 रु०
1978-79	33, 37, 580 रु०

(ग) दियासालाई उद्योग केवल लघु क्षेत्र में ही विकास के लिए आरक्षित है। मंत्रीकृत क्षेत्र में एककों की उत्पादक क्षमता को निर्धारित कर दिया गया है तथा किसी भी विस्तार की अनुमति नहीं दी जा रही है देश में दियालाई के कुल उत्पादन में यंत्रीकृत क्षेत्र के अंश में गिरावट का रुख दिखाई पड़ता है।

खटीक जाति को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किया जाना

6103. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों की सूची में कुछ ऐसी जातियों के नाम भी हैं जिनको कुछ राज्यों में अथवा किसी राज्य के भागों में अनुसूचित जातियाँ माना जाता है जबकि अन्य राज्यों में उनको अनुसूचित जातियाँ नहीं माना जाता;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं;

(ग) क्या खटीक जाति के करीब साढ़े तीन करोड़ लोगों में से करीब डेढ़ करोड़ लोगों को कुछ राज्यों में अथवा कुछ राज्यों के भागों में अनुसूचित जाति के रूप में नहीं माना जाता; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और क्या उनको हर स्थान पर अनुसूचित जातियों में सम्मिलित करने के लिए सरकार द्वारा कार्यवाई की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हाँ, श्रीमान। संविधान के अनुच्छेद 341 के खण्ड (1) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों को किसी विशेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट किया जाता है। कुछ ऐसे समुदाय हैं जिन्हें कुछ राज्यों अथवा कुछ राज्यों के भाग के सम्बन्ध में ही अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है क्योंकि ये समुदाय अस्पृश्यता की परम्परागत प्रथा की पराकाष्ठा, से सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक पिछड़ेपन से पीड़ित हैं।

(ख) भारत एक विशाल देश है जहाँ जो समुदाय किसी विशेष राज्य में अनुसूचित बना दिया गया है, वही समुदाय दूसरे राज्य अथवा उस राज्य के भीतर कतिपय क्षेत्रों में अनुसूचित होने के मान-दण्ड पूरा नहीं करता है।

(ग) और (घ) हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में खटीकों को अनुसूचित जाति विनिर्दिष्ट किया गया है क्योंकि इन राज्यों में इस समुदाय के लोग अस्पृश्यता की परम्परागत प्रथा की पराकाष्ठा, सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक पिछड़ेपन से पीड़ित हैं। अन्य राज्यों में यह समुदाय उपर्युक्त मानदण्ड पूरा नहीं करता। जिन राज्यों में खटीक समुदाय इस समय अनुसूचित नहीं है, उन राज्यों में अनुसूचित जातियों की सूची में इस समुदाय को शामिल करने के मामले पर सरकार द्वारा उचित समय पर लम्बित पड़े ऐसे अन्य प्रश्नों के साथ विचार किया जाएगा।

केन्द्रीय आरक्षी बल/केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल/सीमा सुरक्षा बल द्वारा एसोसियेशनें बनाया जाना

6104. श्री ए. ए. रहीम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय आरक्षी बल/केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल/सीमा सुरक्षा बल द्वारा जैसे केन्द्रीय पुलिस बलों के कर्मचारियों द्वारा कितनी एसोसियेशनें/यूनियनें बनाई गई हैं और क्या सरकार द्वारा उनको मान्यता दे दी गई है;

(ख) कितनी राज्य सरकारों ने अपने पुलिस कर्मचारियों को यूनियनें बनाने की अनुमति दी हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि कुछ राज्यों में कुछ पुलिस संगठनों को बहुत अधिक राजनैतिक रूप दे दिया गया है; और

(घ) इन रिपोर्टों के संदर्भ में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की केवल एक अराजपत्रित लिपिक वर्गीय और अस्पताल कर्मचारी एसोसियेशन है जो मान्यता प्राप्त है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में के. औ. सु. ब. के नियमों के नियम 24 (2) के अधीन 37 एककों को एसोसियेशन बनाने के लिए अनुमति दी गई है। इनमें से केवल एक यूनिट की ऐसोसियेशन को के. औ. सु. बल के नियमों के नियम 25 के अधीन मान्यता दी गई है।

सी. सु. ब. में कोई एसोसियेशन नहीं है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसके उपलब्ध होते ही प्रस्तुत की जाएगी।

'टेल्को' द्वारा आर्डर बुक कराने के लिए धनराशि जमा कराना

6105. **श्री के. पी. सिंह देव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स 'टैल्को' ट्रकों के लिए आर्डर बुक करने हेतु ग्राहकों से धनराशि जमा कर रहे हैं; जबकि वर्तमान दर के अनुसार आज बुक किए गए आर्डरों पर माल सप्लाई करने के लिए 10 वर्ष लगेंगे;

(ख) टेल्को द्वारा ग्राहकों से कितनी धनराशि एकत्र की गई है तथा क्या यह कम्पनी जमा राशि नियमों के विरुद्ध है; और

(ग) बुकिंग चालू रखने का क्या औचित्य है जबकि 10 महीने से पहले माल सप्लाई नहीं किया जा सकता और उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) मे. टाटा इन्जीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कं. लि. (टेल्को) ने बताया है कि अक्तूबर, 1979 से उनके डीलर आर्डर बुक करते समय ग्राहकों से 6,000 रु. प्रति चैसिस अग्रिम राशि प्राप्त करते हैं। गाड़ियों के बड़े बेड़ों के कुछ एक आपरेटरों के मामले में चैसिसों के लिए आर्डर इसी प्रबन्धाधीन सीधे टेल्को द्वारा ही बुक किए जाते हैं। बुक किए गए आर्डरों के लिए डिलीवरी की सामान्य अवधि लगभग 2 से 2-1/2 वर्ष है।

टेल्को ने बताया है कि समूचे देश में उनके डीलरों ने कुल अग्रिम अदायगियों के रूप में लगभग 18 करोड़ रु. प्राप्त किये हैं। सीधे टेल्को ने बड़े बेड़ों के आपरेटरों से लगभग 4,50,000 रु. अग्रिम अदायगियों के रूप में प्राप्त किए हैं। कम्पनी ने बताया है कि यदि आर्डरों का बुक करना स्थगित किया गया तो कदाचार तथा शिकायतें बढ़ेंगी। ऐसा लगता है कि कम्पनी द्वारा एकत्रित अग्रिम राशियां कम्पनी जमा नियमों की नियमित धाराओं के बाहर है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सीमा सुरक्षा बल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्ति

6106. **श्री जैनुल बशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत क्या है; और

(ख) इस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क)

के. रि. पु. बल	सी. सु. बल
12·58%	15·45%

(ख) अनुसूचित जातियों के प्रतिशत में वृद्धि करने के लिए आवश्यक प्रयास करने के लिए उपर्युक्त संगठनों को अनुदेश जारी किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश को अधिक केन्द्रीय सहायता

6107. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और योजना मंत्री ने 4 जुलाई, 1980 के आस-पास लखनऊ में हुई एक बैठक में केन्द्रीय योजना मंत्री से राज्य सरकार को और अधिक केन्द्रीय सहायता देने का आग्रह किया है;

(ख) क्या उन्होंने उस गाडगिल फार्मूले को त्याग देने का भी अनुरोध किया है जिसके अन्तर्गत सहायता दी जाती है और सुझाव दिया है कि उसके बजाय कोई दूसरा विकल्प तैयार किया जाये; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सहायता के समान वितरण के लिए सरकार का उस बारे में क्या निर्णय है ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) जी, हां। राज्य सरकार को यह सलाह दी गई थी कि राष्ट्रीय विकास परिषद 1980-85 की छठी पंच वर्षीय योजना को तैयार करने के एक भाग के रूप में इस प्रश्न पर विचार कर सकेंगी।

आर. एच. ए. बाजार अम्बाला कैंट में अतिरिक्त नलकूप

6109. श्री सूरज भान : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर. एच. ए. बाजार, अम्बाला कैंट में पेय जल की कमी को दूर करने के लिए अतिरिक्त नलकूप लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो वहां पेयजल की कमी दूर करने के लिए अतिरिक्त नल कूप लगाया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) जी हां। अम्बाला छावनी बोर्ड आर. एच. ए. बाजार में एक अतिरिक्त ट्यूब वैल लगाकर पानी की सप्लाई में वृद्धि करने का विचार कर रहा है।

(ख) ट्यूब वैल लगाने की जगह के बारे में आवश्यक सर्वेक्षण किया जा चुका है और इस परियोजना पर अमल करने की कार्यवाई छावनी बोर्ड द्वारा की जानी है।

दिल्ली में लुटेरों द्वारा देशीय पिस्तौलों का उपयोग

6110. श्री नवीन रचाणी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली और इसके आस-पास के इलाकों में लुटेरे और अपराधी व्यक्ति देशीय निर्मित पिस्तौलों और अन्य हथियारों को बेरोक टोक रखते हैं और उपयोग में लाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे हथियारों के अवैध निर्माण का पता लगाने के लिये क्या विशेष कदम उठाये गये हैं और गत छह महीनों में ऐसे कितने हथियारों अथवा निर्माताओं का पता चला है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री योगेन्द्र मकवाना : (क) डकैतियों और लूटमार के कुछ मामलों में देशीय आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग हुआ है।

(ख) पिछले छः महीनों के दौरान दिल्ली पुलिस को 12 गन कारतूस बनाने वाली एक छोटी फैक्टरी के अतिरिक्त अवैध आग्नेय अस्त्र बनाने वाले किसी कारखाने का पता नहीं लगा है।

अवैध हथियार/गोला बारूद का पता लगाने का अभियान शुरू करने के लिए सभी राज्य

सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुदेश दिये गए हैं। दिल्ली में प्रवेश स्थलों जैसे रेलवे स्टेशन, बस अड्डा आदि पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और अवैध रूप से हथियार बनाने तथा उनको रखने के बारे में पता लगाने के लिए सूत्र अपनाए जाते हैं।

औद्योगिक यूनिटों द्वारा अपने प्रधान कार्यालयों को पश्चिम बंगाल से अन्यत्र ले जाना

6111. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औद्योगिक यूनिटों के नाम पते और विवरण क्या है जो 1977-78 और 1979-80 के बीच अपने प्रधान कार्यालयों को पश्चिम बंगाल राज्य से अन्य राज्यों में ले गये हैं; और

(ख) प्रत्येक मामले में स्थानान्तरण के कारण क्या है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) :—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951, के अधीन प्रधान कार्यालयों के स्थानान्तरण के लिए स्वीकृत की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी, 1977-78 से 1979-80 तक की अवधि के दौरान जिन औद्योगिक उपक्रमों के आवेदन पत्रों को स्थानान्तरण हेतु स्वीकृति दी गई थी उनके नाम व पतों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

जिन औद्योगिक उपक्रमों के आवेदन पत्रों को पश्चिम बंगाल से अन्य राज्यों में उद्योग ले जाने के लिए स्थानान्तरण हेतु वर्ष 1977-78 से 1979-80 के दौरान अनुमति दी गई है उनके नाम और पतों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

क्र.सं.	पार्टी का नाम और पता	विनिर्माण की वस्तु	स्थानान्तरण से——को	स्थानान्तरण के कारण
1.	2.	3.	4.	5.
I.	मैसर्स ऊषा टेलीहोस्ट लि. 14, प्रिंसेप स्ट्रीट, कलकत्ता 700072.	ट्रक-माउंटेड लयर्स लोड	चांद नगर साहिबाबाद जिला— बजवज जिला— गाजियाबाद पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश।	चूंकि परियोजना पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित नहीं की गई थी तथा फर्म योजना को उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित करने की अच्छी स्थिति में थी जहां उन्होंने पहले ही एक भूमि खंड खरीद लिया था तथा लोड लगर्स का उत्पादन करने में सम्बद्ध वस्तुओं के निर्माण हेतु वहां काफी सुविधाएं थी अतः स्थान परिवर्तन की स्वीकृति दे दी गई थी विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि कलकत्ता नई स्थापना स्थल संबंधी नीति के अन्तर्गत आता है।

1	2	3	4	5
2.	मैसर्स मार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि., 43/46, मार्डन रीच, कलकत्ता-700024	रोड रौलर्स	कलकत्ता पश्चिम बंगाल	नागपुर महाराष्ट्र	वास्तव में यह स्थान परिवर्तन कामामता नहीं था क्योंकि पार्टी पहले से ही नागपुर और कलकत्ता में रोड रौलरों का निर्माण कर रही थी जिनके स्थापना स्थलों की जानकारी औद्योगिक लाइसेंस संबंधी आवेदन पत्रों में भी दे दी गई थी लेकिन औद्योगिक लाइसेंस केवल कलकत्ता में स्थापना स्थल के लिए ही जारी किया गया था। इस प्रकार समग्र लाइसेंस प्राप्त क्षमता के भीतर नागपुर में रोड रौलरों का उत्पादन करने के लिए इस मामले को स्वीकृत किया गया था।

कैंटीन मजदूर सभा के सदस्यों द्वारा हड़ताल

6113. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : गृह क्या मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंटीन मजदूर सभा के सदस्य 10 जुलाई, 1980 से हड़ताल पर हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनकी शिकायतें दूर करने के लिए सरकार से क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बैया) : (क) जी हां, 18 जुलाई, 1980 से न कि 10 जुलाई, 1980 से। उक्त हड़ताल अब 21 जुलाई, 1980 को समाप्त की गई है।

(ख) कैंटीन कर्मचारियों ने अपनी सेवा शर्तों में सुधार लाने के सम्बन्ध में कुछ मांगें रखी हैं जिनमें उन्हें सभी प्रकार से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के समान समझे जाने की मांग भी शामिल है।

(ग) कैंटीन कर्मचारियों को 1-10-1979 से संघ के कार्यों के सम्बन्ध में सिविल पदों के धारक के रूप में घोषित किया गया है। उनकी सेवा शर्तों को शामिल करने वाले सांविधिक नियमों को संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाया जा रहा है। उनकी अन्य मांगें भी विचाराधीन हैं।

6114. **'ऐन बागजे हाउसिंग प्रोजेक्ट के निर्माण में हानियां**

श्री आनन्द सिंह : क्या उद्योग मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्जीनियरिंग प्रोजेक्टस (इन्डिया) लिमिटेड द्वारा कुवैत में बनाई जा रही 'ऐन बागजे हाउसिंग परियोजना' के परिमाणस्वरूप भारत सरकार को भारी आर्थिक हानि होगी और उसकी प्रतिष्ठा गिरेगी;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह हानि मुख्यता निगम अधिकारियों की लापरवाही तथा अन्य कदाचारों के कारण है; और

(ग) यदि हाँ, तो हानियाँ कम करने तथा इसमें ई. पी. आई. के जिन अधिकारियों का हाथ है उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) यद्यपि परियोजना में वित्तीय हानि होना आवश्यम्भावी लगता है फिर भी मै. इन्जीनियरिंग प्रोजैक्टस (इन्डिया) लि. (ई. पी. आई.) द्वारा उठाई जाने वाली हानि की इस समय सही भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है। यह सच नहीं है कि इस परियोजना के कारण ई. पी. आई की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है। वास्तव में, ऐन बागजी आवासीय परियोजना प्राप्त होने के पश्चात ई. पी. आई. ने इराक आबू धाबी, सऊदी अरब तथा कुवैत में भी लगभग 345.50 करोड़ रुपये के कुल मूल्य की विदेशों में कई अन्य परियोजनाएं भी प्राप्त की हैं।

(ख) जी, नहीं

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्लास्टिक की तलछट से ईंधन विकसित करने के लिए जापानियों द्वारा प्रयोग

6115. **श्री निहालसिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी वैज्ञानिकों ने बेकार प्लास्टिक की तलछट से ईंधन विकसित करना आरम्भ किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन्हें इस कार्य में कहाँ तक सफलता मिली है और क्या भारत सरकार का भी विचार इस क्षेत्र में कोई अनुसंधान करने का है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. सी. एन. सिंह) : (क) और (ख) ईंधन के उत्पादन के लिए अपशिष्ट सामग्रियों के उपयोगीकरण की ओर भारत सहित कई देशों में ध्यान दिया जा रहा है। इस क्षेत्र में मुख्य तकनीकी विकासों को सम्बन्धित सरकारी विभागों और अभिकरणों और जहाँ अनुसंधान अध्ययन आदि के उपयुक्त कार्यक्रमों को हाथ में लिया जाता है ऐसी संस्थाओं द्वारा ध्यान में रखा जाता है। अपशिष्ट रद्दी प्लास्टिक से ईंधन तैयार किए जाने के बारे में जापानी वैज्ञानिकों द्वारा की गई किसी उल्लेखनीय प्रगति के बारे में हमें कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है।

भूमि का दूसरों को अन्तरण करने पर रोक लगाना तथा भूमि को लौटाया जाना

6116. **श्री गिरिधर गोमांगो** :

श्री एन. के. राय : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनजाति लोगों से दूसरों को भूमि के अन्तरण के लिए उत्तरदायी कारण कौन से हैं जिनका उनके मंत्रालय को पता लगा है;

(ख) क्या राज्यों की भूमि दूसरों को अंतरित किये जाने पर रोक लगाने तथा भूमि को लौटाये जाने सम्बन्धी कानूनों को कारगार ढग से क्रियान्वित करने के लिए कहा गया है;

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में राज्यों को क्या मार्गदर्शी निदेश जारी किये गये हैं;

(घ) अब तक जारी किये गए मार्गदर्शी निदेशों के सम्बन्ध में राज्यों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) राज्यवार किन अधिनियमों को क्रियान्वित किया गया है और अब तक की क्या उपलब्धि है; और

(च) राज्यों द्वारा उक्त कानूनों और विनियमों को क्रियान्वित करने में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) परम्परा से जनजातियां अर्थाभाव के प्रभाव के अधीन एकान्तिक क्षेत्रों में रह रहे हैं। क्षेत्रों के खुलने रिजर्व वनों के सृजन, खनिज पदार्थों की खोज तथा उपभोग और उद्योगों की स्थापना से अर्थव्यवस्था में बहुत जल्दी सुधार हो गया। इससे जनजाति भूमि का अन्तरण हुआ।

(ख) जी, हाँ श्रीमान।

(ग) राज्य सरकारों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण मार्गदर्शी निदेश दिये गए हैं :

(1) जनजातियों की भूमियों के अन्तरण को नियमित करने वाले विद्यमान कानूनों का तुरन्त पुनरीक्षण किया जाय और उन्हें कारगर बनाने के लिये सभी कमियों को पूरा किया जाय।

(2) प्रत्येक राज्य में भूमि के अन्तरण को बड़ी घटनाओं के क्षेत्रों की सूची बनाई जाये। बड़ी घटनाओं के इन क्षेत्रों में आन्तरित भूमि का पता तथा इसकी वापसी अभियान के आधार पर की जाये।

(3) जिन क्षेत्रों में भूमि वापस कराने का कार्य काफी मात्रा में है और सामान्य राजस्व तंत्र द्वारा पर्याप्त रूप से निपटाया नहीं जा सकता है, वहां सीमित अवधि के लिए विशेष तन्त्र का सृजन किया जाय।

(घ) राज्यों ने भूमि अन्तरण को रोकने और अन्तरित भूमि को वापस दिलाने के लिए कानून बनाये हैं। कमियों को पूरा करने के लिए आगे संशोधन किया गया है या किया जा रहा है। कुछ राज्यों के विशेष अधिकारी तैनात किये हैं।

(ङ) कार्यान्वित अधिनियमों की राज्यवार सूचना विवरण "क" में दी गई है [ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल. टी 1189/80] 5 राज्यों के विषय में उपलब्धियों की सूचना विवरण "ख" में दी गई है। [ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल. टी. 1189/80] अन्य राज्यों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

जनजाति लोगों की भूमि को दूसरों को अन्तरित करने पर रोक लगाने से कानून बनाया जाना

6117. **श्री गिरिधर गोमांगो :**

श्री ए. के. राय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन राज्यों के पास पाँचवी अनुसूची में दर्ज क्षेत्र हैं उन्होंने जनजाति लोगों की भूमि को दूसरों को अन्तरित किये जाने पर रोक लगाने हेतु अधिनियम और विनियम बनाये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक राज्यवार बनाये गये अधिनियम और विनियम क्या हैं और ऐसे अधिनियमों तथा विनियमों को बनाये जाने का वर्ष कौन सा है तथा उनमें मुख्य उपबन्ध क्या हैं;

(ग) दूसरों को भूमि अन्तरित किये जाने सम्बन्धी पता लगाये गये मामले कितने हैं और

कितने मामले दर्ज किये गए हैं और कितने मामलों का निपटान किया गया है और राज्यवार जनजाति लोगों को लौटायी गयी भूमि कितनी है;

(घ) अब तक राज्यवार निपटाये गये मामलों में से कितने मामले जनजाति लोगों के खिलाफ गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पांचवी अनुसूची में दर्ज क्षेत्रों वाले सभी आठ राज्यों ने जनजाति के लोगों की भूमि को दूसरों को अंतरित करने पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है।

(ख) सूचना विवरण "क" में दी गई है।

(ग) और (घ) पाँच राज्यों के बारे में सूचना विवरण "ख" में दी गई है। अन्य तीन राज्यों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

विवरण "क"

राज्य	अधिनियम/विनियम	मुख्य उपबंध
1. आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश (अनुसूचित क्षेत्र) भूमि अन्यरण (संशोधन) विनियम, 1970	गैर-जनजातियों को भूमि के अन्तरण पर रोक लगाता है चाहे मालिक जनजाति का है या गैर जनजाति का यदि जनजाति का क्रेता उपलब्ध नहीं है, तो सरकार को भूमि को अधिग्रहण करने का प्राधिकृत करता है।
2. बिहार	छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 संथाल परगना काश्तकारी (पूरक उपबंध) अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969	जनजातियों की भूमि के अंतरण को निषिद्ध करता है और अंतरित भूमि वापस दिलाने की व्यवस्था है।
छोटा नागपुर और संथाल परगना के बाहर	बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885	
3. गुजरात	बम्बई भूराजस्व संहिता 1979	तदैव
4. हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश भूमिअंतरण (विनियम) अधिनियम, 1968	तदैव
5. मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश भूराजस्वसंहिता, 1959	तदैव

राज्य	अधिनियम/विनियम	मुख्य उपबंध
6. महाराष्ट्र	महाराष्ट्र भूराजस्व संहिता तथा काश्तकारी कानून (संशोधन) अधिनियम 1974 महाराष्ट्र अनुसूचित जन-जाति को भूमि की वापसी अधिनियम, 1974	जनजातियों की भूमि के अन्तरण को निषिद्ध करता है और अन्तरित भूमि वापस दिलाने की व्यवस्था है।
7. उड़ीसा (अनुसूचित क्षेत्रों के भीतर)	उड़ीसा अनुसूचित क्षेत्र अचल सम्पत्ति अन्तरण (अनुसूचित जनजाति) विनिमय, 1956	तदैव
(अनुसूचित क्षेत्रों के बाहर)	उड़ीसा भूमि सुधार अधि-नियम, 1960	तदैव
8. राजस्थान	राजस्थान काश्तकारी अधि-नियम, 1955, पंजीकरण (राजस्थान संशोधन) अधि नियम, 1976	तदैव

विवरण "ख"

क्रम सं.	राज्य	पंजीकृत मामलों की संख्या	निपटाये गये मामले 5		अनुसूचित जातियों के विरुद्ध	जिन मामलों में भूमि वापस दिलाई गई उनकी संख्या
			निपटाए गए कुल मामले	अनुसूचित जातियों के पक्ष में		
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश (अप्रैल, 1980)	49630	46090	—	—	22378
2.	बिहार (अप्रैल, 1979 तक)	43335	40416	24443	15973	—
3.	गुजरात (अप्रैल, 1980 तक)	17171	8898	8648	250	795
4.	महाराष्ट्र (अप्रैल, 1980 तक)	47332	43643	17731	25912	13713
5.	उड़ीसा (अप्रैल, 1980 तक)	49630	46090	22378	—	22378

टिप्पणी । सारणी में खाली स्थानों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है ।

अनुसूचित जनजातियों पर हुए अत्याचार

6118. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977, 1978, 1979 और 1980 में अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर अत्याचार के कितने मामले हुए हैं जैसा कि राज्यों द्वारा राज्यवार, सूचित किये गये हैं;

(ख) जनजातियों पर अत्याचार से संबन्धित मुख्य कारण क्या हैं; जो राज्यों और उनके मन्त्रालय द्वारा पता लगाये गये हैं;

(ग) जनजातियों पर अत्याचारों को रोकने के लिए उनके मन्त्रालय और सम्बन्धित राज्यों द्वारा क्या उपाय किये गये हैं; और

(च) जनजातियों को विभिन्न प्रकार के शोषणों से रक्षा करने के लिए राज्यों द्वारा किए गए सामाजिक आर्थिक कानूनी, और अन्य उपाय क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) अनुसूचित जनजातियों पर किये गये अत्याचारों के बारे में राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना इस प्रकार है : —

वर्ष	अत्याचारों के मामलों की संख्या
1978	2,452
1979	2,107
1980 (मई तक)	407

राज्यवार स्थिति विवरण में दी गई है।

(ख) भूमि सम्बन्धी विवाद, धन उधार देना और ऋणग्रस्तता, महिलाओं का शोषण छ ऐसे तत्व हैं जिनके परिणाम स्वरूप लड़ाई झगड़ा और अत्याचार के मामले होते हैं।

(ग) सरकार ने अत्याचार के मामलों की तत्काल जांच करने और जब कभी आवश्यक हो विशेष न्यायलयों की स्थापना करके उन्हें शीघ्रता से निपटाने के लिए निर्देश जारी किए हैं।

(घ) राज्य सरकार कानूनी, सामाजिक और आर्थिक उपायों के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के हित में सुरक्षात्मक उपाय कर रही हैं इसमें जनजाति क्षेत्रों में शराब के व्यापार को बन्द करना, भूमि हस्तान्तरण को रोकना, हस्तांतरित भूमि को वापस करना और धन को ब्याज पर देने को नियमित करना, और ऋण एवं विपणन संरचना सहकारिता स्थापित करना।

विवरण

राज्य और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन का नाम	1978	1979	(मई तक) 1980
आंध्र प्रदेश	14	17	3
बिहार	182	200	27
गुजरात	254	75	29
हरियाणा	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	—	—	—
कर्नाटक	37	64	1

राज्य और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन नाम	1978	1979	(मई तक) 1980
केरल	44	27	11
मध्य प्रदेश	1221	1373	290
महाराष्ट्र	325	115	44
मणिपुर	17	—	—
उड़ीसा	36	16	6
पंजाब	—	—	—
राजस्थान	292	205	75
तमिलनाडु	—	—	—
उत्तर प्रदेश	1	—	—
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	4	1	—
दादरा और नागर हवेली	17	2	—
अरुणाचल प्रदेश	6	11	1
गोवा, दमन तथा दीव	1	1	—
पांडिचेरी	1	—	—
	2452	2107	487

(अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्र के विषय में सूचना शून्य है।)

कर्नाटक में विदेशी सहायता से कार्य कर रहे उद्योग

6119. **श्री एस. बी. सिदनाल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्नाटक राज्य में विदेशी तकनीकी तथा वित्तीय सहायता से कार्य कर रहे उद्योगों के नाम क्या-क्या हैं तथा उनमें किस प्रकार का उत्पादन होता है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री चारणजीत चानना : सरकारों द्वारा स्वीकृति विदेशी सहयोग के प्रस्तावों का ब्योरा देने वाली सूचियां हर तिमाही जारी की जाती हैं। इन सूचियों में अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय कम्पनी का नाम विदेशी सहयोग का नाम, बनाई जाने वाली वस्तु तथा क्या विदेशी सहयोग के प्रस्ताव में विदेशी पूंजी भागीदारी अंतर्ग्रस्त है इसका उल्लेख होता है 31 मार्च, 1980 तक की ये सूचियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

विदेशी सहयोग की स्वीकृति की तारीखों और परियोजना के फलीभूत होने के बीच सदैव समय का एक अन्तराल होता है। औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में कर्नाटक में विदेशी सहयोग से वास्तव में कार्य कर रहे उद्योगों का ब्योरा उपलब्ध नहीं है।

आई. पी. एस. से प्रतिनियुक्ति पर डी. आई. जी. के पदों पर भर्ती

6120. **श्री नारायायण चन्द पराशर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि सीमा सुरक्षा बल में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के 75 प्रतिशत पदों के लिये भर्ती आई. पी. एस. से प्रतिनियुक्ति पर की जाएगी; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री योगेन्द्र मकवाना : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) उप महा-निरीक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिये सीमा सुरक्षा बल के अपेक्षित अनुभव और वरिष्ठता वाले अधिकारियों का उपलब्ध न होना ।

रक्षा कर्मचारियों के लिये जम्मू तथा काश्मीर में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर रोक

6121. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा कर्मचारियों के संबंध में ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत ट्रेड यूनियनों को बनाने तथा उनका पंजीकरण कराने जैसी व्यवसाय संघ गतिविधियों पर जम्मू तथा काश्मीर राज्य में रोक लगा दी गयी है; और

(ख) यदि हाँ, तो यूनियनों पर रोक लगाने के क्या कारण हैं और कर्मचारियों के लिए अपनी शिकायतों को आगे रखने के संबंध में क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जी. सी. एन. सिंह : (क) जी हां ।

(ख) थलसेना अधिनियम और वायुसेना अधिनियम के अन्तर्गत जारी किए गये 5 सितम्बर 1977 के एस. आर. ओ. 17-ई तथा 17 मार्च 1978 के एस. आर. ओ. 5-ई के अनुसार जम्मू व काशमीर क्षेत्र में स्थित रक्षा प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों के साथ सक्रिय सेवा पर माना गया है । इसलिए उनके ट्रेड यूनियन गतिविधियों में भाग लेने की पाबन्दी है । यह रक्षा दृष्टिकोण से उस क्षेत्र की सवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए किया गया है । फिर भी, सिविलियन कर्मचारियों के लिए कल्याण समितियां स्थापित की गई हैं जिनकी मार्फत वे अपने कमांडिंग अफसर/स्थापना के प्रमुख के समाने अपनी कठिनाइयों को रख सकते हैं और उन्हें दूर कर सकते हैं ।

आदिवासी अनुसंधान संस्थान

6122. **श्री भोखा भाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आदिवासी अनुसंधान संस्थान कितने हैं;

(ख) ये सस्थान किन-किन स्थानों पर चल रहे हैं और इनके कृत्व क्या हैं;

(ग) इनमें से प्रत्येक संस्थान में कितने-कितने आदिवासी अधिकारी कार्यरत हेर हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार इन सस्थानों के कार्यकारण से संतुष्ट है ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्या उनमें कोई परिवर्तन करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री श्री योगेन्द्र मकवाना : (क) 11 (ग्यारह) ।

(ख) हैदराबाद, गोहाटी, रांची, अहमदाबाद कोझीकोड, भोपाल पुपे, भुवनेश्वर, उदयपुर कलकत्ता और लखनऊ/जनजाति अनुसंधान संस्थानों का कार्य इस प्रकार है :— (1) जनजाति क्षेत्रों के संभाव्य संसाधनों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न जनजातियों की आर्थिक व्यवस्था, उनकी कला और संस्कृति आदि के विषय में अनुसंधान और सर्वेक्षण करना (2) राज्य सरकार को जनजाति विकास के लिए नियोजन और कार्यक्रमों के मूल्यांकन और कार्मिकों के प्रशिक्षण में राज्य सरकारों की मदद करना ।

(ग) क्योंकि इन संस्थानों में कार्य कर रहे अधिकारी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं,

अतः भारत सरकार ने इन संस्थानों में कार्य कर रहे जनजाति और गैर जनजाति अधिकारियों के विषय में सूचना एकत्र नहीं की ।

(घ) और (ङ) संस्थानों के कार्य का समय पर पुनरीक्षण किया जाता है और सुधार के लिए उपाय किये जाते हैं ।

जेनेरेटिन सेटों का उत्पादन, मांग और आयात

6123. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जेनेरेटिंग सेटों का उत्पादन आन्तारिक मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त है तथा उनका कितना उत्पादन हो रहा है और उसकी मांग कितनी हैं;

(ख) यदि इसकी कमी है तो क्या सरकार अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई आवश्यता को पूरा करने के लिये जेनेरेटिंग सेटों का आयात करने की आवश्यकता पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या देश में बने जेनेरेटिंग सैट उतने ही प्रभावकारी हैं जितने आयातित सेट यदि नहीं तो उनको सार्यकुशलता बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) 1978-83 की पंचवर्षीय अवधि में विद्युत जनत्रिण क्षमता की मांग (अनुमानि वृद्धि) लगभग 18, 500 मे. वा. होने का अनुमान है । उपकरणों की वर्तमान निर्माण क्षमता लगभग 4, 700 मे. वा. प्रतिवर्ष है और 1982-83 में समाप्त होने वाली पचवर्षीय अवधि की अनुमानित मांग पुरी करने के लिये पर्याप्त समझी जाती है ।

(ख) कुल मिलाकर विद्युत जनित्रण उपकरणों की मांग देशी स्त्रोतों से पूरी की जाती है किन्तु प्रत्येक मामले के आधार पर मामूली सा आयात करने की अनुमति भी दी जाती है ।

(ग) स्वदेशी जनित्रण सैट जो अन्तरराष्ट्रीय विशिष्टियों पर आधारित हैं, आयातित सैटों की तरह प्रभावकारी हैं । प्रौद्योगिकी को इस क्षेत्र में हो रहे नवीनतम विकास के बराबर लाने के लिए अद्यतन किया जा रहा है ।

अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के चहुमुखी विकास के लिए योजनाएं

6124. **श्री भीखा भाई** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग का ध्यान अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के चहुमुखी विकास सम्बन्धी योजनाओं की ओर नहीं दिलाया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन क्षेत्रों के जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिले नहीं माना गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार अब इन क्षेत्रों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र मानने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) यह कहना सही नहीं है कि योजना आयोग का ध्यान अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास की स्कीमों की ओर आकृष्ट नहीं किया गया है । ऐसे सभी जनजातीय क्षेत्र जनजातिय उप योजनाओं में शामिल किए गए हैं जहां खंड/तालुका स्तर पर अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 50 प्रतिशत और अधिक है । अठारह (18)

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र जनजातीय उप योजनाएं बना चुके हैं। ये उप योजनाएं सर्वांगीण विकास के लिए हरेक जनजातीय खंड/तालुका की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है। यह मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, दादरा और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप की योजनाओं के अलावा है जहां जनजातीय जनसंख्या की बहुलता है।

(ख) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के निर्धारण के लिए अपनाए गए मापदण्डों में 'जन जातीय क्षेत्र' मापदंड नहीं है। तथापि, इस प्रकार चुने गए जिलों में जनजातीय बहुलता वाले लगभग दो-तिहाई क्षेत्र आ जाते हैं।

(ग) और (घ) पिछड़े क्षेत्रों के सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार करने के लिए और उनके विकास के लिए प्रभावी कार्यनीति सुझाने के लिए योजना आयोग द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय समिति स्थापित की गई है। इस समिति की सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच किए जाने के बाद अन्तिम निर्णय किया जाएगा।

गीता चोपड़ा तथा संजय चोपड़ा की हत्या का मामला

6125. **आचार्य भगवान देव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष दिल्ली में की गई गीता चोपड़ा तथा संजय चोपड़ा की हत्या सम्बन्धी मामले की अपराधियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या हत्या के ऐसे जघन्य अपराध को देखते हुए सरकार ने दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जसबीरसिंह उर्फ बिल्ला और कुलजीत सिंह उर्फ रंगा को फांसी की सजा दिए जाने की पुष्टि कर दी है। रंगा द्वारा उच्चतम न्यायालय में की गई अपील अभी तक अनिर्णीत है।

(ख) से (घ) दिल्ली में कानून और व्यवस्था को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. हत्या करने में चाकू/छुरियों के बार-बार प्रयोग को ध्यान में रखते हुए शस्त्र अधिनियम की धारा 4 के अधीन अधिसूचना का संशोधन कर दिया गया है ताकि स्प्रिंग वाले और गरारीदार चाकुओं के अतिरिक्त लगभग तीन इन्च लम्बे और आधी इंच चौड़े तेज धार वाले चाकुओं का प्राप्त करना, रखना और लेकर चलना रोका जा सके और ऐसे अनधिकृत चाकुओं और छुरियों को लेकर चलने का पता लगाने के लिए कार्यवाई तेज कर दी गई है।

2. जहां हिंसा होने की काफी आशंका हो, वहां ध्यान में आने वाले गंभीर झगड़ों के सभी मामलों में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अधीन सुरक्षा कार्यवाईयां शुरू की जाती हैं।

3. हत्या के महत्वपूर्ण मामलों की जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा में एक मानव हत्या दस्ते का गठन किया गया है।

4. बाकी-टाकीसैटो सहित सशस्त्र/निशस्त्र और वायरलैस युक्त मोटर साईकिल की गश्त

सहित गहन पैदल और चलती फिरती गश्त लगाई जाती है। रात्रि गश्त के लिए जिलों को डी. ए. पी/सी आर पी. एफ. की 10 अतिरिक्त बटालियनें उपलब्ध कराई गई हैं। गश्त की निगरानी स्वयं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाती है।

5. निवारक उपायों के रूप में सामरिक महत्व के स्थानों पर सशस्त्र टुकड़ियों की तैनाती।

6. रात्रि और प्रातः तड़के की गश्त के लिए लगभग 2000 होम-गार्डों को स्थानीय पुलिस के साथ लगाना। पार्कों और आरक्षित रिहायशी कालोनियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

7. दंड प्रक्रिया संहिता की सामान्य निवारक धाराओं के अन्तर्गत बदमाशों और अपराधियों के विरुद्ध व्यापक कार्यवाई।

8. अपराध करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले वाहनों का पता लगाने के लिए अकस्मात जांच करना।

9. ठिकरी पहरा और स्थानीय लोगों और निजी चौकीदारों द्वारा पुलिस और टुकड़ियों के समन्वय से गश्त का आयोजन।

बिहार में यूरेनियम निक्षेपों का विदोहन

6126. **श्री राम विलास पासवान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में यूरेनियम निक्षेपों का विदोहन करने में कितनी जनशक्ति लगी हुई है; और

(ख) क्या इस यूरेनियम का परिष्करण करके इसे परमाणु विद्युत केन्द्रों में प्रयोग में लाने के लिए कोई प्रबन्ध किए गए हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) बिहार के जादूगोडा नामक स्थान पर स्थित यूरेनियम के भंडारों से यूरेनियम निकालने के काम पर यूरेनियम कारपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड ने। जुलाई, 1980 को 2605 व्यक्ति नियुक्त किए हुए थे।

(ख) जी, हां।

कच्छ के रन में नमक की हानि

6127. **श्री दिग्विजयसिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्छ के रन के क्षेत्र में समय पूर्व पानी भर जाने के कारण वहां नमक की अनुमानतः कितनी हानि हुई है;

(ख) नमक को समय पर सूखे स्थान पर ले जाने में विलम्ब के क्या करण हैं; और

(ग) इस समस्या का क्या स्थायी समाधान सोचा गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) लगभग 5000 मी. टन।

(ख) सूखे स्थान को नमक अनुसूचित कार्यक्रम के अनुसार ही भेजा गया था तथा नमक की हानि उस क्षेत्र में अचानक और समय से पूर्व बाढ़ आ जाने के कारण हुई थी।

(ग) यद्यपि कुडा के पास कच्छ की खाडी में प्रति वर्ष बाढ़ नहीं आती है तो भी आवश्यक जांच पूरी हो जाने के बाद ही उपयुक्त सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

सचिवों का कानून और व्यवस्था के बारे में सम्मेलन

6128. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिगड़ती कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार करने के लिये जुलाई, 1980 के तीसरे सप्ताह में राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों के गृह तथा विधि सचिवों का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें किन-किन विषयों पर चर्चा हुई; और

(ग) उसमें क्या निर्णय किये गये ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) बलात्कार और सम्बद्ध अपराधों से सम्बन्धित कानून पर विधि आयोग द्वारा अपनी 84वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर राज्य सरकारों के विचार जानने के लिए 15 जुलाई, 1980 को राज्य सरकारों के गृह और विधि सचिवों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस अवसर पर सम्मेलन के अंत में हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के उपायों के प्रश्न पर भी संक्षिप्त विचार विमर्श किया गया।

(ग) कोई भी निर्णय नहीं लिया गया क्योंकि सम्मेलन प्राथमिक रूप से, विधि आयोग की रिपोर्ट पर राज्यों के प्रतिनिधियों की प्रतिक्रियाएं जानने के लिए बुलाया गया था। विधि आयोग की सिफारिशों पर विचार करते समय सम्मेलन में व्यक्त किये गये विचारों को ध्यान में रखा जा रहा है।

एस. एल. वी.-3 छोड़ने के लिए विदेशी सहायता

6129. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एस. एल. वी.-3 राकेट छोड़ने के लिए कितनी तथा किस प्रकार की विदेशी सहायता ली गई ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : उपग्रह प्रक्षेपण राकेट (एस. एल. वी.-3) को कक्षा में छोड़ने के लिये किसी प्रकार की विदेशी सहायता नहीं ली गई।

भारी जल सयन्त्र तालचेर

6130. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमोनिया संयंत्र से सम्बद्ध उड़ीसा में तालचेर स्थित भारी जल संयंत्र के दिसम्बर, 1979 में यांत्रिक रूप से पूर्ण हो जाने की आशा थी जिसमें अब विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) संयंत्र की यांत्रिक जांच कब तक पूरी हो जाएगी;

(घ) संयंत्र में कब तक उत्पादन शुरू हो जाएगा;

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हाँ।

(ख) उड़ीसा सरकार ने भारतीय उर्वरक निगम के तलचर स्थित संयंत्र को, जिससे भारी पानी संयंत्र जुड़ा हुआ है, दी जाने वाली बिजली में कटौती कर दी है। इसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय उर्वरक निगम सिंथेसिस गैस और भाप नहीं दे पाया है और इन दोनों चीजों के मिले बिना परीक्षण का काम नहीं किया जा सका है।

(ग) से (ङ) ऐसे कार्यकलाप को छोड़कर, जो सिंथेसिस गैस और भाप की उपलब्धता पर निर्भर है, संयंत्र के पक्ष को पूरा करने के लिए अनिवार्य अन्य सभी कार्यकलाप किये गये हैं। भारतीय उर्वरक निगम से अपेक्षित दाब पर गैस और भाप मिलने के बाद, यांत्रिक परीक्षण में 4-5 महीने लगेंगे। इन कामों के बाद, भारी पानी के उत्पादन के लिए संयंत्र को चालू करने का काम आरम्भ किया जाएगा।

अयोध्या उत्तर प्रदेश में रामायण की पाण्डुलिपि की चोरी

6131. **आचार्य भगवान देव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा 30 मार्च 1979 को नृत्याराघवकुंग, वासुदेवघाट, अयोध्या (उत्तर प्रदेश) से गोस्वामी संत तुलसीदास द्वारा लिखित रामायण की 40 वर्ष पुरानी पान्डुलिपि चुराली गई है,

(ख) यदि हाँ, तो इस अमूल्यवान तथा एक मात्र पाण्डुलिपि को, जिसमें कि विदेशी लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है, ढूंढ निकालने के लिए कदम उठाये गये है,

(ग) क्या सरकार ने अपराधियों का पता लगा लिया है, और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का पाण्डुलिपि को वापस प्राप्त करने के लिए किन्हीं केन्द्रीय सतर्कता एजेंसियों से मदद लेने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त एक रिपोर्ट के अनुसार संत तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरित मानस (बालकाण्ड) की मूल पान्डुलिपि नृत्याराघव कुंज मन्दिर, अयोध्या से 30.3.1979 को चुराई गई थी। पुलिस ने प्रारम्भिक रूप से भा.दं.सं. की धारा 147. 148 323, 452 और 380 के अधीन एक मामला दर्ज किया था किन्तु बाद में इसको भा. दं.स. की धारा 395/397 में बदल दिया। प्रथम सूचना, सूचना रिपोर्ट में जिन अभियुक्तों के नाम थे उनको गिरफ्तार किया गया और अभियुक्त जानकी प्रसाद ने स्वीकार किया कि मूल पान्डुलिपि उसके पास सुरक्षित है और एक मुकदमे के सम्बन्ध में, जो उस न्यायालय में चल रहा है, वह उसको मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश करेगा। मामले को राज्य के खुफिया विभाग को सौंप दिया गया है जो अभियुक्त जानकी प्रसाद से पान्डुलिपि को बरामद करने का प्रयत्न कर रहा है।

हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम में संशोधन

6132. **प्रो. नरायण चन्द पराशर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा विधान सभा ने एक संकल्प पारित किया है जिसमें यह माँग की गयी है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में इस आशय का संशोधन किया जाये कि हिन्दू परिवार में उत्पन किसी लड़की को अपने ससुर की संपत्ति से भाग पाने का अधिकार होना चाहिए न कि पिता की संपति से,

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार, ने इस मामले पर विचार किया है, और

(ग) यदि हाँ तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) (क) जी हां, श्रीमान। हरियाणा सरकार ने हिन्दी उत्तराधिकारी (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1979, विधान सभा द्वारा पारित किये जाने के बाद राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए भेजा है। विधेयक में अन्य बातों के साथ यह

व्यवस्था है कि महिला हिन्दू को अपने पति की सम्पति का उत्तराधिकार प्राप्त हो न कि उसके पिता की सम्पत्ति का।

(ख) और (ग) भारत सरकार विधेयक के कुछ उपबन्धों के पक्ष में नहीं है। भारत सरकार के विचार राज्य सरकार को भेज दिये गये हैं। उसका उत्तर प्रत्याशित है।

चाँदनी चौक दिल्ली में विदेशी चिन्ह अंकित कपड़े की बिक्री

6133. **श्री निहाल सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ लोग सूरत और अहमदाबाद से चाँदनी चौक दिल्ली में कपड़ा लाकर और उन पर कोई विदेशी चिन्ह अंकित करके उन कपड़ों को छुट्टी पर जाने वाले भोले भाले फौजियों तथा अन्य लोगों को बेच कर उन्हें ठगते हैं, और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है, और इस धोखाधड़ी के लिए कितने लोगों को पकड़ा गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) 19.6.1980 को टाउन हाल में हुई एक बैठक के दौरान व्यापारियों ने विदेशी चिन्ह अंकित सूरत में बने कपड़े के बारे में शिकायत की थी। उसके बाद पुलिस द्वारा तीन छापे मारे गए हैं किन्तु ऐसा कोई विक्रेता नहीं पकड़ा गया है। पुलिस द्वारा निगरानी रखी जा रही है।

मणिपुर से विदेशियों के देश निकाले के बारे में ज्ञापन

6134. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1980 में मणिपुर के एक संगठन ने विदेशियों को मणिपुर से निकाले जाने के बारे में सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था,

(ख) यदि हाँ, तो उस ज्ञापन में क्या मुख्य मांगे की गई थीं,

(ग) क्या सरकार ने उन व्यक्तियों के साथ बातचीत की थी जिन्होंने ज्ञापन दिया था, और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) से (घ) तारीख 13 जून, 1980 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था जिस पर 9 राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हैं और प्रधानमंत्री को सम्बोधित हैं। ज्ञापन में कुछ मांगे थी जैसे बड़ी संख्या में विदेशियों के आगमन को रोकने के उपाय, मणिपुर के मूल निवासियों के हितों की रक्षा के लिए व्यवस्था, रोजगार कार्यक्रम संविधान की आठवीं अनुसूची में मणिपुरी को सम्मिलित करना आदि। ज्ञापन की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को उनके विचार जानने के लिए भेज दी गयी है।

महाराष्ट्र में स्कूटरों का उत्पादन बढ़ाने के लिये लाइसेंस

6135. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में स्कूटरों की क्षमता और उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार, किन-किन गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के एककों को लाइसेंस दिये गये हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार को कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और उनमें से कितने राज्य

सरकार द्वारा सिफारिश किए गए थे और उनमें से कितने केन्द्रीय सरकार द्वारा नामंजूर कर दिये गए थे और किन कारणों से;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा सरकारी उपक्रमों को प्रोत्साहन देने की नीति होने के बावजूद पिछली सरकार ने महाराष्ट्र में उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए एक गैर-सरकारी औद्योगिक एकक को अनुमति दी थी ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) गैर-सरकारी क्षेत्र के एक एकक मैं. बजाज आटो लिमिटेड, पुणे के स्कूटर बनाने की क्षमता 80,000 स्कूटर प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,60,000 स्कूटर प्रतिवर्ष करने के लिए 1979 में एक लाइसेंस जारी किया गया था ।

(ख) महाराष्ट्र सरकार की संस्तुति के साथ एक आवेदन अर्थात् मैं. बजाज आटो लि. पुणे का आवेदन प्राप्त हुआ था ।

(ग) तथा (घ) मैं. बजाज आटो लिमिटेड की क्षमता का विस्तार करने की अनुमति बजाज मेक के स्कूटरों की प्रतीक्षा सूची तथा ग्राहकों जो अधिकांशत : मध्यम व श्रमिक वर्गों से हैं, के हितों समेत सभी सम्बन्ध पहलुओं को ध्यान में रखते हुये गुणावगुण के आधार पर दी गई थी ।

घड़ियों के उत्पादन के मामले में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा दर्शाई गई असमर्थता

6136. डा. फारुक अब्दुल्ला :

श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने आगामी पांच वर्षों के दौरान प्रति वर्ष 60 लाख घड़ियों का उत्पादन करने के लिए अपने विस्तार संयंत्रों का निर्माण करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या मोदी बंधुओं ने प्रति वर्ष 18 लाख फालतू पुर्जों और 10 लाख घड़ियों का संयोजन करने के लिए श्रीनगर में एक संयंत्र स्थापित करने के लिए किसी प्रस्ताव को भेजा था;

(घ) यदि हां, तो क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा इस अस्वीकृति को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने मोदी बंधुओं को इसकी स्थापना के लिए अनुमति दी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उन्हें अनुमति न देने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : क जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, हां।

(घ) तथा (ङ) घड़िया बनाने की नीति निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने जून 1979 में एक टास्क फोर्स का गठन किया था । सरकार समिति की रिपोर्ट की जांच कर रही है । इसी बीच है, मोदी रबर लिमिटेड ने घड़ियां बनाने की अपनी योजना को पर्याप्त रूप से संशोधित कर दिया है । टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर लिए जाने वाले निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में इस पर विचार किया जाएगा ।

जम्मू और काश्मीर में बैटरी बनाने वाले और घड़ियां बनाने वाले कारखाने स्थापित करने की अनुमति न देना

6137. **डा. फारुक अब्दुल्ला :**

श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने काश्मीर में यूनियन कार्बाइड और मोदी को क्रमशः बैटरी बनाने वाले और घड़ियां बनाने वाले कारखाने स्थापित करने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है,

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या हिन्दुस्तान लीवर को जम्मू में न्यूट्रियेंट प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) ड्राई बेटरियों का उत्पादन करने का मैसर्स यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड का औद्योगिक लाइसेंस देने विषयक आवेदन पत्र, आवेदक कपनी के ड्राई बेटरियां तैयार करने में एक प्रमुख स्थान रखने के कारण और इस वस्तु के बनाने के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने की आवश्यकता न होने से रद्द कर दिया गया था।

श्रीनगर में कलाई घड़ियां विदेशी सहयोग से बनाने की परियोजना विषयक मैसर्स मोदी रबड़ लिमिटेड के आवेदन पत्र पर कलाई घड़ियों संबन्धी नीति को अन्तिम रूप दिये, तक कोई भी कार्यवाही न करने का निश्चय किया गया है।

(ग) अभी तक अन्तिम रूप से कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उटता।

भारतीय सेना में "बैटमैन सिस्टम"

6138. **श्री राम विलास पासवान :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना में "बैटमैन सिस्टम" अब भी प्रचलित है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह पद्धति नौसेना और वायु सेना में भी प्रचलित है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी पी. एन. सिंह) : (क) से (ग) युद्ध स्थापनाओं के साथ कार्य कर रहीं विरचनाओं तथा यूनिटों के अफसरों और जूनियर कमीशन अफसरों को इस समय निम्नलिखित दर पर थलसेना में बैटमैन (अर्दली) प्राधिकृत हैं :—

(क) प्रत्येक सुबेदार मेजर, फील्ड अफसर और उससे ऊपर के अफसर को एक !

(ख) कैप्टन और उनसे नीचे के रैंक के प्रत्येक दो अफसरों और सुबेदारों तथा वायक सुबेदारों के लिये एक।

2. अर्दली (बैटमैन) योधी सैनिक हैं। उन्हें अन्य सभी सिपाहियों की तरह सामान्य प्रशिक्षण दिया जाता है और वे संक्रियाओं, अभ्यासों तथा प्रशिक्षण के दौरान अपसरों तथा

जूनियर कमीशन अफसरों की सहायता करते हैं। इनकी सेवाओं का उपयोग मुख्यत: वायरलैस सेट ले जाने, संदेश तथा डाक ले जाने और अफसरों तथा जूनियर कमीशन अफसरों के वैयक्तिक कार्य करने के लिए किया जाता है जबकि ये अपसर सामान्यता अग्रिम पंक्ति पर युद्ध संचालन संबंधी कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अफसर तथा जूनियर कमीशन अफसर उसे "सशस्त्र साथी (कामरेड इन आर्मस)" समझते हैं और उसका वही दर्जा होता है जो किसी अन्य सिपाही का।

3. अर्दली (बैटमैन) की व्यवस्था संचालन की दृष्टि से सेना में होनी आवश्यक है। और अधिकांश विदेशी सेनाओं में भी ऐसी व्यवस्था है।

4. वायुसेना तथा नौसेना में बैटमैन नहीं है क्योंकि वहाँ इस वर्ग के कार्मिकों की आवश्यकता अनुभव नहीं की गई है।

परीक्षा पूर्व केन्द्र, करोलबा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए हिन्दी टाइप की मशीनें

6139. **श्री केशवराव फारधो :**

श्री नन्द किशोर शर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए चलाये जा रहे परीक्षा-पूर्व केन्द्र करौलबाग में हिन्दी टाइप की मशीनें नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो वहां पर टाइप मशीनें उपलब्ध न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या आशुलिपि परीक्षा के लिए टाइप राइटिंग परीक्षण आवश्यक है, और

(घ) यदि हां, तो वहां पर टाइप मशीनें उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान। केन्द्र में हिन्दी टाइपराईटर उपलब्ध हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) केन्द्र में हिन्दी टाइप मशीने उपलब्ध कराई जा चुकी हैं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षुओं को आशुलिपिक परीक्षा के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है।

असम और त्रिपुरा में शरणार्थियों का पुनर्वास

6140. **श्री सतीश अग्रवाल :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम और त्रिपुरा में व्याप्त राजनीतिक स्थिति को देखते हुए पुनर्वास का दायित्व बहुत बढ़ गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय-सरकार का विचार राज्य सरकारों की मदद करने का है ताकि वे इस समस्या से निपट सकें; और

(ग) यदि हां, तो इन दोनों राज्यों के लिये अलग अलग कितनी सहायता देने का विचार है और आवंटन का मानदण्ड क्या है ?

गृह मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) हाल ही में केन्द्रीय

सरकार ने त्रिपुरा सरकार को, उसके अनुरोध पर, हाल की सिविल गड़बड़ से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता और उनके पुनर्वास पर व्यय करने के लिए 2 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि साधन के रूप में दी है। असम सरकार द्वारा ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया था।

आमतौर पर, उपद्रवों से होने वाली सम्पत्ति की हानि आदि का सभी व्यय राज्य सरकार को वहन करना होता है। तथापि त्रिपुरा के समक्ष उत्पन्न स्थिति को देखते हुए तथा इस तथ्य को कि उनकी विकासात्मक योजनाओं को गंभीर क्षति पहुँचाए बिना पुनर्वास उपायों पर अतिरिक्त आर्थिक खर्च को पूरा करने के लिए उनके साधन बहुत थोड़े हैं, केन्द्रीय सरकार परिस्थिति के अनुसार साधन के रूप में ऐसी मदद देने के बारे में विचार कर सकती है।

✓ विद्युत उत्पादन उपकरणों का किस्म नियंत्रण

6141. **बसन्त कुमार पंडित** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र के तथा गैर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बनाये जा रहे विद्युत उत्पादन उप-करणों का किस्म नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्य कर रही है; और

(ख) सरकारी क्षेत्र द्वारा संयंत्र और उपकरण को समय पर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है क्योंकि उनके द्वारा सामान सप्लाई में विलम्ब के कारण विद्युत परियोजनाओं के चालू होने में बाधा होती है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना): (क) प्रौद्योगिकी और सामग्री में हो रहे निरन्तर सुधार को ध्यान में रखते हुए किस्म नियंत्रण और सुधार का काम एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है। अनेक मामलों में यह देखा जाता है कि त्रुटियां या खराबियां मुख्य निर्माताओं के अलावा अन्य निर्माताओं स खरीदे गए उपकरणों में होती है। इस सम्बन्ध में सिस्टमों की क्षमता में सुधार लाया जा रहा है और किस्म के बारे में आश्वासन के लिए अन्तः प्रक्रिया निरीक्षण अपेक्षित है तथा विस्तृत निरीक्षण पद्धतियों को निर्धारित किया जा रहा है। विद्युत जनित्रण उपकरणों के प्रमुख उत्पादक ने कारपोरेट स्तर पर एक किस्म अश्वासन समूह स्थापित किया है और संयंत्र स्तर पर किस्म नियंत्रण को सुदृढ़ भी किया है।

(ख) विद्युत परियोजनाओं को चालू करने में कई कारणों से विलम्ब होता है। इनमें सिविल निर्माण में विलम्ब और सरकारी क्षेत्र तथा गैर सरकारी क्षेत्र के मुख्य सम्भरणकर्ताओं (जैसे कोयला और ऐश हैंडलिंग संयंत्र, पाइपिंग, इन्सुलेशन, वाल्व/क्रेन आदि) के अलावा अन्य स्रोतों से खरीदे गए उपकरणों को प्राप्त करने/लगाने में विलम्ब शामिल है। सरकारी क्षेत्र से कुल मिलाकर सम्भरण ठीक समय पर होता है। फिर भी उसमें आगे सुधार लाने के लिए कच्चे माल और उपभोग्य की अग्रिम खरीद, कुछ हिस्से-पुर्जों का और अधिक ठेका देने और डिजाइन कार्य को पूरा करने का काम किया जा रहा है।

✓ भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के लिए नये चेयरमैन की नियुक्ति

6142. **आर. के महालगी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के लिए नये चेयरमैन की नियुक्ति करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सार्वजनिक क्षेत्र संस्थापना ब्यूरो द्वारा इस नए चेयरमैन के चुनाव की सिफारिश की थी;

(ग) क्या इस नियुक्ति के कारण वरिष्ठ अधिकारियों में असंतोष फैल गया है; और

(घ) यदि हां तो ब्यौरे क्या हैं ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) सामान्य पद्धति के अनुसार, सरकारी उद्यम चयन मंडल ने भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के नये अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक के लिए अपनी सिफारिशें भेजी हैं। सरकार को इस मामले में अभी निर्णय करना है।

(ग) बी. एच. ई. एल. के कुछ अधिकारियों में कथित कुछ असंतोष सम्बन्धी कुछ अखबारों के अतिरिक्त सरकार को इस तरह के किसी असंतोष के बारे में जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नए लेजर नियंत्रण व्यवस्था से युक्त जेगुआर विमान

6143. श्री अर्जुन सेठी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जगुआर विमान ने जिसे हाल में नए लेजर नियंत्रण व्यवस्था से युक्त किया गया है; देश में फायरिंग रेंज में पूरी सफलता प्राप्त की गई है; और

(ख) यदि हा, तो दूरा तक मार करने वाले जगुआर विमान के पहले स्कवैड्रन जिसका भारतीय वायुसेना में गठन किया गया है ?के कार्य का ब्योरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) और (ख) जगुआर विमान लेसर प्रणाली से लैस किया गया है। गोलाकारी अभ्यासों के परिणामों के बारे में बताना लोक हित में नहीं होगा।

भारत में निर्धारित अवधि से ठहरे हुए पाकिस्तानी

6144. श्री अर्जुन सेठी क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन व्यक्तियों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है जो पाकिस्तान से आये और भिन्न भिन्न राज्यों में रह रहे हैं तथा जिन्होंने नागरिकता प्रमाण-पत्रों के लिए आवेदन किया है;

(ख) ऐसे कितने व्यक्तियों को गत तीन वर्षों के दौरान (राज्यवार) नागरिकता प्रदान की गई;

(ग) इस समय कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं और कब से हैं तथा अब तक कितने आवेदन-पत्र अस्वीकृत किये जा चुके हैं; और

(घ) इस बारे में सरकार ने क्या मानदंड अपनाया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 (1) (क) के अधीन नागरिकता प्रदान करने के लिए जिला कलैक्टर सक्षम प्राधिकारी हैं। वे अपेक्षित सांख्यकीय आंकड़े रखते हैं। सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) भारतीय नागरिकता, नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता नियम 1956 के उपबन्धों के अनुसार नियमित की जाती हैं।

पुलिस बलों में महिलाओं की नियुक्तियाँ

6145. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुलिस बलों में और अधिक महिलाओं को नियुक्त करने के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का महिलाओं के प्रति पढ़ते जा रहे अपराधों की दृष्टि से महिला पुलिस कर्मचारियों की अधिकाधिक आवश्यकता को देखते हुए इस प्रकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों को बनाने तथा कार्यान्वयन के लिए उन्हें जारी करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मामले की इस समय पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो और राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा विस्तृत रूप से जांच की जा रही है।

बिहार में उद्योगों का बन्द होना

6146. **ए. के. राय** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आमतौर पर बिहार में और विशेष रूप से छोटा नागपुर में 1 अप्रैल, 1980 के दिन कितने छोटे मझोले और बड़े उद्योग बन्द किए जा चुके थे;

(ख) उसके कारण बेकार हुई पूंजी तथा श्रमिकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके बन्द किये जाने के कारण क्या है;

(घ) इन कारखानों को खोलने के कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हाँ, तो कब; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (च) इस प्रश्न का विषय इतना व्यापक और सभी पहलुओं को स्पर्श करने वाला है कि इससे संबंधित जानकारी एकत्रित करने में जो समय तथा श्रम लगेगा उससे वे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे जिनको प्राप्त होने की आशा की जाती है।

आदिवासियों में मदिरापान

6147. **श्री के. प्रधानी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अनेक आदिवासी खुद की (स्थानीय लोगों द्वारा) तैयार की हुई मदिरा पीने के आदी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या हर राज्य में इस तरह मदिरा पान करने वाले व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में अशिक्षित लोगों को देशी शराब पीने से होनी वाली हानि के बारे में बताने की कोई योजना आरम्भ की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रौढ़ शिक्षा और नागरिकता प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में मदिरा-निषेध पर जोर दिया जाता है।

जगुआर स्कवैड्रन का कार्यरत होना

6148. श्री गुलाम रसूल कोचक :

डा. फारूक अब्दुल्ला :

श्री पी. एम. सईद : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'डीप पेनेट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट' जगुआर का पृथक स्कवैड्रन भारतीय वायु सेना में स्थापित हो गया है तथा वह पूरी तरह से कार्यरत हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या लड़ाकू विमानों ने 'फाईटिंग रेंज' में पूरी सफलता प्राप्त कर ली है;

(ग) क्या नये कन्वर्ट किये गये विमान चालकों ने भी बम गिराने में दक्षता प्राप्त कर ली है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) . (क) से (ग) जगुआर विमान की पहली स्क्वाड्रन बना ली गई है। गोलावारी रेंजों के बारे में अपनी उपलब्धियों के विवरण देना लोकहित में नहीं होगा। फिर भी यह सभी जानते हैं कि भारतीय पाइलटों को जिस विमान का प्रशिक्षण दिया गया है उस पर उन्होंने अपने कौशल का अच्छा परिचय दिया है।

(6149)

उद्योगिक विकास दर

6148. श्री गुलाम रसूल कोचक :

श्री पी. एम. सईद :

श्री बी. बी. देसाई : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वित्तीय वर्ष में शोचनीय औद्योगिक उत्पादन की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में औद्योगिक विकास के पुनर्जीवित होने के चिन्ह नजर आने लगे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे कौन से उद्योग हैं जिनमें वृद्धिगत प्रवृत्ति है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) यह प्रवृत्ति जारी रहे, इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ङ) क्या हाल ही में तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा किन्हीं 103 उद्योगों की समीक्षा की गई थी; और

(च) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या थीं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी. एस. ओ.) द्वारा जारी किए गए सूचकांक के अनुसार वर्ष 1979-80 के दौरान विकास का दर (—) 1·5 प्रतिशत रही। विवक सूचकांक के अनुसार अप्रैल, 1980 में पिछले

वर्ष के इसी माह की तुलना में विकास दर (—) 2·3 प्रतिशत थी बाद के महीनों के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) तकनीकी विकास के महानिदेशालय के अन्तर्गत 103 औद्योगिक ग्रुपों (जिनमें 132 उद्योग शामिल हैं) के अप्रैल-मई, 1980 की अवधि के उपलब्ध उत्पादन आंकड़ों के आधार पर 66 उद्योगों ने सकारात्मक विकास दर दिखाई है। इन उद्योगों के नाम एवं उनकी विकास दर को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

ग) और (घ) सरकार द्वारा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदम ये हैं :—औद्योगिक अवस्थापना सम्बन्धी मंत्रिमंडलीय समिति का गठन करना, थर्मल पावर संयंत्रों को पर्याप्त मात्रा में कोयला भेजना, कुछ महत्वपूर्ण निवेश वस्तुओं/कच्चे माल जैसे अलौह धातुएं, खाने के तेल, आधारभूत रसायनों आदि का आयात करना संख्या में माल डिब्बे भेजना तथा सुधरे हुए श्रमिक प्रबन्धक सम्बन्ध।

(ङ) जी, हाँ।

(च) उत्पादन के क्षेत्र को दर्शाने वाले औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक में जिन उद्योगों की समीक्षा की गई उनका कुल अंश 39·7 प्रतिशत है। जिसमें से इन्जीनियरी उद्योगों और रसायन उद्योगों का अंश क्रमशः 19·26 प्रतिशत तथा 20 44 प्रतिशत है। इन उद्योगों द्वारा अप्रैल-मई, 1979 की तुलना में अप्रैल-मई, 1980 में हुई समस्त वृद्धि 3·0 प्रतिशत रही है उद्योगों के सभी क्षेत्रों में समस्त विकास नकारात्मक दर से चलता रहा, जबकि तकनीकी विकास महानिदेशालय के उद्योगों में विकास की दर सकारात्मक रही।

विवरण

क्र. सं.	उद्योग	इकाई	अप्रैल-मई में उत्पादन		प्रतिशत परिवर्तन
			1979-80	1980-81	
1	2	3	4	5	6
1.	आटा पिसाई मिलें	ह. मी. टन	400	425	+6·2
2.	शिशु आहार	वही	6·3	6·5	+3·2
3.	बिस्कुट्स	वही	16·7	17·0	+1·8
4.	लिमोनियम	कि. मी.	168	208	+23·8
5.	कागज और कागज के गत्ते	ह. मी. टन	162·72	166.66	+2·4
6.	स्कूटर टायर्स	ह. संख्या	200	229	+14·5
7.	ट्रैक्टर टायर्स	वही	96	102	+6·3
8.	साईकिल टायर्स	द. ला. सं.	4·3	4·5	+4·7
9.	रबर के जूते	द. ला. जोड़े	6·3	6·7	+6·3
10.	सोडा एश	ह. मी. टन	90·2	94·2	+4 4

1	2	3	4	5
11.	डी./ए. गैस	मि. क्यू. एम. 1·36	1·38	+1·5
12.	नायलोन फिलामैन्ट यार्न	ह. मी. टन. 3·0	361	+3·3
13.	नम रजक पदार्थ	मी. टन 251	276	+10·0
14.	एजो रंजक पदार्थ	वही 427	512	+19·9
15.	पैन्ट तथा वार्निश	ह. मी. टन 11·8	14·1	+19·5
16.	सल्फा औषधियां	मी. टन 107·0	222·2	+7·2
17.	साबुन	ह. मी. टन 44·1	59·0	+33·8
18.	सिंथेटिप प्रक्षालक	वही 24·9	30·0	+20·5
19.	टूथ पाउडर	मी. टन 338	556	+64·5
20.	टूथ पेस्ट	ह. मी. टन 1·5	2·0	+33·3
21.	माचिस	बिल डिब्बियां 0·62	0·67	+8·1
22.	आप्टीकल व्हाइटनिंग एजेन्ट्स	मी. टन 158	174	+10·1
23.	ग्राइडिंग व्हील	करोड़ रु. 2·26	2·44	+8·0
24.	स्टील कास्टिंग्स	ह. मी. टन 11·0	11·9	+8·2
25.	स्टील फोरजिंग्स	ह. मी. टन 18·7	21·0	+12·3
26.	स्ट्रक्चरलस	वही 11·6	16·8	+44·8
27.	स्टील पाइप तथा ट्यूब	वही 96·4	96·9	+0·5
28.	ब्लिस्टर कापर	मी. टन 33611	4785	+42·4
29.	जस्ता	वही 1558	1809	+16·1
30.	अल्यूमिनियम फायल्स	ह. मी. टन 0·9	1·1	+22·2
31.	अल्यूमिनियम से बते उत्पादन	वही 3·6	3·7	+2·8
32.	तार की छड़े	वही 4·7	5·2	+10·6
33.	एम. एस. बोल्ट्स नट एण्ड रिवटें	वही 3·98	4·63	+16·3
34.	हैरीकेन लेन्टरन्स	ह. सख्या 330	400	+21·1
35.	टिविस्ट ड्रिल्स	द. ला. सं. 2·54	2·76	+8·7
36.	बायलर्स	करोड़ रु. 24·33	28·66	+17·8
37.	डीजल इंजन्स (अचल)	ह. स. 20·44	27·85	+36·3
38.	खनन मशीनें	करोड़ रु. 3·10	4·25	+37·1
39.	धातुकर्मी मशीनें (इस्पात संयंत्र उपस्करों सहित)	वही 5·52	8·43	+52·1
40.	रसायन तथा भेषजीय मशीनें	वही 10·50	15·96	+52·1
41.	कागज तथा लुगदी मशीन	वही 4·23	6·11	+44·4
42.	रबड़ मशीनें	वही 1·13	1·46	+29·2

1	2	3	4	5	6
43.	सीमेंट मशीनें	वही	3·54	3·77	+6·5
44.	क्रेन्ज	ह. संख्या	2 5	2·8	+12·0
45.	लिफ्टें	संख्या	121	156	+28·9
46.	पावर से चलाये जाने वाले पम्प	ह. संख्या	46·85	63·90	+36·4
47.	एयर तथा गैस कम्परेशर	वही	2·20	2·76	+25·5
48.	बाल एंड रोलर बियरिंग	द. ला. सं.	4·39	5·45	+24·1
49.	मशीनी औजार	करोड़ रु.	21·71	20·14	+29·6
50.	रोड रोलर्स	संख्या	104	109	+4·8
51.	टाइप राइटर्स	ह. सं.	14·45	14·63	+1·2
52.	घरेलू रेफ्रिजरेटर्स	वही	39·95	18·82	+22·2
53.	पावर ट्रांसफरमर्स	मि. के. वी. ए.	2·41	3·64	+51·0
54.	इलैक्ट्रिक मोटरें	द. ला. एच.पी.	0 56	0·62	+10·7
55.	बिजली के पंखे	द. ला. संख्या	0·62	0·63	+1·6
56.	फ्लोरोसेन्ट ट्यूबें	वही	3·93	4·09	+4·1
57.	वाइंडिंग वायर्स	ह. मी. टन	3·97	4·31	+8·6
58.	ड्राई सेल्स	द. ला. सं.	135·88	155·38	+14·4
59.	मोटर सटार्टर्स तथा कान्ट्रेक्टर्स	ह. संख्या	160·01	179·60	+12·2
60.	ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स	ह. मी. टन	3·0	3·3	+10·0
61.	रेलवे वैगन	संख्या	1563	2090	+33·7
62.	जीपें	वही	2149	2340	+8·9
63.	स्कूटर्स	वही	31836	32559	+2·3
64.	मोपेड/स्कूटरेट्स	वही	10870	18·38	+71·5
65.	दीवार घड़ियां	ह. संख्या	50·58	51·28	+1·4
66.	जिप फास्टनर्स	कि. मी.	243	250	+2·9

भूमि सुधार क्षेत्र हेतु किया गया प्रावधान

6150. **डा. वसंत कुमार पण्डित** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के लिए गत पंच वर्षीय योजना में किए गए कुल प्रावधान की तुलना में भूमि सुधार क्षेत्र के लिए किया गया प्रावधान कितने प्रतिशत है;

(ख) चालू पंच वर्षीय योजना में किए गए प्रावधान की तुलना में वह कितने प्रतिशत है;

(ग) क्या भूमि सुधार कार्यक्रम के लिए किया गया प्रावधान इस कार्यक्रम पर दिये जा रहे बल के अनुरूप है; और

(घ) यदि नहीं, तो कमी के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) : पांचवीं पंच वर्षीय योजना में (1974-79), मध्य प्रदेश में 1379,71 करोड़ रु. के कुल राज्य योजना परिव्यय में से भूमि सुधार के उपायों के लिए 8.57 करोड़ रु. की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार भूमि सुधार क्षेत्रक के लिए आवंटन कुल राज्य योजना परिव्यय का लगभग 0.62 प्रतिशय था।

तथापि, पांचवीं पंच वर्षीय योजना (1974-79) एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई थी और वह केवल 1974-78 की चार वर्ष की अवधि के लिए ही प्रचालन में थी। 1974-78 की अवधि में समग्र राज्य योजना के अन्तर्गत 1058,00 करोड़ रु. के कुल व्यय में से भूमि सुधार के उपायों के लिए राज सरकार ने 5,67 करोड़ रुपये के व्यय की सूचना दी है। कुल योजना व्यय से इस व्यय का प्रतिशत लगभग 0 53 आता है।

(ख) से (घ) 1980-85 की वर्तमान पंच वर्षीय योजना अभी तैयार हो रही है और क्षेत्रीय परिव्यय निर्धारित नहीं किए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे कि भूमि सुधारों पर परिव्यय इस कार्यक्रम पर दिए जाने वाले जोर के अनुरूप हो।

फियेट 124 कारों का निर्माण

6151. **डा. वसंत कुमार पंडित** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रीमियर आटोमोबाइल आफ बम्बई ने फियेट- 124 माडल की कारों का निर्माण करने हेतु अनुमति देने के लिए सरकार को आवेदन किया है;

(ख) इटली को फियेट और स्पेन को सीट के साथ सहयोग से आधुनिक प्रौद्योगिकी आयात करने की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या यात्री कार की प्रौद्योगिकी को आधुनिक बनाने के लिए इसी प्रकार की अनुमति बिडला ग्रुप हिन्दुस्तान मोटर्स को दी गई थी ; और

(घ) पेट्रोल इंजन के स्थान पर डीजल पावर इंजन लगाने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क प्रीमियर आटोमोबाइल्स, बम्बई ने नई कार बाडी का निर्माण करने और प्रीमियर पदिमनी गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाने वाले वर्तमान इन्जन के उन्नयन हेतु स्पेन के सीएट से फिएट-124 माडल की यात्री कार की बड़ी डाई को आयात करने और इटली की एस.पी.ए. से तकनीकी सहायता, डिजाइन, ड्राइंग, डाक्यूमेंटेशन और सलाहकार सेवाएं प्राप्त करने के लिए अनुमति हेतु सरकार को आवेदन दिया है।

(ख) इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है और शर्तों के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) नई माडल की कार का निर्माण करने और अम्बैसडर गाड़ियों पर कम्पनी द्वारा इस समय इस्तेमाल किए जा रहे इंजनों के उन्नयन के लिए ब्रिटेन से तकनीकी-सहायता, ड्राइंग, डिजाइन, डाक्युमेंटेशन सलाहकार सेवाएं और पूंजीगत सामान का आयात करने हेतु मे. हिन्दुस्तान मोटर्स को अनुमति दी गई है।

(घ) कारों के डीजलीकरण का प्रश्न मांग की तुलना में डीजल और पेट्रोल की उपलब्धता

और डीजल का इस्तेमाल करने के तकनीकी-आर्थिक और प्रौद्योगिकीय पहलुओं पर निर्भर करेगा। इन पहलुओं के बारे में अध्ययन किया जा रहा है।

संसद सदस्यों के मकानों में चोरियां

6152. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में संसद सदस्यों के रिहायशी मकानों में जनवरी, 1980 से 30 जून, 1980 के दौरान चोरी और सेंधमारी की कितनी घटनाएं हुईं;

(ख) इन घटनाओं में हुई हानि का मूल्य (रुपयों में क्या है; और

(ग) पुलिस द्वारा कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) इस अवधि के दौरान सेंधमारी के 11 मामले, चोरी के 7 मामले सूचित किए गए थे।

(ख) बताया जाता है कि 40,185.00 रुपए की हानि हुई।

(ग) इन मामलों में 20 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। उनमें से छः का चालान कर दिया गया है और बाकी मामलों की जाँच की जा रही है। 18,235.00 रुपए मूल्य की सम्पत्ति बरामद की गई है।

पिछड़े जिले में उद्योग लगाने के बारे में परामर्श देने के लिए परिषदें

6153. **श्री एस. बी. सिदनाल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक पिछड़े जिले में उद्योग लगाने के बारे में परामर्श देने के लिये और लघु उद्योगों की आवश्यक सुविधाओं के बारे में सुझाव देने के लिए परिषदें गठित करने का है जिसमें सरकारी, अधिकारी उद्योगपतियों के प्रतिनिधि और चुने हुए जब प्रतिनिधि होंगे; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान में केन्द्रीय नमक आयोग का कार्यालय

6154. **श्री आर.पी. गायकवाड** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय नमक आयोग का मुख्य कार्यालय राजस्थान में क्यों बनाया गया है जबकि नमक उस राज्य में नहीं बनाया जाता।

उद्योग मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : राज्यों में राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ नमक का उत्पादन किया जाता है। जयपुर में नमक आयुक्त के कार्यालय को प्रशासकीय कारणों से रखा गया है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा आयातित घड़ियों की बिक्री

6155. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स 64/-रु० की कीमत पर घड़ियों का आयात कर रहा

है और उनको असग अलग नाम से असग अलग प्रकार के केसों में डाल कर 218/-रु. से 340/-रु. की कीमत पर वेच रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो उन घड़ियों के नाम क्या है जिनकी मशीनें भारत में बनी हैं और उनके नाम क्या है जिनका आयात किया जा रहा है और अलग अलग केसों में डाल कर ऊंची कीमतों पर वेचा जा रहा है;

(ग) क्या यह वात हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के इस विज्ञापन को "कामन मैन्स वाचिज एट कामन मैन्स प्राइस" (आम व्यक्ति की कीमत पर आम व्यक्ति के लिए घड़ी) पूरी तरह झुठलाता है; और

(घ) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा कमाये जा रहे इतने अधिक लाभ का औचित्य क्या है और क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों की कीमत में कोई कटौती करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं, लेकिन विभिन्न राज्य सरकारी एजेंसियों द्वारा एच. एम. टी. महावता प्राप्त स्थापित घड़ी असैम्वली एककों की आवश्यता पूर्ति के लिए एच.एम.टी. द्वारा घड़ियों के कुछ हिस्से पुर्जो के सेटों का आयात किया जा रहा है । मूल्य घड़ियों की विभिन्न स्टाइलों तथा माडलों पर निर्भर करते हैं । भारत में पहुँचने की हिस्से पुर्जों के एक सेट की कीमत 120 रु. से 210 रु. के बीच होती हैं । असैम्वली, फीतों पैकेजिंग, भाड़ तथा आगे भेजने, विपणन तथा बिक्री पश्चात् सर्विस को ध्यान में रखते हुए घड़ियों का कारखाने से निकलते समय का मूल्य 178 रु० से 372 रु० के बीच है ।

(ख) एच.एम.टी. घड़ियों के 56 ब्रांड नामों में से 27 ऐसे हैं जिनके पिस्से पुर्जे इसकी सहायक इकाइयों द्वारा जोड़े जाते हैं ।

(ग) एच एम.टी. घड़ियां 150 रु. से लेकर ऊपर तक के मूल्य रेंज में उपलब्ध हैं जो कि अपनी क्वालिटी तथा विश्वसनीयता के कारण आम आदमी की पहुँच से बाहर नहीं है ।

(घ) घड़ियां प्रतियोगी बाजार में है । अतः कोई भारी लाभ होने का प्रश्न ही नहीं उठता । कच्चे माल के मूल्यों, मजूरी तथा अन्य निवेशों में वृद्धि के बावजूद एच. एम. टी. उत्पादकता सुधार के साथ अपने मूल्य स्तरों को बनाये रखने का प्रयत्न करती है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याएं

6156 श्री भोखाभाई : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की समस्याएं कई दृष्टियों से समान्य होते हुए भी काफी भिन्न हैं;

(ख) क्या मंत्रालय ने अपने अनुसंधान और विकास प्रभाग के द्वारा इस संबंध में कोई खोज करवाई है;

(ग) क्या मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण लेख अथवा पुस्तिका प्रकाशित करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की विभिन्न समस्याओं के लिये योजना आयोग से कोई विशेष योजना योजना से बनाने के लिये कहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) इस समय नहीं।

(घ) अनुसूचित जन जातियों को विभिन्न सम्मस्याओं के समाधान हेतु विशिष्ट योजनाएं बनाने के लिये गृह मंत्रालय, योजना आयोग और राज्य सरकारें संयुक्त रुप से कार्य कर रही हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रशासन के बारे में राज्यपालों द्वारा प्रतिवेदन

6157. **श्री भीखाभाई** : क्या गृह मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्यपालों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन प्रतिवेदनों में इन क्षेत्रों के प्रशासन में सुधार लाने के सुझाव दिए गये हैं;

(ग) उन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिन्होंने पांचवी अनुसूची के पेराग्राफ 5 (2, अनुसरण में विनियमन बनाए हैं;

(घ) यदि विनियमन नहीं बनाए गये है, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्यपालों को कोई निर्देश जारी किए गये हैं ?

गृहमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पिछले दस वर्षों के दौरान अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्यपालों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की राज्यवार संख्या इस प्रकार है :—

राज्य	रिपोर्टों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	9
बिहार	10
गुजरात	9
मध्यप्रदेश	8
महाराष्ट्र	9
उड़ीसा	10
राजस्थान	9

(ख) ये रिपोर्टें सामान्यत: राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का एक रिकार्ड होती हैं ।

(ग) संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्र नहीं होते। अनुसूचित क्षेत्रों वाले सभी राज्यों, अर्थात आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उडीसा और राजस्थान में अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण विशेष रूप से भूमि हस्तांतरण, ऋण ग्रस्तता, साहूकारी के बारे में अधिनियम/विनमय/राजस्व संहिता विद्यमान हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

बजाज स्कुटरों के वितरण के बारे में शिकायतें

6158. **श्री सुन्दर शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बजाज कम्पनी द्वारा निर्मित दो पहिए वाले स्कूटरों के विवरण के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उनके वितरण पर अपना नियंत्रण रखने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) स्कूटरों की बिक्री और वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है। फिर भी, वितरण में अनियमितताओं के विशिष्ट आरोपों की उपर्युक्त कार्यवाई के लिए अथवा जांच व रिपोर्ट करने के लिए निर्माता के पास समुचित रूप से भेजा जाता है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के अधीन कागज परियोजनाएं तथा उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता

6159. श्री डी. पी. जदेजा : क्या उद्योग मंत्री : निम्नलिखित की जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि. के अधीन अखबारी कागज, लुगदी और कागज बनाने वाली परियोजनाओं के नाम क्या है तथा उनका गत तीन वर्षों के दौरान वार्षिक उत्पादन कितना था;

(ख) क्या उपर्युक्त परियोजनाओं में से किसी के विस्तार के लिए आवेदन पत्र दिया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(घ) कागज और कागज उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार किस कार्यवाही पर विचार कर रही है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री चरणजीत चनना) : (क) माण्डया नेशनल पेपर मिल्स हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की एक सहायक कंपनी है जो कागज का उत्पादन करने वाला एकमात्र चालू एकक है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उसका वार्षिक उत्पादन निम्न प्रकार रहा है :

वर्ष	उत्पादन (मी. टनों में)
1977-78	11,747
1978-79	10,106
1979-80	6,850

(ख) और (ग) : माण्डया नेशनल पेपर मिल्स अपना उत्पादन 16, 500 मी. टन प्रति वर्ष के स्तर तक लाकर उसमें स्थिरता लाने के लिये एक विस्तार योजना अपने हाथ में ले रहा है।

(घ) दि हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन नागालैंड में 30,000 मी. टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाली एक समेकित लुगदी और कागज मिल की स्थापना कर रही है तथा असम के नौगांव और कछार जिलों में 1,00,000 मी. टन प्रत्येक की क्षमता वाली दो समेकित लुगदी और कागज

मिलों की स्थापना करने के अलावा सरकार ने कागज का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपायाय किए हैं :—

(1) गौण कच्चे माल पर आधारित कागज मिलों की स्थापना को बढ़ावा देना जिनमें विदेशी मुद्रा खर्च नहीं होती ऐसी मिलों को लाइसैंस से मुक्त कर दिया गया ।

(2) 30 मी. टन प्रतिदिन तक की क्षमता वाले पुराने कागज संयंत्रों को आयात करने की सुविधा दी गई है ।

(3) लुगदी के आयत को उदार बना दिया गया है ।

4 कागज बनाने के काम में आने वाले रद्दी कागज से आयात शुल्क हटा दिया गया है ।

5 गैर परम्परागत कच्चे माल का उपयोग करने के लिए छोटा कागज मिलों को उत्पादन शुल्क में छूट दी गयी है ।

6 कागज बनाने के लिए गन्ने की खोई का इस्तेमाल करने के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान किये गए हैं ।

फोटो टाइप विकास और प्रशिक्षण केन्द्र

6160 : **श्री वी. पी. जदेजा :**

श्री अमरसिंह वी. राठवा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत मे कितने "प्रोटो टाइप" विकास और प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं और वे कहां-कहां हैं;

(ख) उनके मुख्य कृत्य क्या हैं;

(ग) प्रत्येक सेक्टर में प्रतिवर्ष कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाता है;

(घ) प्रशिक्षित व्यक्तियों का किस प्रकार उपयोग किया जाता है ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के नियंत्रण के अधीर राजकोट, ओखला (नई दिल्ली) हावड़ा तथा मद्रास स्थित चार प्रोटो टाइप विकास और प्रशिक्षण केन्द्र हैं ।

(ख) उनके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :–

(क) लघु उद्योगों के कुशल कामगारों और तकनीशियनों तथा केन्द्रीय तथा राज्य के सम्वर्धनकारी अभिकरणों के तकनी की कर्मचारियों को प्रयोगात्मक और सैद्धान्तिक प्रशिक्षण देना ।

(ख) लघु एककों को सप्लाई किये जाने वाले मशीनों के आधररूपों, ओजारों तथा सहायक हिस्से पुर्जों का उत्पादन और विकास करना ।

(ग) लघु औद्योगिक एककों को सहायता करने के लिए उनकी उत्पादन तकनीक में सुधार करने हेतु मशीनों की विशेष किस्मों का विकास करना तथा

(घ) लघु औद्योगिक एककों द्वारा न किए जा सकने वाले उत्पादन कार्यों और सर्विस कार्यों को करना और

(ग) प्रत्येक प्रोटो टाइप विकास और प्रशिक्षण केन्द्र में प्रति वर्ष प्रशिक्षित किए गए व्यक्तियों की औसत संख्या निम्नलिखित है :–

राजकोट	136
ओखला	325
हावड़ा	175
मद्रास	58
कुल :	664

(घ) प्रोटो-टाइप विकास और प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षित व्यक्तियों को देश के विभिन्न भागों में स्थित उद्योगों द्वारा खपाये जाने की आशा है।

बी. एच. ई. एल. द्वारा ट्रेक्शन मोटरों का उत्पादन

6161. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी. एच. ई. एल. का भोपाल एकक अपनी ट्रेक्शन मोटर उत्पादन क्षमता का विस्तार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस नई परियोजना में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) प्रस्तावित स्थल कहां है;

(घ) इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(ङ) इसके कब तक पूरे हो जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ङ) बी. एच. ई. एल. के भोपाल एकक में ट्रेक्शन इक्विपमेंट की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 14 करोड़ रुपये है। परियोजना की स्वीकृति की तिथि से परियोजना का कार्यान्वयन समय 27 महीने होगा।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड में घाटा

6162. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1977-79 के दौरान हैवी भारत इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के भोपाल स्थित एकक को उत्पादन में भारी घाटा हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस अवधि के दौरान कुल वार्षिक बिक्री कितनी थी ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) बी. एच. ई. एल. के भोपाल एकक का इन दो वर्षों में कारोबार इस प्रकार था :

1977-78	:	117 करोड़ रु.
1978-79	:	121 करोड़ रु.

प्रसंगाधीन वर्षों में इस एकक में हानि नहीं हुई बल्कि लाभ दिखाया है।

जिला धार में विद्रावन गांव में चीनी गुब्बारे

6163. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जिला धार में विद्रावन गांव में हाल ही में चीनी साहित्य तथा इश्तहारों आदि से युक्त एक गुब्बारा पाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण तथ्य क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इस तथ्य का पता लगाया है कि चीन द्वारा भारत में इस साहित्य के भेजने के क्या कारण हैं और यह साहित्य किस विषय पर है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ग) ताईवान से मुख्य भूमि चीन की ओर छोड़े गए ऐसे गुब्बारे सम्भवत: वायु के प्रतिकूल बहाव और वातावरण की गड़बड़ी से उड़कर भारत की ओर पहले भी आ चुके हैं; इन गुब्बारों का गिरना और उनसे प्राप्त साहित्य का भारत की सुरक्षा से कोई वास्ता नहीं है।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार से सूचना की प्रतीक्षा है तथा प्राप्त होने पर उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

सोधी समिति के प्रतिवेदन को क्रियान्वित न किये जाने के कारण सान्ताक्रुज में बेकार पड़ी यूनिटें

6164. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि इलैक्ट्रानिकी सम्बन्धी सोधी समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में असफलता के कारण सान्ताक्रुज में अनेक यूनिटें बेकार पड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो सान्ताक्रुज (बम्बई) इलेक्ट्रानिक यूनिटों की मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता। किन्तु सान्ताक्रुज स्थित यूनिटों के समक्ष आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए सरकार प्रभावी उपाय करने के बारे में सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा कर्तव्य निष्ठा का परिचय

6165. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों ने उस समय अत्याधिक अनुशासन का परिचय दिया और अपनी ड्यूटी पर तैयात रहे जब कि गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सी. आई एस. एफ. तथा अनेक ऐसे अन्य पुलिस बलों के रैंकों द्वारा गम्भीर विद्रोह किया गया था;

(ख) क्या सीमा सुरक्षा बल के रैंकों तथा अधिकारियों द्वारा ऐसी कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण का परिचय दिए जाने पर उनकी कोई सराहना की गई है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी है कि गृह मत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक को एक परिचय जारी किया है जिसमें उनसे निदेश किया गया है कि वे वर्तमान सांविधिक नियमों में सीमा सुरक्षा बल काडर अधिकारियों के प्रतिकूल संशोधन करें;

(ङ) क्या सरकार को पता है कि इस पत्र से सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों में अत्याधिक रोष पैदा हो गया है और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) जी हाँ, श्रीमान।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(घ) क्योंकि सीधी भर्ती से आए अधिकारियों की पदोन्नति के लिए कोई एक समान निर्देश/नियम नहीं थे अतः उनमें एकरूपता लाने के विचार से यथोचित संशोधन करना है। वर्तमान नियम से भारतीय पुलिस सेवा तथा सुरक्षा सेवाओं के अधिकारियों की अपेक्षा केन्द्रीय पुलिससंगठनों के सीधी भर्ती से आए अधिकारी जल्दी उप-महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति के पात्र बन जाते हैं। यह सरकार की इस नीति के विरूद्ध है कि सुरक्षा सेवाओं और भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी अपनी सेवा प्रगति के विषय में अन्य अधिकारियों के मुकाबले में विशिष्ट स्थान रखते हैं। एक विस्तृत अध्ययन के परिणाम स्वरूप केन्द्रीय पुलिस संगठनों के प्रधानों को प्रशासनिक निर्देशों/सांविधिक नियमों को उपयुक्त रूप से संशोधित करने के निर्देश जारी किए गए थे।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(एक) प्रत्येक बटालियन में 29 अतिरिक्त ला. नायक के पदों का सृजन जिसमें वर्तमान संख्या 62 से बढ़कर 91 हो गई।

(दो) लांस नायक को विक्षेप वेतन देना।

(तीन) प्रत्येक बटालियन में नायकों के 4 पदों को हैडकांसटेबलों में पदोन्नत किया गया।

(चार) सभी अराजपत्रित कार्मिकों को धुलाई भत्ता स्वीकृत किया गया।

(पांच) सभी अराजपत्रित कार्मिकों को एक जोड़ा टेरी-काटन यूरिफार्म देने के लिए अनुमति दी गई।

(छः) राशन मनी को 78 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये किया गया।

(सात) फील्ड एरिया और प्रशिक्षण संस्थानों में कार्य कर रहे सभी अराजपत्रित कार्मिकों की अर्जित छुट्टी 45 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दी गई है।

(आठ) मकान किराया भत्ते का दावा करने के उद्देश्य से यूनिटों में व्यक्तियों के लिए परिवार आवास पात्रता को 14 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है।

(नौ) कल्याण-निधि के लिए 25 लाख रुपये की धन राशि की स्वीकृति।

इनसुलेटिंग कागज का आयात

6166. **रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्ष-वार देश में इनसुलेटिंग कागज की कितनी मात्रा का आयात किया गया और उसका मूल्य कितना था;

(ख) आयातित इनसुलेटिंग कागज किस किस काम आता है;

(ग) इनसुलेटिंग कागज के उन उपभोक्ताओं के नाम और पते क्या हैं जिन्हें आयात लाइसेंस दिये जाने की सिफारिश की गई और प्रत्येक को कितने मूल्य के कागज का आयात करने की अनुमति दी गई; और

(घ) इनसुलेटिंग कागज के स्थान पर किसी देशीय कागज के आयात प्रतिस्थापन के लिए क्या पग उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) इन्सुलेटिंग पेपर के आयात का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	मात्रा	मूल्य
	(हजार किलोग्राम में)	(लाख रुपयों में)
1977-78	2527	2208.37
1978-79	2907	279.40
1979- 0 (जून 1979 तक)	522	51.11

नोट : आंकड़े अनन्तिम हैं व संशोधन किया जा सकता ।

स्त्रोत : 1. 1977-78 तथा 1978-79 :

वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी के महानिदेशक कलकत्ता द्वारा प्रकाशित "मन्थली स्टेटिक्स आफ दि फारेन ट्रेड आफ इंडिया" वाल्यूम 11 (इम्पोर्टस) ।

2. 1979-80 (जून तक) :

वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी के महानिदेशक कलकत्ता से आर्थिक सलाहकार के कर्यालय में अग्रिम रूप से, प्राप्त आंकड़े ।

(ख) इलैक्ट्रिकल इंसुलेशन पेपर एक अत्याधिक विशिष्ठीकृत कागज होता है जिसकी आवश्यकता अनेक श्रेणी के इलैक्ट्रिकल तथा इलैक्ट्रानिक उपकरण जैसे पावर केपेसिटेटर, इलैक्ट्रोलाइटिक केपसिटर, एनर्जी स्टोरेज केपसिटर, कपलिंग केपेनिटर तथा केबलों व ट्रान्सफारमरों का निर्माण करने में काम आता है ।

उपर्युक्त वस्तुएं बनाने वाले एकक सामान्यत: अपने काम आने वाले इलैक्ट्रिकल इंसुलेशन पेपर का आयात करते हैं ।

(ग) आयात के सभी लाइसेंसों के ब्यौरे यथा, आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन द्वारा जारी लाइसेंसितों आदि के नाम और पते "वीकली बुलेटिन आफ इम्पोर्ट लाइसेंसेज, एक्सपोर्ट लाइसेन्सेज एण्ड इंडस्ट्रियल लाइसेंसेज जिसकी प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं, में प्रकाशित किये जाते हैं ।

(घ) इलैक्ट्रिकल इंसुलेशन कागज का उत्पादन करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने, विदेशी सहयोग तथा उपकरणों का आयात करने के आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं और उन पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है ।

इलैक्ट्रिकल इंसुलेशन पेपर का उत्पादन करने के लिये नई परियोजनाएं स्थापित करने की कुछ योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई थी । किसी भी लाइसेंसधारी द्वारा कोई सराहनीय प्रगति नहीं की जा सकी है ।

नेपाल को सीमेंट का निर्यात

6167. **एम. रामगोपाल रेड्डी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने जून-सितम्बर 1980 के दौरान देश में सीमेंट की कमी होने के बावजूद भी नेपाल को 40,000 टन सीमेंट का निर्यात कोटा आबंटित किया है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) भारत नेपाल व्यापार समझौते के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर एक देश द्वारा दूसरे देश को एक निश्चित कोटे में तथा वस्तु के संभरण उपलब्धता को ध्यान में रखकर ऐसी वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता है जिनके निर्यात पर निषेध या प्रतिबंध लगा हुआ है। नेपाल को वर्ष 1980 में निर्यात की जाने वाली 75,000 मी. टन सीमेंट के वार्षिक कोटे में से 15,000 मी. टन सीमेंट जनवरी मार्च 1980 की अवधि के लिए तथा शेष 60,000 मी. टन सीमेंट अप्रैल-दिसम्बर, 1980 की अवधि के लिए निश्चित की गई है।

रायपुर (मध्य प्रदेश) में सीमेंट कारखाने की स्थापना

6168. **श्री नन्द किशोर शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायपुर (मध्य प्रदेश) में एक नये सीमेंट कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब की जायेगी और इसमें कितना व्यय आयेगा, और

(ग) इसके लिए उत्पादन का क्या वार्षिक लक्ष्य रखा गया है और इसमें कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में विद्यमान दो सीमेंट कारखानों के अलावा इस जिले में नये संयंत्रों की स्थापना के लिए अभी तक दो अशायपत्र जारी किये गए है। सम्बन्धित पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गये आवेदनों के अनुसार इन योजनाओं का विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र. सं.	पार्टी का नाम	स्थापना स्थल	प्रतिवर्ष मी. टनों में क्षमता	अचल परिसम्पत्तियों में प्रस्तावित निवेश* (लाख रुपयों में)	नियोजित किये जाने वाला श्रम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	मैसर्स मोदी रबड़ लिमिटेड मोदीनगर	भाटापारा	900,000	5425.00	1108	चूंकि ये परियोजनायें विचार विमर्श की प्रारंभिक अवस्थाओं में हैं, अतएव, इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने की संभावित तारीखें बताना कठिन है।
2.	मैसर्स दार्जिलिंग डियर्स प्लांटेशन लिमिटेड, कलकत्ता	रायपुर	66,000	321.97	173	

(*) अचल परिसम्पत्तियां=भूमि, इमारत, मशीनों पर निवेश।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए जिलों में उद्योग की स्थापना करना

6170. **श्री राजनाथ सोनेकर शास्त्री** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: क्या सरकार का विचार औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए गाजीपुर और जौनपुर जिलों में कोई उद्योग स्थापित करने का है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : केन्द्र सरकार का इस समय इन दो जिलों में उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है किन्तु इन दो जिलों में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक उद्यमी निम्नलिखित प्रोत्साहनों के पात्र हैं :

(1) अखिल भारतीय सावधिक ऋणदाता वित्तीय संस्थानों की रियायती वित्त सुविधायें ।

(1) कार सम्बन्धी रियायतें ।

(2) लघु उद्योग द्वारा मशीनों की किराया-खरीद ।

(3) तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श सेवा ।

(5) ब्याज राज सहायता

(6) कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधाय

(7) ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम

(8) ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम

(9) जिला उद्योग केन्द्र ।

(10) मूल (सीड)/सीमांत (मार्जिन) धनराशि की सहायता ।

उद्योगों में पोली क्लोरिनेटिड बिफेनल सेफ्टी ट्रांसफार्मर्स

6171. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात, खनन और अन्य अनेक उद्योगों में आग लगने के खतरों के लिए शमन एजेंट के रूप में सेफ्टी ट्रांसफार्मरों को अभी भी पोली क्लोरिनेटेड बिफेनल के साथ लगाया जा रहा है,

(ख) क्या यह सच है कि इस रसायन का उपयोग सब देशों में बंद हो गया है क्योंकि इसके गम्भीर विषाक्त प्रभाव से मानव सहित सभी जीवधारियों की नुकशान पहुंचता है; और

(ग) यदि हां, तो इस उत्पाद पर रोक न लगाने और अन्य देशों के समान कोई वैकल्पिक उत्पाद का प्रयोग न करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां । चूंकि पोली क्लोरिनेटिड बिफेनल (पी.सी.बी.) में उच्च तापांक है इसलिए यह आग लगाने के खतरे वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है ।

(ख) पोली क्लोरिनेटिड बिफेनल का प्रयोग कुछ विकसित देशों जैसे स्वीडन और जापान में इसके विषैले प्रभाव के कारण बन्द कर दिया गया है । संयुक्त राज्य अमेरिका की पर्यावरणीय सुरक्षा ऐजेन्सी ने भी पोली क्लोरिनेटिड बिफेनल के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने और इस रसायन के अधिकांश उपयोगों को चरणों में समाप्त करने के लिए अपने अन्तिम नियम जारी कर दिए हैं ।

(ग) देश में इस रसायन के इस्तेमाल और निर्माण को बन्द करने के मामले पर भारत सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। उद्योग को इस बात की सलाह देने के लिए पहले ही कदम उठाए गए हैं कि वह पोली क्लोरिनेटिड बिफेनल के उपयुक्त विकल्प को इस्तेमाल में लाये।

लघु क्षेत्र में उद्योगों के आरक्षण की नीति का समय-समय पर पुनरीक्षण

6172. **श्री ए.ए. रहीम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में लघु क्षेत्र में उद्योगों के आरक्षण की नीति का समय-समय पर पुनरीक्षण करती है,

(ख) इस नीति के कारण लघु उद्योगों का विकास कहां तक हुआ है,

(ग) किन क्षेत्रों में लघु उद्योग उद्यमी बहुत कम संख्या में आगे आये हैं,

(घ) क्या इन क्षेत्रों से आरक्षण हटा लिया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) लघु क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची की नियमित समीक्षा की जाती है। विकास आयुक्त लघु उद्योग द्वारा कुछ उद्योगों की गई समीक्षा से पता चलता है तथा लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित विभिन्न उत्पादों/समूहों की संख्या में व उसके उत्पादन परिमाण में पर्याप्त वृद्धि हुई है। लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित अन्य वस्तुओं की भी समीक्षा की जा रही है। तथा इन समीक्षाओं के आधार पर ही आवश्यक सुधारात्मक अभ्युपाय किए जाएंगे।

जिला उद्योग केन्द्रों को चलाने में कठिनाईयां

6173. **श्री ए.ए. रहीम** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में जिला उद्योग केन्द्रों को चलाने में अनुभव की जा रही कठिनाईयों के बारे में सूचित किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(ग) इन कठिनाईयों को दूर करने के लिए क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) जी, हां। जिला उद्योग केन्द्रों को चलाने में राज्य सरकारों के बताये अनुसार कुछ कठिनाईयां हैं जो इस प्रकार हैं :—

(1) केन्द्रीय सहायता में 75 प्रतिशत से घटा कर 50 प्रतिशत की कटौती।

(2) निर्माण लागत में अत्याधिक वृद्धि होने के कारण हर जिला उद्योग केन्द्र के निर्माण कार्य के लिए विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्वीय प्रदेश में 2 लाख रुपये के अनावर्ती परिव्यय का अपर्याप्त होना;

(3) मार्जिन मनी के रूप में न कि सीधे ऋणों पर ऋण निधि का उपयोग करने संबंधी सीमा;

(4) जिला उद्योग केन्द्रो के लिए अधिक ऋण राशि की व्यवस्था करने में ऋण राशि प्रबंधक की अप्रभावशील भूमिका।

(5) उत्तर पूर्वीय प्रदेश में विशेषतौर से आवास की कमी के कारण जिला उद्योग केन्द्रों में मेधावी व्यक्तियों को ले आने सम्बन्धी कठिनाईयां;

(ग) सरकार ने जिला उद्योग केन्द्रों की योजना की समीक्षा की है तथा वह और अधिक प्रभावशील विकल्पों के लिए कदम उठाने का विचार कर रही है।

भारतीय रक्षा अकादमियों में अफगान मिलिटरी अधिकारियों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण

6174 **श्री चिरजी लाल शर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगान मिलिटरी अधिकारियों को भारतीय रक्षा अकादमियों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ तो ऐसे अफगान मिलिटरी कार्मिकों की संख्या क्या है जिन्होंने भारत में प्रशिक्षण लिया है;

(ग) क्या अभी हाल ही में कुछ अधिकारी प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद अफगान-विद्रोहियों से जा मिले;

(घ) क्या ऐसी बातें भारत-अफगान और भारत-सोवियत संघ के सम्बन्धों में कठिनाईयां उत्पन्न नहीं करेंगी; और

(ङ) यदि हाँ तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.पी.एन. सिंह) (क) जी, हाँ।

(ख) 1970 से, अफगानिस्तान सरकार द्वारा भेजे गए अफगान कैडेटों को कमीशन पूर्व प्रशिक्षण दिया गया है/ दिया जा रहा है। ब्यौरा इस प्रकार है :—

	प्रशिक्षित कैडेटों की संख्या	प्रशिक्षण पा रहे कैडेटों की संख्या
(1) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला	17	2
(2) ए सी.सी. विंग	13	13
(3) भारतीय सैन्य अकादमी	25	4

इसके अतिरिक्त, 1969 मे अफगानिस्तान सरकार द्वारा भेजे गये 405 अफगान सेना अफसरों को विभिन्न प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में कमीशन के बाद का प्रशिक्षण दिया गया है।

(ग) इस बारे में भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(घ) और (ङ) भारत में अफगान सेना के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के बारे में दोनों सरकारों में हुए समझौते के अनुसार, अफगान कार्मिकों को एक बार प्रशिक्षण दे दिए जाने के बाद उनके देश में उन्हें वापस भेजने की जिम्मेवारी भारत में स्थित अफगान दूतावास की हो जाती है। प्रशिक्षण संस्थाओं से नियुक्त होते ही उनकी जिम्मेवारी सीधे उनकी सरकार पर आ जाती है।

इन परिस्थितियों में अफगान कार्मिकों को प्रशिक्षण देने की वजह से भारत-अफगान अथवा भारत-सोवियत संघ संबंधों में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का प्रश्न नहीं उठता।

बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए बनाई गई योजनायें

6175. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीस-सूत्री कार्यक्रम में क्रियान्वयन हेतु सूत्रवार क्या-क्या योजनायें बनाई गई हैं

तथा बीस-सूत्री कार्यक्रम के प्रत्येक सूत्र को कितने समय में क्रियान्वित करने का निर्णय किया गया है; और

(ख) क्या सरकार ने बीस-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर विचार करने के लिए मुख्य मंत्रियों और सबन्धित मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया है अथवा बुलाने का विचार है और यदि हाँ, तो कब तक ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) बीस-सूत्री कार्यक्रम के कुछ विषय कार्यान्वित किये जा चुके हैं। अन्य विषयों के संबंध में स्कीमें और उपाय केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा अपनाए जा चुके हैं तथा 1980-81 की वार्षिक योजना में आवश्यक वित्तीय व्यवस्था की गई है। विभिन्न स्कीमों और उपायों के संबंध में पूरी सूचना योजना आयोग में उपलब्ध नहीं है।

कितने समय के भीतर 20-सूत्री कार्यक्रम के विभिन्न विषयों को कार्यान्वित किया जाना चाहिए इसके बारे में छठी पंच वर्षीय योजना (1980-85) का प्रारूप तैयार करने के समय ही राय कायम की जा सकेगी। यह उल्लेखनीय है कि कुछ विषय, जैसे त्वरित विद्युत कार्यक्रम, केन्द्रीय नियंत्रण के अन्तर्गत उच्च तापीय बिजलीघर, भूमिगत जल के उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम आवश्यक वस्तुओं का सुव्यवस्थित उत्पादन, अधिप्राप्ति और वितरण, आदि निरंतर प्रकार के हैं और ऐसे मामलों में छठी योजना की अवधि में कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों के सबध में उस समय राय कायम की जाएगी।

(ख) जी, नहीं। केवल 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श करने के लिए राज्यों के मुख्य मंत्रियों और सम्बन्धित मंत्रियों का कोई अलग से सम्मेलन अभी तक नहीं किया गया है; और न ही ऐसे अलग से सम्मेलन करने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन है।

सेमी-आपरेशनल रिमोट सेंसिंग' उपग्रह का छोड़ा जाना

6176. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन निकट भविष्य में 'सेमी-आपरेशन रिमोट सेंसिंग' उपग्रह छोड़ने की योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर कितनी राशि खर्च की जायेगी तथा इससे प्रभोक्ताओं की आवश्यकता तथा विभिन्न डिसिपलिनों में संसाधन-प्रबन्धकों की आवश्यकता किस प्रकार पूरी की जायेगी ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन की 1984-85 के दौरान एक अर्धप्रचालनात्मक सुदूर संवेदन उपग्रह (आई. आर. एस.) का डिजाइन तैयार करने, उसका विकास करने तथा उसे कक्षा में छोड़ने की योजना है। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की प्रबंध व्यवस्था के लिये सुदूर संवेदन अनुप्रयोगों के लिये बनाया गया आई. आर. एस. उपग्रह लगभग 600-1000 कि. मी. की सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा में 3-अक्षीय स्थिरीकृत उपग्रह होगा। प्रयोक्ता एजेंसियों के साथ परामर्श करके व्यवहार्यता-अध्ययन पहले ही किये जा चुके हैं तथा परियोजना के ब्यौरे और उस पर आने वाली लागत का अनुमान लगाया जा रहा है।

निर्माताओं द्वारा इंजीनियरी सामान तथा मोटर वाहनों के मूल्यों में मनमर्जी से वृद्धि किया जाना

6177. **श्री के. पी. सिंह देव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटर वाहनों सहित इन्जीनियरी सामान के निर्माता अपनी मर्जी से कभी भी मूल्य बढ़ा देते हैं तथा कुछ निर्माताओं ने वर्ष में तीन-चार बार मूल्य बढ़ाये हैं;

(ख) क्या किसी मूल्य वृद्धि को प्रभावी रूप देने से पूर्व निर्माताओं के लिए यह अपेक्षित है कि वे इस वृद्धि को उचित ठहराने के लिए सरकार को तुलन-पत्र प्रस्तुत करें;

(ग) क्या देश के सभी ट्रक निर्माताओं ने गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रक्रिया का पालन किया था और यदि हाँ, तो किन-किन कम्पनियों ने इनका पालन किया;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि निर्माताओं को उनकी मनमर्जी से मूल्य न बढ़ाने दिया जाये ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरण जीत चानना) : (क) से (घ) इन्जीनियरी सामान का निर्माण सारे देश में संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों दोनों में विभिन्न प्रकार के उद्योगों द्वारा किया जाता है और मूल्य वृद्धि के बारे में जानकारी को विशिष्ट वस्तुओं से संबंधित करना पड़ेगा। मोटर गाड़ियों के सम्बन्ध में मूल्य पर कोई नियन्त्र नहीं है और मूल्य वृद्धि करने के लिए निर्माताओं को सरकार की मंजूरी प्राप्त नहीं करनी पड़ती है। निर्माताओं ने बताया है कि निर्माण-लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मोटर गाड़ियों के मूल्य में समय-समय पर वृद्धि की है ;

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशों से भारतीय वैज्ञानिकों की वापिसी

6178. **श्री जैनूल बशर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने भारतीय वैज्ञानिक विदेशों से भारत वापस आये हैं;

(ख) क्या उन्हें उचित काम पर रख लिया गया है;

(ग) उनमें से कितने ऐसे हैं जो भारत में सेवा स्थिति खराब होने के कारण विदेश लौट गये हैं; और

(घ) उनकी क्या शिकायतें हैं और भारत सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) से (घ) विदेशों से भारत वापिस आने वाले विशिष्ट प्रवासी भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी, प्रवासी भारतीय वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकी विदों इन्जीनियरों, डाक्टरों और सामाजिक वैज्ञानिकों का स्वेच्छिक रूप से नाम दर्ज कराने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसधान परिषद् भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर का एक प्रवासी भारतीय अनुभाग चलाती है। जिन लोगों का प्रवासी भारतीय अनुभाग में नाम दर्ज

किया गया है और जो भारत लौटने पर सहायता की इच्छा व्यक्त करते हैं, उनके नामों पर वैज्ञानिकों के पूल में चयन करने के लिये विचार किया जाता है। जो व्यक्ति पूल में चयन किये गये हैं, वे विज्ञान या सामाजिक विज्ञान में डाक्टरेट प्राप्त है या इन्जीनियरी और चिकित्सा में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हैं ऐसी आशा की जाती है।

राष्ट्रीय रजिस्टर के प्रवासी भारतीय अनुभाग में गत तीन वर्ष के दौरान 1528 वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों ने अपने नाम दर्ज करवाये। इनमें से 882 व्यक्तियों को पूल में अस्थाई रोजगार प्रदान किया गया था। उनमें से 450 भारत वापिस आये और 233 ने पूल में प्रवेश किया। ऐसा प्रतीत होता है कि बाकी 217 व्यक्तियों ने देश में ही वैकल्पिक रोजगार प्राप्त कर लिया है। उनमें से पाँच व्यक्तियों ने पूल छोड़ दिया था क्योंकि दो को विदेशी छात्रवृति प्राप्त हो गई थी और दो अपनी उच्च शिक्षा के लिए गए थे और एक को कनाडा में अपने पति के पास जाना था।

पूल में सीमित अवधि के लिए नियुक्ति की जाती है जिससे पूल अधिकारी उपयुक्त संस्थान में काम करने की सुविधा प्राप्त कर सकें जब वे नियमित रोजगार के लिए देख रहे हो।

भारत से वैज्ञानिकों के विदेश वापिस जाने के कई कारण हैं—जैसे अग्रिम उच्च अन्ययन करने विस्तृत अनुभव प्राप्त करने, बेहतर सुविधाएं प्राप्त करने और बेहतर रोजगार आदि।

अनुसूचित आदिवासी भाषाएं

6179. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 13 अगस्त, 1960 के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा आदिवासी भाषाओं के रूप में देश में कौन-कौन सी आदिवासी भाषाएं अनुसूचित की गई हैं;

(ख) सरकार ने आदिवासी भाषाओं के विकास तथा लिखित रूप में संरक्षण करने के लिए क्या कार्यवाही की है;

(ग) कौन कौन सी आदिवासी भाषाओं के बारे में सुझाव दिया गया है तथा उन्हें भाषाई अल्पसख्यक समूह में शामिल किया गया है तथा किन-किन भाषाओं के लिए सरकार द्वारा मदद और सहायता दी गई; और

(घ) यदि नहीं, तो इन भाषाओं की भावी संभावनाओं के लिए सरकार का क्या विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) किसी भी आदिवासी भाषा को अनुसूचित नहीं किया गया है।

(ख) असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शिक्षा के प्राईमरी स्तर पर कुछ जनजाति भाषा/बोली की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ग) किसी के लिए नहीं।

(घ) ऊपर के उत्तर (ग) के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक विकास दर में गिरावट

6180. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970-71 को आधार वर्ष मानते हुए औद्योगिक उत्पादन का मासिक सूचकांक

फरवरी, 1980 के दौरान 3.9 अंकों तक गिर कर पिछले महीने 153.9 की तुलना में केवल 150 रह गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति का मुकाबिला करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) जी, हां। मासिक सूचकांक उतार-चढ़ाव बताता है तथा जनवरी से फरवरी में सूचकांक का गिर जाना भी केवल इसी उतार-चढ़ाव का केवल एक अंग है। औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक अनेक मिले जुले कारणों का परिणाम है जो साथ साथ चला करते हैं। इनमें से कुछ कारण मौसमी प्रकृति के भी होते हैं अतएव उन कारणों को जिनसे प्रतिमास औद्योगिक उत्पादन में अन्तर उत्पन्न होता है अलग बता सकना संभव नहीं है।

(ग) सरकार ने औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने के लिये अनेक कदम उठाए हैं जैसे औद्योगिक अवस्थापना के सम्पन्न में एक केबिनेट समिति की स्थापना करना थर्मल पावर संयत्रों के लिये पर्याप्त मात्रा में कोयला भेजना कुछेक महत्वपूर्ण निवेश वस्तुओं/कच्चे माल जैसे अलौह धातुओं खाद्य तेल आधारभूत रसायनों आदि का आयात करना माल डिब्बो का अधिक संख्या में चलना तथा सुधारे हुए श्रमिक प्रबन्धक सम्बन्ध।

हिन्दुस्तान पेपर कारपारेशन द्वारा अखबारी कागज लुगदी तथा कागज परियोजनायें स्थापित किया जाना।

6181. **श्री अमर सिंह वी. राठवा** : क्या उद्योग मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि. ने अखबारी कागज, लुगदी तथा कागज की कुछ नई परियोजनायें देश में स्थापित करने के लिए एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस हेतु कौन से स्थान चुने गये है; और

(ग) प्रस्तावित परियोजाओं का ब्यौरा क्या है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन निम्नलिखित परियोजनाओं की स्थापना करने में लगा हुआ है :—

1. केरल अखबारी कागज परियोजना : यह परियोजना 80,000 मी. टन प्रतिवर्ष अखबारी कागज तैयार करने की है और केरल राज्य के कोट्टायम जिले के वेल्लार में स्थिति है। परियोजना का काम काफी आगे बढ़ चुका है एव सिविल निर्माण कार्य लगभग पूरा होने को है तथा उपकरण लगाने का काम चल रहा है। परियोजना के 1980 के अन्त तक पूरे हो जाने की संभावना है।

2. नागालैंड लुग्दी एवं कागज परियोजना : यह 33,000 मी. टन प्रति वर्ष क्षमता वाली एक एकीकृत लुग्दी एवं कागज मिल है जो नागालैंड के मोका कंचुग जिले के तुली में स्थित है। सिविल निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है और संयंत्र एवं मशीनों जैसी प्रमुख वस्तुएं भी लगा कर दी गई है। परियोजना के 1980 के अन्त तक परीक्षण उत्पादन के लिये चालू हो जाने की समावना है।

3. नौगांव लुग्दी एवं कागज परियोजना : यह एक 1,00,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली एक एकीकृत लुग्दी एवं कागज मिल है जिसे आसाम के नौगांव जिले में लगी

रोड पर स्थापित किया जा रहा है। आंशिक रूप से भूमि ले ली गई है तथा स्थल को तैयार करने का काम हो रहा है। देर से मिलने वाली कुछ वस्तुओं के लिये क्रयादेश दे दिये गये हैं, परियोजना के 1982 तक चालू हो जाने की आशा है।

4. कछार लुग्दी एवं कागज परियोजना : यह प्रतिवर्ष 1,00,000 मीट्रिक टन क्षमता वाली एक एकीकृत लुग्दी एवं कागज मिल है जो आसाम के कछार जिले में पंचग्राम में स्थापित की जा रही है आंशिक रूप से भूमि ले ली गई है तथा स्थल तैयार करने का काम हो रहा है। देर से मिलने वाली कुछ वस्तुओं के लिये क्रयोदेश दे दिये गये हैं और परियोजना के 1983 तक चालू हो जाने की आशा है।

भारत के आर्थिक जोन में विदेशी मत्स्य नौकायें

6182. **श्री एस.एम. कृष्ण** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना द्वारा हाल ही में टूटीकोरिन तट के पास भारत के आर्थिक जोन में कार्य कर रही एक विदेशी मत्स्य नौका पकडी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में पांच अन्य विदेशी मत्स्य नौकायें भी कार्य कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है;

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) से (ग) टूटीकोरिन समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने की कुछ विदेशी नौकाओं के कार्यशील होने की सूचना मिलते ही उन्हें रोकने/पकड़ने के लिए भारतीय नौसैनिक पोत शक्ति भेजा गया। इस पोत को देखते ही विदेशी नौकाओं ने विभिन्न दिशाओं में भागने का प्रयास किया। भारतीय नौसैनिक पोत शक्ति वृहत आकार का काफी बड़ा पोत होने के कारण आसानी से मुड़ फिर नहीं सकता फिर भी वहां मौजूद छः नौकाओं में से एक को उसने पकड़ लिया। शेष पांच नौकाऐं श्रीलंका समुद्री सीमा में घुस गई और पिछले पानी में चली गई। इसलिए इन नौकाओं का पीछा नहीं किया जा सका। पकड़ी गई विदेशी नौका बाद में स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को सौंप दी गई। अब उस क्षेत्र में मछली पकड़ने की किसी विदेशी नौका के कार्यशील होने के बारे में हमारे पास कोई सूचना नहीं है।

प्रोटोटाइप विकास और प्रशिक्षण केन्द्र

6183. **श्री अमर सिंह वी. राठवा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में और अधिक प्रोटाटाइप विकास और प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार कर रही है;

(ख) इसके लिये कौन से स्थान चुने गये हैं; और

(ग) प्रशिक्षण के लिए प्रत्याशियो के चयन का क्या तरीका अपनाया गया है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री चरणजीत चानना : (क) और (ख) उद्योग मंत्रालय आधरूप विकास व प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है। तथापि, हरियाणा सरकार अम्बाला में वैज्ञानिक उपकरणों के लिए एक विकास केन्द्र

स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसके लिये उसने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता मांगी है।

(ग) इस समय राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के अन्तर्गत चार आधारूप विकास व प्रशिक्षण केन्द्र हैं जिनके लिये प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में दिये गये विज्ञापनों के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है। चयन प्रक्रिया में लघु उद्योग सेवा संस्थानों, जिला उद्योग केन्द्रों, राष्ट्रीय व्यापार प्रशिक्षुता परामर्शदाताओं आदि की सहायता ली जाती है।

उड़ीसा को अधिक धन

6184. **श्री चिंतामणि जेना** :: क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि अधिक धन के लिए राज्य की आवश्यकता के संबन्ध में उड़ीसा प्रदेश की ओर विशेष ध्यान दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) : योजना आयोग और उड़ीसा के मुख्य मंत्री के बीच 24 जुलाई, 1980 को हुए विचार-विमर्श में, उड़ीसा राज्य की 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए पहले अधिकारी स्तर पर हुई बैठक में अनुमोदित 221,05 करोड़ रु. के मुकाबले 250 करोड़ रु. की योजना को बनाए रखने के लिए अधिक परिव्ययों की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। अधिक संतुलन क्षेत्रीय संवृद्धि के संवर्धन की दृष्टि से राज्य के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है।

"सीमेंट इंडस्ट्री लास एट रूपीज 750 एम" शीर्षक का समाचार

6185. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** :

श्री चन्द्रभान आठेर पाटिल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 7 जुलाई, 1980 के दैनिक इकनामिक टाइम्स (नई दिल्ली संस्करण) में 'सीमेंट इडस्ट्री लास एट रूपीज 750 एम." शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है।

(ख) यदि हां, तो क्या यह सही है कि हानि का कारण भाड़े में वृद्धि के अलावा कोयला तथा विद्युत जैसे तत्वों (इनपुट्स) की ऊंची लागत के अतिरिक्त क्षमता का कम उपयोग किया जाना है;

(ग) क्षमता के उपयोग में कमी आने के क्या कारण हैं जो कि दो वर्ष पूर्व 90 प्रतिशत थी और वह 1980 के पहले चार महीनों में घट कर 70 प्रतिशत हो गयी है;

(घ) क्षमता के उपयोगीकरण में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं; और

(ङ) क्या यह सही है कि सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 15 लाख टन सीमेंट के नियुक्त की व्यवस्था रखी है, यदि हां, तो क्या सीमेंट के कुल उत्पादन से देश के भीतर की आवश्यकता पर्याप्त रूप से पूरी हो जायेगी;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी हां।

(ख) सीमेंट मैन्यूफैक्चरर्स एसोशिएशन ने इस प्रकार का अभ्यावेदन दिया है।

(ग) सीमेंट उद्योग में क्षमता का उपयोग केवल वर्ष 1980 के प्रथम चार महीनों में ही कम नहीं रहा है अपितु यह 1979-80 के समूचे वर्ष में ही कम रहा है। यह कमी कोयले के उपर्याप्त समरण और सीमेंट उद्योग पर लगाई गई बिजली की कटौती के कारण रही है।

(घ) सीमेंट कारखानों को उच्चतम स्तर पर उत्पादन बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली और कोयला दिलाने का सुनिश्चय करने हेतु सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) जी नहीं। नेपाल और भूटान को छोड़कर सीमेंट का निर्यात करने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है।

पंजाब में सिलाई मशीन और साइकिल उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए अनुसंधान और विकास केन्द्र की स्थापना

6186. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलाई की मशीन और साइकिल उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिए पंजाब में अनुसंधान और विकास केन्द्र की स्थापना की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब की जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) लुधियाना में सिलाई मशीन तथा बाईसिकल उद्योग की सहायता करने के लिए प्रत्येक के लिए एक एक परियोजना स्थापित करने विषयक एक प्रस्ताव पर पंजाब सरकार विचार कर रही है। इन परियोजनाओं के लिए उसने यू. एन. डी. पी. की सहायता मांगी है और उद्योग मंत्रालय में उनके अनुरोध पर ध्यान दिया जा रहा है।

अशोक पेपर मिल्स रमेश नगर, दरभंगा, बिहार में लुगदी बनाने का काम पुनः आरंभ किया जाना

6187. **श्री भागेन्द्र झा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में रमेश नगर, दरभंगा स्थित अशोक पेपर मिल्स में लुगदी बनाने का काम पुनः आरम्भ करने का तथा यह काम आरम्भ किए जाने के समय बनाई गई योजना की भांति उत्पादन का प्रसार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) खोई (बंगाले) सबाई घास इत्यादि जैसी कच्ची सामग्री किफायती दरों पर उपलब्ध न होने के कारण अशोक पेपर मिल्स, रामेश्वर नगर में 60 मी. टन की दैनिक क्षमता वाले एक लुग्दी एकक की स्थापना करने सम्बन्धी मूलप्रस्ताव को त्याग देना पड़ा था। कम्पनी 1967 में दिवालिया हो गई थी तथा इसका अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों और असम एवं बिहार सरकारों द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। संशोधित परियोजना में रामेश्वर नगर में कागज का निर्माण करने के लिए कम्पनी के असम एकक से लुग्दी का संभरण करने की परिकल्पना की गई है। विद्यमान स्थिति यह है कि रामेश्वर नगर में लुग्दी एकक स्थापित करने हेतु किफायती दर पर कच्ची सामग्री उपलब्ध नहीं है।

पंजाब में छोटे वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण

6188. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार पंजाब में छोटे वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या संयुक्त उद्यम होगा; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) मैं. पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने दिनांक 6 जून 1980 के अपने आवेदन पत्र में पंजाब के जिला होशियार में स्थापित किये जाने वाले एक नये उपक्रम के माध्यम से 3 टन पेलोड तथा 10,000 नग वार्षिक क्षमता है वाणिज्यिक गाड़ियों का निर्माण करने के लिये औद्योगिक लाइसेंस हेतु अनुरोध किया है सरकार इस मामले की जांच कर रही है।

मध्य प्रदेश में सीमेंट के कोटे में वृद्धि का अनुरोध

6189. **श्री अरविन्द नेतनाम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य को मिलने वाला सीमेंट का कोटा 1 लाख टन से बढ़ा कर 3 लाख टन कर दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी हां। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने 1.58 लाख मी. टन सीमेंट के मूल तिमाही आवंटन को बढ़ाकर 3 लाख मी. टन करने का अनुरोध किया है।

(ख) देश में सीमेंट की उपलब्धता मांग से कम कम है अतः मध्य प्रदेश सहित राज्यों को किए जाने वाले आवंटन को बढ़ा पाना केवल तभी संभव होगा जब देश में सीमेंट की उपलब्धता स्थिति में सुधार आएगा इसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

माइका केपेसिटर्स का निर्माण करने वाले एकक

6190. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी पूंजी वाली जे. वी. इलेक्ट्रानिक्स, नई दिल्ली और साहा सोशिन इलेक्ट्रानिक्स बम्बई नामक दो एककें हैं जो केवल अपने सहयोग कर्ताओं को निर्यात करने के लिए माइका कैपेसिटर्स माइका सिल्वर्ड प्लेट्स और सेक्शन आदि का निर्माण कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच भी है कि उन्हें इन वस्तुओं के लिए नौतल-पर्यन्त शुल्क रहित निर्यात मूल्य के 17½ प्रतिशत की नकद सहायता दी जाती है;

(ग) क्या विदेशी सहयोग कर्त्ताओं के इन रक्षित एककों के लिए स्वीकृति विदेशी सहयोग व्यवस्था में नकद सहायता दिए जाने की परिकल्पना भी की गई है;

(घ) इन एककों द्वारा अपने विदेशी सहयोग कर्त्ताओं को उनके लाभांशों के रूप में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा भेजी गई है; और

(ङ) क्या सरकार का इस दुर्लभ विदेशी मुद्रा पर रोक लगाने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) मैसर्स साहा सोशिन नामक यूनिट सान्ताक्रुज इलेक्ट्रानिकी निर्यात संसधान क्षेत्र में स्थित है और इसलिए सान्ताक्रुज इलेक्ट्रानिकी निर्यात संसाधन क्षेत्र के एककों पर लागू होने वाली आम नीति के अनुसार उन्हें नकद सहायता की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैसर्स जे. वी. इलेक्ट्रानिक्स नामक अन्य एकक नकद सहायता प्राप्त करने का हकदार है।

(ग) विदेशी सहयोग के मामलों को अनुमोदन प्रदान करते समय निर्यात करने पर नकद सहायता की शर्त उसके प्रभाव क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आती।

(घ) जहां तक मेसर्स जे. वी इलेट्रानिकस का सम्बन्ध है विदेशी वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग के लिए अक्तूबर, 1972 में अनुमोदन प्रदान किया गया। जब से कम्पनी ने उत्पादन शुरू किया है तब से इसने कोई लाभांश घोषित नहीं किया। अत: विदेशी सहयोगकर्ता के लाभ के हिस्से को भेजने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

जहां तक मैसर्स साहा सोशिन का सम्बन्ध है उन्हें नवम्बर, 1973 में अनुमोदन प्रदान किया गया था किन्तु इस मामले में भी कम्पनी ने अब तक लाभांश की कोई राशि नहीं भेजी है।

(ङ) सरकार की नीति यह रही है कि विदेशी सहयोग के लिए अनुमोदन या तो उस प्रौद्योगिकी को अर्जित करने के लिए किया जाय जो स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है अथवा इस आधार पर किया जाये कि अनुमोदित यूनिटों का कार्यकलाप निर्यात-उन्मुख होगा। वर्तमान मामले में, प्रौद्योगिकी का स्वरूप न केवल जटिल एवं सूक्ष्म किस्म का है अपितु यूनिटों का कार्य-कलाप भी शत प्रतिशत निर्यात-उन्मुख है। सरकार की यह नीति है कि लाभांश, स्वामित्व शुल्क रायल्टी, लाइसेंस-शुल्क आदि के प्रेषण की अनुमति दी जाए, बशर्ते स्थानीय करों की अदायगी कर दी गयी हो। यह कहना सही नहीं है कि इन प्रेषणों के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा पर अनिवार्य रूप से दबाव पड़ेगा ही, क्योंकि जो विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है उसको इस संदर्भ में देखना है कि विदेशी सहयोगकर्ता द्वारा सामान्यापूंजी (इक्विटी) के रूप में किये गये पूंजी निवेशों के फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है और इस प्रकार लाभ का संतुलन किस ओर है। साथ साथ यह भी देखना होगा कि निर्यात किये गये उत्पाद के फलस्वरूप कितनी सकल विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है।

आर. एच. ए. बाजार, अम्बाला छावनी में नागरिक सुविधायें

6191. **श्री सूरजभान** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छावनी बोर्ड, अम्बाला के अलग कर दिये जाने के बाद केवल एक ही नागरिक क्षेत्र, अर्थात, आर. एच. ए. बाजार अम्बाला छावनी के पास बाकी बचा है और उक्त क्षेत्र में बच्चों के लिये खेल के मैदान, पार्क, अस्पताल, हाई स्कूल, पब्लिक लाइब्रेरी; कम्यूनिटी हाल जैसी सुविधाएं नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त नागरिक क्षेत्र में निकट भविष्य में ऐसी तथा अन्य नागरिक सुविधाएं देने की केन्द्रीय सरकार की कोई योजना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) से (ग) यह सही है कि 1977 में अम्बाला छावनी के कुछ क्षेत्रों को छावनी से अलग कर दिये जाने के बाद केवल आर एच. ए.

बाजार नामक सिविल क्षेत्र ही अम्बाला छावनी के पास बल्की बचा है। आर.एच. ए. बाजार में रहने वाले लोगों के लिए अस्पताल हाई स्कूल आदि नागरिक सुविधाएं अब भी उपलब्ध हैं। भले ही अब वे नगरपालिका के अन्तर्गत आती हैं। छावनी से अलग किये जाने से पहले भी, ये सुविधाएं किसी विशेष भाग के लिये ही न हो कर सारे छावनी बोर्ड के निवासियों के लिये थीं, जिसमें अब अलग किया गया क्षेत्र भी तब शामिल था। जहाँ तक इन सुविधाओं के उपयोग का संबंध है स्थिति अब भी पहले जैसी ही है। केवल इन संस्थाओं का प्रबन्ध कार्य ही हस्तांतरित किया गया है। यदि कुछ क्षेत्रों का अलग किये जाने के बाद कुछ नागरिक सुविधाओं की कमी हो जाती है और उनकी व्यवस्था की जानी है तो इस बारे में छावनी बोर्ड को ही विचार करना और निर्णय लेना होता है। छावनी बोर्ड की ओर से भारत सरकार को इस बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विदेशी मुद्रा के बदले सीमेंट प्राप्त करने में कठिनाइयां

6192. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि लोगों को विदेशी मुद्रा के बदले सीमेंट प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) विदेशी मुद्रा के बदले सीमेंट प्राप्त करने के लिए सामान्यत: कितना समय निर्धारित किया गया है;

(ग) मन्त्रालय के पास पिछले छः महीनों से कितने आवेदन अनिर्णीत पड़े हैं;

(घ) उन मामलों का निपटान करने में विलम्ब के क्या विभिन्न कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त प्रक्रिया को सरल बनाने का है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हाँ।

(ख) विदेशी मुद्रा देकर सीमेंट लेने के लिए यद्यपि किसी भी व्यक्ति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, फिर भी यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र सीमेंट देने के लिए रिलीज आडर जारी करने के हर समव प्रयास किए जाते हैं।

(ग) जनवरी, 1980 से 30 जून, 1980 तक 6 महीने की अवधि के दौरान 11,541 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से 30 जून, 1980 को 7,154 मामलों में सीमेंट के लिए रिलीज आर्डर जारी कर दिए गए थे तथा 4,387 मामले सीमेंट नियन्त्रक के कार्यालय में विचाराधीन थे।

(घ) आवेदन-पत्रों को निपटाने में हुए विलम्ब के मुख्य कारण प्राप्त आवेदन पत्रों में कमियों का होना और बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों को निवटाने में बढ़े हुए काम का होना है।

(ङ) आवेदन पत्रों को निपटाने में होने वाले विलम्ब को कम से कम करने तथा आवेदकों को सीमेंट का शीघ्र संभरण सुनिश्चित करने के लिए उन राज्य सरकारों को रिलीज आर्डर जारी करने की शक्तियाँ सौंप दी गई हैं जो इस जिम्मेदारी को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हैं। इस सम्बन्ध में दिनांक 15-7-80 को जारी किया गया प्रेस टिप्पण संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

तिहाड़ जेल के प्रशासन में सुधार के लिए उपचारात्मक उपाय

6193. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिहाड़ जेल में जहाँ अधिकारियों का भी उसमें हाथ है गंभीर कदाचार, चोरी और आपराधिक गतिविधियाँ हो रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने उपचारात्मक उपायों के लिए तथ्यों का पता लगाने हेतु कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि तिहाड़ जेल में कदाचार आदि के सम्बन्ध में उनको कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उपराज्यपाल ने अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच कराने का आदेश दिया था। किन्तु जाँच पूरी होने से पहले उच्चतम न्यायालय ने तिहाड़ जेल के एक कैदी, जिसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी, की शिकायत पर दिल्ली के जिला तथा सत्र जज से अपराधी द्वारा लगाये गये आरोपों की खुली जाँच करने और कदाचार तथा हिंसा की स्थिति तथा उसके बने रहने एवं कैदियों की शिकायतों से अपने को अवगत कराने तथा सुधारात्मक कार्यवाई के सुझाव देने के लिए कहा था। इसको ध्यान में रखते हुए उप-राज्यपाल द्वारा दिया गया जाँच का आदेश समाप्त कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये जाँच के आदेश पर कार्यवाई की जा रही है।

1978 में निलम्बित किए गए अर्द्धसैनिक बलों को बहाल करना

6194. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के अर्द्धसैनिक बलों के कुल कितने कर्मचारियों को 1978 में निलम्बित किया गया/सेवा से निकाला गया; और

(ख) क्या सरकार का विचार है कि उनके मामलों का सहानुभूतिपूर्वक पुनर्विचार किया जाये तथा उन सभी पुलिस कर्मचारियों को सेवा-लाभों सहित बहाल किया जाए तथा उन सभी पुलिस कर्मचारियों को तंग न किया जाये जिन्होंने उस हड़ताल में भाग लिया था जिसका आह्वान हाल में कुछ केन्द्रीय राज्य पुलिस बलों ने, अर्थात् सी. आर. पी./ सी. आई. एस. एफ./ पंजाब/राजस्थान/तमिलनाडु आदि ने किया था ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों तथा केन्द्रीय पुलिस संगठनों से एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) 1979 की हड़ताल में भाग लेने वाले पुलिस कार्मिकों के मामलों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया गया है। राज्य सरकारों से भी ऐसा करने का अनुरोध किया गया है और इसके परिणामस्वरूप उनमें से अनेक कार्मिकों को बहाल कर दिया गया है। यह गलत है कि कोई अत्याचार किया गया है। सभी बरखास्त कार्मिकों को बहाल करने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रधान मंत्री को रुपयों की थैली भेंट करना

6195. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान प्रधान मन्त्री को कितने मौकों पर बहुमूल्य धातुओं में तोला गया है और ऐसी बहुमूल्य धातुओं का कुल मूल्य क्या है; और

(ख) उन्होंने कितने मौकों पर रुपयों से भरी थैलियाँ प्राप्त की हैं और उनका कुल मूल्य कितना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) वर्तमान प्रधान मन्त्री को जनवरी, 1980 में कार्यभार सम्भालने के बाद कभी भी मूल्यवान धातुओं से नहीं तोला गया। 25 मई, 1980 को छपरौली में उन्हें 1,04,151 रुपये की एक थैली इस अनुरोध के साथ भेंट की गई थी कि इस धन को उसी क्षेत्र में लगाया जाय। प्रधान मन्त्री ने तुरन्त आदेश दिया कि धन को ट्रस्ट में लगाया जाय और इससे आने वाला ब्याज छात्रवृत्ति के रूप में उसी क्षेत्र के गरीब छात्रों में वितरित किया जाय।

सेंट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

6196. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद के कर्मचारी हड़ताल पर थे;

(ख) यदि हाँ, तो हड़ताल करने के क्या कारण थे, और

(ग) किये गये समझौते का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 7 फरवरी, 1980 के हड़ताल के नोटिस में, जिसे सेन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड की यूनियन कर्मचारियों ने कम्पनी के प्रबन्धक वर्ग को दिया था, निम्नलिखित माँगें रखी गई थी :

1. सी. ई. एस. के प्रबन्धक वर्ग द्वारा सार्वजनिक निधियों के दुर्विनियोग और सरकारी शक्तियों के दुरुपयोग के बारे में उपयुक्त सरकारी प्राधिकारियों द्वारा जाँच कराना;

2. 1977-78 और 1978-79 वर्षों के लिये बोनस की तुरन्त अदायेगी;

3. पदोन्नति सम्बन्धी नीति की समीक्षा की जाये ताकि पदोन्नति के लिये योग्य सेवा की अवधि को 4 वर्ष से दो वर्ष में बदल दिया जाए;

4. प्रतिकर नगर भत्ता मई, 1979 से अदा किया जाए;

5. ई. एस. आई. सी. से उन्मुक्ति प्राप्त की जाए;

6. 1978-79 के लिये उत्पादन प्रोत्साहन अदा किया जाए;

7. सितम्बर, 1978 में हस्ताक्षर किए गये समझौता ज्ञापन के जिन मुद्दों पर अभी तक कोई कार्यवाई नहीं की गई है, उन पर कार्यवाई की जाये।

(ग) समझौते ज्ञापन पर 2 जून, 1980 को हस्ताक्षर किये गये थे। इस पर कामगारों के प्रतिनिधियों और सी. ई. एल. के प्रबन्धक वर्ग के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किये थे। संलग्न विवरण में समझौते की शर्तें दी गई है।

विवरण

समझौते की शर्तें

1977-78 और 1978-79 के लिए बोनस :

1977-78 और 1978-79 के लिये बोनस के भुगतान के बारे में यूनियन के दावे के अनुसार यह स्वीकार किया जाता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में हुई बातचीत के अनुसार भारत सरकार के निर्णय को अगस्त, 1980 के पहले सप्ताह तक प्रेषित कर दिया

जायेगा और यह दोनों पक्षों के लिये बाध्यकारी होगा, जहां तक कि यह कानून के अधीन यूनियन के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है।

पदोन्नति सम्बंधी नीति :

5-4-1980 को हुई बैठक में डी. एस. टी. के सचिव द्वारा दिये गये सुझाव के आलोक में यह स्वीकार कर लिया गया कि प्रबन्धक वर्ग यथा सम्भव शीघ्र और अधिक से अधिक इस समझौते की तारीख के 6 मास के भीतर मौजूदा पदोन्नति नीति के बारे में यूनियन के विचारों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगा। सक्षम प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने के तुरन्त पश्चात् अंतिम रूप प्रदान किये संशोधित मानकों को कार्यान्वित किया जायेगा।

मई, 1979 से नगर प्रतिकर भत्ता:

यूनियन ने अपने इस अवस्थान की पुष्टि की कि भारत सरकार के परिपत्र के जारी होने के पश्चात सी.ई.एल.के कर्मचारी नगर प्रतिकर भत्ता के लिये पात्र हैं और कि नगर प्रतिकर भत्ते और स्थानीय या अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ते में कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। प्रबन्ध वर्ग ने इस बात की ओर संकेत किया कि नगर प्रतिकर भत्ते के बारे में भारत सरकार का परिपत्र केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर ही लागू होता है और महगाई भत्ते के भुगतान करने का विनियमन करने वाले 27-9-1978 के समझौते के प्रावधानों की दृष्टि में रखते हुये, 27-9-78 के समझौते के प्रवर्त्तन के दौरान नगर प्रतिकर भत्ते की मांग को फिर से नहीं उठाया जा सकता है। बहरहाल, यूनियन की मान्यता यह है कि वे प्रबन्धक वर्ग को बीच में न लाते हुये सीधे ही उपयुक्त प्राधिकारियों से इस बारे में पत्र व्यवहार करेंगे।

ई. एस. आई. सी. से उन्मुक्ति :

यह तय पाया है कि 30 जून, 1980 तक ई० एस० आई० से उन्मुक्ति प्रदान किये जाने के परिणामस्वरूप कामगारों को ई. एस. आई. सी. से उन्मुक्ति की समानुपातिक अवधि के लिये राजपत्र अधिसूचना की तारीख से कम्पनी के कार्यपालकों पर लागू होने वाली मौजूदा योजना के अनुसार, डाक्टरी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। साथ ही यह भी तय पाया है कि जब तक साहिबाबाद क्षेत्र में हस्पताल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो जाती है तब तक 30 जून, 1980 के बाद उन्मुक्ति की अवधि को बढ़ाने के लिये प्रयास किये जाएंगे।

उत्पादन प्रोत्साहन :

1980-81 वर्ष के लिए उत्पादन प्रोत्साहन योजना के बारे में और 27-9-1978 के समझौते के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये यह तय पाया है कि यथा सम्भव शीघ्र और इस समझौते की तारीख के छः मास के भीतर यूनियन द्वारा नामित किये गये एक प्रतिनिधि के परामर्श से एक उत्पादन प्रोत्साहन योजना तैयार की जायेगी। जब इस योजना को अंतिम रूप प्रदान कर दिया जायेगा तो इसे सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने के तुरन्त पश्चात कार्यान्वित किया जायेगा।

अन्य मामले

27-8-1978 के समझौते को कार्यान्वित किया जा रहा है। क्योंकि यूनियन यह अनुभव करती है कि अभी कुछ मुद्दों पर कार्य करना शेष है, यथा शिशु क्रच, विश्राम कक्ष, रोगीयान,

मृत्यु सहायता कोष आदि के बारे में अत: प्रबन्धक वर्ग इस बात से सहमत है कि वह इन कार्यों को शीघ्र और तीन मास की अवधि के भीतर पूरा कर देगा। जहाँ तक मृत्यु सहायता कोष का सम्बन्ध है यह तय पाया है कि एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें दो-दो प्रतिनिधि प्रबन्धक वर्ग और यूनियन से लिये जाएंगे ताकि आगामी आवश्यक कार्यवाई के लिये 27-9-78 के समझौते के प्रावधानों के अनुसार उप नियम और योजना तैयार की जा सके।

सार्वजनिक कोषों का दुर्विनियोग

डी. एम. टी. के सचिव से 5-4-1980 को हुई चर्चा के आलोक में, प्रबन्धक वर्ग ने स्पष्टीकरण दिया कि ऐसे मामलों की जांच के लिये एक सुनिर्धारित प्रणाली और प्रक्रिया है। ऐसे मामले प्रबन्ध निदेशक के ध्यान में लाये जाने चाहिएं और वे सुनिश्चित करेंगे कि इन मामलों में उपयुक्त प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।

प्रबन्धक वर्ग इस बात से सहमत है कि इस हड़ताल में भाग लेने के कारण किसी कामगार को सताया नहीं जायेगा।

हड़ताल की अवधि के लिए मजदूरी :

हड़ताल की अवधि के लिये मजदूरी के बारे में प्रबन्धक वर्ग ने अपने पहले के अवस्थान की पुष्टि की कि 'काम बिना वेतन नहीं' के सिद्धांत के आधार पर और मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936' के प्रावधानों के अनुसार कामगार हड़ताल की अवधि के लिये मजदूरी के हकदार नहीं हैं। बहरहाल, यूनियन ने इस बात की ओर संकेत किया कि वे हड़ताल की अवधि के लिये मजदूरी के लिये अपने दावे की पूर्ति के लिये कोई कानूनी कार्यवाई करने के लिये मुक्त हैं।

सत्यनिष्ठा के प्रतीक के रूप में प्रबन्धक वर्ग लम्बी हड़ताल के कारण कामगारों की कठिनाईयों को कम करने के लिये तैयार है और उन्हें ड्यूटी पर वापस आने की तारीख के पांच दिन के भीतर वसूली योग्य पेशगी देने के लिए तैयार है। इसके विवरण इस प्रकार हैं।

मजदूरी वर्ग I और II	650/-रुपये
मजदूरी वर्ग III,IV और V	750/-रुपये
मजदूरी वर्ग VI,VII और VIII	900/-रुपये
200/-रुपये की छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थी	—300/-रुपये
330/-रुपये की छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थी	—400/-रुपये

पेशगी की राशि को दस समान मासिक किस्तों में वसूल किया जायेगा। पेशगी की वसूली सितम्बर, 1980 के मास की मजदूरी से आरम्भ होगी। कामगार अपनी मजदूरी में से पेशगी की कटौती के लिये उपयुक्त प्राधिकरण प्रदान करेंगे। यूनियन ऐसे कामगार के बारे में पेशगी की राशि की वसूली के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करती है जिसे उपरि निर्दिष्ट पेशगी प्रदान की गई है और जो पेशगी की रकम को पूरी वापस किये बिना और कम्पनी से सरकारी तौर पर निर्मुक्त हुए बिना कम्पनी की सेवा से त्यागपत्र दे देता है।

हड़ताल 2 जून, 1980 को 8·25 प्रात: से वापस ली जा रही है। जो कामगार बाहर गये हुए हैं उन्हें 12 जून, 1980 को या उससे पूर्व ड्यूटी पर हाजिर होने का समय दिया जाएगा और हड़ताल वापस लेने की तारीख और कामगार द्वारा ड्यूटी पर हाजिर होने की तारीख के

बीच की अवधि को बिना वेतन के छुट्टी या छुट्टी यदि देय हो, के समायोजन की शर्त के अधीन प्राधिकृत अनुपस्थिति समझा जायेगा।

सामान्य

और जबकि यह स्वीकार किया जाता है कि प्रबन्धक वर्ग और यूनियन 27.9.1978 के समझौते को मानेंगे और किसी विवाद/मतभेद की स्थिति में इस समझौते को और 27.9.78 के समझौते को एक साथ पठित किया जायेगा और यह 27.9.1978 के समझौता ज्ञापन की धारा संख्या 38·2 के अनुसार दोनों पक्षों के लिये बाध्यकारी होगा।

इस समझौते के प्रवर्तन के दौरान, अर्थात 31.3.1982 तक कोई नई मांगें नहीं रखी जाएंगी और इस समझौते की धारा संख्या 12·1 के आलोक में 7.2.1980 के हड़ताल नोटिस में आने वाले किन्हीं मामलों के बारे में कोई विवाद/मांगें रखी नहीं जाएगी।

पूर्वी नौसैनिक कमान्ड में कार्यालय अधीनस्थ ग्रेड-दो के संवर्ग में पदोन्नति

6197. श्री रामविलास पासवान: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी नौसैनिक कमांड में 1 अप्रैल 1978 के बाद कितने विभागीय कर्मचारियों को कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-दो के संवर्ग में पदोन्नति की गई;

(ख) इन रिक्त स्थानों में से अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये कितने पद आरक्षित किये गये और कितने पद इन जातियों के कर्मचारियों से अलग अलग भरे गये;

(ग) पूर्वी नौसैनिक कमांड विशाखापत्तनम में 1 अप्रैल, 1978 के बाद कितने आरक्षित पदों का आरक्षण समाप्त किया गया ; और

(घ) क्या पूर्वी नौसैनिक कमांड के अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में दिनांक 25 सितम्बर, 1976 के कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित प्रतिक्रिया का कड़ाई से पालन किया है यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) छः।

(ख) (1) दो।

(2) दो।

(ग) शून्य

(घ) जी हां।

भारतीय इंजीनियरी सेवा, भारतीय चिकित्सा सेवा तथा भारतीय वन सेवा की अखिल भारतीय सेवा का गठन

6198. श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद ने वर्ष 1963 में अथवा उसके आस पास (एक) भारतीय इंजीनियरी सेवाओं (दो) भारतीय चिकित्सा सेवाओं तथा (तीन) भारतीय वन सेवाओं को एक अखिल भारतीय सेवा का गठन करने हेतु एक अधिनियम पारित किया था;

(ख) क्या भारतीय वन सेवा का गठन वर्ष 1968 में हुआ था परन्तु अन्य दो सेवाओं का जिन्हें भारतीय वन सेवा से ऊपर रखा गया था गठन नहीं किया गया था;

(ग) क्या (एक) भारतीय इन्जीनियरी सेवा तथा (दो) भारतीय चिकित्सा सेवा की क्रियान्विति के लिए भारत सरकार को अधिकांश राज्यों से सहमति प्राप्त हो गई थी;

(घ) क्या जनवरी, 1977 में अथवा उसके आसपास, भारतीय इंजीनियरी सेवा के गठन के आदेश जारी किये गये थे; यदि हां, तो क्या बाद में उन्हें वापस ले लिया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो उपरोक्त दोनों सेवाओं का गठन तथा उनके स्वरूप को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान। अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) को निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिए संशोधित किया गया था :—

"2-क. नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन :—

निम्नलिखित अखिल भारतीय सेवाएं उस तारीख से गठित की जाएंगी जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस सम्बन्ध में नियत करेगी और विभिन्न सेवाओं के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी, अर्थात् :—

1. भारतीय इंजीनियर्स सेवा (सिंचाई, विद्युत, भवन तथा सड़क;)
2. भारतीय वन सेवा;
3. भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा।"

(क) भारतीय वन सेवा पहली जुलाई, 1966 से गठित की गई थी। भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा को पहली फरवरी, 1969 से गठित किया गया था किन्तु इसके संवर्गों का गठन अभी तक नहीं किया गया है। भारतीय इंजीनियर्स सेवा अभी तक गठित नहीं की गई है।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) एक गजट अधिसूचना जारी करके जनवरी, 1977 में भारतीय इंजीनियर्स सेवा गठित करने का निर्णय किया गया था। किन्तु पुनर्विचार करने पर और आगे कार्यवाई करने से पूर्व सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करने का निर्णय किया गया था।

(ङ) पिछली सरकार ने मार्च, 1978 में यह निर्णय किया था कि भारतीय इंजीनियर्स सेवा और भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा के संवर्गों के गठन के प्रश्न पर आगे कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। तदनुसार राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया था। किन्तु मामले पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो में यूनियन को मान्यता

6199. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो में यूनियन गठित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसको मान्यता दे दी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में 3 एसोसिएशन हैं अर्थात् लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लिए आल इण्डिया सी.बी.आई. इम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन जिसने मान्यता के लिए अनुरोध किया है; विधि अधिकारियों के लिए सी.बी.आई. ला आफिसर्स एसोसिएशन जिसने अभी तक मान्यता के लिए अनुरोध नहीं किया है तथा अंगुलि छाप ब्यूरो, कलकत्ता के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए सेंट्रल फिंगर प्रिंट ब्यूरो एन.जी. ओज (एन्जीक्यूटिव) एसोसिएशन जिसने मान्यता के लिए अनुरोध किया है।

जिन एसोसिएशनों ने मान्यता के लिए अनुरोध किया है उनके अनुरोधों की सरकार द्वारा जाँच की जा रही है।

भारत में ओम्बड्समैन जैसी संस्था स्थापित करना

6200. श्री डी.एस.ए. शिव प्रकाश : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में ओम्बड्समैन जैसी संस्था स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : ओम्बड्समैन जैसी संस्था स्थापित करने के प्रश्न पर सरकार ने अभी तक कोई विचार नहीं किया है।

प्रशासनिक न्यायधिकरणों की स्थापना

6201. श्री डी.एस.ए. शिव प्रकाशम : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 323-क के अन्तर्गत प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है; और

(ख) यदि हां, तो आवश्यक विधान कब तक लाने का विचार है ?

गृह मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) तथा (ख) प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

छठी योजना का पुनरीक्षण

6202. श्री माधवराम सिंधिया : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना 1978-83 के कार्यान्वयन में अब तक हुई प्रगति के सन्दर्भ मे इसका पुनरीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान योजना के अधीन औद्योगिक और कृषि उत्पादन से सम्बन्धित वृद्धि की वार्षिक दर क्या थी और योजना में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में इसकी क्या स्थिति है;

(ग) इन वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति आय और कुल राष्ट्रीय उत्पादन से सम्बन्धित वृद्धि की वास्तविक दर क्या थी और यह लक्ष्यों से कितनी कम रही; और

(घ) क्या शेष योजना अवधि के लिए सरकार का इनके और अन्य पहलुओं के सम्बन्ध में संशोधित लक्ष्य निर्धारित करने का विचार है; यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री श्री (नरायणदत्त तिवारी) : (क) सरकार ने 1978-83 की प्रारूप योजना को छोड़ देने और 1980-85 की अवधि के लिए नई छठी पंचवर्षीय योजना तैयार करने का निर्णय किया है

(ख) से (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

6203.

आविष्कार संवर्धन बोर्ड के कार्य

श्री ए. नीललोहितादसन नाडार : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आविष्कार संवर्धन बोर्ड के कार्य क्या हैं;

(ख) क्या एक नया आविष्कार बोर्ड के ध्यान में लाया गया है; और

(ग) इसका मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड क्या प्रतिक्रिया अपना रहा है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी. पी एन. सिंह) : (क) आविष्कार सम्वर्धन बोर्ड का 1973 में नेशनल रिसर्च एण्ड डिवेल्पमेंट कार्पोरेशन आफ इन्डिया में विलय कर दिया गया था। अब एन. आर. डी. सी की गतिविधियों में नवीन/रूचिकर/तकनीकी दृष्टि से साध्य और व्यापारिक रूप से लाभप्रद विचारों के विकास के लिए आविष्कारकों को पुरस्कार और वित्तीय सहायता प्रदान करना/शामिल है; आविष्कारकों को उनके आविष्कारों के लिए पेटेन्ट सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करने के लिए मार्ग दर्शन प्रदान करना है, आविष्कार निबन्ध और प्रतिभा प्रतियोगिताओं का आयोजन करना है और मासिक पत्रिका 'आविष्कार' (हिन्दी) और "इन्वेन्शन इन्टैलीजेंस" अंग्रेजी का प्रकाशन करना है।

(ख) 1979-80 के दौरान 114 मामले पुरस्कार प्रदान करने के लिए और 87 मामले वित्तीय सहायता प्रदान करने करने के लिए प्राप्त हुए थे। इसी वर्ष के दौरान, 17 पुरस्कार प्रदान किये गये थे और चार मामलों में वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

(ग एन. आर डी. सी. आविष्कारकों से उनके आविष्कारों के लिए आवेदन प्राप्त करती है और इनका पहले एन. आर. डी. सी. द्वारा परीक्षण किया जाया है। इसके पश्चात इन्हें मूल्यांकन के लिए अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों को भेज दिया जाता है। तत्पश्चात इसे पुरस्कार और वित्तीय सहायता प्रदायक समिति के समक्ष विचारार्थ और निर्णय के लिए रखा जाता है। पुरस्कारो की घोषणा गणतंत्र दिवस और स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर की जाती है।

सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के बजाय भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों द्वारा उच्च पदों का भरा जाना

6204 नारायण चन्द पराशर :क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल में कुछ उच्च पद भरने के लिए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आश्वासन दिया है कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों ने वैसा ही साहसपूर्ण प्रशिक्षण अथवा "ओरिएन्टेशन" ले लिया है जैसा सीमा सुरक्षा बल के संवर्ग अधिकारी इस बल में कार्यभार संभालने से पहले लेते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार सीमा सुरक्षा बल में उपलब्ध प्रतिभावान अधिकारियों की उपेक्षा करके किन कारणों से भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करना चाहेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य (मंत्री श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सीमा सुरक्षाबल में उसके गठन के समय से ही कुछ उच्च पदों को भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों से भरा गया है तथा ऐसा किया जाता रहेगा।

(ख) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को भी चयन से पहले सख्त प्रशिक्षण लेना होता है तथा कड़ी परीक्षाओं तथा प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, वे अपने विविधि अनुभव के द्वारा सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों द्वारा की जाने वाले ड्यूटियों में दक्ष हो जाते हैं।

(ग) जिस प्रकार का सीमा सुरक्षा बल का कार्य है और उनकी ड्यूटियां हैं उसके अनुसार सीमा सुरक्षा बल में वरिष्ठ पदों को भरने के लिये भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों,

सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों तथा सेना के अधिकारियों का मिश्रण अवश्यक समझा जाता है।

आर्मी वेल्फेयर हाउसिंग आर्गेनाइजेशन दिल्ली

6205. डा. बसन्त कुमार पंडित : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1978-79 के दौरान "आर्मी वेल्फेयर हाउसिंग आर्गेनाइजेशन" आरम्भ किया गया था;

(ख) क्या उपरोक्त आर्गेनाइजेशन ने पई दिल्ली में मोतीबाग में एक प्लाट पर 1981-82 में पूरे किये जाने वाले बहुमंजिले "काम्पलेक्स" में सेवा निवृत्त और सेवारत अधिकारियों को आवास देने की पेशशक की थी;

(ग) क्या बहुत से सेवा-निवृत्त और सेवारत सैनिक अधिकारियों ने उपरोक्त परियोजना में प्रत्येक आवास के लिये 40,000 रुपय की राशि जमा कराई थी;

(घ) यदि हां, तो कितने सैनिक अधिकारियों ने यह राशि जमा कराई थी और आर्मी वेल्फेयर हाउसिंग आर्गेनाइजेशन द्वारा कुल कितनी राशि एकत्र की गई थी; और

(ङ) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण इस योजना से मुकर गया है और सेवा-निवृत्त तथा सेवारत अधिकारियों द्वारा जमा कराई गई राशि बिना किसी आवास से रुकी हुई है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. सी. एन. सिंह) : (क) से (ङ) आर्मी वेल्फेयर हाउसिंग आर्गेनाइजेशन समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत समिति है। इसलिए रक्षा मंत्रालय का इसके कार्य से कोई संबंध नहीं है

दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम में पुनरीक्षण समिति में परिवर्तन

6206. श्री टी. एस. नेगी : क्या उद्योग मंत्री दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम में पदोन्नतियों के बारे में 18 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1112 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम के निदेशक मंडल ने ई. पी. आई. पद्धति के अन्तर्गत 1978 में पदोन्नति लिये गये अधिकारियों के मामलों का पुनरीक्षण करने के लिए एक समिति गठित की थी जिसमें चेयरमैन, प्रबन्ध निदेशक, वित्तीय नियंत्रक तथा जनरल मैनेजर (कार्मिक) सम्मिलित थे।

(ख) क्या बाद में निदेशक मंडल की स्वीकृत के बिना पुनरीक्षण समिति में जनरल मैनेजर (कार्मिक) के स्थान पर डिवीजनल मैनेजर (कार्मिक) को नियुक्त किया गया था,

(ग) यदि हाँ, तो क्या डिवीजनल मैनेजर (कार्मिक) को जनरल मैनेजर (कार्मिक) की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं,

(घ) यदि हाँ, तो कब और सम्बन्ध कार्यालय आदेश/परिपत्र की संख्या तथा तिथियां

(ङ) परिवर्तन करने का प्रयोजन क्या है और क्या यह अनियमित है, और

(च) यदि हाँ, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी हाँ।

(ख) महाप्रबन्धक (कार्मिक) की अनुपस्थिति में विशेष कार्य अधिकारी व माण्डलिक

प्रबन्धक (कार्मिक) जो कार्मिक मामलों में प्रबन्ध निदेशक और अध्यक्ष के प्रति सीधे उत्तरदायी था, को उक्त समिति में सामिल किया गया था जिसकी सिफारिशें निदेशक मंडल ने स्वीकार कर ली थी।

(ग) से (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

मध्य प्रदेश में इटारसी के पास रक्षा उत्पादन एकक

6207. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश में इटारसी के पास एक रक्षा उत्पादन कम्पलैक्स स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इस परियोजना का पूंजी परिव्यय कितना है; और

(घ) इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. सी. एन. सिंह) : (क) से (घ) इन सूचनाओं को प्रस्तुत करना लोक हित में नहीं होगा।

भारत में पकड़ी गई विदेशी मत्स्य नौकायें

6208. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की जल-सीमा में गत पांच वर्षों के दौरान विदेशों की कितनी मत्स्य नौकायें पकड़ी गई;

(ख) पता लग जाने के बाद कितनी नौकाएं बच निकली हैं, और

(ग) जिन मत्स्य-नौकाओं ने स्वयं को सुपुर्द कर दिया है उनसे कितना जुर्माना वसूल किया गया ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) टेरिटोरियल वाटर, कान्टीनेन्टल शैल्प एक्सक्लूसिव इकानामिक जोन एण्ड अदर मेरीटाइम जोन एक्ट 1976, 15-1-77 से लागू हुआ है और तब से हमारे अपने व्यापार क्षेत्र में मछली पकड़ने वाली 115 विदेशी नौकाएं पकड़ी गई है।

(ख) इसी अवधि में मछली पकड़ने वाली 52 नौकाएं पता लग जाने के बाद बच कर निकल गई।

(ग) वर्तमान नियम यह है कि तट रक्षक संगठन तथा भारतीय नौसेना द्वारा पकड़ी गई विदेशी नौकाएं स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दी जाती हैं ताकि उनके खिलाफ इस्तगासा कार्यवाही की जा सके। यह निश्चित करना सम्बन्धित राज्य सरकार के न्यायालयों का कार्य है कि वह ऐसी नौकाओं पर कितना जुर्माना करे अथवा सजा दें

पटेल आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करना

6209. **श्री जैनुल बशर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटेल आयोग के नाम से प्रसिद्ध, श्री बी. पी. पटेल की अध्यक्षता में, योजना आयोग द्वारा गठित किए गए अध्ययन दल के निष्कर्षों के अनुसार एक और उत्तर प्रदेश की और

पूरे भारत की प्रति व्यक्ति आय में कितना अन्तर था तथा दूसरी ओर गाजीपुर जिले की और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में कितना अन्तर था; और

(ख) नवीनतम उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर एक बार उत्तर प्रदेश की और पूरे भारत की प्रति व्यक्ति आय में कितना अन्तर है तथा दूसरी ओर गाजीपुर जिले की और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में कितना अन्तर है ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) श्री वी. पी. पटेल की अध्यक्षता में स्थापित किए गए संयुक्त अध्ययन दल के अनुसार, 1960-61 में उत्तर प्रदेश की 261.33 रु. की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में गाजीपुर जिले की प्रति व्यक्ति आय 178.36 रु. थी। ये आँकड़े उत्तर प्रदेश के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय में तैयार किए गए अनुमानों पर आधारित हैं और इनसे यह पता चलता है कि गाजीपुर में प्रति व्यक्ति आय उत्तर की प्रति व्यक्ति आय से कम थी। उक्त अध्ययन दल की रिपोर्ट में पूरे भारत के लिए तुलनीय आंकड़े नहीं बताए गए हैं, परन्तु केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा वर्तमान कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय के लिए किए गए अनुमान से यह दिखाई देता है कि वह 1960-61 में 305.60 रु. थी। यह भी उल्लेखनीय है कि कार्यप्रणाली में अन्तरों के कारण, राष्ट्रीय और राज्य आय के आँकड़े पूरी तरह से तुलनीय नहीं हैं।

(ख) 1978-79 के लिए उपलब्ध अद्यतन अनुमानों के अनुसार भारत और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, वर्तमान कीमतों पर क्रमशः 1249 रु. और 930 रु. थी तथा स्थिर कीमतों (.970-71) पर क्रमशः 712 रु. और 509 रु. थी। गाजीपुर के लिए प्रति व्यक्ति आय के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि देश के लिए प्रति व्यक्ति आय के जिलावार अनुमान उपलब्ध नहीं है जैसा कि इस उत्तर में (क) में बताया गया है, राष्ट्रीय और राज्य की आय के आँकड़े पूरी तरह से तुलनीय नहीं हैं।

विधान सभा चुनावों के दौरान प्रधान मंत्री द्वारा प्रयुक्त विमान

6210. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों की विधान सभाओं के चुनावों में प्रचार के लिए जिनके लिए 25 अप्रैल को अधिसूचनाएं जारी की गई थीं, से लेकर मई के अन्त तक कांग्रेस (आई) पार्टी के लिए प्रधान मन्त्री द्वारा भारतीय वायु सेना के कुल कितने विमान श्रेणीवार, प्रयोग में लाये गये;

(ख) प्रत्येक श्रेणी के विमान द्वारा कितने किलोमीटर उड़ान की गई; और

(ग) इस अवधि के दौरान उपयोग हेतु कितने नये "हेलीपैड" बनाये गये और उनके निर्माण की लागत किन-किन शीर्षों के अन्तर्गत लेखे की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) विमान की किस्म उनकी संख्या और प्रत्येक वर्ग में की गई यात्रा की दूरी का ब्यौरा इस प्रकार है :—

विमान/हैलीकाप्टर की किस्म	संख्या	तय की गई दूरी किलो मीटर
टी यू 124 विमान	2	16362 कि. मी.

एच एस 748 विमान	6	6724 कि. मी.
एम. आई, 8 हेलीकाप्टर	17	18012 कि. मी.
चेतक हेलीकाप्टर	2	360 कि. मी.

(ग) जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पर नये 'हेलीपैड़ों' के निर्माण का काम सम्बन्धित राज्य सरकार करती है इस लिए भारत सरकार के पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है।

सहायकों द्वारा अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नति के लिए वरिष्ठता नियत करने हेतु अभ्यावेदन

6211. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सहायक द्वारा 1976 में दायर की गई समादेश याचिका पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए कई अन्य सहायकों ने इस मांग को लेकर अभ्यावेदन किए थे कि अनुभाग अधिकारियों के रूप में पदोन्नति के प्रयोजन के लिए चयन परीक्षाओं के आधार पर नियुक्त किये गये सहायकों की तुलना में उनकी वरिष्ठता सहायक के रूप में उनके काम करने की तिथि से निर्धारित की जाय;

(ख) यदि हाँ तो क्या उन पर कोई निर्णय किया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और क्या उसको ध्यान में रखकर संशोधित वरिष्ठता सूचियाँ जारी कर दी गई हैं अथवा की जा रही हैं;

(ग) उनकी वरिष्ठता नियत करने में और उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में नई वरिष्ठता सूचियाँ जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रकार के कितने सहायक 1976 से सेवा निवृत्त हो गये हैं और कितने कर्मचारी उक्त निर्णय के सदर्भ में पदोन्नति के लिए अपनी वरिष्ठता नियत किये जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (ग) जी हाँ, श्रीमान उच्चतम न्यायालय के दिनांक 10-12-79 के निम्नलिखित आदेश के अनुसार वरिष्ठता निर्धारण किए जाने के लिए सहायकों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं :—

"हम इस मामले में विशेषकर महान्यायवादी की रिपोर्ट को देखते हुए कोई विशिष्ठ आदेश पास करने के इच्छुक नहीं हैं। निस्संदेह रिट कोर्ट में बार-बार जाने में अर्जीदारों को होने वाली कठिनाई से बचा जा सकता है यदि केन्द्रीय सरकार अर्जीदारों द्वारा दिए गए किसी अभ्यावेदन पर कानूनी राय को जिसे वह श्री फड़के अथवा महान्यायवादी से ले सकती है ध्यान में रखकर विचार करे। हमें विश्वास है कि सरकार उचित रूप से विचार करेगी और न्यायोचित निदेश देगी।"

उपर्युक्त निदेशों के अनुसार अब तक प्राप्त अभ्यावेदनों को अन्य आवश्यक कागजात सहित वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता (श्री फड़के) को कानूनी राय प्राप्त करने के लिए उन्हें भेज दिया गया है और कानूनी राय अभी आनी बाकी है।

कानूनी राय प्राप्त होने पर आगे कार्यवाई की जाएगी।

(घ) ऐसे सहायकों की संख्या, यदि कोई है, का केवल तभी पता चलेगा जब वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता की सलाह प्राप्त होने पर उक्त मामले में कोई निर्णय लिया जाता है।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४९१ दिनांक ९-७-१९८० के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

रक्षा राज्य मंत्री (श्री सी.पी.एन. सिंह) : गाजियाबाद और बंगलौर में भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के कार्य निष्पादन के बारे में लोक सभा में 9 जुलाई, 1980 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3491 के भाग (क) के उत्तर के अन्तिम वाक्य में "सितम्बर 1979" के स्थान पर "सितम्बर 1978" पढ़ें।

2. उपरोक्त अतारांकित प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में यह अशुद्धि टाइप की गलती के कारण हुई थी।

-- जैसे ही उत्तर में हुई गलती का पता चला वैसे ही उसको ठीक करने के लिए आवश्यक कार्यवाइ शुरू कर दी गई थी।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

अध्यक्ष महोदय : 25 जुलाई, 1980 को श्री मनीराम बागड़ी ने एक विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी थी कि नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाले एक अंग्रेजी दैनिक 'पेट्रियाट' ने अपने 25 जुलाई, 1980 के अंक में, राजधानी में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में दी गयी स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर सभा में हुई कार्यवाही की रिपोर्ट देते हुए श्री जयपाल सिंह कश्यप को दल-सम्बद्धता का गलत उल्लेख किया था। श्री जयपाल सिंह कश्यप जो कि लोक सभा में जनता (स) राजनारायण ग्रुप के नेता है, को इस रिपोर्ट में लोक दल का नेता बताया गया था।

मैंने इस मामले पर पेट्रियाट के सम्पादक से बात की थी। सम्पादक महोदय ने अपनी इस गलती के लिए भारी खेद व्यक्त किया है। उन्होंने 30 जुलाई, 1980 के पेट्रियाट में इस आशय का एक शुद्धि पत्र भी प्रकाशित किया है।

पेट्रियाट के सम्पादक द्वारा व्यक्त खेद को स्वीकार करके मामले को समाप्त हुआ मान लिया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमान्, मैंने भी वित्त मंत्री श्री आर. वेंकट रामन के खिलाफ एक विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी है क्योंकि पिट्स विमान के बारे में उन्होंने सदन को गुमराह किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने वह सूचना मंत्री महोदय को भेज दी है।...(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : पसकुरा श्रीमान्, पश्चिम बंगाल में पटसन के मूल्य बहुत कम हो गये हैं। पटसन का मूल्य कम होकर 120 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस बारे में किसी बात की अनुमति दी है—शायद यह 377 के अधीन मामला उठाने की अनुमति है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : कानपुर श्रीमान्, मैंने इण्डियन एक्सप्रेस तथा सनसनी फैलाने वाले समाचार पत्र अरुण के खिलाफ विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उस पर विचार कर रहा हूं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : संसदीय परम्परा यह है कि जब मामला किसी प्रकाशित लेख के बारे में हो, तो आपको उसके बारे में स्पष्टीकरण मागने की आवश्यकता नहीं। आप उसे सीधे विशेषाधिकार समिति को भेज सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह सूचना अभी प्राप्त हुई है। मैं इसे नहीं दे सकता। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान् मैंने श्री ए.बी.ए. गनी खान चौधरी के खिलाफ आपको एक विशेषाधिकार प्रस्ताव भेजा था जो आपके पास 20 दिन से ज्यादा समय से पड़ा है। मैंने एक दूसरा विशेषाधिकार प्रस्ताव भी दिया था जो श्री पी. शिवशंकर के खिलाफ था।

अध्यक्ष महोदय : चिन्ता मत कीजिये। मैं तत्काल कार्यवाही करता हूँ। ऊपर देखने के बजाय आप मेरी तरफ देखिये।...व्यवधान *

अध्यक्ष महोदय : कुछ रिकार्ड मत कीजिये।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : (बम्बई उत्तर पूर्व) श्रीमान्, काश्मीर के बारे में आपको कई सूचनायें दी गयी हैं। क्या आप चर्चा की अनुमति देने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं

श्री अटल बिहारी वाजपेयी नई दिल्ली : मेरा प्रिविलेज मोशन है...

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप का विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव देख लिया है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

ब्रूथवादर एण्ड कम्पनी, लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत अधिसूचना

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट रेड्डी) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 195 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) ब्रूथवाईट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) ब्रूथवाइट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 1177/80)

(2) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 क की उपधारा (2) के अंतर्गत मैसर्स कृष्णा सिलीकेट एंड ग्लास वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबंध पर नियंत्रण जारी रखने के बारे में अधिसूचना संख्या सा.आ. 145

*कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 5 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। (ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 1178/80)

अखिल भारतीय सेवाएं, अधिनियम, 1951 के अंतर्गत अधिसूचनाएं और 16-3-80 को नेत्रहीन व्यक्तियों पर हुए कथित लाठीचार्ज के बारे में जांच आयोग का प्रतिवेदन और उस पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी ज्ञापन

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटा सुब्बय्या) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अखिल भारतीय सवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (सवर्ग में पद संख्या निर्धारण) पहला संशोधन विनियमन, 1980, जो दिनांक 9 जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.सा. नि. 399 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन, नियम, 1980 जो दिनांक 9 जुलाई 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.सा.नि. 400 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियमन 1980, जो दिनांक 11 जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.सां. नि. 402 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। (ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 1189/80)

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक, 11 जुलाई, 1980 के भारत राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.सां. नि. 403 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। (ग्रंथालय से रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.—1179/80)

(2) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) संसद मार्ग, नई दिल्ली में 1 मार्च 1980 को नेत्रहीन व्यक्तियों पर कथित लाठी चार्ज सम्बन्धी जांच आयोग का प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी ज्ञापन (हिन्दी तथा अन्ग्रेजी संस्करण) [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 1180/80]

इंडियन साइंस कांग्रेस, कलकत्ता के वर्ष 1979 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे तथा समीक्षा

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अन्तरिक्ष विभाग में उपमंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कलकत्ता के वर्ष, 1979 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(2) सरकार द्वारा समीक्षा तथा प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों सम्बन्धी एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1181/80]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सातवां प्रतिवेदन

श्री जी. लक्ष्मणन (मद्रास उत्तर) :— महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नियम ३७७ के अधीन मामले

(एक) चीन द्वारा पाकिस्तान को अपने पहले परमाणु उपकरण का विकास करने और उसे छोड़ने में सहायता देने के निर्णय का समाचार।

श्री वी. एन गाडगिल (पुणे) : नई दिल्ली से प्रकाशित साप्ताहिक 'सूर्य' ने अपने दिनांक 19 जुलाई के अंक में इस आशय का एक समाचार प्रकाशित किया है कि चीन ने पाकिस्तान के प्रथम परमाणु उपकरण के विकास और उसके छोड़ने में सहायता करने का निर्णय किया है। चीन के शीर्षस्थ परमाणु वैज्ञानिकों का एक दल इस समय पाकिस्तान परमाणु परियोजना संगठन का निरीक्षण करने और उसके पश्चात तथा कथित इस्लामी बम के प्रथम परीक्षण के लिए सुविधाओं, उपकरणों तथा अस्थाई स्थल की व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रारम्भिक चर्चा के लिये इस्लामाबाद का दौरा कर रहा है। इस रिपोर्ट में अरब देशों, विशेषकर खाड़ी के देशों को धन दिये जाने का भी उल्लेख किया गया है। मशीनें आदि पश्चिम यूरोप के देशों की विभिन्न कम्पनियों से उन गैर सरकारी कम्पनियों के माध्यम से प्राप्त कर ली गई हैं जिन्हें वाणिज्यिक पक्ष के अलावा अन्य किसी बात से कोई सरोकार नहीं रहता। यह एक गम्भीर बात है जिससे हमारे देश को रक्षा व्यवस्था में मूलभूत रूप से परिवर्तन हो जाने की सम्भावना है। इसकी वजह से हो सकता है कि हमें अपनी आधार भूत रक्षा नीति तथा सामरिक नीति में आधारभूत परिवर्तन करने पड़ें। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि सरकार इस मामले में अपने विचार व्यक्त करे।

(दो) बंगला फिल्मों को रिलीज करने में होने वाली कथित कठिनाई।

प्रो. रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, बहुत सी बंगाली फिल्मों को सेंसर शिप का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के पश्चात् महीनों तक प्रतीक्षा करने के बाद भी 'रिलीज' नहीं किया जाता है। यहां तक कि पश्चिम बंगाल सरकार की प्रत्यक्ष सहायता तथा संरक्षण में बनी फिल्मों के साथ भी यही हो रहा है। गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल सरकार ने लगभग एक दर्जन बंगाली फिल्मों को बनाने के लिये लाखों रुपये का अनुदान दिया था। उनका भी यही हाल है। उनमें से कुछ फिल्में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निर्देशकों के द्वारा बनाई गई है। कुछ निर्माताओं ने अपनी फिल्मों पर 30 से 40 लाख रुपये तक व्यय किये हैं। उन्हें उन फिल्मों के लिये वितरक भी नहीं मिल रहे हैं। उन्हें यह भी आशा नहीं है कि उनकी फिल्में निकट भविष्य में रिलीज हो जायेंगी। बंगला फिल्म उद्योग से सम्बन्धित हजारों व्यक्तियों और उनके परिवारों का भविष्य खतरे में है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सिनेमा हालों के मालिकों के रवैये के परिणाम स्वरूप उत्पन्न

अव्यवस्था को दूर करने के, लिये कुछ उपायों का प्रस्ताव किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस सम्बन्ध में एक प्रारूप विधेयक भी तैयार किया है। उक्त गंभीर समस्या को सुलझाने के लिये केन्द्रीय सरकार के पास अनेक प्रतिनिधि मण्डल गये हैं तथा ज्ञापन भेजे गये हैं। केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह बंगला फिल्म उद्योग की गंभीर समस्या को सुलझाने के लिए उचित उपाय करें तथा इस समस्या के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार की उक्त कार्यवाही के अनुसमर्थन में कार्यवाही करें। केन्द्रीय सरकार से भी अनुरोध है कि बंगला फिल्मों का अनिवार्य रूप से प्रदर्शन के लिये प्रारूप विधेयक को शीघ्र पारित करें।

(तीन) केरल के कुछ भागों में एक कामिक संघ के कार्यकर्त्ताओं द्वारा अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध हिंसा की घटनाओं का समाचार

श्री 'जार्ज' जोसफ मुण्डाकल (मुवत्तुपुजा) : महोदय, केरल राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। मजदूर संघ के कार्यकर्त्ता तथा असामाजिक तत्व हिंसा फैला रहे हैं तथा कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। पुलिस कर्मचारी मूक दर्शक बने रहते हैं। हाल ही में एर्नाकुलम तथा कोट्टायम जिलों में मेरे चुनाव क्षेत्र मुवत्तुपुजा में बड़े उपद्रव हुये। पिछले महीने कजीरा पल्ली मजदूर संघ के कार्यकर्त्ताओं ने दुकानों पर पथराव किया, व्यापारियों पर हमला किया तथा विरोधी दल के कार्यकर्त्ताओं को छुरे मारे। यह सब कुछ पुलिस कर्मचारियों की उपस्थिति में हुआ। इसके बाद फिर जुलाई में इस बात के बावजूद कि केरल उच्च न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों को आदेश दिये थे कि पपिरावोम स्थित दियासलाई की फैक्टरी तथा उसके मालिक को सुरक्षा प्रदान की जाये, जुलाई के दूसरे सप्ताह में मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा उक्त फैक्टरी पर हमला किया गया तथा वहां के कर्मचारियों तथा उसके मालिक की पत्नी को बुरी तरह से पीटा गया। फिर पिछले सप्ताह मुवत्तुपुजा में पुलिस की उपस्थिति में मजदूर संघ के दो वर्गों में झगड़ा हुआ जिसके कारण बहुत से लोगों को अस्पताल में भरती कराना पड़ा। इसमें बहुत सी दुकानें बेकार हो गयीं तथा व्यापारी संस्था के अध्यक्ष तथा सचिव, एक पुलिस का सिपाही तथा बहुत से लोग घायल हो गये। इस घटना के कारण शहर में बहुत दिनों तक पूरी हड़ताल रही। व्यापारी डर के कारण अपनी दुकाने नहीं खोलते हैं। किसी अपराधी को अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया है। इन तीनों अवसरों पर केरल विधान सभा में सभी विरोधी दल विरोध प्रकट करते हुए सभा से बाहर चले गये।

मैं यह तथ्य भारत सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूँ जिससे कि गृह मंत्री इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें तथा सभा को यह जानकारी दें कि केरल राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को खराब हो जाने से रोकने के लिये उसका क्या उपाय करने का विचार है।

(चार) आजमगढ़ के बेनूपुर गांव में सात व्यक्तियों की हत्या का समाचार

श्री छांगुर राम (लालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। लोगों का जान माल बिल्कुल असुरक्षित हो गया है।

इसका ताजा उदाहरण मेरे क्षेत्र में घटित एक घटना है जिसमें एक ही परिवार के सात व्यक्तियों की एक ही रात में हत्या कर दी गई, जिसमें अबोध और नाबालिग बच्चे थे। घटना का विवरण इस प्रकार है : दिनांक 22/23 जुलाई की रात में ग्राम बेनूपुर, थाना मेंहनगर,

जिला आजमगढ़ में बंशसिंह और उनकी पत्नी तथा तीन अबोध और नाबालिग लड़के और दो लड़कियों का गला काट कर हत्या कर दी गई। इस प्रकार की भयावह घटना को देखकर क्षेत्र में भय और आंतक का वातावरण फैला हुआ है । आज तक पुलिस और खुफिया विभाग ऐसे महानतम अपराध का पता लगाने में असमर्थ है। मैं मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को आदेश दें कि इस घटना की उच्चस्तरीय जांच करावें।

(पांच) मिजोरम में आवश्यक वस्तुओं की कमी का समाचार

डा० आर. रोथुआमा (मिजोरम) : महोदय मैं निम्न मामले को नियम 377 के अन्तर्गत सम्बन्धित मंत्री तथा सदन को जानकारी में लाना चाहता हूँ।

पूरे मिजोरम में पिछले पांच महीने से चावल, नमक मोबिल आयल, डीजल, पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल जैसे आवश्यक पदार्थों की बहुत कमी रही है।

मेरे अतारांकित प्रश्न के उत्तर में माननीय नागरिक पूर्ति मन्त्री ने बताया था कि जनवरी से जून 1980 तक ऐसे आवश्यक पदार्थों की सप्लाई इस प्रकार थी — चावल 40,000 मीटरी टन, चीनी 171 मीटरी टन, नमक 2000 मीटरी टन, रेपसीड चायल 100 मीटरी टन।

जनवरी से जून, 1980 के दौरान मिजोरम में वास्तविक स्थिति यह थी कि मिजोरम में कहीं भी सरकारी वितरण एजेंसियों से सरकारी नियन्त्रित दरों पर नमक, चीनी, रेपसीड आयल बिलकुल भी उपलब्ध नहीं था। मैं स्वयं जानता हूँ कि जनवरी से जून 1980 के दौरान नमक काले बाजार में 5 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा था तथा चीनी रेपसीड आयल, ब्लेक मार्किट के सिवाय कहीं भी उपलब्ध नहीं था। फरवरी से मई, 1980 के दौरान उचित दर की दुकानों पर भी भारतीय खाद्य निगम का चावल उपलब्ध नहीं था। मिट्टी का तेल तथा पेट्रोल तो गांवों में सरकारी समितियों का सामान ले जाने के लिये भी ग्राम ग्रामदियों को उपलब्ध नहीं था। मई, 1980 में एन. सेल की वनलायफई, सरकारी समिति के सदस्य मुझसे मिले और उन्होंने मुझे बताया कि सरकारी डिपो से एन. वनलायफई क्षेत्र के सामान ले जाने के लिये उन्हें थोड़ी मात्रा में पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। दूसरी ओर मैं स्वयं जानता हूं कि मिजोरम में किसी भी कर्मचारी को सरकारी वाहनों द्वारा अपने बच्चों को स्कूल लाने तथा ले जाने सम्बन्धी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही मंत्रालय से सांठ गांठ रखने वाले कुछ स्थानीय व्यक्ति गांवों तथा शहरों में काले बाजार में डीजल और पेट्रोल 10 रुपये से 15 रुपये प्रति लिटर के भाव बेच रहे हैं।

मुझे मिजोरम के एक वर्तमान विधायक से यह विश्वस्त जानकारी मिली है कि केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होने वाली नमक और चीनी ऐजल शहर में पहुंचने पर उन वर्तमान मंत्रालय के साथ घनिष्ठ सांठ गांठ रखने वाले बड़े व्यापारी तत्काल उसे एक मुश्त खरीद लेते हैं। और उसके बाद वे वस्तुयें शहरों तथा गांवों में उनके एजेन्टों द्वारा काले बाजार में बहुत ऊंचे मूल्य पर बेच दी जाती हैं। नमक 5 रुपये प्रति किलो ग्राम तथा चीनी 10 रुपये प्रति किलोग्राम बेची जाती है।

अभी राज्य सभा के सदस्य ने जो अभी हाल ही में यहाँ पहुँचे हैं, मुझे बताया है कि ऐजल में जो कि मिजोरम की राजधानी है चावल, चीनी, मिट्टी का तेल रेपसीड आयल बिलकुल भी उपलब्ध नहीं है परन्तु वह बहुत अधिक मूल्य पर खुले बाजार में उपलब्ध है।

मैंने आन्तरिक क्षेत्रों के अपने दौरे के दौरान स्वयं देखा कि पिछले वर्ष अत्यधिक सूखा पड़ने के कारण फसल पूरी तरह से खराब हो जाने से खाबंग, नगोदा, एन- वनलायफई, स्याल-

सुक, संगो चुनाव क्षेत्रों के अन्तर्गत बहुत से गांवों में लोग, मुख्यत: जंगली पेड़ वृक्षों के फल,फूल खा कर जी रहे हैं। वे लगभग भुखमरी की हालत में है।

मिजोरम में अकाल जैसी स्थिति के कारण बिगड़ती हालत को देखते हुये मैंने माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया कि आवश्यक वस्तुओं की स्थिति के सम्बन्ध में मिजोरम में जो इस समय हालत है उसकी व्यापक जानकारी प्राप्त करें तथा उचित कार्यवाही करें—

1. मिजोरम में सरकारी वितरण प्रणाली के वर्तमान कार्यचालन के बारे में पता लगाने के लिये अपने मंत्रालय के उच्च अधिकारियों का एक दल भेजे।

2. उन सभी अधिकारियों तथा बड़े व्यापारियों का पता लगायें जैसे कि आम जनता का हक छीन कर काला बाजारी, मुनाफाखोरी, माल की जमाखोरी, धोखाधड़ी तथा कदाचार में लगे हैं तथा उनके विरुद्ध कठोर उपचारात्मक उपाय किये जायें।

3. पूरे मिजोरम में सरकारी वितरण प्रणाली के कार्यचालन को कारगर ढंग से पुन: सक्रिय करें तथा आम जनता को सरकारी नियंत्रन दर पर उक्त आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित करें।

(छ) केरल में पेट्रो रसायन परियोजनाओं की स्थापना की आवश्यकता :

श्री जेवियर अराक्कल (एर्नाकुलम) : मैं नियम 377 के अन्तर्गत यह वक्तव्य देना चाहता हूं।

केरल में पेट्रो-रसायन उद्योग के लिये आधार भूत परिस्थितियां विद्यामन हैं। हम केप्रोलेक्टम एरोमेटिक्स तथा फीनोल परियोजनाओं जैसी पेट्रो-केमिकल परियोजनाओं के स्थापना के लिये अनुरोध करते रहे हैं। यदि इन परियोजनाओं को मंजूरी तथा क्रियान्वित नहीं किया गया तो केरल राज्य को गंभीर आर्थिक सामाजिक समस्याओं का सामान करना पड़ेगा। केप्रोलेक्टन यूनिट पर क्रियान्वयन का कार्य यदि फर्टलाइजर एण्ड केमिकल्स रावनकोर को तथा एरोमेटिक यूनिट के क्रियान्वयन का कार्य कोचीन रिफाइनरी को सौंप दिया जाये तो उनकी लागत बहुत कम आयेगी। ये यूनिटें बहुत ही कम खर्चीली तथा अर्थक्षम है जिससे पूरे देश को लाभ होगा। इससे दक्षिण भारत में बहुत से उद्योग विकसित होंगे। इसलिए मैं पेट्रोलियम और रसायन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे केरल राज्य की जनता की इस मांग को पूरा करें तथा पेट्रो-रसायन परियोजनाओं को फर्टलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर, कोचीन रिफाइनरीज तथा अन्य यूनिटों को बिना विलम्ब के सौंप दें।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : माननीय सदस्य ने परियोजनाओं के बारे में कुछ जानकारी मांगी है। यदि आप मुझे वक्तव्य देने की अनुमति दें तो मैं परियोजनाओं के सम्बन्ध में मैं कुछ जानकारी दे सकता हूँ।

माननीय सदस्य श्री जेवियर अराक्कल ने केरल राज्य में केपरोलेक्टम परियोजनायें, एरोमेटिक परियोजना तथा फीनोल परियोजना यूनिट जैसे पेट्रो-रसायन परियोजनायें स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। जहां तक केपरोलेक्टम यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव का सम्बन्ध है मुझे सदन को तथा माननीय सदस्य को यह जानकारी देते हुये हर्ष होता है कि फर्टलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर उद्योग मंडल को प्रति वर्ष 30,000 मीटर टन क्षमता का केपरो लेक्टम संयन्त्र स्थापित करने की अनुमति देने का अनन्तिम निर्णय किया गया है जोकि

कम्पनी के कार्यकलापों में विविधता लाने के लिये किया गया है। इसके लिये पूंजी निवेश तथा अनुमति प्राप्त करने के लिये परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट को अद्यतन बनाया जा रहा है। सरकार को भी केरल राज्य में कोचीन में एरोमेटिक्स परियोजना स्थापित करने की सम्भाव्यताओं की जानकारी है। इस समय एक स्थल चयन समिति ऐसे प्रस्तावों के विभिन्न पक्षों का अध्ययन कर रही है और वह अध्ययन पूरा कर लिये जाने पर सरकार इस मामले पर अन्तिम निर्णय ले सकेगी। मैं इतना कह सकता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार केरल के मामले को उचित महत्व देगी। मुझे सदन को यह जानकारी देते हुये हर्ष होता है कि सरकार ने फीनौल का उत्पादन करने के लिये प्रतिवर्ष 40,000 मीटरी टन क्षमता की परियोजना कोचीन (केरल) में स्थापित करने के लिए पूंजी निवेश की अनुमति प्रदान कर दी है। हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स इस परियोजना को क्रियान्वित कर रही है और उन्होंने इस परियोजना पर कार्य आरम्भ कर दिया है।

श्री जेवियर अराक्कल : मैं माननीय मन्त्री महोदय को केरल की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूं।

(सात) कच्चे पटसन के मूल्यों में भारी गिरावट का समाचार

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : नियम 377 के अन्तर्गत मैं एक वकतव्य दे रहा हूं।

पश्चिम बंगाल में पटसन की कटाई शुरू होते ही कच्चे पटसन की कीमतें इतनी अधिक गिर गई हैं कि वहां एक गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है कच्चे पटसन की कीमत 120 रुपये प्रति क्विंटल या इससे भी कम हो गई है। पश्चिम बंगाल में सभी किसान संगठनों ने कच्चे पटसन की कीमत 300 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने की मांग की है। सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 160 रुपये प्रति क्विंटल है। पूरी कटाई अभी शुरू होनी है। फिर भी कीमत 120 रुपये प्रति क्विंटल से भी कम हो गई है जो ससमर्थन मूल्य से भी कम है। भारतीय पटसन निगम न तो वाणिज्यिक आधार पर और न ही समर्थन मूल्य पर खरीद कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक समर्थन मूल्य पर खरीद करने के लिए भारतीय पटसन निगम को पर्याप्त ऋण देने से मना कर दिया है। भारतीय रिजर्व ने भारतीय कपास निगम को 200 करोड़ रुपये का ऋण दिया। परन्तु भारतीय रिजर्व बैंक न तो पश्चिम बंगाल सरकार को और न ही भारतीय पटसन निगम को धन दे रहा है जबकि भारतीय कपास निगम सारा कपास खरीदता है परन्तु भारतीय कपास निगम साधारणतया बहुत कम मात्रा में पटसन खरीदता है। पश्चिम बंगाल तथा अधिकतर किसान संगठनों की मांग है कि भारतीय पटसन निगम कम से कम 20 लाख गाँठें खरीदे।

यदि भारतीय पटसन निगम को तुरन्त पर्याप्त ऋण देने की व्यवस्था नहीं की गई, तो लाखों पटसन उत्पादक बर्बाद हो जाएंगे। वाणिज्य मंत्री स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए तुरन्त व्यवस्था करें।

(आठ) भारत में खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए सुविधाएं

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओं) : महोदय, मैं 377 के अन्तर्गत यह मामला उठा रहा हूं।

भारत ने 12 वर्ष पहले जिस ओलिम्पिक हाकी स्वर्ण पदक को मैक्सिको में गवां दिया

था उसे भारत ने कल फिर प्राप्त कर लिया है, मास्को खेलों में सोवियत रुस की राजधानी के डाइनमों स्टेडियम में खेली गई हाकी के फाइनल में भारत ने स्पेन को ०-3 गोल हराया है। यह देश के लिए गौरव की बात है। यहां मिली सूचनाओं के अनुसार भारत ने त्रुटिहीन खेल खेला और यहां तक कि विरोधी दल ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि भारतीय दल वास्तव में जीत के योग्य है। हम सबको आशा है कि इस जीत से भारतीय हाकी में नवचेतना जागृत होगी। हम यह भी आशा करते हैं कि सरकार सारे देश में खिलाड़ियों तथा खेल संस्थानों को और अधिक प्रोत्साहन तथा सुविधाएं प्रदान करेगी ताकि हमारे खिलाड़ी दूसरे देशों के अपने प्रतिपक्षियों का पूरी रह मुकाबला कर सकें।

मैं श्री भास्कर के नेतृत्व में विजयी युवा हाकी दल का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसने देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है तथा खेलों में दिलचस्पी रखने वाले देश के नागरिकों के मनोबल को ऊंचा किया है।

वित्त विधेयक (सं० २) जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री वेंकटारमण द्वारा 24-7-1980 को प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर आ विचार करेगी अर्थात :

"कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावित करने वाले विधेयक पर विचार किया जायेगा।"

संसदीय कार्य विभाग तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बया) : महोदय मेरा एक निवेदन है। कल भी मैंने आप से तथा सदन से निवेदन किया था कि सामान्य चर्चा के लिए समय बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया जाए क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। पहले निर्धारित समय कार्यक्रम के अनुसार 11 घंटे समय समाप्त हो गया है और अब केवल एक घंटा बाकी है। समय एक घंटा और बढ़ाया जाय ताकि सभी सदस्य इसमें भाग ले सकें। मंत्री महोदय चर्चा समाप्त होने पर तीन बजे उत्तर दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा खुशी से यह चाहती कि समय दो घंटे बढ़ाया जाए।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु प्रत्येक सदस्य दिए गए समय के अनुसार बोलेगा क्योंकि हम और समय नहीं बढ़ा सकते। अब श्री कृष्ण दत्त बोलें।

श्री कृष्ण दत्त (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल यह अर्ज कर रहा था कि पब्लिक सैक्टर में हमको जो घाटा पड़ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पब्लिक सैक्टर का इन्तजामिया ढांचा ठीक नहीं है। प्रदेशों में भी जो सरकारी कारखाने लगे हुए हैं, उनमें भी घाटा हो रहा है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि एक तो सब कारखानों के उत्पादन के टारगेट मुकर्रर किये जायें, और दूसरे, इस वक्त इनका इन्तजाम करने वाले आई. ए. एस. आफिसर हैं, उनकी जगह पर टेकनिकल आफिसर्ज लगाये जायें, ताकि कारखानों को ठीक तरह से चलाया जा सके।

हमारे हिमाचल प्रदेश में कोई बड़ा उद्योग नहीं है। मैं भारत सरकार से मांग करूंगा कि वहां पर भारी उद्योग लगाने की तरफ खास ध्यान दिया जाये।

हमारे यहां हिमाचल प्रदेश में जमींदारों की आमदनी का जरिया अफीम बोना था। उसको सरकार ने बन्द कर दिया है, जबकि यू. पी. के पहाड़ी इलाकों में उसे बोया जाता है। अगर हिमाचल प्रदेश में अफीम की काश्त की इजाजत दे दी जाये, तो लोगों की आमदनी बढ़ सकेगी। आप जानते हैं कि खेती बाड़ी करने वाले लोगों को दवाइयों पर बड़ा खर्च करना पड़ता है, जो कि वे नहीं कर सकते हैं। अफीम एक ऐसी काश्त है कि फसलों को खोने वाले कीड़े उससे तबाह हो जाते हैं। इससे हिमाचल प्रदेश के किसान अच्छी आमदनी कर लेते थे। हमारे यहां सिरमौर, शिमला और नाहन जिलों में अफीम की काश्त होती थी। हिमाचल प्रदेश की विधान सभा ने भी मुत्तफिका तौर पर यह फसला किया था कि भारत सरकार हमें अफीम बोने की इजाजत दें।

हिमाचल प्रदेश में भारी फ्लड्ज आ रहे हैं। आज भी अखबार में छपा है कि शिमला डिस्ट्रिक्ट, रोहू तहसील के तीन गांवों को फ्लड से भारी खतरा पैदा हो गया है और राज्य सरकार को वहां के लोगों को सुरक्षित जगहों में भेजने के लिए इन्तजाम करना पड़ेगा। पुजराली दुनाना और चिलड़ा गांव फुनड की वजह से बहुत खतरे में हैं। भारी बारिश की वजह से इस इलाके के सारे गांव फ्लड की चपेट में आ गये हैं। सारे गाँव इस सूरत में हैं कि वे कभी भी बरबाद हो सकते हैं। मैं मांग करूंगा कि इन गांवों को सहायता दी जाय ताकि यहां के लोग ठीक ढग से आबाद हो सकें।

हमारे नाहन जिले के अन्दर एक फाउन्ड्री है जो घाटे में जा रही थी जनता पार्टी के राज्य में। आज उसके ऊपर आडिट बैठाया गया तो लाखों का घपला मिला। आई. पी. एस. अफसर को उसका मैनेजमेंट करने के लिए बैठाया गया है मैं समझता हूं कि जहां टेकनिकल आदमी लगाना चाहिए वहां आई. पी. एस. को लगाने की क्या जरूरत थी? आज वहां पर लेबर को काम नहीं मिल पा रहा है। पढ़े लिखे नौजवान बेकार हो रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो इस तरह के उद्योग हैं उसमें खास तौर से जो हरिजन हैं, ट्राईब्ल हैं उनको ज्यादा मौका दिया जाय छोटे छोटे उद्योग लगाने का और उनको ज्यादा फाइनेंस दिया जाय। जहां भी कोई कच्चा माल मिल सकता है उसके अनुसार वहां उद्योग लगाए जायें ताकि वे लोग अपनी तरक्की कर सकें।

जो रिपोर्ट हमें पढ़ने को मिलती है उससे यह मालूम पड़ता है कि अभी भी हमारे देश और प्रदेश की हालत ऐसी है कि सर्विसेज में हरिजन और ट्राइबल्स की जो भर्ती करनी है वह पूरी नहीं है। मैं मांग करूंगा कि इसके लिए उचित कदम उठाया जाय। यह जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हमारा शासन ठीक तरह से यह कहलाने का हकदार नहीं है कि हम ट्राइबल्स और शैड्यूल्ड कास्ट्स की मदद कर रहे हैं। मैं विनती करूंगा कि इसकी तरफ खास तौर से तवज्जह दी जाय। आज हरिजनों पर या ट्राइबल्स पर अत्याचार होते हैं तो उसके लिए पुलिस में हरिजन ट्राइबल्स आने चाहिए ताकि उन लोगों को अपनी रक्षा करने का मौका मिले।

जहां तक जुडिशियल सर्विस का ताल्लुक है, राज्य सरकारों को हिदायत दी जानी चाहिए कि उनके यहां हरिजन और ट्राइबल्स जो पढ़े लिखे हैं उनको वह ज्यादा मौका दें जज और जूडिशियल मैजिस्ट्रेट बनने का ताकि वे कम से कम उनकी भाषा और उनकी बात को समझ सकें हमारे प्रदेश में जनता पार्टी का राज आया तो उन्होंने वहां पर जो जूडिशियल मैजिस्ट्रेट और

जज हरिजन थे उनको हटा दिया। ब्यौरा दे रहा हूं कि एक श्री रामलाल सब.जज थे, उनको हटाया गया और एक श्री भट्टी थे उनको हटाया गया जो जज तरक्की के लिए हकदार थे जो हाई कोर्ट के जज बन सकते थे उनको इग्नोर किया गया। मैं समझता हूं कि आज भारत सरकार इस तरफ तवज्जह दे और जनता रिजीम में हटाए गए उनको दोबारा बहाल किया जाय। उनके खिलाफ कोई इल्जाम हो तो बेशक उनको न रखें लेकिन केवल यह कह कर कि ये हरिजन हैं, उनको निकाल दिया जाय, यह अच्छी बात नहीं है। तो इस तरफ भी तवज्जह दी जाय।

आज हमारे प्रदेश की दुर्दशा इस तरह से है कि जो हमारे पहाड़ में पानी है, पानी के साथ में नदियां हैं, उन पर बड़े बड़े डैम बनाये जाते हैं ताकि हिमाचल प्रदेश के लोग ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान के लोग बिजली से फायदा उठा सकें। लेकिन हमारे यहां बिजली की कमी है। हमारे यहां बिजली बहुत जरूरी है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कोई ज्यादा एजीटेशन नहीं होते, कोई ज्यादा गड़बड़ी पैदा नहीं होती। किसी और प्रदेश में जायें तो वहां चोरी डकैती और खून खराबी बहुत ज्यादा होती है। हिमाचल प्रदेश में यह बात नहीं है। तो इस तरह खास तवज्जह दी जाय।

हमारे यहां सेब होता है, आलू होता है। लेकिन जमींदारों की वह सारी फसल बरबाद हो जाती है। उसके लिए वहां वोडका बनाने का लाइसेंस दिया जाय ताकि अगर यहां उसका इस्तेमाल न हो सके किसी वजह से तो बाहर की कंट्री को उसे सप्लाई किया जाय। इस तरह से जो कच्चा माल वहां पैदा होता है उसका प्रयोग वहीं हो जायगा और उससे लोग अपनी माली हालत बेहतर कर सकेंगे।

जहां इस बजट ने गरीब लोगों को फायदा पहुँचाया वहीं मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार के जितने भी कार्य थे वह आज इस सरकार को संभालने पड़ रहे हैं। इस में कोई शक नहीं है कि स्थिति में कुछ सुधार हुआ है लेकिन कुछ लोग इस से मुतमईन नहीं हैं। वे कहते हैं कि यह बजट खोखला बजट है और यह ठीक नहीं है। कुछ लोग यह कहते हैं कि यह बिरला और टाटा को फायदा देने वाला बजट है। ऐसी बात नहीं है। कोई भी सरकार होती, इस तरह का बजट पेश नहीं हो सकता था जिस तरह से माननीय वित्त मंत्री ने संतुलित बजट पेश किया है. यह काबिले तारीफ बात है। लेकिन साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां ये सारी बातें अपोजिशन ने कहीं, वहां वे भूल गए कि शाह कमीशन पर कितना रुपया खर्च आया। और कितने रुपए का खर्चा उन दरखास्तों पर आया जो शाह कमीशन के द्वारा डाक के जरिए से मंगाई गई? 48 हजार एप्लीकेशन्स शाह कमीशन में आई। इस तरह से कमीशन्स की ही सारी सरकार बन गई। आपको याद होगा कि जब इमर्जेन्सी थी तो सरिए का भाव 140 रु, क्वीन्टल था और ईंट का एक ट्रक पहाड़ में पांच सौ रुपए में आता था। लेकिन आज पहाड़ में एक ट्रक 1500 रुपए का मिलता है और सरिए का भाव साढ़े चार सौ रुपए क्वीन्टल हो गया है। जनता पार्टी की सरकार बड़े बड़े सर्माएदारों को फायदा पहुँचाने वाली सरकार थी। जब हमारी सरकार को चाहिए कि बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीब लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए कदम उठाए ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को फायदा पहुँच सके। हमारे मेनिफेस्टो में भी कहा गया है कि हम गरीब लोगों को ऊपर उठायेंगे इसलिए हमें अब उस बात को पूरा करना है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जहां भी जिसको जमीन नहीं मिली है वह उसको दी जाए।

जिसको जहां कर्जा नहीं मिला है उसकी व्यवस्था की जाए। जो ठीक आदमी हैं उनको कर्जा दिया जाए . ये बड़े बड़े सर्मायेदारों से हमदर्दी रखने वाले लोग कहते हैं कि वे गरीबों के खैर-ख्वाह हैं लेकिन ये हमेशा ही सर्मायेदारों की वकालत करते रहे हैं। केवल हमारी पार्टी ही गरीबों का ख्याल रखती है। मैं बताना चाहता हूं कि इस बजट के साथ हमारे मुल्क के लोगों की आस्था है और सभी इस बजट की तारीफ करते हैं। इनको ही इस बजट में बुराई नजर आती है। इनको अपने पिछले खोखलेपन का पता नहीं हैं।

मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ और साथ ही आपको भी धन्यवाद देता हूं।

श्री बी. डी. सिंह (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से फाइनेन्स बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हू। शासक दल की कथनी और करनी में उतना ही अन्तर है जितना कि धरती और आकाश में है। ये लोग सामाजवादी बनने का बड़ा आडम्बर करते हैं। इन्हें अपने हर काम में सामाजवाद नजर आता है। कोई भी काम ये करेंगे तो आगे आगे सामाजवाद चलेगा और पीछे पीछे इनका काम उसका अनुसरण करेगा। इसी समाजवाद का जब इन्हें काफी नशा सवार था तो आजादी के बाद उन सबसे काले दिनों में, जब इनको अपने को समाजवादी दिखाने की धुन सवार हुई, जब अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर संविधान की धाराओं को तहस-नहस करने की धुन इनके नेता को सवार हुई- उसी समाजवाद को दिखाने के लिए कि हम कितने बडे समाजवादी हैं, जब सविधान की धाराओं को अपने निजी स्वार्थों के लिए तहस-नहस किया जा रहा था तो समाजवाद को लाने के लिए इन्होंने प्रिएम्बल को भी चेंज कर दिया— प्रिएम्बल में सावरेन डिमोक्रेटिक रिपब्लिक के स्थान पर सावरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डिमोक्रेटिक रिपब्लिक कर दिया।

मान्यवर, इनके नेता का विश्वास ऐसे कामों में है जिनमें चमक-दमक ज्यादा हो, आकर्षण ज्यादा हो, लोग आसानी से गुमराह हो जायें लेकिन काम के परिणाम से इनका कोई वास्ता नहीं हैं। जिस समय देश में एक योजनाबद्ध विकास का कार्यक्रम चल रहा था और हर स्तर पर छोटी-बड़ी योजनायें बनीं थी जिनके अन्तर्गत कार्य चल रहा था तब बीस सूत्री कार्यक्रम कहां से आ गया जिसकी माला ये जीवन पर्यन्त जपते रहेंगे। इनकी मनोभावना ऐसे काम करने की है जिनमें आकर्षण तो हो लेकिन कोई ठोस काम न हो। उसी मनोभावना की कड़ी में यह बजट भी है। वित्त मंत्री जी ने बड़े आकर्षक ढंग से पेश किया है जिससे आम जनता सम्मोहित हो जाए। लेकिन सम्मोहन की वह खुमारी अब उतर रही है और बजट का असली चेहरा सामने आ गया है। इस बजट को चाहे जो कहा जाए, लेकिन इसको समाजवादी बजट किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता है। इस बजट में आम आदमी के लिए कोई बात नहीं कही गई है। इस देश में आज भी 50 करोड़ से अधिक लोग पावर्टी लाइन के नीचे, गरीब की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस बजट में उनके लिए कुछ नहीं कहा गया है। वित्त मंत्री जी के सामने सिर्फ सफेदपोश लोग और सैलरीड लोग ही हैं। जैसे-जैसे महगाई बढ़ती है, वैसे-वैसे उन लोगों के डीयरनेस एलाउन्स में वृद्धि हो जाती है, बस वही लोग इनको दिखाई देते हैं। लेकिन उन गरीब लोगों के लिए इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिनकी रोजी-रोटी का, जिनके भोजन का कोई ठिकाना नहीं है।

मान्यवर, इस देश का सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय कृषि है। जैसा हम जानते हैं कि कृषि

व्यवसाय से लगभग 50 प्रतिशत नेशनल इनकम होती है और करीब 70 फीसदी लोग अपनी रोजी-रोटी कृषि से प्राप्त करते हैं। अभी कल ही हमारे कृषि मंत्री जी जवाब दे रहे थे कि जहां तक निर्यात का प्रश्न है, करीब 11 हजार करोड़ रु. से अधिक मूल्य की कृषि वस्तुएं विदेशों को निर्यात की जाती हैं। ऐसे महत्वपूर्ण कृषि व्यवसाय की ओर हमारे मंत्री जी को अधिक ध्यान देना चाहिए। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी पिछले 23 जनवरी को अपने अभिभाषण में पढ़ा था कि किसानों और कृषि व्यवसाय से सम्बन्धित लोगों को आवश्यक इनपुट्स वगैरह काफी मात्रा में देंगे, जिससे उत्पादन में किसी प्रकार की कमी न हो। लेकिन 9 जून को इस अधिवेशन के शुरू होने से एक दो दिन पहले सरकार ने पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स डीजल खनिज तेलों के दामों में वृद्धि कर दी और साथ ही खाद के दाम में भी वृद्धि कर दी, उससे कृषि व्यवसाय को बहुत धक्का लगा है। इस मूल्य वृद्धि से किसानों की कमर टूट गई है। मान्यवर, यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है कि खनिज तेलों का, चाहे कृषि का व्यवसाय हो या अन्य उद्योग हों, बहुत प्रभाव और महत्व होता है। जब खनिज तेलों का मूल्य बढ़ेगा, तो तमाम वस्तुओं की कीमत बढ़ जायेगी, क्योंकि खनिज तेलों की मूल्य वृद्धि से उत्पादित वस्तुओं की कीमत में भी वृद्धि हो जाती है। उनके ट्रांसपोर्टेशन के व्यय में भी वृद्धि होती है। जिसकी वजह से तमाम मूल्यों में वृद्धि हो जाया करती है। इससे हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था को एक बहुत बड़ा आघात पहुँचा है, इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए।

सरकार को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि वह अपने ही देश में अधिक से अधिक खनिज तेलों के उत्पादन की व्यवस्था करें और विदेशों से आयात करने के लिए अधिक निर्भर न रहना पड़े, क्योंकि अपने देश की जो 31.80 मिलीयन टन रिफाइनिंग कैपेसिटी है, उसको भी हम पूरा नहीं कर पाते हैं। हम अपने देश में मुश्किल से 11.73 मिलीयन टन क्रूड आयल पैदा करते हैं और पिछले वर्ष हमने 16.2 मिलीयन टन क्रूड आयल इम्पोर्ट किया है, इस इम्पोर्ट को भी कम किया जाना चाहिए। और अपने देश में खनिज तेलों के उत्पादन पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए।

असम में खनिज तेल काफी अधिक मात्रा में मिलता है, लेकिन वहाँ जो स्थिति आज चल रही है उससे दिक्कत पैदा हो रही है। मैं चाहता हूँ कि समस्या को बातचीत के द्वारा आपस में बैठ कर हल किया जाना चाहिये। हमारे मंत्री जी ने, जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है पिछले सप्ताह बतलाया था कि असम के एजीटेशन से आयल-फील्ट पर करीब चार-पांच सौ करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। हमारे यहाँ खनिज तेल की फिजूलखर्ची भी बहुत होती है। लोग पिकनिक और दूसरे मनोरंजन में भी तेल का काफी दुरुपयोग करते हैं—इसको दृढ़ता के साथ रोका जाना चाहिए।

सरकारी विभागों में भी पेट्रोल और डीजल का बड़ा दुरुपयोग होता है। पिछले सप्ताह जब यह प्रश्न यहां आया था और माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी से पूछा गया कि सरकारी विभागों में तेल की खपत के क्या आंकड़े हैं, तब उन्होंने इसको बतलाने में अपनी असमर्थता जाहिर की थी। मुझे ताज्जुब है कि सरकारी विभागों में तेल कितना खर्च होता है, इसके आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं। इन आंकड़ों की अनुपस्थिति में किस प्रकार उनमें सुधार लाया जा सकता है—यह बात समझ में नहीं आती है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि सरकारी विभागों में

तेल की जितनी खपत है या जो उसका बजट है, उसके सही सही आंकड़े मालूम होने चाहिए, जिससे उस पर संयम लाया जा सके और फिजूलखर्ची को रोका जा सके।

खनिज तेलों के साथ-साथ आपने रासायनिक खादों की कीमतों में जो वृद्धि की है उससे हमारे किसानों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा है, बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, जिसके कारण हमारा फूड प्रोडक्शन का जो टारगेट है, जो आपने 135 मिलियन टन रखा है, उसका प्राप्त होना मुश्किल दिखाई देता है। मान्यवर, जहां तक रसायनिक खादों के दामों का प्रश्न है, एशिया के तमाम देशों में जो फर्टिलाइजर की कीमतें हैं, वे हमारे हिन्दुस्तान की कीमतों से बहुत कम हैं। 1976-77 के कुछ आंकड़े, जिनमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर और फास्फेटिक फर्टिलाइजर की कीमतें दूसरी कन्ट्रीज में दी गई हैं, मेरे पास उपलब्ध हैं उनसे आपको मालूम होगा कि जापान में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के दाम 42 यू० एस० सेन्ट्स पर-के० जी थे, चाइना में 35 सेन्ट्स पर-के० जी, इण्डोनेशिया में 36 सेन्ट्स पर-के० जी०, मलेशिया में 40 सेन्ट्स पर-के. जी. श्रीलंका में 25 सेन्ट्स पर-के. जी, थाइलैंड में 35 सेन्ट्स पर-के. जी. थे, जब कि भारत में 45 सेन्ट्स पर-के. जी. थे—यह नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर की कीमतों की बात है। इसी तरह फास्फेटिक फर्टिलाइजर की कीमतों का जहां तक सम्बन्ध है—इण्डोनेशिया में 36 सेन्ट्स पर के. जी., चाइना में 40 सेन्ट्स पर-के. जी, मलेशिया में 27 सेन्ट्स पर-के. जी., श्रीलंका में 19 सेन्ट्स पर-के. जी., लेकिन भारत में 43 सेन्ट्स पर-के. जी., थे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश में फर्टिलाइजर की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी हैं और जिसका कृषि उत्पादन पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है।

1974-75 में आपकी ही पार्टी की सरकार देश में थी। उसने उस समय फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ा दी थीं, जिसके परिणामस्वरूप नाइट्रोजन खाद का कन्जम्पशन देश में लगभग 10 प्रतिशत कम हो गया था और जो फास्फेटिक फर्टिलाइजर है, उसका कन्जम्पशन 27 प्रतिशत से अधिक कम हो गया था। जिसका परिणाम यह हुआ कि फूड ग्रेन्ज का प्रोडक्शन करीब 5 मिलियन टन कम हुआ। उसके बाद 1975-76 में कीमतें फिर 1973-74 के स्तर पर घटा दी गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि सभी खादों का मिलाकर कन्जम्पशन 12·5 प्रतिशत बढ़ गया और उससे उत्पादन में भी वृद्धि हुई और उस वर्ष करीब 120 मिलियन टन उत्पादन हुआ।

1977-78 में भी जब फर्टिलाइजर्ज की कीमतों में 100 रुपये प्रति टन की कमी की गई तो फर्टिलाइजर के कन्जम्पशन में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई और उसके परिणामस्वरूप 1976-77 के मुकाबले 1977-78 में फूड ग्रेन्ज में करीब 15 मिलियन टन की वृद्धि हुई और 1978-79 में 20 मिलियन टन की वृद्धि हुई। फर्टीलाइजर्स इंडस्ट्री के हवाले से भी ऐसा मालूम हुआ है कि इन कीमतों को बढ़ाने से फसलों के उत्पादन का व्यय बहुत अधिक बढ़ जाएगा। उन्होंने ऐसा केलकूलेट किया है कि पैडी क्रोप की पर हैक्टेयर कास्ट आफ प्रोडक्शन 200 रुपये से लेकर 300 रुपये तक बढ़ जाएगी, शूगरकेन की पर हैक्टेयर कास्ट आफ प्रोडक्शन 300 से 400 रुपये बढ़ जाएगी और इसी तरह के व्हीट क्रोप की पर हैक्टेयर कास्ट आफ प्रोडक्शन में 150 से 200 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। कृषि विशेषज्ञों ने भी फर्टीलाइजर्स के दामों के बढ़ने से ऐसा हिसाब लगाया है कि हाई ईल्डिंग वेराइटीज से मुख्य रूप से जो फूड प्रोडक्शन कन्ट्री का बढ़ा है, वह योगदान पैडी और व्हीट का है, उनका यह अनुमान है कि पैडी के एरिया में करीब

11 परसेन्ट की कमी हो जाएगी और व्हीट के एरिया में 18 पर सेन्ट की कमी हो जाएगी और पैडी का ओवरआल प्रोडक्शन 14 पर सेन्ट और व्हीट का ओवरआल प्रोडक्शन 18 पर सेन्ट कम होगा। इन सब चीजों को देखते हुए जो कास्ट आफ प्रोडक्शन में वृद्धि है, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस कारण पैडी की प्रोक्योरमेंट प्राइस 95 रुपये से बढ़कर 120 रुपये प्रति क्वींटल होनी चाहिए और व्हीट की 115 रुपये से बढ़कर 140 रुपये प्रति क्वींटल होनी चाहिये। यह तो जो प्रमुख फसलें हैं, उनका हिसाब लगाया गया है। इस प्रकार की और भी कृषि की फसलें हैं और उन सब पर भी इन दामों के बढ़ने से असर पड़ेगा और उत्पादन कम होगा, जिससे देश की सारी अर्थ-व्यवस्था पर बड़ा प्रतकूल असर पड़ेगा। इसी प्रकार से खनिज तेलों की मूल्य वृद्धि का उद्योगों के उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से 10 परसेन्ट की जो वृद्धि की दर रखी गई है उद्योगों के उत्पादन में, उसकी प्राप्ति करना तो हमें एक दिवा-स्वप्न ही लगता है और उद्योगों को जो सुविधाए दी गई हैं उनसे भी उत्पादन में कोई वृद्धि होने की हमें उम्मीद नहीं है और कुछ परिवर्तन तो ऐसे हैं जिनसे प्रोडक्शन बढ़ने में रुकावट आएगी। तेल के दामों में जो वृद्धि है, पेट्रोलियम पदार्थों के दामो में जो वृद्धि की गई है, उससे आर्थिक क्रिया-कलापों पर अपर बुरा पड़ेगा और चीजों के कास्ट आफ प्रोडक्शन में वृद्धि होगी।

मान्यवर, इसमें बैंकों पर जो ब्याज होता है, उस पर हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी ने टैक्स लगाया है और उससे साल भर में 217 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी, यह अनुमान लगाया गया है। यह टैक्स वर्तमान स्थिति में आवश्यक नहीं था क्योंकि इससे इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा बल्कि इससे लोग हतोत्साहित होंगे और यह जो बैंकों के ब्याज पर टैक्स लगाया गया है, उसमें मुख्य चीज यह देखने की है कि इसका इन्सीडेंस कहां पड़ता है। बैंकों पर इसका भार पड़ेगा, ऐसी उम्मीद नहीं है। यद्यपि हमारे वित्त मन्त्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि कोशिश यह होगी कि इन्वेस्टमेंट्स पर इसका भार न पड़े लेकिन इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि आपका जो एकोनामिक सर्वे है, उसमें यह बात कही गई है :

> "इस समय बैंकों के धन का बड़ा भाग कम ब्याज वाली सरकारी सिक्योरिटियों में लगाया जाता है। दूसरी ओर धन का बड़ा भाग अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर प्राथमिकता क्षेत्रों में लगाया जाता है। इन दोनों बातों का बैंकों की लाभ प्रदता पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि धन और उसके सचालन की लागत बढ़ जाने से बैंकों का व्यय बढ़ गया है।"

इससे यह साबित होता है कि मन्त्री जी बैंकों की परेशानियों से पूरी तरह से अवगत हैं और आप नहीं चाहते कि बैंकों पर इसका भार पड़े। तो जब इन्वेस्टमेंट पर इस टैक्स का भार पड़ेगा तो स्वाभाविक है कि इन्वेस्टमेंट को इन्सेन्टिव नहीं मिलेगा और इससे कास्ट आफ प्रोडक्शन में वृद्धि होगी। अन्टीमेटली वस्तुओं के मूल्य बढ़ेंगे। आपने जिन पर पांच परसेंट की ड्यूटी लगाई है उससे भी उत्पादन व्यय बढ़ेगा जिससे मूल्य वृद्धि होगी। आपने कुछ उद्योगों में 36 करोड़ रुपये की राहत दी है। उससे उत्पादन बढ़ाने में कोई विशेष सहायता मिलने वाली नहीं है।

एक बात मैं और कहूंगा। यह जो कागज, सीमेंट, कास्टिक सोडा आदि उद्योग हैं कर से छूट की योजना में इन उद्योगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये हमारे जीवन के लिए बड़ी आवश्यक वस्तुएं हैं। सीमेंट के अभाव में देश में सारे निर्माण कार्य ठप्प हो रहे हैं। सीमेंट के

उत्पादन को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाए। आजकल हम सीमेंट दूसरी कन्ट्रीज से इम्पोर्ट क रहे हैं। इसका देश में ही उत्पादन करने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

कागज के बारे में पहले मैं कह चुका हूं कि कागज का हमारे देश में बहुत अभाव उत्पन्न हो गया है। इस जुलाई के महीने में कापियां और किताबों की कीमतें बढ़ी हुई हैं। इससे शिक्षा जगत में काफी असंतोष है। विद्यार्थी काफी परेशान हैं। मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि सरकार के द्वारा शिक्षा की बहुत ही उपेक्षा हो रही है। शिक्षा की ओर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। बजट में पिछली बार ओरिजनल्ली 84 करोड़ रुपये की व्यस्वथा की गई थी। उसको आपने बढ़ा कर 88 करोड़ किया है। यह बढ़ी हुई कीमतों और इन्फ्लेशन को देखते हुए एवं मनी सरकुलेशन को देखते हुए बहुत ही कम अमाऊंट है। इससे शिक्षा जगत में कोई खास उपलब्धि नहीं होगी।

दूसरे शिक्षा के लिए हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, आर्टिकल 45 में संवैधानिक व्यवस्था है कि हम 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देंगे। लेकिन आज गांवों में प्राइमरी स्कूल तक नहीं हैं। मान्यवर, शिक्षा, किसी भी देश का दिल और दिमाग होता है। इसलिए शिक्षा की ओर सरकार का अधिक से अधिक ध्यान जाना चाहिए। यह अभी तक उपेक्षित रही है।

मैं सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इसमें चाहे कोल हो, चाहे बिजली हो, चाहे रेल ट्रांसपोर्ट हो, चाहे सड़क ट्रांसपोर्ट हो इन सभी में बहुत अव्यवस्था है। कायले की शार्टेज की वजह से बड़ी समस्याए बढ़ रही हैं। मान्यवर, हमारे यहाँ इस देश में लगभग 122 मिलियन टन कोयले की डिमाण्ड है। अधिक से अधिक हम आउटपुट कर सकते हैं 108 मिलियन टन का। आपने टारगेट 113 मिलियन टन का रखा है। वह तो अचीव होगा नहीं और इस प्रकार से 14 से 15 मिलियन टन की शार्टेज हमारे देश में कोयले की रहेगी। यह शार्टेज सभी उद्योगों को पूरी तरह से प्रभावित करेगी इससे विद्युत उत्पदान में भी कमी होगी, लोहा, सीमेंट, कागज सभी उद्योगों के उत्पादन में इससे कमी होगी और इस कमी के कारण चार परसेंट से लेकर 6 परसेंट तक हमारे यहाँ कीमतों में वृद्धि होगी।

मान्यवर, मैं केवल एक बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। सरकार की तरफ से चाहे जितना कहा जाए मगर कीमतें बेतहाशा, अबाध गति से बढ़ रही हैं। उनमें कोई रोकथाम नहीं हो रही है। चाहे वस्त्र हो, चाहे लोहा हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे कार पार्टस हो हर सामान के फिगर उपलब्ध हैं। साबुन पर आपने टैक्स माफ किया है लेकिन साबुन के दाम प्रति केक 10 पैसे से 20 पैसे तक अधिक हो गए हैं। चीनी के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं। और भी सारी आइटम्स को ले लें सभी मूल्य वृद्धि हुई है।

मान्यवर सस्ते कपड़े की बात को लीजिए। सस्ते कपड़े की क्वालिटी बहुत ही घटिया है। मूल्य में वह कपड़ा सस्ता है लेकिन इकोनोमिकल्ली बनिस्पत और कपड़े के वह सस्ता नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि सस्ते कपड़े की दुकानों पर बहुत कम लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं क्योंकि वह कपड़ा ड्युरेबल नहीं है, वह चल नहीं पाता है।

मैं एक और निवेदन करूंगा कि यह जो कीमतें बढ़ रही हैं ये सरकार के अनुत्पादक कार्यों पर खर्च के कारण भी बढ़ रही हैं। केन्द्रीय सरकार ने 1973-74 में करीब 3159 करोड़ रुपया अनुत्पादक कार्यों पर खर्च किया था और यह अनुत्पादक खर्च 1978-80 में बढ़ कर 6374 करोड़ हो गया। यह बहुत आवश्यक है कि इस पर अंकुश लगाया जाए।

सरकार ने कहा है कि उसने कोई नये कर नहीं लगाये गये हैं। कर लगाना उतना जरूरी भी नहीं रह जाता है जब सरकार स्वयं व्यापार में हिस्सा लेने लग जाती है, व्यापार करने लग जाती है। उस अवस्था में टैक्सों की उतनी आवश्यकता भी नहीं रह जाती है।

आपने आयकर की सीमा को दस हजार से बढ़ाकर बारह हजार कर दिया है। लेकिन आप देखें कि दस हजार की कीमत आज चौदह हजार के बराबर हो गई है। इसके अलावा जो कामन मैन है वह इनकम टैक्स देता भी नहीं है। इससे उसको कोई खास लाभ नहीं होगा।

एक लाख की वैल्थ पर किसान जो बड़े बड़े हैं वे टैक्स जो देते थे उसको आपने माफ कर दिया है। इसको माफ नहीं करना चाहिये था। इससे करीब एक करोड़ की आमदनी होती थी जो अब नहीं होगी। इसके एसेसमेंट में जो यह कहा जाता है कि कठिनाई होती थी, इसको मैं नहीं मानता हूं। इसके रेट्स बने हुए हैं और उन पर आसानी से एसेसमेंट था। इसको माफ नहीं किया जाना चाहिये था।

वैल्थ टैक्स की लिमिट को भी आपने एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख कर दिया है। इसका भी मैं विरोध करता हूँ।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक का विरोध करता हूं।

✓श्री परसराम भारद्वाज (सारंगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं।

आपके माध्यम से मैं वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश को भारत का सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश बना रखा है जबकि प्रकृति की ओर से मध्य प्रदेश भरा पूरा है। वहाँ जो प्राकृतिक सम्पदा है उसके सदुपयोग की जरूरत है। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं वह क्षेत्र सारंगढ़ है। वह रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, तीन जिलों को मिलाकर बनता है। इस तरह से मैं तीन जिलों का प्रतिनिधित्व करता हूं जोकि हरिजन आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। उसका आजादी के बाद से लेकर आज तक सर्वांगीण विकास नहीं हुआ है। इस क्षत्र की आर्थिक समाजिक शैक्षणिक तथा औद्योगिक स्थिति अत्यन्त ही दयनीय है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। मैं भी एक कृषक हूं। किसान को खेती के लिए पानी और खाद की आवश्यकता होती है। हमारे प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में बड़ी बड़ी नदियाँ, नाले हैं जिनको बांध कर नहरों द्वारा पानी दिया जा सकता है। इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरे खेती के लिए खाद की आवश्यकता होती है। आज छत्तीसगढ़ का किसान कई वर्षों से अकाल से पीड़ित है। साथ ही अभाव के कारण परेशान भी है। उसे रोजी रोटी के वास्ते दर दर भटकना पड़ता है। और अन्य प्रान्तों में जाकर अपनी इज्जत एवं श्रम बेचकर समय काटना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो खाद के भाव बढ़ाए गये हैं वह कहा तक उचित है और सही है ? इसका बुरा प्रभाव खेती पर पड़ेगा। किसानों की कमर पहले ही टूट चुकी है। उसे शासकीय

कर्ज देना बाकी है। उस पर ब्याज की राशि भी बहुत अधिक हो गई है। मैं चाहता हूँ कि शासन किसानों का ब्याज माफ कर उन्हें तकावी के माध्यम से सस्ती खाद दवाएं आदि उपलब्ध करायें। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है जोकि चावल की माँग पर अपना विशेष महत्व रखता है। वहाँ खाद व पानी की कमी न रहने पावे, नहीं तो राष्ट्र को भारी क्षति होगी। यह देश के हित में नहीं होगा।

अन्य प्रान्तों की तुलना में मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ा हुआ है। इसका कारण यह है कि मध्य प्रदेश की आबादी का चालीस प्रतिशत भाग हरिजन एवं आदिवासियों का है। बड़े लोग तो अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं लेकिन गरीब वर्ग निर्धन वर्ग के लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है कि गरीब बच्चों को तथा हरिजन आदिवासी बच्चों के लिये एक सीमा बनाई जाये ताकि उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, कपड़ा तथा रहने के लिए आवास मिल सके, इनकी उनके लिए व्यवस्था हो सके। उनके लिए आप को शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए।

मैं समद सदस्य बनने के पूर्व पी. टी. आई. शिक्षक रहा हूँ। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि स्कूल और कालेजों में शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जानी चाहिये। छात्र खेल-कूद के लिए जिले तथा ब्लाक स्तर पर स्टेडियम का निर्माण किया जाना चाहिए। खेल कूद को प्रोत्साहन देने हेतु शारीरिक शिक्षा मंत्रालय का निर्माण करना किया जाये। एवं प्रत्येक हाई स्कूल, कालेजों में शारीरिक शिक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए। जिससे खेल-कूद में प्रोत्साहन मिले साथ ही छात्रा एवं छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा सके एवं देश-विदेश में खेलने के लिए योग्य बनाने में सफल हो सके।

बिलासपुर जिले के खरौद के लक्ष्मणेश्वर महाविद्यालय को शासन अपने हाथों में ले ले, जहाँ 75 प्रतिशत छात्र गरीब व हरिजन आदिवासी हैं। अतः आपके माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूं कि शिक्षा मंत्री इस ओर भी ध्यान दें। आज छत्तीसगढ़ में हाई स्कूल में पढ़ने के लिए छात्रों को 20 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, फिर कालेज की बात ही छोड़िये। अतः आपसे निवेदन है कि कम से कम 10 किलोमीटर दूर पर हाई स्कूल तथा ब्लाक स्तर पर महाविद्यालय होना चाहिए। साथ ही प्रत्येक गाँव में प्राइमरी स्कूल खोला जाना चाहिए जिससे हरिजन, आदिवासी छात्र पढ़ सकें एव निकास कर सकें।

मध्य प्रदेश में एक भी आई. आई. टी. नहीं है। रायपुर, बिलासपुर जैसे बड़े शहरों में सैंट्रल के स्कूल नहीं हैं, जो होना चाहिए। रायपुर में मैडिकल कालेज तो है, लेकिन पूर्व मुख्य मन्त्री की घोषणा के बाद भी यहाँ आज तक कालेज का स्वयं का अस्पताल नहीं है। हर सम्भाग को एक मैडिकल कालेज दिया गया है जबकि बिलासपुर सम्भाग में मैडिकल कालेज क्यों नहीं खोला गया है।

मध्य प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार विशेषकर छत्तीसगढ़ में काफी मात्रा में है, जबकि कई बड़े कारखाने हमारे यहाँ कार्यरत है फिर भी पक्षपात के कारण क्षेत्रीय लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है. जिससे असंतोष फैलता जा रहा है। जिसके कारण ही कभी-कभी क्षेत्रीयता की आवाज उठती रहती है। अतः इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षित बेरोजगार

उद्योग हेतु प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन उसका फायदा कौन उठाता है, जो बड़े लोग हैं जिन पास रोजगार है। आप ही सोचिये ट्रक टैक्सी लेने के लिए 25 प्रतिशत रुपया गरीब बेरोजगार कहां पायेगा ? अत: ऐसी स्कीम बनाई जावे जिससे वह गरीब, निर्धन, हरिजन आदिवासी को पूरी मदद शासन करे और गांवों में उद्योग धन्धे कराये। प्रत्येक गांव में कम से कम 5 लघु उद्योग खोले जायें जैसे साबुन, मोमबत्ती, माचिस, ईंट भट्ठा, हालर आटा चक्की, चर्म उद्योग, बुनना, पलंग की नेवार कपड़ा बनाना आदि लघु उद्योग। अत: ऐसी स्कीम बनाई जावें, जो गरीब वर्ग के लिए लाभकारी हो।

मैं आपका ध्यान बिलासपुर जिले के सिवरी नारायण पुल निर्माण हेतु आकर्षित कर रहा हूं। यह पुल रायपुर, बिलासपुर सम्भाग को तथा रायगढ़ एवं उड़ीसा से सीधा सम्बन्ध जोड़ता है। सिवरी नारायण एक धार्मिक स्थल है, जहां एक माह का मेला माघ पूर्णिमा को लगता है। वहां देश के लोग आते हैं तथा दूर-दूर से व्यापारी आते हैं। अभी अन्य जिलों से सम्पर्क हेतु 200, 300 किलोमीटर घूमकर ट्रक बस को जाना पड़ता है। इस समय डीजल की कमी है, और डीजल का ज्यादा खर्च होना राष्ट्रीय क्षति है। अत: वहां पर पुल निर्माण कर लोगों को राहत दे, जिससे शासन तथा क्षेत्र के लोगों को फायदा हो।

रेलवे लाइनों की कमी छत्तीसगढ़ को अखरने वाली है, अत: रायपुर से जगदलपुर बैलाडीला को जोड़ा जावे। अकलतरा से सारंगढ़ बड़गढ़, बरमकेला होते हुए पुरी की रेलवे लाइन जोड़ी जाये, तथा रायगढ़ से अम्बिकापुर को जोड़ा जाना चाहिए।

शासन द्वारा हरिजन आदिवासियों हेतु बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन जो हो रहा वह बहुत ही कम है। सिर्फ आंकड़े ही हमारे सामने आ पाते हैं जबकि वास्तविकता कोसों दूर है। इनका आर्थिक के साथ-साथ सामाजिक विकास भी जरूरी है। मेरा तो सुझाव है कि प्रत्येक हाई स्कूल एवं कालेज का एक होटल हो जिसमें गरीब व हरिजन आदिवासियों के बच्चों को साथ साथ रखा जावे। उन्हें मुफ्त शिक्षा, कपड़े, भोजन आदि दिये जाएं। बच्चों के साथ रहने से बचपन से ही छुआछूत की भावना मिटेगी, इस पर विचार किया जाना चाहिए।

आये दिन हरिजन एवं आदिवासियों पर अत्याचार के अनेक मामले सुनने में आ रहे हैं, जो हमारे देश के लिए बड़े ही शर्म की बात है। अत: निवेदन है कि हरिजन आदिवासी की सुरक्षा व्यवस्था केन्द्रीय सरकार अपने हाथों में लेकर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम करे।

सभापति महोदय, आपने मुझे जो इतना समय दिया, उसके लिए मैं आपका विशेष आभारी हूँ।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री मान, जो वित्त विधेयक हमारे सामने हैं, उस पर मुझे अफसोस के साथ टिप्पणी करना पड़ना पड़ती है कि इस विधेयक से भविष्य में हमारे आर्थिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के पूर्व संकेत मिलते हैं। चूंकि मेरे पास समय कम है इसलिए मैं उनके बारे में संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करने दें। इन प्रस्तावों में प्रभाव होंगे। पहला अर्थ व्यवस्था में गिरावट या हमारे आर्थिक जीवन में लगातार गतिरोध। दूसरा लगातार मुद्रा स्फीति। तीसरा कीमतों में अनिवार्य रूप से वृद्धि और बेरोजगारी में वृद्धि। प्राकृतिक नियमों या इन सब बातों के परिणामों से देश की जनता विशेषतौर से मजदूरों के जीवन स्तर पर और अधिक बुरा प्रभाव पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कहता हूं। सर्व प्रथम मैंने अर्थ-

व्यवस्था में गिरावट की सम्भावनाओं को लिया है। इस सम्बन्ध में मैं केवल दो मामलों को ही लूंगा।

मेरा विचार है कि गतिरोध के दलदल से अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के सिद्धांत में योजना निवेश अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सत्य तो यह है कि हमारी अर्थव्यस्था गतिरोध की स्थिति में रही है, और उसे सरकार ने अपनी सभी घोषणाओं में उसी रूप में स्वीकार भी किया है। यह दावा किया गया है कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष योजना निवेश में 14.5 प्रतिशत की बढोतरी कर दी गयी है। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि कीमतों में 20 प्रतिशत से कम वृद्धि नहीं हुई है और इसे योजना निवेश का निर्धारण करते समय ध्यान में नहीं रखा गया है। निःसंदेह इस बात को समझना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है कि कीमतों में 20 प्रतिशत की वृद्धि होने पर योजना निवेश में 14.5 की वृद्धि वास्तविक मूल्य में कमी ही रहती है। मैं समझता हूं कि इस मुद्दे को समझाने के लिए ज्यादा तर्क देने की आवश्यकता नहीं हैं। अतः हम इस···निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ऐसे समय में जबकि यह मान लिया गया है कि हमारी अर्थ व्यवस्था को गतिरोध से ऊपर उठाने के लिए योजना निवेश एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्धांत है, हमने वास्तविक रूप से योजना के लिए कम निवेश हुआ है। अर्थ व्यवस्था की प्रगति में तेजी लाने का सरकारी क्षेत्र का निवेश दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। आप देखेंगे कि सरकारी क्षेत्र का निवेश का 3,184 करोड़ रुपये है।यह निवेश पिछले वर्ष की तुलना में केवल 13.6 प्रतिशत ज्यादा है आपको यह याद रखना होगा कि 13.6 प्रतिशत की यह वृद्धि मूल्यों में 20 प्रतिशत वृद्धि के कारण की गयी है। स्थिति की वास्तविकता यह है कि सही अर्थों में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत निवेश की मात्रा पिछले वर्ष की अपेक्षा घटी है। उद्योगों के सम्बन्ध में, मैं विशेष तौर से खनिज पदार्थों का उल्लेख करता हूँ। इनमें राजस्व व्यय में वस्तुतः 2102 करोड़ रुपये की कटौती की गयी है। अतः इन सब बातों का हमारी अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा जिससे इसके विकास में तेजी नहीं आयेगी बल्कि इसमें कमी होगी और यदि इससे इसकी वृद्धि में कमी नहीं भी होगी तो इससे गतिरोध दूर नहीं होगा इस बात से स्वयं योजना आयोग भी अवगत हैं। श्रीमान, मेरे पास विस्तार में जाने के लिए ज्यादा समय नहीं है। मैं इस विशिष्टि पहलू पर योजना आयोग के विचारों को केवल सभा के नोटिस में लाना चाहता हूं। जो कुछ उन्होंने कहा है उसे मैं उद्धृत कर रहा हूँ

'वर्तमान आर्थिक संकट के समय में उत्पादन निवेश फिर आरंभ करने से उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।"

श्रीमन मेरे विचार से मामला बिल्कुल स्पष्ट है। इसके लिए और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

मुझे यह कहने में दुःख होता है कि वित्त विधेयक में विकास के नाम पर बड़े-बड़े एकाधिकारियों के लिए पुरस्कार की व्यवस्था है। उनका विस्तृत रूप से वर्णन करना तो संभव नहीं है लेकिन सभा की सुविधा के लिए मैं केवल उनके बारे में केवल संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। बड़े एकाधिकारियों को अधिकाधिक रियायतें दी जाती रही है और अब भी यही नीति है। मैं उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूं। आयकर पर अधिभार को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। घन कर पर छूट की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ा कर डेढ़ लाख रुपये कर दी गयी है। कर से मुक्ति की अनुमति दे दी गई है। कृषि आय को पूर्णतया

घन कर से मुक्त कर दिया गया है। नये एककों को वर्तमान ह्रास की दर के अलावा 50 प्रतिशत की अतिरिक्त ह्रास दिया जाना है आयातित पूंजीगत माल पर सीमाशुल्क समाप्त कर दिया गया है।

उत्पाद शुल्क के सम्बन्ध में अन्य अनेक छूट दी गई हैं सरकार ने सरकारी वित्तीय सस्थानों के ऋण नियमों में परिवर्तन सम्बन्धी खण्ड को हटा ही दिया है।

ये कुछ लाभ सरकार ने प्रस्तावों में दिए हैं। यह केवल मैं ही अकेला इन्हें लाभ नहीं कह रहा हूँ, इस सम्बन्ध में हमें इंडियन चैम्बर्स आफ कम्पर्स एण्ड इंडस्ट्रीज फेडरेशन के प्रेजीडेन्ट श्री के. एन. मोदी का कथन भी सुनिये .....।

वित्त मंत्रालय में उपमत्री (श्री मगन भाई बरोत) : आप श्री मोदी का उल्लेख कर रहे हैं ?

श्री चित्त बसु : उन्होंने क्या कहा है, उसे सुनिये औद्योगिक नीति, बजट (आपका बजट) तथा आयात-निर्यात नीति-ये तीनों कुछ सीमा तक उद्योग द्वारा व्यक्त विचारों के अनुरूप हैं।

श्री बरोत जी मेरा विचार है कि इस ओर आपका ध्यान गया होगा।

श्री मगनभाई बरोत : मैं नोट कर रहा हूं मुझे केवल आपके श्री मोदी का नाम लेने के बारे में आश्चर्य था।

श्री चित्त बसु : मैं और क्या कर सकता हूँ ? यह आपकी जानकारी के लिए है श्री मोदी वह व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके बजट का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है,

"औद्योगिक नीति, बजट तथा आयात-निर्यात नीति-ये तीनों कुछ सीमा तक उद्योग द्वारा व्यक्त विचारों के अनुकूल निर्भर हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने बजट के केवल नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है।

श्री चित्त बसु : अतः आप यह अच्छी तरह समझ सकते हैं कि समाज का कौन सा वर्ग इस बजट का स्वागत कर रहा है। सरकार द्वारा दी जा रही छूट से केवल एकाधिकारी तथा बड़े बड़े उद्योगपति ही सन्तुष्ट हैं.....।

एक माननीय सदस्य : और आम व्यक्ति भी।

श्री चित्त बसु : मैं उसी बात पर आ रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उस बात को जल्दी कहिये। आपके पास केवल दो मिनट का समय और है।

श्री चित्त बसु : जो भी हो, मैं उस बात को कहूंगा।

श्रीमन्, इस बात का बड़ा दावा किया गया है कि समाज के निर्बल समुदाय को बजट में रियायतें दी गयी हैं। श्रीमन मेरे लिये यह दावा एक मनगढंत बात है और मनगढंत बात का भडाफोड़ किया ही जाना चाहिए। गरीब वर्ग को दी गयी इन रियायतों के परिणाम स्वरूप सरकार को राजस्व में केवल 15 करोड़ रुपये की हानि हुई है। दूसरी ओर वित्त मंत्री महोदय ने शुल्क में थोड़ी वृद्धि करके 197.31 करोड़ रुपये की धनराशि की आय कर ली है। ऐसा उन्होंने सभी वस्तुओं पर विशेष उत्पाद शुल्क लगा कर किया है और साथ ही साथ इसे बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया है। गरीबों को दी गयी रियायतों का यह असली स्वरूप है जिसका सरकार बड़ा दावा करती है।

वित्त मंत्री ने 75 करोड़ रुपये का राजस्व गंवाया है लेकिन मेरे विचार से उन्होंने विरोध उत्पाद शुल्क लगाकर एक बार में ही लगभग 200 करोड़ रुपये वसूल कर लिये हैं, जिसका हमारे समाज के सामान्य वर्ग । गरीब वर्ग पर सीधा प्रभाव पड़ा है । अत: रियायत एक मनगढंत बात है जिसका इस बात से भंडाफोड़ किया जाना चाहिए । दूसरी ओर जनता के ऊपर बोझ बढ़ रहा है यह बोझ मेरे हिसाब से लगभग 2,827 करोड़ रुपये से कम नहीं है । इसका ब्यौरा इस प्रकार है पेट्रोलियम उत्पादों की लागत 2 00 करोड़ रुपये रेल भाड़े में वृद्धि 204 करोड़ रुपये तथा प्रस्तावित कर 223 करोड़ रुपये । अत: 2827 करोड़ रुपये के कर लगाने से भार समाज के कमजोर वर्ग और आम जनता पर पड़ा है । अत: यह दावा कि निर्धन वर्ग के लोगों को रियायतें दी गयी है, एक मनगढत बात है । मेरा विश्वास है कि सभा मेरी बात से सहमत होगी । मैं अब अपनी बात समाप्त करने में केवल दो या तीन मिनट लगाऊंगा । बजट में 1417 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है । इसके सम्बन्ध में मेरे पास आँकड़े हैं और मैं उन्हें बताना नहीं चाहूंगा । लेकिन यह घाटा काफी अधिक होगा । यदि कीमतों में वृद्धि जारी रहती है, तो मजदूर का नेता होने के नाते आपको मेरी बात माननी पड़ेगी कि सरकार को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाइ भत्ते की और किश्ते देनी पड़ेगी, यदि महंगाई भत्ते की दो या तीन किश्तें देय हो जाती हैं, तो यह स्वाभाविक है कि घाटा और बढ़ जायेगा ।

स्थिति की वास्तविकता पर मुलम्मा नहीं चढ़ाया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय · कार्मिक इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं ?

श्री चित्त बसु : कार्मिक इसमें कैसे कुछ कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें यह मिलना ही चाहिए ।

श्री चित्त बसु : मजदूरों को अपनी कमर कसनी होगी श्रीमन, घाटा इस अनुमानित स्तर पर दो कारणों के आधार पर रखा गया है (1) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 530 करोड़ रुपये का ऋण लेना जिसके बारे में विस्तार से चर्चा की जा चुकी है । 1252 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता ली गई है । अत: मेरी टिप्पणी लिखी है । यह घाटा वर्तमान स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने तथा विदेशी सहायता के कारण रखा गया है । अत: यह बजट विदेशी सहायता और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण के आधार पर तैयार किया गया है । अन्त में श्रीमन मुझे आशंका है कि यह बजट मजदूर वर्ग पर प्रहार भूमिका है । यह मेरा अन्तिम बात है । आप मुझे अपनी बात कहने की अनुमति देंगे ।

"आर्थिक समीक्षा" में कहा गया है कि :

"लागत में वृद्धि के लिए उत्तरदायी तत्वों को नियंत्रण में रखने के लिए उत्पादकता बढ़ाने वाली नीतियों का संयोजन करना होगा तथा साथ ही वास्तविक उत्पादकता विकास की सीमाओं के अन्दर धन-आय की वृद्धि को भी रोकना होगा ।"

महोदय, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है । प्रधान मंत्री ने कम उत्पादकता—अधिक लागत की अर्थव्यवस्था की बात की है । सर्वेक्षण में भी मांग प्रबधन नीतियों की बात कही गई है । यह सब श्रमिक वर्ग के लिए खतरे की द्योतक है और इससे पता चलता है कि सरकार वेतन स्थिरीकरण की नीति लागू करने पर सोच रही है । वेतन स्थिरीकरण का अर्थ है श्रमिक वर्ग द्वारा और

अधिक विरोध । श्रमिक वर्ग द्वारा और अधिक विरोध का अर्थ है कि वह अपने भय का प्रदर्शन कर रहा है । अत: ये प्रस्ताव हमारे श्रमिक वर्ग के हितों पर और प्रहार करने की भूमिका है । ऐसी स्थिति में मेरे लिए या विरोधी पक्ष के किसी भी सदस्य के लिए इन प्रस्तावों का समर्थन करना सम्भव नहीं है । मैं इनका विरोध करता हूं ।

श्री लालडेंगा के साथ वार्ता पुन: आरंभ करने के बारे में वक्तव्य

श्री लालडेंगा के साथ बातचीत के बारे में वक्तव्य

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : महोदय,

सदन उन सभी प्रयत्नों के बारे में जानता है, जोकि सरकार मिजोरम में पूरी तरह से शान्ति और सामान्य कानून व व्यवस्था को हालत बनाए रखने के लिए करती रही है । आपको याद होगा कि मिजोरम की समस्या के हल के लिए श्री लालडेंगा जनवरी 1976 में भारत आए थे । लकिन .977 में सरकार बदल जाने से यह बात-चीत सन्तोषजनक न रही और श्री मोरार जी देसाई की सरकार ने मार्च 1978 में बातचीत बन्द कर दी । मिजोरम में हिंसा भड़क उठने पर, मिजो नेशनल फ्रंट और उसके दूसरे संगठना को अवैध गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत गैर कानूनी करार दे दिया गया ।

2. श्रीमती इन्दिरा गांधी के फिर से भारत की प्रधान मंत्री बन जाने के बाद, मिजोरम की समस्या का हल ढूढ़ने के लिए फिर से प्रयत्न शुरू किए गए । श्री लालडेंगा, प्रधान मंत्री को मिले और उन्होंने मिजोरम में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए अपनी सेवाएं उन्हें पेश की । सदन को यह बताते हुए मुझे यह खुशी है कि मिजो नेशनल फ्रंट की तरफ से श्री लालडेंगा, 31 जुलाई/1 अगस्त, 1980 की आधी रात से सभी अन्डर ग्राउंड गतिविधियां बन्द करने पर सहमत हो गये हैं । सरकार ने भी उसी तारीख से सिक्यूरिटी फोरसिस् की कार्यवाइयां रोक देने का फैसला किया है । परन्तु यह समझौता, अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं का चोरी छुपे उलंघन करने और सामान्य कानून और व्यवस्था की बहाली के मामले में लागू नहीं होगा ।

3. इसी बीच, भारत सरकार और श्री लालडेंगा की बातचीत जारी रहेगी । सरकार को यकीन है कि इस बातचीत से मिजोरम की समस्याओं का मैत्रीपूर्ण हल निकल आएगा, ताकि मिजोरम की जनता के सभी वर्गों की शक्तियां, उनकी सभी प्रकार की तरक्की के लिए इस्तेमाल की जा सकें । मिजोरम के मुख्य मंत्री ने भी इस समझौते का स्वागत किया है ।

4. श्री लालडेंगा के मिजोरम को भारत का एक अभिन्न अंग मानने के बारे में, मिजो नेशनल फ्रंट के अपने पहले वायदों को पूरा करने और भारतीय संविधान के अनुसार मिजोरम की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान स्वीकार करने के निश्चय की, सरकार तारीफ करती है ।

वित्त (सख्या २) विधेयक— जारी

प्रो. सत्यदेव सिंह (छपरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इतना सुन्दर बजट हमारे प्रस्तुत किया है। मैं ही नहीं, तुमुल हर्षध्वनि के बीच मुस्कराते हुए चेहरों से सभी माननीय सदस्यों ने इस का स्वागत किया है। जहां तक विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों का प्रश्न है, उनके सामने मजबूरी यह थी कि पिछले सत्र में भूतपूर्व वित्त मंत्री चौधरी चरण सिंह ने जो बजट पेश किया था उस के चलते देश के सामने नये सिरे से महंगाई आई, एक तरफ से उसके प्रभाव को रोकने का काम इस बजट ने किया है, इस लिये हमारे वित्त मंत्री जी सारे राष्ट्र के लिए स्तुत्य हैं, अभिनन्दनीय हैं। चौधरी चरण सिंह जी स्वराष्ट्र मंत्री के रूप में और वित्त मंत्री के रूप में इस देश के इतिहास में अमर रहेंगे। इस लिये कि गृह मंत्री के रूप में उन्होंने एक-मात्र उद्देश्य अपने सामने यह रखा कि किस प्रकार से श्रीमती इन्दिरा गांधी को परेशान करें और इस उद्देश्य के चलते श्री जयपाल सिंह कश्यप जी, आप जा रहे हैं, कृपा कर बैठिये, आप से भी बात करनी है··· मैं निवेदन कर रहा था··· (व्यवधान) ·· उन्होंने गृह मंत्री के रूप में यही कोशिश की कि श्रीमती इन्दिरा गांधी को किसी न किसी प्रकार से परेशान किया जाय। श्री घनिक लाल मंडल जी जो सदन में उपस्थित हैं, उस समय ग्रह मंत्रालय में राज्य मन्त्री थे। उस समय बिहार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री कपूरी ठाकुर ने और श्री घनिकलाल मंडल जी की पार्टी के लोगों ने बिहार में जात-पात के आधार पर समाज का बटवारा किया जिसके चलते वहां पर खून की धारायें बहीं··· (व्यवधान)··· इंनीनिरिंग मेडिकल कालिज और सभी कालेजों में, शहरों और गाँवों में लड़कों का पढ़ना और रहना मुश्किल हो गया— यह आपकी देन है। इसी लिये आप भारत के इतिहास में अमर रहेंगे, क्योंकि आप लोगों के कारण बिहार में, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, अशोक और राजेन्द्र बाबू ये बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर हिंसात्मक उपद्रव हुए। आज भी मेरे पास डा. ईश्वर धारी सिंह "केवट" का एक पत्र आया है जिसको मैं आप को दिखलाना चाहता हूं। हमारे संसदीय क्षेत्र छपरा सारन जिले के सोनपुर थाने के अन्तर्गत सब्बलपुर दियारा गांव में माई टोला है, जिस में मुख्यतया पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। यादव समुदाय की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन इन के अतिरिक्त बीन, हजाम, दुसांध, चाई (जो मल्लाह जाति के लोग हैं) ये सब रहते हैं। उन की माँ बहनों की मर्यादा से खिलवाड़ किया जाता है। मुझे 5.7.80 को सोनपुर पंचायत विकास समिति की बैठक में जाने का मौका मिला और वहाँ मुझे यह सूचना मिली कि ये लोग उन पिछड़ी जातियों के साथ इस तरह का जघन्य पाप कर रहे हैं। मैं वहाँ स्वयं गया, पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट के साथ गया, वहां के नौजवानों की आखों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगी। वहाँ पर जितना अनाचार होता है, शायद ही भारत में कहीं होता हो। आप लोक दल वाले यहाँ पर बागपत के काण्ड की चर्चा करते हैं, मैं श्री जयपाल सिंह कश्यप जी से निवेदन करूंगा, श्री घनिक लाल मंडल जी से आग्रह करता हूँ और अपने पड़ोसी श्री राम विलास पासवान जी से आप मेरे साथ वहां चलें और देखें वहाँ कैसा अत्याचार हो रहा है। यह पत्र हाजिपुर से छोड़ा गया है, जिस क्षेत्र से भाई राम विलास पासवान जी यहाँ प्रतिनिधित्व करते आए हुए हैं। वे लोग अपने कष्टों के बारे में उस क्षेत्र में चिट्ठी भी नहीं डाल सकते हैं— दूसरे क्षेत्र में जा कर चिट्ठी डालनी पड़ती है। वे लोग उन अत्याचारों के खिलाफ बोलने में असमर्थ हैं, उन की जुबान

पर ताला लगा हुआ है, इतने निरंकुश अत्याचार वहाँ पर हो रहे हैं।··· (व्यवधान)··· उपाध्यक्ष महोदय, वहाँ पर गरीबों को, पिछड़ी जातियों के लोगों को जाली मुकदमों में फंसाया जाता है। सोनपुर प्रखण्ड की सवलपुर पंचायत के मुखिया तथा प्रखंड प्रमुख शिव शंकर राय ने सोनपुर थाने में उन लोगों को धमकी दी कि ये लोग मुकदमा वापस लेलें, अन्यथा पीपरा और पारसविघा काण्ड की पुनरावृत्ति की जायगी। वहां पर सारे इलाके में आतंक छाया हुआ है, कोई बोल नहीं सकता है यहां तक कि पत्र तक हाजीपुर से छोड़ना पड़ा।

मैं विरोधी दलों के माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे हमारे साथ चलें और देखें कि वहां क्या स्थिति है। कल माननीय सदस्य श्री जयपालसिंह जी कश्यप इस बात की माँग कर रहे थे कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण होना चाहिए। मैं उनसे कहूंगा कि आप पिछड़े वर्ग की बात मत कीजिये, सारे देश की बात कीजिये, सारे देश के गरीबों की बात कीजिए। आपके नेता लोकनायक जय प्रकाश नारायण जी ने खुले शब्दों में कहा था कि गरीबी और आर्थिक दशा के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं, आरक्षण होना चाहिए, लेकिन आपने उनकी बात को भी नहीं माना।

(श्री शिवराज वी. पाटिल पीठासीन हुए।)

यह उनकी अमर वाणी है, जिसका जनता पार्टी वालों को पालन करना चाहिए। क्योंकि वे जनता पार्टी के जनक थे, संस्थापक थे। सभापति महोदय, सरकारी सेवाओं में हरिजनों को संरक्षण मिला है लेकिन आप यह देखेंगे कि इससे भी उनका उद्धार नहीं हो सका है। मैं तो यह चाहूंगा कि आप विरोधी दल के और हम सब मिल कर हरिजनो को और अधिक देवें और उनके प्रतिशत को बढ़ाएं। हम इसमें आपका सहयोग करेंगे लेकिन एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले 30 वर्षों में आजादी के बाद श्री धनिक लाल मंडल जी जैसे लोग मोटे से मोटे होते गये और गरीबों का, हरिजनों और आदिवासियों का शोषण करते रहे। इसलिए मैं यह कहूंगा कि अब और अधिक मोटा होने की कोशिश मत कीजिए।...(व्यवधान)...आपके श्री चरणसिंह जी जब गृह मन्त्री थे, तो उनकी जो नीति थी, उस नीति के आधार पर उन्होंने सारा काम देश का, समाज का नक्शा बिगाड़ दिया। अपनी जिन्दगी का मुराद पूरा करने के लिए और वित्त मन्त्री के रूप में और उनके बजट के चलते स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अब सम्भाले नहीं संभली और देश की आर्थिक स्थिति तथा शान्ति व्यवस्था जर्जर होती गई और जैसा रहीम कवि ने कहा है :

'बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोय
रहिम बिगड़े दूध ते मथें न माखन होय।'

इन्होंने इस देश को इतना नीचे गिरा दिया है कि संभाले नहीं संभल रहा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अब वहाँ पर पारसबीघा और पिपरा कांड की पुनरावृत्ति की धमकी दी जाती है, इसको अविलम्ब सरकार को देखना चाहिए और उसमें कुछ सुधार किया जाए। विरोधी पक्ष के सदस्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण की बात करते हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों की क्या दुर्दशा हो रही है, इसके बारे में कहा गया।·· (व्यवधान)···भाई रामावतार शास्त्री जी। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं। मैं तो ऐसा समझता था कि आप जात-पात में विश्वास नहीं करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूं कि साम्यवादी दल के लोग जात-पात में विश्वास नहीं करते है।

श्री रामावतार शास्त्री : आरक्षण के लिये हमारा विरोध नहीं है।

प्रो. सत्य देव सिंह : शास्त्री जी पर बिहार में व्याप्त जातीयता का कुछ प्रभाव हो गया है। इसलिए वे इतना तिलमिला रहे हैं। जातपात से ऊपर उठो वरना साम्यवाद से हट जाओ। (व्यवधान)···हरिजनों की बात कीजिये, आदिवासियों की बात कीजिये और जातपात की बात मत कीजिये। हरिजनों को और आगे बढ़ाइए, आदिवासियों को और आगे बढ़ाइए। हरिजनों पर आप अत्याचार कर रहे हैं। आप इनका शोषण कर रहे हैं और यह साम्यवाद दल पर कलंक-स्वरूप है। (व्यवधान)

अब मैं बिहार के सम्बन्ध में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। बिहार में जो कोयले की रायलटी मिलती है, वह वजन के आधार पर मिलती है और कीमत के आधार पर नहीं मिलती है। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि बिहार को रायलटी का और ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। हमारे जो अर्थशास्त्री नवयुवक मुख्य मन्त्री आए हैं, उन्होंने बिहार में वृद्धावस्था पेंशन देने का क्रांतिकारी कदम उठाया है, वह एक सराहनीय कदम है। खेतिहर मजदूरों को भी पेंशन देने का प्रस्ताव है और बिहार की आर्थिक दशा में सुधार लाने की वे कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों के लिए भवन निर्माण की व्यवस्था की है, ग्रामीणों के लिए गाँवों में पेय जल तथा सड़क की व्यवस्था की है, हमारे मुख्य मन्त्री श्री जगन्नाथ मिश्र ने वहां पर यह बड़ा अच्छा कदम उठाया है। लेकिन बिहार को रायलटी बहुत कम मिल रही हैं। खनिजों के मामले में बिहार बहुत आगे है लेकिन उसको सही रायलटी नहीं मिलती है। इसलिए मैं वित्त मन्त्री जी से यह आग्रह करूंगा कि बिहार की बिगड़ी हुई दशा को सुधारने के लिए वे बिहार को अधिक रायलटी दें तथा बिहार के आर्थिक प्रगति के लिए मुख्य मन्त्री द्वारा 100 करोड़ रु. की विशेष कार्यक्रम के लिए अपेक्षित मांग की पूर्ति करने की कृपा करें। और हमारी प्रांतीय सरकार के हाथ को वे मजबूत करें।

मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूं। छपरा नगर जो हमारे नगर का मुख्यालय है, वहां से जो रेल लाइन लखनऊ तक जाती है वह लाइन छपरा नगर को उत्तर और दक्षिण दो भागों में विभक्त करते हुए निकलती है। छपरा कचेहरी स्टेशन के पूर्व और पश्चिम में दो रेल फाटक हैं जो दोनों फाटक बड़ी लाइन बनाने के लिए बन्द किए जा रहे हैं और उनके स्थान पर किसी ओवर ब्रिज या सड़क पुल का निर्माण नहीं हो रहा है। इससे छपरा नगर के उत्तर से दक्षिण, लोगो के आने-जाने में कठिनाई हो जाती है क्योंकि लाइन के उत्तरी भाग को दक्षिणी भाग से जोड़ने वाली सड़क बन्द हो जाती है। इस तरह से दहिआ-बाटोला, प्रभुनाथ नगर, खैरा, मढ़ौर, मशरक जाने वाले यात्रियों को बड़ी असुविधा होगी। उनका आना जाना असम्भव हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस सड़क पुल का निर्माण करके ही इन दोनों फाटकों को बन्द किया जाये। साथ-साथ छपरा-जौनपुर के बीच अवतार नगर स्टेशन को 'बी' श्रेणी का स्टेशन बनाया जाए।

अभी श्री वी. डी. सिंह, जो शायद जनता सेक्युलर के सदस्य हैं, ने अपने भाषण में कहा कि 'प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी काम में विश्वास नहीं करतीं, वे तड़क-भड़क में विश्वास करती हैं।' उनकी यह धारणा बिल्कुल निराधार है, भ्रांत है। सारा देश जानता है कि इस वीरांगना ने जो उदाहरण हमारे सामने पेश किया है वह स्तुत्य और अभिनन्दनीय है। जनता

(एस) के नेता चौधरी चरण सिंह को उन्होंने पतंग की तरह आकाश में खिला कर उड़ा दिया और धागा तोड़ दिया जिससे उनको फिर धक्के के साथ जमीन पर ला दिया। इसके बाद चौधरी चरणसिंह के होश ठिकाने आने वाले अब नहीं हैं। इस प्रकार श्री वी. डी. सिंह का सोचना गलत है। (व्यवधान)

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। हमारे देश में इनकम टैक्स का एरियर बहुत बाकी है और लोग काफी करवचन करते हैं। रांची शहर में एक श्रीमती कनक कुमारी देवी हैं जो श्री श्या. सुन्दर शाहदेव (बड़ा लाल) की धर्म पत्नी हैं। वह एक बहुत बड़ा जमींदार घराना है, काफी पैसे वाले वे लोग हैं। उनकी काफी शहरी सम्पत्ति है, आमदनी है। मकानों के किराये से उनके पास काफी पैसा आता है। इनके पास काफी टैक्स बकाया है। इन्होंने काफी टैक्स की चोरी की है। ऐसे-ऐसे उदाहरण हमारे देश में बहुत से हैं जिनके पास हजारों लाखों रुपया टैक्स का बाकी है। अगर सरकार यह पैसा वसूल कर ले तो देश की आर्थिक दशा सुधर सकती है। दूसरी तरफ नौकरी पेशे वालों से, विशेषकर प्राध्यापकों से जो महंगी से तबाह हैं, आर्थिक परेशानी में, चरित्र-निर्माण विद्यार्थियों का कर रहे हैं, उनसे आयकर लेना श्रेयस्कर नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : कोई रिजर्वेशन जातीय आधार पर नहीं किया गया था।

(व्यवधान)

आचार्य भगवान देव : सभापति महोदय, आप इन पर नियन्त्रण रखें और इन्हें इस प्रकार से न बोलने दें। (व्यवधान)

श्री जयपालसिंह कश्यप : आपने हर जगह बेकवर्डक्लास को रिजर्वेशन दी है।

(व्यवधान)

आचार्य भगवान देव : अगर हम बोलेंगे तो आपके नीचे से धरती खिसकेगी।

श्री रामावतार शास्त्री : आप वाजिब बात कीजिये।

सभापति महोदय : शास्त्री जी, आप बहुत सीनियर मेम्बर हैं। अगर आप ही ऐसा करेंगे तो हाउस कैसे चलेगा ?

श्री ए. के राय (धनबाद) : सभापति महोदय, वित्त विधेयक में रखे गये कर प्रस्तावों को मान्यता देने की एक तकनीकी औपचारिकता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। माननीय वित्त मन्त्री को पता है कि उनके सभी प्रस्ताव इस सभा द्वारा पारित हो जाएंगे और माननीय सदस्यों को भी पता है कि इस सभा में उनके किसी सुझाव को न तो स्वीकार किया जाना है और न ही उसे कोई महत्व दिया जाना है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। किन्तु फिर भी हम इसमें भाग लेने में और कुछ कहने के लिए कर्त्तव्यबद्ध है तथा यह आशा करते हैं हालांकि इसमें यह आशा करनी नहीं चाहिए किन्तु फिर भी यह आशा करते हैं—कि हमारी बात सुनी जायेगी और उसे कुछ महत्व दिया जायेगा।

बजट पर सामान्य वाद-विवाद का उत्तर देते हुये माननीय मन्त्री ने कहा था कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और कार्यक्रमों के अनुसार बजट तैयार किया है। जाहिर है कि वे मार्क्सवादी या साम्यवादी या किसी अन्य पार्टी की विचारधारा से तो प्रभावित होंगे नहीं।

कांग्रेस (आई) मिश्रित अर्थ व्यवस्था में विश्वास करती है। (व्यवधान) अब पार्टियों

का नाम स्मरण रखना कठिन है। इससे पहले कांग्रेस और जनता थी। अब कांग्रेस (आई), कांग्रेस (यू) कांग्रेस (आर) आदि हो गई हैं। हमारा सुझाव यह है कि वे पार्टियों के नाम ए. बी. सी. से आरम्भ करें और इस प्रकार वे जैड तक पहुंच जायेंगे और इस प्रकार यह कार्य अद्वितीय होगा।

मेरे पास समय कम है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति स्थाई नीति नहीं हो सकती है। हमारे माननीय वित्त मन्त्री को यह बात समझ लेनी चाहिए और सभा को यह आश्वासन देना चाहिए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था अस्थाई है। यह स्थाई नीति नहीं हो सकती है। यह खड़े रहने जैसी स्थिति है। आप कहीं भी काफी देर तक खड़े नहीं रह सकते हैं, आपको एक दिशा निश्चित करनी होगी—दाएं या बाएं—पूंजीवाद या समाजवाद। दूसरी बात यह कि यह सरकार समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं अपना सकती है किन्तु हममें से बहुत से लोग किसी प्रकार की राष्ट्रवादी अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था की आशा कर रहे थे जोकि उत्पादन के पिछले औपनिवेशिक तरीके और अर्ध-सामंती ढांचे से अलग होगी (व्यवधान) मैं इसे स्पष्ट करता हूं। हम इस प्रकार की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आशा कर रहे थे जो विगत के औपनिवेशिक तरीकों से अलग होगी और हम अर्थ-औपनिवेशिक अर्थ—व्यवस्था और सामंतवाद को दफना देंगे और एक नए जीवन की शुरूआत करेंगे। हमारी यह आशा पूरी नहीं हुई।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सम्बन्धी नीति के सामान्य मानदंड ये हैं कि वह आत्म-निर्भर और विकासोन्मुख हो, उसमें विकास के अवसर हों जिससे अर्थव्यवस्था गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से हटकर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से सम्बद्ध हो जाये और जिसमें एसो-आराम से वस्तुओं के उत्पादन वाले अन्य क्षेत्रों में लगाये हुए धन में बहुत कमी की जा सके किन्तु कर प्रस्तावों में कोई भी मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं हैं (व्यवधान)। वित्त मन्त्री वित्त ने विधेयक प्रस्तुत किया है। मैं धनबाद की स्थिति से ही भारत की अर्थ-व्यवस्था का अंदाजा लगा सकता हूं। धनबाद एक प्रकार से भारत का लघु रूप है इसमें सारे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, सभी अनुषंगिक और सहायक उद्योग हैं और वह सब कुछ है जिनसे मिलकर सम्पूर्ण भारत बना है। स्थिति की जांच के लिए हम कोयला उद्योग को ले सकते हैं। उदाहरण के लिए उर्वरक उद्योग को ही लें।

इस उद्योग का आरम्भ 1957 में स्वयं पंडित नेहरू जैसे महान व्यक्ति द्वारा कराया गया वह स्वयं इसका उद्घाटन करने के लिए वहां गए थे। यह कोयले पर आधारित था और कोयला क्षेत्र में ही स्थित है। यह स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित था। 30 वर्षों के बाद हम कहां पहुंचे हैं ? अब हम कोयले पर आधारित स्वदेशी प्रौद्योगिकी वाले इस एकक को जोकि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उद्यम है नीलाम कर रहे हैं।

हम कहना चाहते हैं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार इस देश में सरकारी क्षेत्र के समापन का नेतृत्व कर रही है।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं नहीं।

श्री ए. के. राय : श्री चार्चिल ने एक बार कहा था कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य के समापन करने वाला पहला प्रधान मंत्री नहीं हूँ परन्तु यह पहली सरकार है जिसके नेतृत्व में सरकारी क्षेत्र का समापन हो रहा है। मैं इतना कह सकता हूं।

यदि आप इस ओर ध्यान दें तो पाएंगे कि आप अब ऐसे तेल पर आधारित और पेट्रोलियम

लियम पर आधारित कारखानों को प्रतिस्थापित कर रहे हैं जिनके लिए हमें हमेशा दूसरे देशों, विश्व बैंक और अमरीकी साम्राज्यवादियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। ये लोग अमरीकी साम्राज्यवाद के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, ये लोग बहुत शोर मचा रहे हैं और सबके सामने चीख रहे हैं मगर चोरी-छिपे उनसे लेन देन करते हैं। कांग्रेस सरकार हमें यही रास्ता दिखा रही है। जनता सरकार समाजवाद के विरूद्ध थी और कांग्रेस सरकार समाजवाद का ढोंग करने वाली है। एक समाजवाद–विरोधी थी और दूसरी समाजवाद का ढोंग करने वाली है—ये लोग समाज विरोधी और समाजिक होने का ढोंग करने वाले हैं। और हम बेचारों की यह हालत है कि इधर, कुआं, उधर खाई। हम तय नहीं कर पाते कि किसे चुनें।

मैं वित्त मंत्री से एक और बात पूछना चाहूंगा कि क्या वे इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे ताकि कोयला क्षेत्र में कोयला आधारित, कारखाने की नीलामी करके वहां तेल पर आधारित, आयातित कारखाना प्रतिस्थापित न किये जाएं जिसके लिए हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़े। यही आपकी आत्म-निर्भरता है ? कम से कम देश की अर्थ व्यवस्था की यह मांग है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था आत्म-निर्भर हो। कुछ ही दिन पहले की बात है कि लोग चीख रहे थे कि सरकारी क्षेत्र में ठीक से काम नहीं हो रहा है। और कांग्रेस के लोग यह दिखावा कर रहे थे कि सरकारी क्षेत्र के रक्षक हैं। अगर कुछ ही दिनों बाद हम बहस कर रहे हैं कि न्यायपालिका को वचनबद्ध होना चाहिए अथवा नहीं। मैं उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। परन्तु सरकारी क्षेत्र को चलाने के लिए वचनबद्ध अधिकारी-तन्त्र होना चाहिए। सरकारी क्षेत्र के अधिकारियों को केवल कुशल नहीं होना चाहिए बल्कि उनमें एक दृष्टि और आदर्शवाद होना चाहिए। अंयथा कोई सरकारी क्षेत्र काम नहीं कर सकता और आप सरकारी उद्यम कार्यालय के अधिकारियों को जानते हैं जो सरकारी क्षेत्र के उच्च अधिकारियों का चयन करते हैं, चयन मंडल में कौन होता है ये सब वे लोग होते हैं जो सरकारी क्षेत्र का समर्थन करने वाले सिद्धान्तों और विचार धारा में विश्वास नहीं करते; और उनमें से एक, जैसा कि सब जानते हैं टिस्कों के उपाध्यक्ष श्री रूसी मोदी हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसे सरकारी क्षेत्र के सिद्धान्तों में विश्वास नहीं है, जो एकाधिपत्य पूंजीपतियों का नेतृत्व कर रहा है, वह चयन मण्डल में बैठकर हमारे अधिकारी चुन रहा है। इसके बाद हमारे महान शुभचिंतक वित्त मन्त्री, जो कि सरकारी क्षेत्र के लिए डटकर लड़ते हैं, यह उम्मीद करते हैं कि हमारे सरकारी क्षेत्र में कार्य कुशलता हो।

मैं एक और बात पर जोर देना चाहता हूं कि यदि आप सरकारी क्षेत्र ठीक तरह से चलाना चाहते हैं तो एक ऐसा वचनबद्ध अधिकारी-तन्त्र होना चाहिए जिसकी समाजवाद के आधारभूत सिद्धान्त में निष्ठा हो, जिसपर सरकारी क्षेत्र आधारित है, न कि किसी पूंजीवाद के समर्थक किसी एक व्यक्ति पर उसका विश्वास हो। अगर आपको ऐसे अधिकारी नहीं मिलते तो इस व्यवस्था को खत्म कर दीजिए, उन्हें निकाल दीजिये मगर अधिकारी-तन्त्र को वचनबद्ध होना होगा। अगर आप सरकारी क्षेत्र पर बोलने योग्य हैं तो बोलिए, अगर आप नहीं बोल सकते तो चुप रहिए।

एक और बात है : मैं पहले ही कह चुका हूं कि किस तरह ये लोग कुमार दूबे इंजीनियरिंग बर्क्स टिस्कों को सौंप रहे हैं-ये लोग एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम की उपेक्षा करके इसका विरोध कर रहे हैं उनके अनुसार बहुत निर्भीक होकर विरोध कर रहे हैं।

कुछ ही दिन पहले, बिहार सरकार ने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए इस बात का समर्थन किया था कि सरकार को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत कुमार दूबे इन्जीनियरिंग वर्क्स को अपने अधिकार में ले लेना चाहिए। परन्तु गुप्त रूप से ये लोग उनसे मिले हुए हैं और ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि यह कारखाना टिस्को को सौंप दिया जाये और इस पर इनका कहना है कि ये मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। ये लोग जनता पार्टी से हमारी अर्थ-व्यवस्था के समाजवादी तत्व को बचाने वाले हैं। इन जनता वालों में एक बात बहुत अच्छी थी कि ये लोग एक नम्बर केवेव कूफ थे। इसलिए उनी बातें समझी जा सकती थीं। मगर ये कांग्रेस वाले बहुत होशियार हैं, बहुत काबिल हैं और इनकी बातों में संगति है, मगर केवल गलत काम करने के लिए। ये लोग जान-बूझकर ऐसी गलत काम कर सकते हैं जिसे जनता वाले करने में असमर्थ थे।

मैं काले धन के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। मैं वित्त मन्त्री से पूछना चाहूंगा जो हमेशा मुस्कराते रहते हैं। लोगों ने वांचू समिति आदि का जिक्र किया है। मैं इस तरह की आम बातों में नहीं पड़ना चाहता। मैं एक ठोस प्रश्न करता हूं। धनबाद में एक कार, ट्रक, गोदाम और बस के मालिकों की संख्या कितनी है और उनमें से आय-कर देने वालों की प्रतिशतता क्या है ? पिछली सरकार से प्राप्त उत्तर से आश्चर्य होता है। कारों की संख्या 5245 है उनमें से केवल 5 प्रतिशत मालिक आय-कर देते हैं। क्या ऐसे व्यक्ति भी कार के मालिक हो सकते हैं जो आय-कर नहीं देते हैं। ट्रकों की संख्या 4253 है और उनमें से केवल 50 प्रतिशत के मालिक आय-कर देते हैं। गोदाम मालिकों की संख्या 95 है जिनमें से केवल 50 प्रतिशत आय कर देते हैं। बस मालिकों की संख्या 318 है और केवल 20 प्रतिशत आय-कर देते हैं। बिजली से चलने वाले वाहनों की संख्या 4495 है और उनमें से केवल 20 प्रतिशत के मालिक आय-कर देते हैं मेरे जिले के आय-कर विभाग की कार्य कुशलता की यह हालत है।

धनबाद में केवल 20 कारखानों के नाम सूचीबद्ध हैं। यदि आप मुझे समय दें तो मैं आपको उनके नाम भी गिना सकता हूं। उन्होंने सभी बैंकों से धन ले रखा है। वे इस धन को दूसरे क्षेत्र में लगा रहे हैं। जब हम उनके विरुद्ध अभ्यावेदन कर देते हैं तो हमारी बात कोई नहीं सुनता। इस तरह वे अपनी मिश्रित अर्थ-व्यवस्था चला रहे हैं। उनका राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे औपनिवेशिक शासन के मामले पर अपनी तरह की समाजवादी शैली के समाज का निर्माण करेंगे। चाहे लोकतंत्र हो, तानाशाही हो या अधिनायकवाद हो, यह ढोंग अवश्य समाप्त होना चाहिए।

श्री महेन्द्र प्रसाद (जहानाबाद) : वर्तमान वित्त विधेयक उस अद्भुत बजट का अनुवर्ती है जो स्वातंत्रता के बाद भारत का सर्वश्रेष्ठ बजट है जिसे हमारे वित्त मन्त्री ने पिछले इस महान् सभा में प्रस्तुत किया था।

3 वर्षों के जनता शासन ने देश की अर्थ-व्यवस्था का सर्वनाश कर दिया है। देश बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। हम आकाश को छूने वाली मुद्रा-स्फिती और कमर तोड़ महंगाई का सामना कर रहे हैं। सारी जनता लगभग प्रत्येक वस्तु के मूल्य की अनिश्चित स्थिति के भय में रह रही है। किसी भी सरकार के लिए, जो अपने को कल्याणकारी सरकार कहती हो, यह अच्छी स्थिति नहीं है। हमारी लोक तंत्रात्मक सरकार को, जिसे जनता की चिन्ता है, इस

समस्या का समाधान करना होगा और लोगों का यह भय दूर करना होगा। यह समस्या कैसे दूर हो सकती है ? इसके दो उपाय हैं :

(क) जनसंख्या विस्फोट पर हर प्रकार से रोक लगाना।

(ख) उत्पादन और पूर्ति में वृद्धि।

अर्थ-शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में मैं जानता हूं कि लोकतंत्रात्मक देश में बाजार भाव पूर्ति और मांग के परस्पर सम्बन्ध से निर्धारित होता है। बाजार में मांग की तुलना में पूर्ति अधिक है तो मूल्य कम होगा और यदि बाजार में मांग की तुलना में पूर्ति कम है तो मूल्य अधिक होगा। इसलिए मूल्यों पर नियन्त्रण रखने के लिए और उन्हें कम करने के लिए हमें पूर्ति की स्थिति में बहुत सुधार लाना होगा। जनसंख्या नियन्त्रण के द्वारा मांग पर रोक लगाते हुए हमें बाजार को वस्तुओं से भर देना होगा। पूर्ति को किसी जादू की छड़ी से बढ़ाया नहीं जा सकता। पूर्ति मे सुधार के लिए उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि आवश्यक है। उत्पादन को हम कैसे बढ़ाएं ? इसके दो उपाय हैं : (1) या तो उन्हें भय होना चाहिए जैसा कि हम सोवियत रूस और अन्य साम्यवादी देशों के संगठित समाज में देख सकते हैं वहां लोग कठिन परिश्रम करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा रहता है, अथवा (2) अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिया जाना च हिए और उसमें उनकी रुचि पैदा की जाये। मानव स्वभावत: स्वत्व और सम्बद्ध होने की भावना से युक्त होता है। स्वत्व की अवहेलना करना उनके प्रति उदासीनता दर्शाना होगा। और विरक्ति की विचार धारा से युक्त होना भी स्वार्थपूर्ण होने के समान है। किसी का शुभचिंतक होना यथा दयालु होना भी तो प्रधानत: स्वार्थपूर्ण कार्य है, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही कोई व्यक्ति कार्य करता है। यह सच है और सच की उपेक्षा कर किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं पाई जा सकती। इसलिए महोदय, हमें आर्थिक नीतियों के निर्धारण के समय प्रोत्साहन देने की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आजकल हम यही देखते हैं कि सरकारी नीतियों के निर्धारण के समय इन महत्वपूर्ण तत्वों की उपेक्षा की जाती है। इसीलिए हमारी नीतियों की असफलता की सम्भावना बढ़ जाती है और साथ ही लोगों की समस्याएं भी बढ़ जाती हैं।

आज यदि सरकार उत्पादन में वृद्धि के राष्ट्रीय स्तर के प्रयास में लोगों की रुचि जागृत करना चाहती है तो निगमित और वनजिगत दोनों ही स्तरों पर कर न्यूनतम करना होगा, ताकि लोगों को कठिन परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहन और प्रेरणा मिल सके। स्वयं सरकार का भी यही विचार है कि —

'आय-कर दरों में कमी करने से लोग अधिक ईमानदार होंगे और इस प्रकार काले धन पर रोक लग जायेगी।'

सरकार का विचार यह भी है कि—

'अधिकाधिक बचतों और निवेशों से ही आर्थिक विकास में तेजी लाई जा सकती है।'

यह बात सरकार भी स्वीकार करती है। इस प्रकार सरकार ने यह स्वीकार किया है, जो ठीक भी है कि कर की दर ऊंची होना उस वैध धन की वृद्धि में बाधक है, जो उत्पादन के लिए अत्यावश्यक है। यह भी स्वीकार किया गया है कि सरकार की कर की ऊंची दर बनाए रखने की नीति के कारण काला धन असीमित होता चला जा रहा है। यह स्थिति विकास की

आकांक्षा रखने वाले किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए आत्मघात के समान है। काले धन से अनावश्यक मांगें बढ़ती हैं। वैध धन से आवश्यक उत्पादन बढ़ता है। भारत की आर्थिक समस्याओं का समाधान अधिकाधिक धनराशि के बचत और निवेश में निहित है। और यह केवल वैध धन में वृद्धि होने से ही सम्भव है। वैध धन तभी बढ़ सकता है जब काला धन समाप्त हो जाए और काले धन को तभी रोका जा सकता है, जब कराधान में कमी कर वैध धन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाये। भारत में कर वसूली की दरें इतनी ऊंची हैं कि कोई भी अपनी आय नहीं बताना चाहता है। सरकार की कराधान नीति आय प्रकटन में बाधक है और लोगों को बेईमान बनने के लिए विवश करती है। आज उच्च कराधान की यह नीति राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाल रही है। आज जो समस्या है, वहाँ धन के वितरण की नहीं है, क्योंकि वह तो वस्तुतः है ही नहीं, वरन् धन पैदा करने की है। आज ऐसा प्रतीत होता है जैसे मछली तो अभी तालाब में ही है किन्तु उसके टुकड़ों के लिए पहले से ही झगड़ा होने लगा है। महोदय यह सही है कि सरकारी व्यय विशेषतः उत्पादन-कार्यों में सरकार द्वारा किया गया खर्च काफी हद तक बेकार ही जाता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि सरकार द्वारा किये गये व्यय में प्रोत्साहन का अभाव है और वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत सरकारी अधिकारियों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है।

विहार में पिछली विधान सभा के चुनाव में प्रचार करते हुए मेरी भेंट एक हाईस्कूल के हैडमास्टर से हुई जिसने इस बात की शिकायत की कि गाँव वालों की मदद के लिए केन्द्रीय सरकार से आने वाला एक करोड़ रुपया विभिन्न केन्द्रीय और राज्य सरकारों की एजेंसियों के माध्यम से गुजरते-गुजरते गाँव वालों तक पहुँचते-पहुँचते शून्य भाग ही रह जाता है। मुखियों के हाथ आखिरी हिस्से का आखिरी टुकड़ा लगता है जबकि गाँव वालों के निराशा ही हाथ आती है।

मुझे याद है कि बिहार में 1970 से पहले भीषण अकाल के दौरान कुएं खोदने के लिए अनेक मुखियाओं ने खंड तथा उप-मंडलीय अधिकारियों से साँठ-गाँठ कर लूट के माल में हिस्सेदारी करने के लिए राज्य सरकार से काफी बड़ी धनराशि ली जबकि कहीं भी एक भी कूआँ नहीं खोदा गया और कहीं-कहीं बहुत कम कूएं खोदे गए। यह स्वाभाविक है और इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता।

प्रोत्साहन की कमी के कारण उत्पादन क्षेत्रों में सरकार द्वारा किया जाने वाला खर्च बेकार हो जाता है। हम अनेक सरकारी परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन के बारे में जानते हैं। इसीलिये सरकार जितना श्रम खर्च करेगी देश की अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही बेहतर होगा।

महोदय, इसीलिये मैं वित्त मन्त्री से निवेदन करता हूं कि सरकार की नीतियां इस प्रकार निर्धारित की जाएं जिससे सरकारी खर्च जहां बेकार जाता हो वहाँ सरकार कम खर्च करे, ताकि काले धन की वृद्धि को रोका जाये, और वैध धन में वृद्धि हो सके। इस प्रकार लोगों को इसके लिए प्रोत्साहन मिल सके कि वे उत्पादन को बढ़ाएं और पूर्ति में तेजी से वृद्धि लाकर अपनी विभिन्न बचतों से वैध धन बढ़ाएं और उनका विकासोन्मुख गतिविधियों में निवेश करें। ऐसे कार्य के कारण अधिक उत्पादन होगा, और सरकार की आय बढ़ेगी, परिणामतः उत्पादन, धन, और रोजगार के अवसर, प्रति व्यक्ति आय और निर्यात में तेजी से वृद्धि होगी और इस प्रकार सरकार की आय में वृद्धि होगी और उसका महान स्वरूप उभर कर सामने आएगा।

इस कमी की प्राप्ति के लिए वित्त मन्त्री सभी अधिभारों सहित व्यक्तिजन और सामूहिक करों को वर्तमान 66 प्रतिशत से घटा कर 20 प्रतिशत कर दें। यदि ऐसा किया जाता है तो ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि सरकार को 2000 करोड़ रु. के राजस्व का नुक्सान होगा। इस सरकारी कोष को व्यक्तिगत और निगमित दोनों क्षेत्रों से क्रमश: 1426 करोड़ रुपये तथा राजस्व के रूप में 1515 करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं। किन्तु कर घटाने के इस उपाय से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार हो जाएगा, और अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में तेजी से वृद्धि होगी। देश के समग्र आर्थिक स्वरूप में जो परिवर्तन होगा उससे देश के लोगों के साथ ही सरकार को भी लाभ होगा। मेरा यह भी विचार है कि 20 प्रतिशत तक करों को घटा देने से 2000 करोड़ रुपये के राजस्व के नुक्सान की बात वास्तविक होने की अपेक्षा काल्पनिक ही अधिक है ; मेरा ख्याल है कि सरकार इस समय को अर्जित कर रही है, उससे कहीं अधिक अर्जित कर सकेगी, क्योंकि करों का भली भांति अनुपालन हो सकेगा, आर्थिक कार्य कलापों में वृद्धि होने के कारण लोगों की और विभिन्न औद्योगिक एककों की बढ़ी आय और उत्पादन और बिक्री से उत्पादन शुल्क से अधिक आय के कारण सरकारी कोष को और अधिक धन मिलेगा। सरकारी कोष को तुरन्त राहत के लिए उत्पाद-शुल्क को ही 2000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। यद्यपि यह एक लोकप्रिय सुझाव नहीं है और इससे लोगों पर मार भी पड़ेगा तथापि समूचे राष्ट्र की भलाई के लिए कभी-कभी कठोर उपाय और बलिदान किये जाते रहे हैं। किन्तु कुछ भी हो इस समय जो भी बलिदान करना पड़े। अन्ततः इससे लोगों, सरकार और देश को ही अधिक लाभ होगा।

जहां तक धन कर का सम्बन्ध है। मुझे नहीं मालूम कि देश में यह कब से लागू हुआ। मेरे विचार से कठोर परिश्रम कर धनार्जन करने वाले इससे निरुत्साहित होते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। इससे देश के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे पूर्ति और विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इसके परिणामस्वरूप देश के भविष्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।

आज लोग विकसित यूरोपीय और अमेरिकी देशों में कर-निर्धारण की ऊंची दरों की चर्चा कर अपने देश में कर की ऊंची दरों को न्याय संगत ठहराते हैं। किन्तु मेरे ये मित्र भूल जाते हैं कि अनेक वर्ष पूर्व जब इन देशों का वास्तव में विकास हुआ था, उस समय कर बिल्कुल नहीं था अथवा नाम मात्र को ही था। रूस और अन्य साम्यवादी देशों का विकास सुदृढ़ संगठन तथा भय के प्रभाव से हुआ जोकि गोली और संगीन से पैदा होता है।

उपरोक्त तत्वों और विचारधारा को दृष्टि में रखते हुये मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह भूतलक्षी प्रभावी धारा 80 ङ विधान पर, जोर न दें। इससे देश के उद्योग और अर्थव्यवस्था पर, उन्हीं कारणों के कारण जिनका मैं ऊपर उल्लेख कर चुका हूं, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह उस क्षेत्र से धन ले जाएगा, जहां धन का शत प्रतिशत उत्पादन के लिये उपयोग होता है और जहां धन देश के विकास में सहायक होता है। धारा 80 ञ विधान को प्रस्तुत करते समय माननीय वित्त मंत्री बहुत गर्व महसूस करते हैं क्योंकि एक सतर्क आय-कर आयुक्त ने यह पता लगाया कि धारा 80 ञ से उद्योगों को दोहरा आय-कर लाभ मिल जाता है। परन्तु माननीय वित्त मन्त्री यह भूल जाते हैं कि लोग उसी आय पर दोहरा आय-कर देते हैं,

पहले तो निगमित कर के रुपये और दोबारा लाभांश आदि से हुई आय में व्यक्तिगत कर के रूप में जबकि दोनों ही, निगमित और व्यक्तिगत आय का स्त्रोत एक ही है।

इसलिए मेरा माननीय वित्त मन्त्री से निवेदन है कि वह किसी अधिकारी की कल्पना, इच्छा या दबाव में न आकर इस प्रस्तावित विधान को न लागू करने के अनुरोध पर सहानुभूति-पूर्वक विचार करें। कम से कम इसका भूतलक्षी प्रभावी भाग तो बिल्कुल ही हटा दिया जाना चाहिये और यदि कुछ भी न हो तो, कम से कम लघु उद्योगों को तो इस विधान से मुक्त रखना चाहिये, इन्हीं कारणों से मेरा निवेदन है, जैसा कि मैंने उपर्युक्त उल्लेख किया है कि इससे उद्योगों में प्रोत्साहन निरुत्साहित होगा और इससे सरकारी धन की फिजूलखर्ची को बढ़ावा मिलेगा।

सरकार का विचार आय-कर प्रयोजन के लिये छूट की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने का है। इसका परिणाम यह होगा कि 6 लाख कर-दाताओं को आय-कर से छूट मिल जायेगी। इससे सरकारी कोष को भी राजस्व में लगभग 18 करोड़ रुपये की हानि होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार का यह लोकप्रिय कदम है और इससे बहुत लोगों को राहत मिलेगी इसलिए इसका स्वागत किया जाना चाहिये। परन्तु यह देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का तरीका नहीं है। इससे पहले से ही बिगड़ी हुई आर्थिक दशा और भी खराब हो जायेगी। क्योंकि कर छूट के मिलने के कारण 6 लाख लोगों की कमाई यदि बचत करके ठीक से न लगाई गई तो उससे बाजार में आरामदायक चीजों की या अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी होगी जिससे कि बाजार में मांग अधिक बढ़ेगी और मूल्यों में भी वृद्धि हो जायेगी मेरा तो यह विचार है कि कर-राहत से लाभ उठाने वाले लोग उस वर्ग के हैं जिनकी प्रवृत्ति धन बचत कर के लगाने के स्थान पर उसे खर्च करने की है। इस प्रकार, आज तो आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी कर नीतियों द्वारा ऐसे एक वर्ग या संस्थाओं या फर्म को राहत देकर बचत को प्रोत्साहन दिया जाये जिनकी देश के विकास की गतिविधियों में धन की प्रवृति हो।

महोदय, केवल एक दृढ़ नेता और दृढ़ सरकार ही ऐसा निर्मीक नीति निर्णय ले सकती है। यह भारत का सौभाग्य है कि उसे अब एसी सुदृढ़ सरकार और नेता मिला है। यदि ऐसा दृढ़ निर्णय अब नहीं लिया जा सकता तो यह फिर कभी भी नहीं लिया जा सकेगा। इस निर्णय के लिए यह समय सबसे उपयुक्त है। क्योंकि यदि यह निर्णय अब लिया जाता है, तो इसका फल हमें दो या तीन वर्षों के भीतर ही मिलना शुरू हो जाएगा और जैसे ही इसके परिणाम सामने आने लगेगें जनता का समर्थन भी हमें मिल जाएगा। यदि यह निर्णय कुछ वर्षों बाद लिया जाता है तो इससे सरकार की प्रतिष्ठा कम होगी और इससे चुनाव पर भी प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि इन निर्णयों के शीघ्र बाद अच्छे परिणामों की आशा नहीं की जा सकती।

श्री कालो चरण शर्मा (भिन्ड) : माननीय समापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मत्री जी द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं और स्वागत करता हूं। मान्यवर, इस मौजूदा परिस्थिति में, पिछले वर्षो में देश की आर्थिक व्यवस्था को जो काफी धक्का लगा था उस सब के होते हुए भी वित्त मंत्री जी ने जो इतना अच्छा बजट प्रस्तुत किया है, उसके लिए हमारे वित्त मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। फिर भी मैं बजट के सम्बन्ध में कुछ सुझाव माननीय वित्त मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूँ। हमारा देश कृषि प्रधान देश है।

अस्सी प्रतिशत हमारे देश में किसानों की आबादी है। हमारे देश में अधिकतर काश्तकार ऐसे हैं जिनके पास एक एक और दो दो एकड़ जमीन है। आज के इस महंगाई के युग में दूसरी चीजों के मुकाबले में अनाज के मूल्यों में बहुत कम वृद्धि हुई है। कृषि मूल्य आयोग द्वारा जिन मूल्यों की सिफारिश की जाती है वे बहुत ही कम होते हैं। आप किसी भी वर्ष को आधार वर्ष मान कर देखें, आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि कृषि उत्पादन के मूल्यों में बहुत ही कम वृद्धि हुई है। 1971 को आधार वर्ष मान कर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि औद्योगिक उत्पादनों के मुकाबले में कृषि उत्पादनों के मूल्यों में कितनी कम वृद्धि हुई है। हमारे देश का किसान औद्योगिक उत्पादनों की खरीद करता है, सभी आवश्यक वस्तुओं की खरीद करता है। जब तक उस हिसाब से आप उसकी उपज के दाम नहीं बढ़ाएंगे किसान आगे नहीं बढ़ सकता है। आप ऐसा आयोग बनाएं जो औद्योगिक उत्पादन और कृषि उत्पादन दोनों के समान रूप से मूल्य निर्धारित करे। तभी आप किसान को कोई लाभ पहुंचा सकते हैं। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। जनता पार्टी के शासन काल में तीन वर्ष पूर्व गन्ने के मूल्य बहुत कम थे और किसानों ने अपना गन्ना खेतों में ही जला दिया था। मूल्य इतने कम थे कि उसको मिल तक पहुँचाने से उसको कोई फायदा नहीं होता था। तब 6 और 8 रुपये मन गन्ना और 6 और 8 रुपये मन आलू बिका था। इस बात को हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्य बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उसी का यह नतीजा है कि आज हमको चीनी आठ रुपये किलो भी मुश्किल से उपलब्ध हो रही है। इस वास्ते मेरा आप से निवेदन है कि आप किसान के लिए इस बजट में कोई विशेष प्रावधान करें।

आप हजारों करोड रुपये का इनवैस्टमैंन्ट देश में करते हैं। क्या प्रत्येक परिवार के आदमियों में से जिस के घर में कोई पढ़ा हुआ आदमी हैं, एक आदमी को आप नौकरी दे पाए हैं? हर एक को नौकरी दे पाना तो सम्भव नहीं है। लेकिन एक परिवार में एक को भी आप नौकरी नहीं दे पाए हैं। शायद दे भी नहीं पाएंगे। इस वास्ते मैं आपके सामने एक सुझाव रखना चाहता हूं। पशु पालन और कृषि एक ऐसा संयुक्त उद्योग है कि और इसको उन्नति के अवसर मिलें और इसको बढ़ावा दिया जाए तो किसान अच्छी तरक्की कर सकता है। मध्यम वर्गीय परिवार जो हमारे देश में हैं उनके लड़के नौकरी कर सकते हैं पढ़ लिख कर लेकिन मजदूरी नहीं कर सकते हैं। अगर आप मध्यम दर्जे के परिवारों के लिए जो एक भैंस और गाय खरीद नहीं सकते हैं, उनको बैंक से सस्ते रेट पर कर्ज दिलाने की व्यवस्था कर दें तो हमारे देश की दूध की आवश्यकता भी पूरी हो सकती हैं और किसान का वह फालतू भूसा तथा दूसरी चीजें जो खेती में वह उत्पादन करता है, उनका इस्तेमाल कर के वह दूध का उत्पादन भी बढ़ा सकता है। मेरा निवेदन है कि पशु पालन के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में रकम की व्यवस्था की जाए ताकि हमारे देश के बहुत से परिवारों को लाभ हो सके।

अब मैं मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में आप से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। हमारा प्रदेश सारे देश के प्रदेशों में सबसे बड़ा है। वहां पर खनिजों के विपुल भंडार है। इस खनिजों के लिए देश के दूसरे राज्यों की तरह से मध्य प्रदेश के वास्ते भी उद्योग धन्धों का आवटन करें तो हमारे देश की बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ती हो सकती है। हमारे यहां कोयला, लोहा तथा दूसरी अनेक वस्तुओं के अनेक भंडार हैं। सिंघरौली में तथा दूसरी जगह अगर बिजली के यूनिट लगा दिए

जाएं तो काफी बिजली की मांग की पूर्ती हो सकती है। बस्तर में तथा दूसरे जिलों में आदिवासी लोग बनों पर निर्भर रह कर अपना गुजर बसर करते हैं। 33 साल की आजादी के बाद भी उन गरीब आदिवासियों को कोई फायदा नहीं पहुँचाया गया है। मेरी प्रार्थना है कि आप वहां वनों पर आधारित उद्योग लगाएं ताकि उनको लाभ पहुँच सके। वनों तथा खनिजों पर अधारित उद्योग चाहे पब्लिक सैक्टर में और चाहे प्राइवेट सैक्टर में खोले जाएं और इन खनिजों का दोहन किया जाए तो पढ़े लिखे और बे पढ़े लिखे लोगों को भी काम मिल सकता है। इसकी तरफ आपका विशेष ध्यान जाना चाहिये और इसकी कोई व्यवस्था होनी चाहिये।

हमारे प्रदेश में रेलों की भी बहुत कमी है। अगर वहाँ रेल लाइनें दी जाए तो जहां खनिज पदार्थ पाए जाते हैं तथा वन सम्पदा पाई जाती है, वहां लोगों को बहुत लाभ हो सकता है और इससे काफी फायदा भी देश को हो सकता है। हमारे भिंड और दतिया जिले में काफी समस्याएं हैं भिंड व दतिया में एक बड़ा उद्योग खोला जाए। आप देखेंगे कि हमारे जिलों में ग्वालियर राज्य में पहले कम्पलसरी रिक्टमैंट मिलेट्री में होता था। मैं कहना चाहूँगा कि आज भी अगर मिलेट्री में हमारे यहाँ के लोग लिये जायें तो अच्छा होगा क्योंकि वह काफी लड़ने और मरने वाले होते हैं, काफी मजबूत होते है। उस समय ग्वालियर का मिलेट्री में नाम था। हमारे वहाँ एक-एक एकड़ के काश्तकार हैं और 10,10,20,20 आदमियों के परिवार नौकरी पर ही गुजर करते हैं, इसलिये इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिये।

हमारे जिले में रेलवे लाइन गुना से इटावा का सर्वे करने के लिये मंजूरी की गई है, उसको अगर जल्दी ही बजट में लिया गया तो काफी तरक्की हो सकेगी।

मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि मौजूदा इन्वैस्टमैंट में आप किसानों के लिये काफी राहत देने की बात करेंगे. और कृषि मन्त्री भी इस में सहयोग करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं बजट का स्वागत करता हूं। जय हिन्द।

✓ **श्री जी. एम. बनात वाला** (पोन्नानी : अन्त में मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान उन कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्नों की ओर दिलाना चाहूँगा जो बजट पर हुई राष्ट्रीय चर्चा के प्रस्ताव के समय सामने आये हैं। मैं उन्हें इस सभा में केवल इस लिए दोहरा रहा हूँ जिससे कि यह सभा और राष्ट्र यह जान जाए कि माननीय वित्त मंत्री की इन सुझावों के सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है।

उदाहरण के तौर पर, श्री पालकीवाला ने यह सुझाव दिया कि बजट प्रस्ताव हमेशा की तरह गुप्त नहीं रखे जाने चाहिए। बजट को सभा में प्रस्तुत करने से पूर्व बजट प्रस्तावों पर समस्त देश में विस्तार से सार्वजनिक बहस होनी चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : कुछ मदों को छोड़कर।

श्री जी. एम. बनातवाला : इससे बजट प्रस्ताव तैयार करते समय जो विचार और सिद्धान्त अपनाए जाते हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अमेरिका में बजट की सूचना राष्ट्रपति द्वारा कांग्रेस को उस समय से बहुत पहले ही दी जाती है जब विधेयक कांग्रेस में प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के तौर पर फिनलैंड में फिनिश संसद जून में उन प्रायोगिक प्रस्तावों पर बहस कर रही थी जो कि उसके समक्ष सितम्बर में पेश किये जाने थे।

श्री पालकीवाला का कथन है :—

"श्री वेंकटरामन बहुत योग्य और साहसी व्यक्ति हैं जिन्होंने इस गोपनीयता के आवरण को हटा कर अगले वर्ष बजट पेश होने से पहले ही बहस का खुला निमन्त्रण दिया है।"

अत: इस प्रक्रिया सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्न पर माननीय वित्त मंत्री को अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करनी चाहिए।

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि वित्त विधेयक एक बार ही में अनेक कर-कानूनों में व्यापक संशोधन करता है। उदाहरणतया यह वित्त विधेयक अनेक कर-कानूनों में संशोधन करता है। यह कई प्रयत्क्ष करों जैसे आय-कर अधिनियम, सम्पत्ति कर अधिनियम, दान-कर अधिनियम और व्याज कर अधिनियम में भी संशोधन करता है। इसी वित्त विधेयक में हम यह भी देखते हैं कि अप्रत्यक्ष करों जैसे सीमा शुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पाद और नमक, अधिनियम अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद और नमक और केन्द्रीय राजस्व बोर्ड (संशोधन) अधिनियम से संबंधित कानूनों में भी संशोधन किए जाने है। कुछ विविध अधिनियम जैसे भारतीय डाकघर अधिनियम और अनिवार्य जमा योजना (आय कर दाता) अधिनियमों में भी संशोधन किया जाना है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि एक बार ही में वित्त विधेयक काफी कानूनों में संशोधन कर देता है। यहाँ मैं यह आवश्य कहूंगा कि इस वित्त विधेयक द्वारा किये जाने वाले प्रत्यक्ष कर कानूनों सबंधी संशोधनों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। महोदय, इस वित्त विधेयक द्वारा संशोधित किये जाने वाले विभिन्न कानूनों पर अपने विचार प्रकट करने के लिए आपने मुझे कुल पांच मिनट दिए हैं। इसलिए मेरा यह सुझाव है जहाँ तक कर कानूनों का संबंध है उनके अलग संशोधन विधेयक होने चाहिए। यह संशोधित अधिनियम संयुक्त प्रवर समितियों के पास जाने चाहिए और फिर बाद में इन पर संसद में बहस की जानी चाहिए। इन प्रवर समितियों में संसद सदस्यों को उन विशेषज्ञों के साक्ष्यों का प्रत्यक्ष जाँच करने का मौका मिल जायेगा जो कि इन उपायों के समर्थक हैं।

अब मैं इस विधेयक के अन्तर्गत आने वाले कर संबंधी उपायों पर बोलूंगा यह कर-संबंधी उपाय बजट की नीतियों में एक नया मार्च प्रशस्त करते हैं। वित्त मंत्री को इसका पूरा श्रेय जाता है कि इतने अधिक घाटे पर भी उन्होंने हमें छूट और प्रोत्साहन, दिया है चाहे वह कितना ही कम क्यों न हों। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस छूट से व्यय की जा सकने वाली आय में वृद्धि होगी जिससे की मांग और क्रय-शक्ति में भी वृद्धि होगी और इससे सप्लाई बढ़ाने में आवश्यक प्रोत्साहन मिलेगा।

सभापति महोदय, इस विशेष वित्तीय विधेयक की एक और खास बात है वह खास बात है कि माननीय वित्त मंत्री पूंजी और राजस्व व्यय में, 285 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर और 1400 करोड़ रुपये के घाटे के बावजूद तीन हजार करोड़ रुपये की वृद्धि करने में सफल हुए हैं। इसलिए, हमें इसकी प्रसशा करनी चाहिए कि वित्त मंत्री 285 करोड़ के अतिरिक्त कर और 1400 करोड़ का घाटा देकर पूंजी और राजस्व व्यय में 3,000 करोड़ की वृद्धि कर पाए हैं। इसकी तुलना पिछले वर्ष श्री चरण सिंह के बजट से की जा सकती है। उस बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री, 655 करोड़ रुपये के कर लेने के बाद पूंजी और राजस्व व्यय में केवल 100 करोड़ की

वृद्धि कर पाये । इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री को इन असाधारण बजट प्रस्तावों के लिए अवश्य बधाई देना चाहूँगा ।

एक और तथ्य ऐसा है जिसे स्वीकार करना पड़ेगा और माननीय वित्त मंत्री को यह अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि बजट सर्वोत्कृष्ट है । देखने में तो यह बहुत अच्छा है । वित्त मंत्री को इससे बहुत प्रशंसा मिली है । मैं इसका विरोध नहीं कर रहा । मैं उन्हें उपभोग की चुनी हुई वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क कम करने के लिए भी बधाई देना चाहूँगा । इसमें दी गयी छूट 43 करोड़ रुपये की है । इसी आधार पर माननीय मंत्री ने यह दावा किया है आम उपभोग वस्तुओं पर कर-भार कम कर दिया गया है । मेरा यह निवेदन है कि यह दावा ठीक नहीं है क्योंकि माननीय वित्त मंत्री ने अन्य सभी आवश्यक या अनावश्यक, अमीर या गरीब के उपभोग की— मदों पर विशेष उत्पाद-शुल्क बढ़ा दिया है ।

अब मैं औद्योगिक विकास और प्रोत्साहन पर कुछ कहूंगा । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह प्रर्याप्त नहीं है । मैं इस विषय को तब उठाऊंगा जब मैं इन विशेष खंडों के बारे में संशोधन पेश करूंगा । परन्तु मैं यह कहूंगा कि हमारे उद्योगों का आधार वर्ष 1950 में रखा गया था । अनेक उद्योगों की तो तकनीकी भी पुरान हो चुकी है । इसलिए बजट प्रस्तावों में रखी गयी सामान्य दर से 50 प्रतिशत अधिक अवमूल्यन उद्योगों के आधुनिकीकरण और विकास को प्रोत्साहन देने के लिए पर्याप्त नहीं है ।

महोदय, इन प्रस्तावों की एक बुराई भी मैं सामने रखना चाहूंगा । वह यह है कि उनमें से कई भूतलक्षी प्रभाव से हैं । इस विशेष मुद्दे के कई संशोधन पेश करने पड़ेंगे और मैं उन पर उस समय विस्तार से बोलूंगा । अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि बेरोजगारी और मुद्रा स्फीति का मुकाबला युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए । मुद्रा स्फीति की दर बढ़कर तीस प्रतिशत हो गई है । हमारे वित्त मंत्री एस एल बी 3 की गति से भी अधिक गति पर जा रहे हैं । हमारे सभी आंकड़े गलत हो जाएंगे । इसलिए इस मामले में गम्भीर चिन्तन की आवश्यकता है और इस समस्या का युद्ध स्तर पर सामना करने के लिए प्रभावशाली कार्यवाही करने की जरूरत है बेरोजगारी के मामले में तो निजी क्षेत्रों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी और उचित प्रोत्साहन देना होगा । अतिरिक्त रोजगार देने के लिए यदि निजी क्षेत्र कोई योजना सामने रखता है तो मुझे आशा है कि उस पर विचार किया जायेगा और उपयुक्त कदम उठाए जायेंगे ।

मुझे आशा है कि आपके द्वारा दिए गए समय में मैंने जो कुछ भी प्रारम्भिक टिप्पणियां की हैं । माननीय वित्त मंत्री द्वारा उन पर विचार किया जायेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

सभापति महोदय : वित्त मंत्री ···

श्री के. टी. कोसलराम (तिरूचेंडूर) : मैंने अपना नाम तीन दिन पूर्व दिया था । श्री लक्ष्मणन् ने मुझसे कहा था, "मैं आपको बोलने का समय दूंगा ।" यह बहुत अनुचित है ।

वित्तमंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : मैं आपका प्रतिनिधि हूं । मैं इसका ख्याल रखूंगा ···

श्री के. टी. कोसलराम : यह बहुत अनुचित है । तीन दिनों से मैं अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा हूं ।

सभापति महोदय . मुझे वस्तुत खेद है कि मैं आपको बोलने का अवसर नहीं दे सकता ।

श्री के. टी. कोसलराम : उन्होंने (श्री लक्ष्मनन् ने) कहा था कि मैं तुम्हें अनुमति दूंगा यह सब क्या है ?

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर : (खंडवा) सभापति महोदय, हाउस की आम राय है कि सदन का समय बढ़ाया जाय।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री ने अपनी सहमति दे दी है तथा सदन का भी यही विचार है कि इस मामले पर चर्चा करने के लिए हम एक घंटे और बैठें। परन्तु मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे पाँच मिनट से अधिक न बोलें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमन्ड हार्बर) आप इसका उत्तर किस समय देंगे, साढ़े चार बजे अथवा 4 बजे ?

श्री आर. वेंकटरामन : सामान्य बहस चार बजे तक चलती है। मैं अपना उत्तर चार बजे देना शुरू करूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं साढे चार बजे का सुझाव देता हूं। अध्यक्ष महोदय के निदेश के अनुसार कुछ समितियां तीन बजे से बैठ रही हैं तथा हममें से कुछ की उपस्थिति वहां आवश्यक है। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जब हममें से कुछ ने मंत्री महोदय को अपने नोटिस दिए हैं। स्वाभाविक है कि मंत्री महोदय मेरे उठाए गए कुछ मुद्दों का उत्तर देंगे। मैंने पिट्स विमान के आयात से भी संबंधित कुछ प्रश्न पूछे हैं। मैं उनका उत्तर सुनना चाहता हूँ एक ही समय में मैं समिति की बैठक में तथा सदन में कैसे उपस्थित रह सकता हूं ?

श्री आर. वेंकटरामन : श्री बसु के आने तक मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगा तथा उनके आने पर ही मैं उनके प्रश्न का उत्तर दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपका अत्यन्त आभारी हूँ।

सभापति महोदय : श्री कोसलराम।

श्री के. टी कोसलराम : सभापति महोदय इस अवसर को प्रादन करने के लिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं

अपने मित्र श्री वेंकटरामन द्वारा प्रस्तावित विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। मैं श्री वेंकटरामन को जो कि मद्रास विधान सभा में मेरे साथी थे, अच्छी तरह से जानता हूं। तमिलनाडु के उद्योग मंत्री के रूप में जितनी अवधि तक उन्होंने कार्य किया, वह अवधि तमिलनाडु के उद्योग के उद्योग-युग के रूप में याद की जाती है। अब उनकी भारत के वित्तमंत्री के रूप में कार्य-अवधि निस्सन्देह भारतीय अर्थव्यवस्था के चमत्कारिक-युग के रूप में याद की जाएगी।

चूंकि वित्त विधेयक से अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान सम्बन्धी उनके बजट प्रस्तावों को क्रियान्वित किया जाना है, मुझे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों, का उल्लेख करना है। भारत सरकार ने छठी योजना के अन्तर्गत 5 प्रतिशत वार्षिक विकास दर की परिकल्पना की है, तथा 16.6 प्रतिशत अतिरिक्त निवेश प्रस्तावित किया गया है मैं जानना चाहता हूं कि 20 प्रतिशत वार्षिक मूल्य वृद्धि होते हुए वित्त मंत्री किस प्रकर केवल 16.6 प्रतिशत अतिरिक्त निवेश से 5 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने का विचार रखते हैं।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि पिछले वर्ष बचत में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

मुझे यह कहने की आवश्यता नहीं है कि बचत से पूंजी निवेश में मदद मिलती है। दुर्भाग्यवश, पिछले वर्ष पूंजी निवेश के न होने के कारण 1979-80 में औद्योगिक विकास दर शून्य रही। मैं चाहूंगा कि वे इस विषय पर कुछ प्रकाश डालें।

माननीय वित्तमत्री केन्द्रीय योजना आयोग के भी सदस्य हैं। अतएव, यह उनका विशेष उत्तर दयित्व हो जाता है कि उनके द्वारा जनता को दिये गए आश्वासनों को योजना आयोग की की स्वीकृत मिलें।

मदुराई-रामनाद व्यापार मंडल को सम्बोधित करते हुए इन्होंने आश्वासन दिया था कि करुर डिंडीगुल-ट्यूटीकोरीन रेल लाइन बिछाने के कार्य पर इस वर्ष विचार किया जाएगा मैं यह बात केवल इसलिये कह रहा हूं क्योंकि ये योजना आयोग के भी सदस्य है। इन्हें याद होगा कि जब वे विरोधी पक्ष में थे तब इन्होंने तमिलनाडु के सभी राजनैतिक दलों के सदस्यों के प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व करते हुए तत्कालीन रेल मंत्री प्रो. मधु दण्डवते से मांग की थी कि इस परियोजना पर वर्ष 1979-80 में ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जाये। इस वर्ष माननीय रेल मंत्री, पंडित कमलापति त्रिपाठी द्वारा रेल मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान मांगों का उत्तर देते समय मैंने उन्हें बीच में टोकते हुये पूछा था कि "करूम-डिंडीगुल ट्यूटीकोरीन की बड़ी लाइन को रेल बजट में विचारार्थ सम्मिलित करने का क्या अभिप्राय है ?— मैं उनसे स्पष्ट रूप से पूछना चाहता था कि 'विचाराधीन' से उनका क्या तात्पर्य है तथा क्या इसको पूरा करने के लिए इसी वर्ष कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा। उन्होंने उत्तर दिया था कि "इस प्रस्ताव को योजना आयोग के पास भेज दिया गया है तथा योजना आयोग की सिफारिश प्राप्त होते ही वह इसी वर्ष इसको पूरा करने के लिए कार्य प्रारम्भ कर देंगे।' तत्पश्चात मैंने योजना मंत्री श्री तिवारी से सम्पर्क किया तथा उन्होंने मुझे बताया कि रेल मन्त्रालय ने दस अन्य प्रस्तावों सहित इस प्रस्ताव को भेजा है तथा 1980-85के योजना प्रारूप को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात ही इस पर विचार किया जायेगा। अब स्थिति यह है। पहले आप केवल योजना आयोग के सदस्य ही थे, परन्तु इसके साथ-साथ वित्त मंत्री भी हैं। आप इस परियोजना की स्थिति के बारे में अच्छी तरह से अवगत हैं।

दक्षिण रेलवे के महाप्रबन्धक श्री थोमस ने 224.780 को प्रेस को सूचित किया था—'हिन्दु' ने इसको प्रमुख रूप से प्रकाशित किया था—कि करूर-डिंडीगुल-ट्यूटीकोरीन बड़ी रेल लाईन के प्रस्ताव पर योजना आयोग की सहमति प्राप्त होने वाली है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि मैं आपकी अथवा श्री तिवारी, किसकी बात पर विश्वास करूं तथा किस पर अविश्वास करूं। योजना आयोग के सदस्य होने के नाते आपको यह देखना चाहिये कि इस योजना को इसी वर्ष क्रियान्वित किया जाए ताकि आपके द्वारा तमिलनाडु की जनता को दिये गये आश्वासन की पूर्ति हो सके।

माननीय वित्त मन्त्री ने मद्रास में मेरे अभिनन्दन समारोह के अवसर पर अपार जनसमूह को आश्वासन दिया था कि इन्होंने तमिलनाडु के रानीपोट्टी स्थान पर 200 करोड़ रुपये की बी. एच. ई. एल. परियोजना का अनुमोदन कर दिया है। उस समय ये उद्योग मन्त्रालय का कार्यभार भी सम्भाल रहे थे। अब मेरी यह जानकारी है कि रानीपट्टी में खोले गये बी.एच.ई.एल. के कार्यालय को बन्द कर दिया गया है क्योंकि इस योजना को किसी अन्य राज्य में क्रियान्वित किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि यह कहाँ तक सच है। मैं माननीय वित्त मन्त्री,

श्री वेंकटरामन से स्पष्टीकरण चाहता हूं । मैं पूछना चाहता हूं कि तमिलनाडु की जनता को दिये गये आश्वासन को माननीय वित्त मन्त्री किस प्रकार पूरा करेंगे। इन्होंने इसका स्पष्ट आश्वासन दिया था। अब इस योजना को किसी अन्य राज्य में आरम्भ किया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सूचना सही है अथवा नहीं—मेरा विचार सही भी हो सकता है अथवा गलत भी।

अब मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि 1979 में व्यापारिक बैंक द्वारा उद्योगों को कुल 16,026 करोड़ रु. की दी गई सहायता में से चार दक्षिणी राज्यों, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु को केवल 3,194 करोड़ रु. ही प्राप्त हुए जो कि लगभग 19 प्रतिशत बैठता है। इसी प्रकार अखिल-भारतीय सावधिक ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा 1978-79 में उद्योगों को स्वीकृत किये गये 1,247 करोड़ रु. में से इन दक्षिणी राज्यों को केवल 311 करोड़ रु. ही प्राप्त हुये थे। वास्तविक रूप से वितरित की गई राशि केवल 227 करोड़ रु. थी। ये सभी आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये हैं। आंकड़े मेरे अथवा आम आदमी द्वारा नहीं दिये गये हैं। इनको भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषित किया है। आप किस प्रकार आशा करते हैं कि व्यापारिक बैंकों तथा ऋण देने वाली संस्थाओं से इतनी कम सहायता प्राप्त होने पर ये दक्षिणी राज्य औद्योगिक रूप से विकसित हो सकेंगे ?

इस सत्र में कलकत्ता की उन राष्ट्रीय पटसन मिलों को, जिनको कि सार्वजनिक क्षेत्र की वित्त संस्थाओं ने 9 करोड़ रुपयों का ऋण दिया था, अपने हाथ में लेने के लिए एक विधेयक पारित किया गया था। लेकिन छूटीकोरीन के समीप स्थित प्लास्टिक, रेजिन्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, अरुमुगनेरी पिछले तीन वर्षों से बन्द पड़ी है। पी. आर. सी. उद्योग की एक शाखा ध्रागान्ध्रा केमिकल वर्क्स की इस एकक के पुनरुत्थान में रुचि नहीं है क्योंकि इस एकक के प्रबंध-कर्त्ताओं ने इसका पूरी तरह से शोषण कर लिया है तथा इसकी मशीनरी को बेकार पड़े-पड़े जंग लग रहा है, जबकि कई करोड़ रुपये मूल्य के रेजिन नामक पदार्थ का आयात किया जा रहा है। अखिल भारतीय रेजिन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया था। उन्होंने मांग की थी कि सरकार इस एकक को अपने हाथ में ले ले। वित्तीय संस्थाओं द्वारा इस एकक को लगभग 3 करोड़ रुपयों का ही ऋण दिया गया है। सरकार को एस. पी. आई. सी. अथवा आई. डी. एम. अथवा केमप्लास्ट को ऋण सुविधाएं प्रदान करनी चाहिएं ताकि इनमें से कोई एक इस एकक को अपने हाथ में लेकर इसे सफलता पूर्वक चला सके।

वित्त मंत्री को यह सुनिश्चित करना है कि जिस धन की व्यवस्था की गई है, उसे अप्रयुक्त न पड़े रहने दिया जाय। वर्ष 1979-80 में—संशोधित प्राक्कलन में—मत्स्य पालन शीर्ष के अन्तर्गत लगभग 31 करोड़ रु. की कमी थी। इसका कारण छोटे तथा बड़े पत्तनों पर बन्दरगाहों में मछली पकड़ने सम्बन्धी परियोजनाओं का पूरा न किया जाना बताया गया है।

पिछले 3 वर्षों से मैं चिन्नाभुट्टोम बन्दरगाह पर मछली पकड़ने सम्बन्धी परियोजना के विकास के लिये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागदौड़ करता रहा हूं। 6 करोड़ रु. के पूंजी निवेश से यह पत्तन प्रतिवर्ष 10 करोड़ रु. की विदेशी मुद्रा देगा। मुझे खुशी है कि कृषि राज्य मंत्री, श्री आर. वी. स्वामीनाथन की घोषणा के अनुसार इस वर्ष इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए कार्य प्रारम्भ हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि वित्त मन्त्री इसके लिए आवश्यक धन उपलब्ध करेंगे।

श्रीमती उषा वर्मा (खैरी) : सभापति महोदय, वित्त मन्त्री जी ने जो वित्त विधेयक पेश किया है उसका मैं समर्थन करती हूं। ऐसा करते हुए मौजूदा राजनैतिक परिस्थितियों को देखते हुए अपनी सरकार और शासक दल कांग्रेस आई को अपनी राय देना चाहती हूं। हमारी पार्टी तथा सरकार ने यह दृढ़ संकल्प कर रखा है कि भारत की गरीबी एवं बेकारी की समस्याओं को हम हल करेंगे तथा हमारे देश के लिए समाजवाद की स्थापना एक रामबाण औषधि है। गत लोक सभा चुनाव में भारत की जनता ने हमारी कांग्रेस आई के विरुद्ध किए गये इस प्रचार को मान लिया था कि श्रीमती इंदिरा गांधी तानाशाही अर्थात अधिनायकवाद—डिक्टेटरशिप—के जरिये समाजवाद की स्थापना करें।

इंदिरा जी के पुराने सभी निकटतम साथियों ने जो पहले उनके साथ थे और जो अब कांग्रेस (अर्स) में हैं या उसके नेता हैं या सदस्य हैं तथा अन्य सभी दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने मतदाताओं के सामने यही प्रचार किया था कि इन्दिरा जी देश को तानाशाही की ओर ले जा रही हैं। इसके बावजूद जनता ने इस सवाल पर इंदिरा जी तथा कांग्रेस आई को प्रचण्ड बहुमत दिया और दो तिहाई सीटों पर उसके प्रत्याशियों को विजयी बनाया और यह मैंडेट दिया कि वह वर्तमान सड़ी गली व्यवस्था को समल नष्ट कर अति शीघ्र—अधिनायकवाद (तानाशाही) के जरिये समाजवाद की स्थापना कर इस देश से गरीबी, बेकारी तथा अन्य सभी प्रकार की विषमताओं को समाप्त कर दें।

सारे ससार के मौजूदा राजनीतिक ढांचे को देखते हुये मैं अब पूरी तरह यह विश्वास कर रही हूं कि अन्य समाजवादी देशों को देखते हुये यहां भी वर्तमान पश्चिमी लोकतंत्र की पद्धति पर चल कर समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती है। इन 33 वर्षों का कटु अनुभव हम समाजवादियों को यह सबक सिखा रहा है कि अब समय बरबाद नहीं किया जाना चाहिए। मिश्रित अर्थ व्यवस्था का परित्याग कर मौजूदा संविधान में मौलिक परिवर्तन कर संविधान के घोषणा पत्र में भारत को शीघ्र समाजवादी लोकतंत्र घोषित किया जाना चाहिये।

अब मैं जहां से मैं चुनकर आई लखीमपुर खीरी उसके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। इस जिले में सम्पूर्णानन्द नगर में चीनी मिल लगाने की योजना है। उसके वास्ते लाइसेंस प्रदान करने की कृपा की जानी चाहिये और उस योजना के वास्ते आर्थिक सहायता देकर उसका चालू करवाया जाना चाहिये।

लखीमपुर खीरी में भयंकर गरीबी है। वहां पर लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना कराई जानी चाहिये ताकी गरीब लोगों की रोजी रोटी का प्रबन्ध हो सके।

जगह जगह मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाती हूं तो लोग मुझको पिछली बातों की याद दिलाते हैं। जब मैं उनसे वोट मांगने गई थी तब मैंने वादा किया था कि महंगाई को बढ़ने से रोका जायेगा। लोग कहते हैं कि तुमने महंगाई को खत्म करने का वादा किया था। लेकिन वह सब उलट हो रहा है, महगाई दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है।

माननीय मन्त्री जी ने हमारे यहां कुछ फर्टिलाइजर फैक्टरी लगाने के बारे में कहा था, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि इस जिले में कुछ फर्टिलाइजर फैक्टरी, जूट मिल या शुगर मिल या सरकारी उद्योग लगाने की सूचना करवाएं ताकि वहां की गरीब जनता और पिछड़े वर्ग के

आदमियों को रोजी-रोटी मिल सके, जिससे वह अपनी आजीविका चला सकें। वहां पर ऐसे कुटीर उद्योग लगाये जाएं, जिससे वहां के गरीब आदमी अपनी आजीविका चला सकें। धन्यवाद

श्री फूलचन्द वर्मा : सभापति महोदय, हाउस में क्वोरम नहीं है।

सभापति महोदय : हमने सदन का समय बढ़ा दिया है तथा यह समय-वृद्धि अन्तिम है। यदि आप नहीं चाहते कि आपके मित्र बोलें···।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : सभापति महोदय, मैं व्यक्तिगत रूप से वित्त मन्त्री जी का समर्थन करता हूं, परन्तु उनका जो बजट है, उसका समर्थन करने में मैं असमर्थ हूं।

जब रुपये-पैसे के खर्च की बात आती है तो यह देखना चाहिये कि यह किस के लिए खर्च किया जा रहा है। हिन्दुस्तान सबके लिये हमारे देश में सबको समान-अधिकार है। वित्त मन्त्री जी को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वे जो पैसे खर्च करते जा रहे हैं, वह किसी वर्ग विशेष के लाभ के लिये ही सीमित न हो। आजादी के बाद जितना भी रुपया पैसा हमने योजनाओं के रूप में खर्च किया है उससे कुछ ही लोगों को लाभ हुआ है जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, उनको उसका लाभ नहीं मिला है। गरीब लोगों को रोजी-रोटी, खाना, कपड़ा सब तरफ से ही दिक्कत उठानी पड़ रही है। इस देश में दो किस्म की जाति उत्पन्न हो गई हैं एक शोषण करने वाले और दूसरे शोषित। ऐसी स्थिति में वित्त मन्त्री जी का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे देखें कि देश की सर्वांगीण उन्नति के लिए जो पैसे खर्च किये जा रहे हैं वह सबके लाभ में आ रहे हैं या नहीं।

मेरा अनुरोध है कि हमारे देश में जो प्रापर्टी है सभी नेशन की है, उसके साथ यहां की जनता को ही नेशनलाइज करना चाहिए। सारे देश के आदमी और बच्चे हिन्दुस्तान के बच्चे हैं और हिन्दुस्तान में उनको समान अधिकार हो, हर क्षेत्र में उनका समान अधिकार हो। जो रुपया वित्त मन्त्री जी खर्च करते हैं, वह हर आदमी और बच्चे के पास पहुँच जाना चाहिए, न कि किसी थोड़े से आदमियों का उससे उपकार हो।

जितने भी मोनोपली हाउसेज हैं, कल-कारखाने हैं उसमें दौलत को आगे बढ़ाने और जनता को आगे बढ़ाने के बदले उनमें घाटा हो रहा है और देश में बहुत से लोग गरीब और बेकार होते जा रहे हैं। इसलिए जितनी प्राइवेट कम्पनी हमारे यहां काम कर रही हैं, उन सबको नेशनलाइज किया जाये और किसी भी प्राइवेट कम्पनी को न छोड़ा जाये। शिक्षा की और रहन-सहन की एक नीति होनी चाहिये।

अभी हम देखते हैं कि शिक्षा में भी जो शासक दल है, जो शोषक दल है उनके लिये अलग व्यवस्था है, उनके लिए अच्छे-अच्छे स्कूल और कालेज बनाये गये हैं। उनके लिए व्यवस्था है कि वह शासन करेंगे, हिन्दुस्तान में और विलायतों में घूमेंगे यह सब व्यवस्था है। इस तरह से शिक्षा में भी दो किस्म की व्यवस्था की गई जिसके कारण गरीबों के बच्चे सदा गरीब रहेंगे और वह कभी भी ऊपर नहीं आ सकेंगे। इसलिये आप इसकी पूरी व्यवस्था करें। जब वित्त मंत्री सारे देश के नाम पर रुपये का प्रावधान करते हैं, तो उन्हें यह भी देखना चाहिए कि उसका लाभ सही रूप में आम जनता को हो रहा है या नहीं।

आज हर फैमिलि का बजट गड़बड़ हो चुका है। जहां तक होलसेल प्राइस इनडेक्स का

सम्बन्ध है, वह 1970-71 में 100 था, मगर आज स्थिति इस प्रकार है : आल कामोडिटीज : 245·4, फ्यूअल, पावर, लाइट एण्ड लुब्रिकेंट्स : 337·2, फूड आर्टिकल्ज · 198·8, प्राइमरी आर्टिकल्ज : 226·7, नान-फूड आर्टिकल्ज : 207·3 और मैनुफैक्चर्ड प्राडक्ट्स : 245·4। इस प्रकार साधारण आदमी के लिए बहुत खतरनाक स्थिति की सृष्टि हो चुकी है।

कास्ट आफ लिविंग इनडेक्स 1960 में था, लेकिन आज इंडस्ट्रियलि वर्कर्ज के लिए वह 373 है और एग्रीकल्चरल लेवर के लिए 364 है।

सरकार जो काटेज इंडस्ट्रीज और स्माल-स्केम इंडस्ट्रीज स्थापित करने जा रही है, कहीं ऐसा न हो कि सारा रुपया मानोपली हाउसिज और एक्सप्लायटर्ज के हाथ में चला जाये, जो देश की उन्नति के नाम पर गाँवों में जाकर ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लायट करेंगे।

जो लोग इन्जीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करके नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनके कुछ आँकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं :—

रोजगार कार्यालय में 31.12.1979 को पंजीकृत स्नातकोत्तर उम्मीदवारों सहित इन्जीनियरिंग स्नातकों की संख्या इस प्रकार है :—

1. सिविल	5054
2. यांत्रिक	7244
3. इलैक्ट्रीकल तथा इलैक्ट्रानिक्स	7368
4. कैमीकल	1029
5. माट्रनिंग	82

31.12.1979 को रोजगार कार्यालय में पंजीकृत उन लोगों की संख्या, जिन्होंने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण होकर आये थे, इस प्रकार है

इंजीनियरिंग ट्रेड— 331382
गैर इंजीनियरिंग ट्रेड— 19920
इसका योग है— 3,51,302

30-4-1980 की चालू रजिस्टर में रोजगार चाहने वाले लोगों की संख्या 148.43 लाख है।

मैं चाहता हूं कि वित्त मन्त्री यह बतायें कि देश के ये बच्चे देश की उन्नति के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्या वे इस योजना में कुछ स्थान पायेंगे या नहीं। उन्हें काम पर लगाने का प्राविजन किया जाना चाहिए, ताकि वे देश के लिए और अपनी जीविका के लिए कुछ कर सकें।

श्री फूलचन्द वर्मा (शाजापुर) : सभापति महोदय, मैंने पहले भी ध्यान आकर्षित किया है कि हाउस में कोरम नहीं है।

सभापति महोदय : हाउस में यह कनवेन्शन रहा है कि फैग-एन्ड में कोरम के लिए इनसिस्ट नहीं किया जाता है। लेकिन अगर माननीय सदस्य इनसिस्ट करते हैं, तो मुझे बेल बजवानी पड़ेगी। उनके कई साथी बोलना चाहते हैं।

श्री फूलचन्द वर्मा : इतने थोड़े मेम्बरों से काम कैसे चलेगा ?

सभापति महोदय : आपके अन्य सहयोगियों के साथ यह उचित नहीं है।

फिर भी, मैं घण्टी बजाता हूँ।

सभापति महोदय : अब गणपूर्ति हो गई है। अब वे अपना भाषण शुरू कर सकते हैं।

डा. कृपा सिन्धु भोई (सम्बलपुर) : सबसे पहले मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था की स्पष्ट तस्वीर पेश की है तथा उन्होंने आर्थिक समस्याओं को, जिसे पिछले तीन वर्षों के दौरान जनता ने उत्पन्न किया था, निपटने की आवाज उठाई है। उन्होंने निर्धन वर्गों, मध्यम वर्गों तथा मध्यम औद्योगिक क्षेत्र को भी राहत देने का प्रयास किया है।

देश फरवरी,19 6 से खाद्यान्न उत्पादन में आत्म-निर्भर है। श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा अपने शासन काल में तैयार की गई आधारभूत सुविधाओं तक उस समय के सभी तकनीकी आर्थिक विकास के कारण ही देश इस स्थिति में पहुंच सका है। यह समय सबसे अच्छा समय है जबकि हम इस बात पर विचार कर सकते हैं हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकासशील देशों के साथ किस प्रकार प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस समय हम मूल्यों में वृद्धि तथा मुद्रा-स्फीति का सामना कर रहे हैं। जब तक हम हमारे संसाधनों का आन्तरिक संगठन नहीं हो जाता तब तक हम इसे किस प्रकार रोक सकते हैं ? जब तक हम अपने आन्तरिक संसाधनों को नहीं जुटाते, हम विकासशील देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं आ सकते। पूर्वी यूरोपीय देशों तथा जापान के विकास को ही देखिए। जापान, जिसके पास भूमण्डल का केवल 3% कुल क्षेत्र है, और उसकी जनसख्या कुल जनसख्या का 3% है, के पास 10% औद्योगिक पूंजी है। उसने कार के उत्पादन के मामले में अमरिका को भी मात कर दिया है। उसने घड़ी के उत्पादन में स्वीस को मात कर दिया है। इलैक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में उसने विश्व को मात दे दी है। अब यह सबसे अच्छा समय है जब हमें विज्ञान तथा तकनीकी विकास को ज्यादा महत्व देना चाहिए। हमारे वैज्ञानिकों को हतोत्साहित किया जाता है। जनता शासन के तीन वर्षों के दौरान, हमारे वैज्ञानिकों के साथ तृतीय श्रेणी के नागरिकों जैसा व्यवहार किया गया। आप आंकड़ों द्वारा यह बात मान सकते हैं कि उन्हें किस प्रकार हतोत्साहित किया गया तथा उनमें से कितने वैज्ञानिकों की बुष्ठा के कारण मृत्यु हुई। वित्त मंत्री ने अनुसंधान तथा विकास कार्यों के लिए कुछ धन की व्यवस्था की है तथा उन्होंने वैज्ञानिकों और प्रोद्योगतन्त्रवादियों के उत्साह को बढ़ाया है। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में यह बहुत कम है। अनुसंधान तथा विकास के लिए हम 6 से 7 प्रतिशत धन दे रहे हैं, जबकी अनुसंधान तथा विकास कार्यों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानक 7 प्रतिशत है। देश के वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास के लिए मैं कुछ उपाय सुझाना चाहूंगा। अब, समूचे विश्व में ऊर्जा का संकट चल रहा है। इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा है। 1980 से 1985 तक के लिए न्यूक्लीय ऊर्जा सहित हाइड्रो तथा थर्मल विद्युत उत्पादन हेतु हमने 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि हमें एक नई विद्युत नीति पर विचार करना चाहिए। हम देश में 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। अगले पांच वर्षों में हमारा अतिरिक्त 22.000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने का विचार है। यह एक वृहद योजना है किन्तु हमें मितव्ययता से धन व्यय करना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा कि हमें ऊर्जा का उत्पादन बन्द कर देना चाहिए। किन्तु इस क्षमता के साथ, और पांच वर्षों तक एक भी मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन किए बगैर, हमारा आर्थिक विकास रूक नहीं सकता। इसके कारण हैं। हमारे संयंत्रों की प्रभुता क्षमता 44 प्रतिशत है तथा अन्तर्राष्ट्रीय

मानक 75 प्रतिशत है। जनता शासन काल के दौरान यह प्रयुक्त क्षमता 44 प्रतिशत थी, अब यह 48 प्रतिशत हो गई है। यदि हम अनुपयोग काल की क्षमता को रोक सकें, तो हम 87 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। रुस 66 प्रतिशत क्षमता का लक्ष्य प्राप्त कर चुका है। रुस सरकार ने 66 प्रतिशत क्षमता का लक्ष्य प्राप्त किया है, इसके साथ-साथ हमें उत्पादन इकाइयों क उपयोग मितव्ययता से करना चाहिए। यह क्या है ? सभी कृषि-पम्पों में हम केपासीटर्स का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इससे 34 प्रतिशत ऊर्जा नष्ट हो रही हैं। अन्य विकासशील देशों में ऊर्जा का उपयोग शत-प्रतिशत होता है। हम मूल्यवान ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं। अपनी इस 30,000 मेगावाट शक्ति से हमारी ऊर्जा की क्षमता प्राप्त की जा रही क्षमता से बहुत अधिक होनी चाहिये। इस्पात संयंत्रों का ही उदाहरण ले। क्या आपने देखा है कि इस्पात संयंत्रों के वायलरों से कितनी ऊर्जा नष्ट हो जाती है ? इसके कारण हमारी 35 प्रतिशत ऊर्जा नष्ट हो रही है। यदि औद्योगिक क्षेत्र के डिजाइन पैरामीटरों को बदला जाए, तो हम उस ऊर्जा को प्राप्त करने में निश्चित रूप से सफल होंगे, जो नष्ट हो रही है।

अब हम दूसरी स्थिति में हैं क्योंकि हमारे खनिज भण्डार 30,000 मिलियन टन हैं, जो आगामी 40 से 50 वर्षों में समाप्त हो जायेंगे ! कुल भण्डार 1.11 लाख मिलियन टन है तथा खनिज भण्डार 30,000 मिलियन टन हैं। हमें अपने गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपभोग नहीं करना चाहिए। माननीय वित्त मन्त्री मद्रास में हैं। टी.एन.ई.बी. तथा एक वैज्ञानिक श्री छोगलिगम ने समुद्र पर आधारित ताप के अन्तर से सौर ऊर्जा उत्पादन का एक फार्मूला तैयार किया है। इस कार्य में जुट जाना चाहिए।

खनिज साधनों की दृष्टि से हम समृद्ध हैं। खनिज संसाधन विश्व के कुल भण्डारों का 4 प्रतिशत है। हमारी जनसंख्या सारे विश्व की कुल जनसंख्या की 15 प्रतिशत है। किन्तु हमें अब तक इस बात का पता नहीं है कि हमारे खनिज संसाधन कितने हैं। यदि देश की सारे भौगोलिक संसाधनों को जुटाया जाये तो ये 4 प्रतिशत से बढ़ कर 10 प्रतिशत हो सकते हैं। अब तक केवल 43 प्रतिशत क्षेत्र में संसाधन जुटाये गये हैं। इसलिए हमें इस कार्य के लिए योजना में और अधिक राशि का प्रावधान करना चाहिए। इस क्षेत्र में परिव्यय का 7 प्रतिशत हमें विस्तृत अन्वेषण के लिए रखना चाहिए जिससे कि हम अपनी खनिज सम्भावनाओं की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकें। तब हम अपने देश में खनिज पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने पर विचार कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि आगामी दस वर्षों के अन्दर हमें राष्ट्रीय खनिज योजना तैयार करनी चाहिए जिससे कि हमें अपनी स्थिति का पता चल सके।

मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। मैं वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि खनिज संसाधनों के मामले में उड़ीसा समृद्ध है किन्तु योजना परिव्यय बहुत कम रखा गया है। हमारे 70 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं किन्तु जो योजना सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है काफी कम है। मैंने वित्त मन्त्री महोदय से अनुरोध किया है कि वे योजना परिव्यय में वृद्धि करें किन्तु उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं उनसे योजना सहायता में वृद्धि करने का अनुरोध करता हूँ। इसके साथ-साथ, मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि राज्य में भीषण सूखे की स्थिति को देखते हुए गरीब किसानों को दिए गए ऋण भी समाप्त कर दिए जाएं। वित्त मंत्री ने अपने कक्ष में ऐसा करने का वायदा किया है, मुझे आशा है कि वे ऐसा करेंगे।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर (खडवा) माननीय सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। आपके माध्यम से मैं वित्त मन्त्री महोदय से प्रार्थना करता हूं। कि व्यक्ति की टैक्स की सीमा जो दस हजार से बढ़ा कर बारह हजार की गई है वह अच्छा कदम है। लेकिन जिसकी आय बारह हजार से अधिक होती है उनके लिए यह सीमा आठ हजार ही रखी गई है मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि उसे भी बारह हजार की सीमा किया जाये। पहले यह लिमिट दस हजार रुपये थी लेकिन अब मन्त्री जी ने इसे बारह हजार कर दी है। लेकिन तब से अब तक रुपये की कीमत में काफी अन्तर आ गया है। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे मेरी बात को मान लें।

इसी तरह से वित्त मन्त्री जी ने वेल्थ टैक्स की सीमा भी एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख कर दी है। रुपये की कीमत काफी कम हो गई है। हम देखते हैं कि मकानों और दूसरी सम्पत्तियों की कीमत भी बहुत अधिक हो गयी है इसलिए वेल्थ टैक्स की सीमा को भी तीन लाख रुपये तक बढ़ाया जाना बहुत आवश्यक है।

इसी तरह से आय कर 80 आई. और 80 जे. में जो असेसी हैं उनको चोइस करने की छूट दी जानी चाहिए और अभी जो नये उद्योग हैं उनको 25 प्रतिशत छूट दी गई है उसको बढ़ा कर 45 प्रतिशत की जानी चाहिए और उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, इंफलेशन बहुत बढ़ रहा है। गैर उत्पादक व्यय में 229 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है और 1417 करोड़ रुपये का घाटा है। क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से 2100 करोड़ का हमको अतिरिक्त बोझ पड़ेगा कोल भाड़े से दो सौ करोड़ का और फर्टिलाइजर से तीन सौ करोड़ का बोझ पड़ेगा और एक्सट्रा एक्साइज ड्यूटी से 2483 करोड़ का बोझ पड़ेगा। यह सारा घाटा 2500 करोड़ का होगा। इससे वास्तविक रूप में हमारे देश में स्थिति भयानक है। बीस हजार करोड़ रुपये की हमारे देश में पेरेलल इकोनोमी चल रही है। इसलिए इन्फलेशन को रोकना बहुत आवश्यक है।

सभापति महोदय, इंग्लैंड, ब्राजील, थाईलैंड, दक्षिणी कोरिया में बचत में हमें आकर्षक बैंक ब्याज दरें प्राप्त होती हैं। इससे बचत को प्रोत्साहन मिलता है। जो हमारे बैंकों की दरें हैं उन्हें ज्यादा किया जाना चाहिए। जब एक आम आदमी को बैंक से कर्ज लेना होता है तो उससे 19 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है जबकि बैंक केवल सात प्रतिशत देते हैं। इसलिए इसे ठीक किया जाना चाहिए।

इतना ही संक्षेप में कहते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री अशोक गहलोत (जोधपुर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मन्त्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो फाइनेंस बिल पेश किया है वह आज के आर्थिक हालतों में बहुत अच्छा है। मैं उस फाइनेंस बिल का समर्थन करने हेतु खड़ा हुआ हूं। आज जो हमारे देश में आर्थिक हालत चल रही है, जो आर्थिक स्थिति चल रही है उसमें यह बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। हमारी पार्टी का जो 1980 का घोषणा पत्र है उसी के अनुरूप यह प्रयास किया गया है ताकि हमारे देश का जो आर्थिक संकट है वह दूर हो सके। यह विधेयक हमारे देश की आम जनता में आत्म विश्वास पैदा करने वाला है। इस प्रस्तुत वित्त विधेयक से

हमारे विपक्ष के सदस्यों को इसकी आलोचना करने के लिए कड़ी मेहनत का सामना करना पड़ रहा है।

मान्यवर, देश में जो हालत व्याप्त है, यह सभी के लिये चिन्ताजनक है। आज हमारे देश में कानून की स्थिति ठीक नहीं है। समान्तर अर्थव्यवस्था, काले धन को एकोनोमी बढ़ती जा रही है। काला बाजारी, मिलावटखोरी, बेरोजगारी, तस्करी आदि के बारे में भी हमें सोचना होगा।

अब मैं देश में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वे लोग रोजगार की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। वे सोच रहे है कि कौन-सी ऐसी सरकार आये जो उनकी बेरोजगारी की समस्या को मिटा सके। इस ओर आपका विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

चुनाव प्रणाली भी हमारी त्रुटिपूर्ण है। इसमें भारी खर्चा होता है। इसकी वजह से भी हमारे देश की अर्थ व्यवस्था बिगड़ रही है, आर्थिक कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। एम.एल.ए. या एम. पी. को जो भी चुनाव से भारी खर्चा करना पड़ता है यह व्यवस्था भी बदलनी होगी। इसमें भी कुछ सुधार आपको लाना चाहिए।

जो आर्थिक असंतुलन देश में पैदा हो गया है। इसकी ओर भी आपका कई माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया है। यह आर्थिक और विकास सम्बन्धी असंतुलन अलग अलग प्रदेशों में ही नहीं बल्कि एक प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी पैदा हो गया है। इसको लेकर देश के कुछ हिस्सों में बहुत आक्रोश है असंतोष है। मैं जोधपुर से चुनकर आया हूं। उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। 1978 में राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में जिसको हम रेगिस्तानी हिस्सा कहते हैं, इस आर्थिक और विकास सम्बन्धी असंतुलन को लेकर एक आन्दोलन छिडा था। यह आन्दोलन वहां एक महीना लगातार चलता रहा। तब मरु प्रदेश बनाने की मांग सामने आई थी। इस आन्दोलन ने बहुत खतरनाक रूप अख्त्यार कर लिया था। इंदिरा जी तब प्रधान मन्त्री नहीं थीं। उसके बावजूद भी जो सलाह उन्होंने मुझे दी जब मैं उनसे मिलने आया था उसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। तब वकीलों, आम नागरिकों ने मिलकर मरु प्रदेश बनाने की मांग उठाई थी, उन रेगिस्तानी इलाकों का एक राज्य बनाने की मांग की थी जो बहुत पिछड़े हुये हैं और जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक बहुत लम्बा संघर्ष चला था। दुकानें बाजार बन्द रहे थे। स्कूल कालेज बन्द रहे थे। उस वक्त जब श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मन्त्री नहीं थी, उनके सामने बहुत बड़ा संकट था, उनको तरह तरह से तंग किया जा रहा था, पार्टी के अन्दर और पार्टी के बाहर उनके ऊपर तरह तरह के आक्रमण हो रहे थे, अपना संतुलन नहीं खोया और मुझे सलाह दी थी कि इस प्रकार की मरु प्रदेश बनाने की मांग जो है, इसको किसी प्रकार से बढ़ावा नहीं मिलना चाहिये। यह बात उन्होंने इसलिए कही थी कि इस तरह की मांगें दूसरे प्रदेशों से भी उठेंगी और इससे आगे जाकर देश को नुकसान होगा। उन वक्त यह मांग समाप्त हो गई। लेकिन जिस प्रकार की वहां आर्थिक हालत है उसको देखते हुए मेरा आप से निवेदन है कि पश्चिमी हिस्से को भी विकास के पथ पर लाने का आप—यत्न करें। वहां जो विकास कार्य हाथ में नहीं लिये जा रहे हैं, उसकी तरफ आप ध्यान दें।

अब मैं राजस्थान नहर की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह एक राष्ट्रीय योजना है। यह राष्ट्र के व्यापक हित की योजना है। इसको प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए। प्रधान मन्त्री जी पिछले तीन चार महीनों में दो बार राजस्थान का दौरा कर चुकी हैं। उन्हें वादा किया है कि इस योजना को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जायगा। यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई योजना है। अगर यह पूरी हो जाती है तो पूरे देश में अनाज का उत्पादन दस प्रतिशत बढ़ सकता है। इस नहर का पानी लिफ्ट करके जोधपुर में भी लाया जाये जोकि एक लम्बे अर्से से पानी का प्यासा है। वहां पानी की जो समस्या है वह इस से हल हो सकती है और उनको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है।

जोधपुर जिले में और पूरे पश्चिमी राजस्थान में बड़े उद्योगों की कमी है। राजस्थान में ब्राडगेज की कमी भी महसूस हो रही है एक तो वहां बड़े उद्योगों की स्थापना की जाये और दूसरे अगर आप प्रत्येक जिले को ब्राड गेज से नहीं जोड़ सकते हैं तो कम से कम डिविजनल हैडक्वार्टर को तो ब्राडगेज से जोड़ दें। इससे वहां जो सम्पदा है उसका पूरा उपयोग हो सकेगा।

दिल्ली अहमदाबाद रेल लाइन का सर्वे कराया जा रहा है। उसको जोधपुर से और मारवाड़ जंक्शन तक जोड़ा जाये ताकि जोधपुर डिवीजन को भी लाभ हो सके।

बैंकों से ऋणों की व्यवस्था की जाती है। उसमें बड़ी गड़बड़ी है। छोटे काश्तकारों और छोटे दुकानदारों की ऐप्लीकेशंज पैंडिंग पड़ी हुई हैं। मैं चाहता हूं कि बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया जाये कि वे निश्चित समय में सारे पैंडिंग काम को पूरा करें।

मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा कि हमारे यहां जो इनकम टैक्स, वैल्थ टैक्स गिफ्ट टैक्स और एस्टेट ड्यूटी अलग-अलग हैं, उनके कारण जो करों की जटिलता बढ़ गई है, जिससे आम नागरिक परेशान है उन सबको मिलाकर एक कर दिया जाये।

इसके अलावा सेल्स टैक्स का सवाल है। जनता पार्टी के राज्य में इसको खत्म करने की बात आई थी, उस पर भी गौर करना चाहिए। यद्यपि यह राज्य का विषय है परन्तु इसके व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए इस पर डिस्कशन होना चाहिए।

मेरा यह भी निवेदन है कि गांव के विकास की योजना को बहुत ही प्राथमिकता के आधार पर लिया जाये। विद्युतीकरण, पीने के पानी सड़क-यातायात और शिक्षा के प्रावधान को बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे शहरों और गांवों का विकास साथ-साथ हो सके और देश के पुन निर्माण में हम आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : सभापति महोदय, माननीय वित्तमंत्री जी का मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने एक घंटे का समय और बढ़ाया। कराधान की नई नीतियां स्वागत योग्य हैं। इनकम टैक्स की सीमा में जो वृद्धि की गई है, उससे छोटे कारीगरों और मध्यम वर्गों के लोगों को तो राहत मिलेगी,

लेकिन युवा होने के नाते मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी को बताऊंगा कि छोटे उद्योगियों को प्रोत्साहन, इन्सैंटिव और कन्सैशन देने के इरादे से उन्होंने जो प्रावधान किया है, वह पर्याप्त नहीं है। पिछले 30 सालों में हर बजट में हम इसका प्रावधान करते आये हैं. छोटे उद्योगों को जब तक आप मार्केटिंग की गारन्टी नहीं देंगे, तब तक इन्सैंटिव और कंसैशन्ज

का असर नहीं हो सकता। वह तो वही बात हुई कि फैदरवेट वाले पहलवान की कुश्ती हैवी वैट वाले ओलंम्पिक चैम्पियन के साथ करवा देना।

इन इंसैंटिव्ज और कन्सैशन्ज का उपयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनको टाटा और बिड़ला जैसे बड़े-बड़े उद्योगपतियों से स्पर्धा करनी पड़ती है। समाज के हर क्षेत्र में इन लोगों ने कोई चीज छोड़ी नहीं है। मैं वित्त मंत्री से कहूंगा कि वह इंसैंटिव और कन्सैशन्ज के साथ मार्केटिंग की गारन्टी भी दें।

जो एक्साइज ड्यूटी कम करने का सुझाव वित्त मंत्री जी ने दिया है, इसका मतलब है कि मूल्यों में कमी लाना, भावकम करना। इसमें जीवन-रक्षक दवाओं का भी समावेश किया गया है। मैं कहूंगा कि एक्साइज ड्यूटी कम करने से दवाओं के मूल्य में कोई असर नहीं हुआ है। किसी भी दवा पर 5, 10 पैसे कम हुए हैं। जब तक आप दवाओं की कास्ट आफ प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए दवाओं का नियंत्रण नहीं करेंगे, तब तक इसका कोई असर नहीं होगा।

इसलिये सिर्फ एक्साइज ड्यूटी में कमी लाने से काम नहीं चलेगा। कास्ट आफ प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए जब आप दवा बनाने वाली कंपनियों की बैलेन्स शीट देखेंगे तो आप पायेंगे कि दवा बनाने वाले तमाम उद्योगपति 400 और 500 परसेंट तक नफा कमाते हैं। इस लिए आपका जो ख्याल है कि एक्साइज ड्यूटी कम करके भाव कम करेंगे, इसका कोई आधार नहीं है।

समापति महोदय, कई बातें यहाँ पर कहने की थीं, लेकिन वक्त नहीं है, फिर भी बुनकरों का एक अहम सवाल है। रेलवे, बीड़ी के बाद बुनकरों का तीसरा नम्बर आता है जिसमें तमाम परिवार हाथ करघा उद्योग में लगा रहता है उसकी भी बड़ी उपेक्षा हुई है। इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।

विदर्भ, नागपुर और उसके आजूबाजू में बुनकर बहुत बड़ी तादाद में हैं, अकेले नागपुर में ही 1 लाख बुनकर हैं, लेकिन उनका सवाल अनिर्णीत है।

यह कहते हुए मैं आपके आदेश के मुताबिक इस बजट का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री पी. नामग्याल (लद्दाख) : जनाब चेयरमैन साहब, पेश्तर इसके कि मैं कुछ कहूं, मैं जनाबे वाला से, और हाउस से, क्षमा चाहता हूँ कि मैं एक दूर-दराज इलाके का होने के नाते ठीक तरह से हिन्दी नहीं बोल सकता हूँ। फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं हिन्दी में ही बोलूं।

जो फिनांस (नम्बर टू) बिल इस ऐवान में जेरे-बहस है, मैं उसके बारे में चन्द एक लफ्ज कहना चाह रहा था, लेकिन वक्त की तंगी की वजह से मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जनाब फिनांस मिनिस्टर साहब ने यह जो बिल इस ऐवान में रखा है, वह हर लिहाज से बैलेंस्ड है और इससे हर एक तबके को फायदा हुआ है लिहाजा मैं फिनांस मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही चन्द बातें मैं अपने इलाके के मुताल्लिक कहना चाहता हूं।

इस बिल में दी गई एक बात हमारी स्टेट से खास तौर से ताल्लुक रखती है। इसमें ट्रांसपोर्ट पर डेप्रिसिएशन 30 से 40 परसेंट तक बढ़ाया गया है। जम्मू-काश्मीर स्टेट एक बैकवर्ड स्टेट होने के नाते और एनटायरली रोड ट्रांसपोर्ट पर डिपेंडेंट होने के नाते इससे काफी फायदा उठाया

जा सकता है। खास तौर से लद्दाख जैसे जो इलाके हैं, वहां तो हम सिर्फ इसी ट्रांसपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं। इसके लिए मैं फाईनेंस मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं।

आपकी नजरों से भी गुजरा होगा कि हाल ही में काश्मीर वैली में कुछ नाखुशगवार वाकयात हुए हैं, जो एक मामूली एक्सिडेंट से एक आर्मी की गाड़ी और एक आटो-रिक्शा के दरमियान टक्कर होने से स्पार्क आफ हुए हैं। इस सिलसिले में मैं समझता हूं कि हालांकि यह एक मामूली नोऐयित का एक्सिडेंट है, लेकिन इसके पीछे मुझे एक बहुत बड़ा हाथ नजर आ रहा है। पिछले कई महीनों से वहां टेन्शन हमारी नजरों से गुजर रही थी। कुछ लोग चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से उस सैक्टर में कोई न कोई गड़बड़ कराई जाये और इसके लिए कोई बहाना ढूंढा जाये। जहां तक मेरा ख्याल है, वे यह चाहते थे कि खसूसी तौर पर किसी फौजी गाड़ा या फौजी पसोनेल के साथ टक्कर ली जाये, ताकि वहां के माहौल को खराब किया जा सके।

इस सिलसिले में मैं एक इनस्टांस देना चाहता हूं। आज से दस दिन पहले की बात है कि वहां के यूथ फ्रंट नाम के एक प्रो-पाक आर्गनाइजेशन ने—हमारी नजरों में उनको कुछ हमारे ऊपर वाले भी शायद सहारा दे रहे थे—वहां के बिजिनेस के तबके के कुछ लोगों को वार्निंग इस्यु किया कि तुम लोगों को 28 जुलाई तक काश्मीर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे लिए डाइर कान्सीक्वेंसिज होंगे। लेकिन हमारी बदकिस्मती समझिये कि उससे पहले यह एक्सिडेन्ट हो गया और उनको हालात को एक्सप्लायट करने का मौका मिला, जिसके नतीजे में आज यह सब कुछ हो रहा है। मैं समझता हूं कि जनाब होम मिनिस्टर साहब को इस मौजूअ पर इस हाउस में जरूर स्टेटमेंट चाहिए, हालांकि मैंने इस बारे में एक कालिंग एटेन्शन नोटिस भी दिया है।

ज्यों ही वहां पर हालात खराब हुए, जिन लोगों को नोटिस दिए गये थे, उन सब की दुकानें लूटी गयीं। यह पहला मौका है कि काश्मीर वैली में किसी मंदिर या रिलिजस प्लेस के साथ छेड़-छाड़ करने की कोशिश की गई है, बल्कि उन्हें नुकासान भी पहुँचाया गया है। हालांकि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने हालात को कुछ सम्भालने की कोशिश की है, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस हद तक ला एंड आर्डर मशीनरी को एक्टिवेट करने की जरूरत थी, वह अभी उन्होंने नहीं किया है। उसका नतीजा यह हुआ कि हालात और भी ज्यादा खराब होने का अन्देशा है। मैं सैंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि जो वाक्यात वहां पर हो रहे हैं, उनको लाइटली नहीं लेना चाहिए और उनको देखना चाहिए।

अब मैं अपने इलाके की दिक्कतों की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। हमारी बहुत सी शिकायतें हैं। पिछले दिनों जब प्राइम मिनिस्टर लद्दाख गई थीं, उस वक्त हमने उनसे गुजारिश की थी कि हमारे यहां कुछ फण्ड्स की मुश्किलात हैं। मिसाल के तौर पर जो फंड हमें मिलता है उसमें 90 परसेन्ट सेन्ट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और 10 परसेन्ट काश्मीर सरकार को देना पड़ता है। पिछले साल से वहां की सरकार ने यह क्राइटेरिया निकाला है कि हमारे लद्दाख रीजन में जिसमें कि दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें आबादी के हिसाब से प्लान फंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जायगा। हमने उनसे कहा इसमें सिर्फ आबादी को ही क्राइटेरिया न माना जाये, इसमें दूसरी बहुत सी बातें हैं उनको भी देखा जाये। मिसाल के तौर पर हमारा जो लद्दाख

डिस्ट्रिक्ट है वह सारे हिन्दुस्तान में एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जिसका एरिया 97,000 स्क्वेअर किलोमीटर है। हमें वहाँ जो भी चीज ले जानी होती है, उसको यहाँ से श्रीनगर ले जाते हैं वहाँ से कारगिल होते हुए लेह पहुँच ते हैं, बल्कि उसके आगे भी पहुँचाना होता है। उस पर बहुत ज्यादा फ्रेट पड़ता है, ट्रांस्पोर्ट के चार्जेज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिये हाई-आल्टीचूड होने के नाते, एरिया बड़ा होने के नाते और कास्ट-आफ-लिविंग ज्यादा होने के नाते हम चाहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट को पापुलेशन के बेसिज पर ट्रीट नहीं किया जाना चाहिये। पापुलेशन के लिहाज से हमारा डिस्ट्रिक्ट सबसे छोटा है, लेकिन एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा है, रोड-कम्यूनीकेशन पर बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है—ऐसी हालत में अगर पापुलेशन के लिहाज से पैसा मिलेगा, तो वह बहुत कम मिलेगा, उसको हम कहाँ लगाएंगे और कहाँ नहीं लगाएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर साहब को खास तौर से इस मौजूआ को देखने की जरूरत है। इसी के लिये पिछले साल लद्दाख डवेलपमेंन्ट बोर्ड के सारे मेम्बर्स ने एन-पास रेजिगनेशन्ज दिये थे, लेकिन उसके बावजूद भी स्टेट गवर्नमेन्ट ने कोई सुनवाई नहीं की, यही कहा गया कि ये लोग ज्यादा शोर करते रहते हैं।

किसी जमाने में होम मिनिस्टरी में एक लद्दाख-डेस्क हुआ करता था, जब कभी प्लानिंग कमीशन या नेशनल डवेलपमेन्ट कौन्सिल की मीटिंग होती थी, उसमें वह डेस्क हमारे इन्टरेस्ट को देखा करता था। आज वह भी नहीं है। हमारे सुनने में आया है कि सैन्टर में एक कैबिनेट सब-कमेटी की एक कमेटी बनी है और उसकी मीटिंग हाल ही में श्रीनगर में हुई है लेकिन हमें पता नहीं है कि लद्दाख के बारे में वहाँ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। मेरी गुजारिश यही है कि हमारा इलाका जो है वह दो होस्टाइल कन्ट्रीज के बीच में है और एक तरफ चाइना है और दूसरी तरफ पाकिस्तान। तो इन हालात ने हमको मजबूर कर दिया है कि हम कुछ न कुछ कहें और सेन्ट्रल गवर्नमेंट को इसमें देखने की जरूरत है। स्टेट गवर्नमेंट तो यह समझती है कि यह तो एक किस्म से हमारी कौलोनी है। वे ये चीज भूल गये हैं, जहाँ तक हमारी नजर में है, काश्मीर वैली जो है, वह 50 लाख रुपये में मिली थी महाराजा गुलाबसिंह को। 50 लाख ब्रिटिश करेन्सी में या 75 लाख सिक्ख करेन्सी में खरीदा हुआ यह क्षेत्र है। अगर हिस्ट्री को देखा जाए, तो हमारी पोजीशन अलग है। कश्मीर खरीदा हुआ है और लद्दाख को तलवार के जोर से जम्मू और काश्मीर में शामिल किया गया है। मगर इसका मतलब नहीं है कि हम लोग मतलब ही नहीं समझते हैं। जहाँ तक भारत देश का सम्बन्ध है हम जितने लायक हैं उतना और कोई नहीं हैं सारे हिन्दुस्तान में। आप जानते होंगें कि जब काश्मीर में दो, तीन बार जंग हुई, जितना हमने उस इलाके को डिफेन्ड किया है उतना किसी और ने नहीं किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लद्दाखियों ने हमारे बोर्डर को बचाया है। आपने सुना होगा कि 1962 में जो वाकयात हुए, नेफा में बिना किसी रेसिसटैंस के काफी एरिया सरेन्डर हुआ था लेकिन लद्दाख ही एक ऐसा एरिया था जहाँ लोग लड़े और वहां के लोगों फोर्सेज ने उनकी पोस्टों को केप्चर किया। वहाँ के लोग लड़ने वाले थे। इसी तरह से 1971 में हमने तकरीबन 1200 स्क्वेअर किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान से लिबरेट करवाया। वे भी लद्दाखी थे। इसके बाद भी हम देखते हैं कि सैन्ट्रल गवर्नमेंट की भी यही नजर रही है कि वह इस बात को लाइटली ले लेती है और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में तो हमारा रोना है ही। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप इन हालात

को देखते हुए, उस इलाके की बैकवर्डनेस को देखते हुए, वहां की गुर्बत को देखते हुए, वहां तालीमी लिहाज से लोग पिछड़े हैं, उसको देखते हुए, उस एरिया की तरफ ज्यादा ध्यान दे।

मैंने काफी वक्त ले लिया है। वैसे बोलना तो मुझे काफी था लेकिन और ज्यादा आपका वक्त न लेते हुए मैं यही कहूंगा कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने जो यहाँ पर फाइनेन्स बिल रखा है, वह हर लिहाज से बैलैन्स्ड है और हर तबके के लिए वह एक अच्छा बिल है और इस बिल को मैं सपोर्ट करता हूं।

सभापति महोदय : मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय से एक चिट मिली है जिसमें यह कहा गया है कि असम के बारे में गृह मन्त्री महोदय 4·30 बजे एक वक्तव्य देंगे। लेकिन मेरा विचार है कि यदि यह वक्तव्य वित्त मंत्री महोदय के भाषण के बाद दिया जाए तो भी ठीक रहेगा।

माननीय मंत्री महोदय।

वित्त मंत्री महोदय (आर. वेंकटरामन) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूँ कि उन्होंने बजट तथा वित्त विधेयक में बड़ी दिलचस्पी ली है जिन्हें मैंने इस सभा में प्रस्तुत किया है। इस बहस में 51 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। मेरा ख्याल है कि इस वित्त विधेयक पर इतने भाषण दिये गये जितने किसी वित्त विधेयक पर नहीं दिये गये। यदि मैं प्रत्येक सदस्य के लिए दो मिनट का भी समय दूं तो उनको 100 मिनट से भी ज्यादा समय देना होगा। इसलिए प्रत्येक सदस्य के लिए अलग-अलग समय देना सम्भव नहीं होगा। विषयों को कुछ श्रेणियों में विभक्त करके मैं सदस्यों द्वारा समय-समय पर उठाये गये मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उन पर विचार-व्यक्त करूंगा। सर्वप्रथम मैं सभी माननीय सदस्यों, विशेष तौर से अपने पक्ष के वरिष्ठ सदस्यों जैसे श्री भागवत झा आजाद, महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री चव्हाण, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री सुखाड़िया और अन्य वरिष्ठ सदस्य जिन्होंने इस बहस में भाग लिया है, मुझे अपना पूरा समर्थन दिया है को बधाई देता हूँ। मैं उन सभी नवयुवक सदस्यों को भी बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इस बहस में भाग लिया है। उनमें से बहुत से सदस्यों ने तो अपना पहला भाषण दिया है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने इस बहस को बहुत ही प्रभावशाली बनाया है। जब उन सदस्यों ने अपने विचार-प्रस्तुत किये तो मैं उनकी इस बात से काफी प्रभावित हुआ कि उनको तथ्यों का कितना ज्ञान है और विषय पर उनका कितना अधिकार है। संक्षेप में मैं श्री कमलानाथ, श्री आनन्दसिंह, श्री तारिग अनवर, श्रीमती बरार तथा अन्य कुछ सदस्यों का उल्लेख करना चाहूँगा। मैं पूरी सूची को पढ़ना नहीं चाहता हूं।

श्रीमन, मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को अलग-अलग नामों का उल्लेख करूंगा जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक बात आपने जो नोट की होगी वह यह है कि संपूर्ण बहस बिना किसी प्रकार की कटुता तथा विद्वेष के चली है। विचारों का आदान-प्रदान बेड स्वतन्त्र रूप से हुआ है। हालांकि विभिन्न दृष्टिकोण भी रहे हैं, लेकिन उन पर किसी प्रकार की कोई कटुता नहीं आई है और किसी को भी दबाने या कोई अनुचित लाभ उठाने का भी किंचित मात्र प्रयास नहीं किया गया है। मेरा विचार है कि यह एक अच्छी बहस के लक्षण है और मैं समझता हूं कि इसे भविष्य में अन्य बहसों में भी अपनाया जायेगा।

बहस में विचार किए गए विषयों को लेने से पहले मैं कुछ प्रक्रिया के प्रश्नों का हवाला देना चाहूंगा। श्री बनातवाला तथा श्री सतीश अग्रवाल ने बजट प्रस्तावों पर रखी गयी इस प्रकार की गोपनीयता की आवश्यकता के बारे में प्रश्न पूछे हैं, और उन्होंने यह कहा है कि बजट प्रस्तावों पर सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क को छोड़कर जिनमें बजट प्रस्तावों का पहले पता लगने पर सट्टे की गतिविधियाँ पैदा हो सकती है, खुली चर्चा होनी चाहिए। हम मन्त्रिमंडलीय सरकार चला रहे हैं और मंत्रिमंडलीय सरकार में सरकार बजट प्रस्तावों की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है तथा सरकार द्वारा तैयार किया गया कोई बजट प्रस्ताव यदि सभा में गिर जाता है या पारित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। श्री बनातवाला ने अमरीका का हवाला दिया। अमरीका में राष्ट्रपति शासन पद्धति है। इस पद्धति में राष्ट्रपति द्वारा सेनेट या प्रतिनिधि सभा को भेजे गये प्रस्ताव भी यदि पारित नहीं होते या गिर जाते हैं या उनमें कुछ फेर-बदल या संशोधन कर दिये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को इस्तीफा या त्यागपत्र नहीं देना पड़ता और मंत्रिमंडल को भी त्याग पत्र नहीं देना पड़ता। हमें इस मौलिक भेद को समझ लेना चाहिए। अतः मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार में कर प्रस्तावों या बजट प्रस्तावों की एक मात्र जिम्मेदारी सत्ताधारी दल की होती है और इस जिम्मेदारी में किसी अन्य दल को भाग लेना कठिन होता है।

जब मैं विपक्ष में था, मैंने भी यह कहा था, और आज भी उस सम्बन्ध में मेरा वैसा ही विचार है कुछ मामलों में अधिक गोपनीयता रखना आवश्यक है जैसे कि कुछ कानूनों से सम्बन्धित कुछ मामले जिनके बारे में यदि पहले से भी मालूम हो तो कठिनाइयां या अप्रत्याशीत परिणाम नहीं निकलेंगे। यह विभेद करना कठिन होगा की इनमें से कौन से मामलों के गम्भीर परिणाम निकलेंगे और कौन से मामलों के गम्भीर परिणाम नहीं निकलेंगे। लेकिन फिर भी, मेरे विचार से कुछ मामलों में कुछ ज्यादा खुले बजट की गुन्जाइश है। यदि मुझसे त्यागपत्र नहीं माँगा गया और मेरी खबर नहीं ली गयी तो मैं सभा में चर्चा के लिए ऐसे मामले प्रस्तुत करके जिन पर कानून बनाने से पहले जनता की राय प्राप्त करनी चाहिए, कुछ खुला बजट पेश करने की कोशिश करूंगा।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अब मैं बहस के दौरान उठाये गये विविध मुद्दों को लूंगा। उनको लेने से पहले मुझे एक बात कहनी है। वर्तमान वित्त विधेयक में मैंने एक खण्ड-खण्ड 50 सम्मिलित किया है जिसका सम्बन्ध अपीलीय न्यायालय से है। और यह निश्चय ही एक ऐसा मामला है जिसे ज्यादा गोपनीय रखने की आवश्यकता नहीं है। इस पर पहले चर्चा की जानी चाहिए थी। लेकिन अब मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वह यह है कि इस उपबन्ध के सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद भारी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह कहा गया है कि आय कर अपीलीय न्यायालय का भी वही महत्व है जो सीमा शुल्क अपीलीय न्यायालय का और यह न्यायालय भी इस न्यायालय के समान जिम्मेवारी से अपना कार्य करता है, लेकिन इस को परिनिर्णयों और स्तर के मामले में कुछ नीची श्रेणी में रखा गया है। विधेयक के साथ नत्थी किये गये वित्तीय ज्ञापन में परिनिर्णयों का उल्लेख किया है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब दो संस्थाएं अर्थात सीमा शुल्क अपीलीय न्यायालय और आयकर अपीलीय न्यायालय जब अस्तित्व में आयेंगे— इसमें से

सीमा-शुल्क अपीलीय न्यायालय के अस्तित्व में 1 जनवरी, 1981 तक आने की आशा है— उस समय तक आयकर अपीलिय न्यायालय को सीमाशुल्क अपीलिय न्यायालय के बराबर करने के लिए, उसके स्तर तथा परिलब्धियाँ और समान करने के लिए कानून में भी संशोधन हो जायेगा। मुझे विश्वास है कि इससे बहुत से लोगों द्वारा व्यक्त की गयी आशंकाएं तथा संदेह दूर हो जायेंगे। यह सवाल किया जा सकता है कि आप यह क्यों कहते हैं कि सीमा शुल्क अपीलीय न्यायालय केवल जनवरी 1981 से ही कार्य कर सकेगा ?

विधेयक को पारित करने के बाद, अधिकरण के लिए स्थान और जगह का चयन करने में, कर्मियों का चयन करने में और नियम आदि बनाने में कुछ महीनों का समय लग जायगा। इसलिए मैं आशा करता हूं कि पहली जनवरी तक नया अधिकार स्थापित हो जाएगा। उस समय तक संसद का एक और सत्र होगा जिसमें मैं आय कर अधिनियम में संशोधन प्रस्तुत करूंगा, ताकि आय-कर अपीलीय प्राधीकरण, वेतन, परिलब्धियों, पद तथा प्रक्रिया में वह नए सीमा-शुल्क अपीलीय प्राधिकरण के बराबर हो जाए।

अनेक सदस्यों ने बजट में भारी अन्तर के बारे में प्रश्न उठाया है और घाटे को पूरा न करने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। श्री दंडवते, श्री सतीश अग्रवाल और अन्य अनेक सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। कुछ सदस्यों ने तो यहां तक कहा कि मूल्य इस रफ्तार से बढ़ रहे हैं कि वर्ष के अन्त तक 30% मूल्य वृद्धि हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले बजट में 1350 करोड़ रुपये का घाटा था और वर्ष के अंत तक इसमें लगभग 2700 करोड़ रुपये का घाटा हुआ और उन्होंने कहा कि यदि इस बजट में 25% की उत्तरोत्तर मूल्य वृद्धि हुई, तो इस अनुपात के अनुसार इस बजट में जिसे 1400 करोड़ रु० का पहले ही घाटा है, 3000 रु० का और घाटा होगा तथा मूल्य वृद्धि 30% होगी।

मैं तर्क शास्त का विद्यार्थी रह चुका हूं। तर्क शास्त्र का यह एक प्राथमिक सिद्धान्त है कि साहय्य उदाहरण देने के लिए होते हैं प्रमाणित करने के लिए नहीं। साहय्य कुछ भी सिद्ध नहीं करते, और यहाँ मैं पिछले वित्त मंत्री के साहय्य को नहीं मानूंगा।

असल में तो जब गड़बड़ी हो रही थी उस समय पिछले वित्त मन्त्री ने उपाचारात्मक उपाय नहीं उठाए जिससे मूल्य वृद्धि उत्तरोतर होती रही और 20 प्रतिशत तक पहुंच गई। जब भी आवश्यकता होगी मैं उपचारात्मक कदम उठाऊंगा। अब, अगर आप मूल्य स्तर का विश्लेषण करें तो आप को पता चलेगा कि मूल्य वृद्धि तीन मदों के कारण हुई। पहला पेट्रोलियम उत्पाद। दूसरा गुड़ और तीसरा खाद्य तेल। बाकी अन्य वस्तुओं के मूल्यों में बहुत ही मामूली वृद्धि हुई। मैं केवल पेट्रोलियम के भावों में हुई वृद्धि के आँकड़े ही दूंगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : पता नहीं हमारे वित्त मंत्री हमें कहां ले जाएंगे।

श्री एम. सत्यनारायण राव : जितना प्रयास वह कर रहे हैं उसकी आप को अवश्य ही प्रशंसा करनी चाहिए।

श्री आर वेंकट रामन : मेरे पास आँकड़े हैं। अगर आप पेट्रोलियम और अन्य उत्पादों को देखें तो उन के मूल्यों में 37.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अगर आप गुड़ को लें, तो इससे 24.9 प्रतिशत, लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और अगर आप बाकी सब वस्तुओं को देखें

तो यह वृद्धि केवल 10.4 प्रतिशत है। अगर मूल्य स्तर में आम वृद्धि हुई होती तो अन्य सब वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि उसी दर से हुई होती जिससे अन्य वस्तुओं के भाव बढ़े हैं। इस के विपरीत, बाकी सभी वस्तुओं के भावों में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। केवल पेट्रोलियम और चीनी तथा गुड़ के भाव बढ़े हैं जिससे कुल 10 प्रतिशत की जो वृद्धि···

श्री निरेन घोष : थोक मूल्य सूचकांक क्या है ?

श्री आर. वेंकटरामन : सरकार को इस की पूरी जानकारी है कि जब पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के भाव बढ़ाए जाते हैं, इन उत्पादों के भाव भी बढ़ जाते हैं। सभा में बजट पर चर्चा के 6 या 7 हफ्तों के दौरान मैंने यह कभी नहीं कहा कि इसका मूल्यों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इन चीजों के मूल्य उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें उचित कहा जा सकता है और जहां तक वे बढ़ सकते थे, बढ़े हैं।··· (व्यवधान) और ये उस स्तर पर हैं जहां ये करों में हुई वृद्धि के हिसाब से उसके बराबर और उचित स्तर पर है। मेरे कहने का यह तात्पर्य है कि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य बढ़ने से उनमें और अधिक वृद्धि नहीं होगी··· (व्यवधान) यदि आप मुझे सुनना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा। अन्यथा मैं आपका धन्यवाद कर के बैठ जाता हूं और फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यह बहुमत से पास हो जाएगा, और मुझे कुछ हानि नहीं होगी। मैं सोच रहा था कि आप सरकार का दृष्टिकोण जानने में रुचि रखते हैं।...(व्यवधान) जो मुद्दा मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं वह यह है कि पेट्रोलियम व अन्य उत्पादों की मूल्य वृद्धि का प्रभाव अपने आप हो चुका है, और इसलिए अब इसके बाद इसमें वृद्धि नहीं होगी। अब तो यह एक सीमा तक बढ गए हैं और अब इसके बाद मूल्यों में भारी या तेजी से वृद्धि नहीं होगी जितनी कि उस समय हुई थी जब पैट्रोल के मूल्य बढ़ने के फलस्वरूप पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि हुई थी। इसे दृष्टि में रखते हुए कि अन्य चीजें जो हम कर रहे हैं, जैसे-वितरण प्रणाली को सुधारना, जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ प्रभावकारी कार्यवाही करना तथा यह देखना कि लोग अधिक लाभ न कमाएं, इनसे मूल्य स्तर वहीं रहेगा जहां अब यह पहुँच चुका है। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों व दक्ष अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि मूल्य वृद्धि आनुपातिक दर पर होगी जैसी कि अब हो रही है, मेरा यह निवेदन है कि इसकी कोई आशंका नहीं है। कुछ लोग लगातार यह कहते जा रहें हैं कि मूल्य बढ़ रहे हैं, मूल्य सभा में नहीं सभा के बाहर बढ़ रहे हैं क्योंकि वह एक कमी का माहौल पैदा करके उससे लाभ कमाना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : आप अपनी ही कल्पनाओं में जी रहे हैं।

श्री आर. वेंकटरामन : इनमें से कुछ समाचार पत्र तो बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा चलाये जा रहे हैं और उनकी इस प्रकार का माहौल पैदा करने में रुचि है जिससे कि जो इस प्रकार की मांग का भूत उन्होंने जनता के दिमाग में पैदा कर दिया है उससे वे लाभ कमा सकें। इसको केवल एक ही तरीके से ठीक किया जा सकता है जैसाकि मैं कह भी चुका हूँ कि, जहाँ हमने रियायतें दी है, वहाँ हमें सख्ती भी बरतनी होगी। माननीय सदस्य श्री गीता मुखर्जी ने कहा है कि आपने सारा लाभ तो धनी लोगों को दे दिया और सख्ती आपने आम जनता से की है यदि वह यह सोचती हैं कि उत्पाद-शुल्क में दी गई सभी छूटें कठोर कार्यवाही करने के लिए हैं। तो मुझे कुछ नहीं कहना है। यह तो इस बात पर निर्भर करता है आप उसको किस दृष्टि से से देखते हैं। पर यदि वह इस बात से चिन्तित है कि सभी उद्योगपतियों में बांट दिया गया है

तो मैं उन्हें यह आश्वासन देना चाहूँगा कि उनको व अन्य गृहणियों को भी पर्याप्त लाभ मिलेगा।

श्री गीता मुखर्जी : धन्यवाद।

श्री आर. वेंकटरामन : आइये थोड़ा मजाक हो जाये।

यह जो धारणा पैदा हो गई है कि सब कुछ गलत हो रहा है, मैं इसे एकदम हटाना चाहता हूं। इसके विपरीत मुझे इस पर गर्व है कि मैं इतना भाग्यशाली हूं। जब मैंने बजट प्रस्तुत किया था तो स्थिति वास्तव में खराब थी किसी को नहीं पता था कि वर्षा अच्छी होगी या नहीं बिजली की स्थिति तो बहुत ही बुरी थी। मूल्य वृद्धि अपने शिखर पर थी। 2700 करोड़ रुपये का घाटा था और इतना सब होने पर भी सरकार ने इस प्रकार का बजट प्रस्तुत करने का जोखिम उठाया जिसमें हमने रियाएतें दी और जिसमें ढेर सारा राजस्व छोड़ दिया जिससे कुछ लोग बहुत सहमत थे और कुछ नहीं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि इसमें खूब रियायतें दी गई हैं और अब मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस बार बरसात अच्छी हुई है तथा मेरे सहयोगी कृषि मन्त्री भी मेरे साथ ही बैठे हुए हैं।

इस बार की खेती हाल ही के वर्षों के मुकाबले अच्छी ही होगी। बिजली की स्थिति में तो जादुई ढग से सुधार हुआ है। बिजली की कटौती बिलकुल भी नहीं की जा रही तथा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आन्ध्र, उड़ीसा और गुजरात राज्यों को शत प्रतिशत बिजली दी जा रही है। मध्य प्रदेश में सुधार हो गया है तथा महाराष्ट्र में कटौती अब बन्द ही होने वाली है। भाखड़ा नंगल अब पूर्ति कर रहा है और थोड़े समय में हम यह कह सकेंगे कि देश में केवल एक या दो भागों को छोड़कर बाकी में कहीं भी बिजली की कटौती नहीं की जा रही है। अगर इस पर भी उद्योग उत्पादन नहीं कर सकते तो वे ही उसके जिम्मेदार हैं।

अतः, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि सम्भावनाए इतनी अनुकूल और अच्छी हैं कि इस समय लोग पूंजी लगाने और उत्पादन के लिए अपनी योजनाएं लेकर सामने आएं। विभिन्न लोगों की यह धारणा रही है कि अगर आप लोगों अर्थात आम आदमी के लिए पर्याप्त संसाधन छोड़ देते हैं तो इससे माँग और निवेश दोनो ही की संभावनाएं उत्पन्न होगी। अधिभार में 10% कमी करके मैंने लोगों के लिए 84 करोड़ रुपये छोड़े हैं और मुझे आशा है क्रय शक्ति और पूंजी लगाने दोनों ही में यह प्रतिफलित होगा।

उद्योगों के बारे में मैंने जो रियायतें दी हैं वे इस प्रकार की हैं कि उनसे प्रत्येक उद्यमी को प्रोत्साहन मिलेगा और वह पूंजी लगाएगा ऐसा इस लिए कि करों में छूट दिए जाने की योजना के अधीन सबसे पहले तो उसे करों में छूट मिलेगी, उसे निवेश में छूट मिलेगी, उसे मूल्य निधि में छूट मिलेगी और उसे मूल्यह्रास निधि में अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। श्री उन्नीकृष्णन और उनकी विचार धारा के लोगों द्वारा इसका विरोध किए जाने की बात तो मेरी समझ में आती है।

किंतु मेरी समझ में यह नहीं आता कि उद्योग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। उनका यह कहना मेरी समझ में नहीं आता कि निवेश के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। शायद वे

लोग निवेश के लिए प्रोत्साहन का मतलब शत प्रतिशत धन दिया जाना समझते हैं। ऐसा लगता है वे यह नहीं जानते कि प्रोत्साहन क्या है।

अब मैं श्री उन्नीकृष्णन और उनकी विचार धारा वाले अनेक सदस्यों द्वारा की गई आलोचना पर चर्चा करूंगा। मैं उनके विचारों का सम्मान करता हूँ, किन्तु उनके दृष्टिकोण से हम सहमत नहीं हैं। वस्तुतः यदि सभी लोग एक दूसरे से सहमत होने लगें तो यह संसार जड़ हो जायेगा। हमारे विचारों और विचारधाराओं में भिन्नता होनी ही चाहिए ताकि समूचा देश खुशहाल बन सके। एक ऐसी सामान्य प्रणाली या विधि निर्धारित करने के लिए अपने विचारों और स्रोतों को एकत्र कर सकें और इससे श्री उन्नीकृष्णन और अनेक सदस्यों ने कहा है, आपने औद्योगिक वर्ग को बहुत सी हिदायतें दी हैं, आप बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रति नम्र नीति अपना रहें है. मेरा उत्तर यह है। जैसाकि वाद-विवाद के दौरान मैंने पहले भी स्पष्ट किया है, जहां तक इस दल का सम्बन्ध है, हम मिश्रित अर्थ व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध हैं। इस मिश्रित अर्थ व्यवस्था में सरकारी क्षेत्र को ही महत्ता दी जायेगी और साथ ही निजी क्षेत्र को निर्धारित की गई सीमाओं में ही कार्य करना होगा। वे समाज के अन्य समूहों या वर्गों के समान सरकार से लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं ताकि वे कुल राष्ट्रीय सम्पत्ति में योगदान कर सकें। यही कारण है कि हमने ये प्रोत्साहन प्रदान किए हैं। यदि हम उन्हें ये रियायतें नहीं देंगे तो उनसे 33 प्रतिशत तक का योगदान करने वाला क्षेत्र प्रभावहीन हो जायेगा कि कुल राष्ट्रीय सम्पत्ति उसी मात्रा में कम हो जायेगी राष्ट्रीय सम्पत्ति कम हो जाती है तो उसी मात्रा में वितरण भी कम हो जायेगा। इसीलिए श्री उन्नीकृष्णन तथा उनकी विचार धारा वाले लोगों से मेरा निवेदन है कि जहां तक हमारे द्वारा दी जाने वाली रियायतों का सम्बन्ध है वे राष्ट्रीय हित में हैं, किसी व्यक्ति विशेष के हित में नहीं हैं। यह राष्ट्र के हित में ही है ताकि हम अधिक उत्पादन करके लोगों में उसका उचित वितरण कर सकें।

मैं अब कुछ विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा करना चाहूँगा। सदस्यों ने आपत्ति उठाई है कि योजना का आकार पर्याप्त नहीं है। यदि वित्त मन्त्री को सबको संतुष्ट करना हो तो केवल अर्थशास्त्री होने से काम नहीं बनेगा, उसे जादूगर बनना पड़ेगा। लोग चाहते हैं कि बड़ी योजना बनाई जाए, कर कम लगाया जाये और फिर घाटा भी न हो। यह एक असम्भव कार्य है। यदि आप योजना का आकार बढ़ाना चाहते हैं तो स्रोतों को एकत्र करने के कुछ संसाधन जुटाने के उपाय करने होंगे और जब तक देश में पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं जुटाये जाएंगे तब तक योजना का आकार इतना बढ़ाया जा सकता है जिससे लोगों को लाभ मिल सके। सभी विचारों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि योजना में लगभग 2000 करोड़ रुपये की धनराशि अर्थात 16.6 प्रतिशत की ही वृद्धि उचित होगी। इस समय हमारे समक्ष पेश आ रही विभिन्न अड़चनों को ध्यान में रखते हुए इतना ही सम्भव हो सकता है।

माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है कि मूल्यों में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और इसीलिए योजना के आकार में केवल 16 प्रतिशत की वृद्धि पर्याप्त नहीं होगी। मेरा उत्तर बिल्कुल सीधा है। हमने सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 5 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसे विभिन्न तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान क्षमता के पूरे उपयोग से हम इस 5 प्रतिशत वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। पिछले वर्ष विभिन्न अड़चनों के कारण तथा

विद्युत, कोयला, परिवहन और कुछ मामलों में पानी तक की भी कमी के कारण वर्तमान क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं किया जा सका था। वर्तमान क्षमता का पूरा उपयोग करके हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में काफी वृद्धि करना चाहते हैं। 2000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था इसलिए की जा रही है कि निवेश में वृद्धि हो और नये निवेश को प्रोत्साहन मिले। मैं मानता हूं कि यदि मैं 16.6 प्रतिशत परिव्यय से सकल राष्ट्रीय उत्पाद को 5 प्रतिशत बढ़ाना चाहता हूं तो मैं सफल नहीं हो सकता इसीलिए मेरी नीति यह है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद को बढ़ाने के लिए वर्तमान क्षमता का पूरा उपयोग किया जाये जोकि अगले वर्ष की योजना में 2000 करोड़ रुपये या उससे कुछ अधिक धन के अतिरिक्त निवेश द्वारा और बढ़ाई जा सकती है, इस प्रकार हम 5 प्रतिशत की वृद्धि कर पाएँगे, अगले वर्ष आप मुझसे इसका हिसाब-किताब पूछ सकते हैं "आपने कहा था कि 5 प्रतिशत वृद्धि होगी, इस लक्ष्य को आपने कैसे प्राप्त किया" क्योंकि मुझे इसका पूरा विश्वास है कि मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा और आपको यह पूछने का मौका नहीं मिलेगा इसे क्यों नहीं प्राप्त किया गया।

अगला मुद्दा जो उठाया गया है, वह ब्याज कर के बारे में है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि यह ब्याज कर निवेश करने को निरूत्साहित करेगा। इस प्रश्न का जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है सीधा सा उत्तर यही है कि मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो यदि कर्जदार केवल 10 प्रतिशत ब्याज अदा करता है तो मेरे विचार से वह नकारात्मक ब्याज ही अदा कर रहा है, वास्तव में वह कोई ब्याज अदा ही नहीं कर रहा है।

जब तक अर्थ व्यवस्था में व्याप्त मुद्रा-स्फीति को नियंत्रण में नहीं लाते तब तक बढ़ते मूल्यों को नहीं रोका जा सकता। मूल्यों को दो प्रकार से ही नियंत्रण में लाया जा सकता है। एक है सामान की पूर्ति और सेवाओं में वृद्धि करना, दूसरा है अर्थ व्यवस्था में व्याप्त मुद्रा-स्फीति पर नियंत्रण पाना, अर्थ व्यवस्था में व्याप्त मुद्रा स्फीति को कम करने के लिए उद्योग में अनावश्यक वस्तुओं पर किये जाने वाले निवेश की प्रक्रिया को कठिन बनाया जाये। यदि ब्याज में एक प्रतिशत की भी वृद्धि कर दी जाती है, तो उद्योगपति अपनी वस्तु-सूची को बढ़ाने से पहले भली-भांति सोचेंगे, वे उत्पादन में कमी तो नहीं करेंगे, किंतु अपनी वस्तु-सूची में और खर्च में कटौती करेंगे। बड़ी-बड़ी कंपनियों/फर्मों आदि द्वारा यदि मितव्ययता करवानी हो, तो वह इसी विधि से करवाई जा सकती है।

विश्व के अन्य देशों का सामान्यत: ही विचार है कि भारत में ब्याज की दर बहुत कम है, वस्तुत: एक दिन स्वय श्रीउन्नीकृष्णन ने कहा था कि अन्य देशों में ब्याज की दरें इतनी ऊंची हैं कि विदेश में रह रहे भारतीय नागरिक अपना धन यहां नहीं लाते हैं। यह बिल्कुल सच है। यूरोप और अमेरिका की आरम्भिक दरें 18 से 20 प्रतिशत तक पहुँच गयी हैं। यह सही है कि ब्याज की दर को बढ़ाने के मामले में हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। किन्तु हम यह जानते हैं कि जब भी मुद्रा स्फीति होगी, तो उस पर नियत्रण का यह भी उपाय है कि ब्याज की दर में वृद्धि की जाए। यदि मैंने ब्याज कर नहीं लगाया होता तो भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में धन पूर्ति का नियत्रक होने के नाते ब्याज की दरें बढ़ा दी होती ताकि मुद्रा स्फीति को रोका जा सके अत: ऐसा कुछ भी नहीं किया गया जो निवेश पर बुरा प्रभाव डालेगा, वरन इससे अनावश्यक वस्तुओं के उत्पादन में बहुमूल्य आर्थिक संसाधन जुटाये जायें और अनावश्यक व्यय को रोका जा सकेगा।

कुछ सदस्यों ने करों की चोरी का उल्लेख किया, जो मुर्गीपालन उद्योग को दी गयी छूट का सहारा लेकर की जाती है। वास्तव में, जब मैंने पहले पहल इस धारा में संशोधन किया, तो मुझे यह पता चला कि कुछ ऐसे लोगों ने, जिनके पास कालाधन है, यह गलत दावा किया कि यह धन अन्डों की और अधिक बिक्री से आया है और इस धन को मुर्गीपालन से हुई आय में शामिल किया गया है। इसलिए मैं इस धारा में संशोधन कर रहा हूँ जिसके अन्तर्गत प्रारम्भ में यह व्यवस्था की जा रही है कि मुर्गीपालन और पशु पालन के मामले में कर छूट 10,000 रुपये अथवा कुल आय के एक तिहाई, जो भी कम होगी, पर लागू होगी। अतः यदि किसी व्यक्ति ने एक लाख रुपये आय "दिखाई है" और वास्तव में नहीं है—मुर्गीपालन कार्य में लगे किसी भी व्यक्ति की आय एक लाख रुपये नहीं हो सकती···।

श्री एम. सत्यनारायण राव (करीमनगर) : पंजाब के पशुपालन कार्यों में लोग लाखों रुपये कमाते हैं।

श्री आर. वेंकटरामन : आंध्र प्रदेश में भी ऐसे लोग हैं (**व्यवधान**) इसके पहले किसी व्यक्ति द्वारा मुर्गीपालन द्वारा अपनी आय एक लाख रुपये दिखाये जाने पर, उसे 33000 रुपये की आयकर की छूट मिल जाया करती थी—और वह 66 प्रतिशत की सीमान्त दर—उस समय 72 प्रतिशत—पर बहुत बड़ी धनराशि बचा लेता था। कर की चोरी करने वाले व्यक्ति के लिए इस स्रोत से अपनी आय दिखाना काफी सरल था, हालांकि वास्तव में ऐसी कोई आय नहीं होती थी ऐसे कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए गलत लोगों द्वारा लाभ उठाये जाने को रोकने के लिए जो प्रारंभिक व्यवस्था की गयी है, उससे छोटे मुर्गीपालन एककों पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए हमें परिवर्तन करना पड़ा और हमने यह व्यवस्था की कि मुर्गीपालन में लगे लोगों को आयकर के मामलों में अधिक से अधिक .5000 रुपये की छूट दी जायेगी। किसी ने मुझसे यह स्पष्ट करने के लिए कहा है कि यह संशोधक क्यों लाया गया है। यह संशोधन छोटे मुर्गीपालन एककों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाया गया है। इसका आशय यह है कि मुर्गीपालन से हुई 15000 रुपये तक की आय पर आयकर में पूर्ण छूट मिलेगी, लेकिन यदि आय 15000 रुपये से अधिक है, तो अन्य लोगों की तरह उन्हें भी आयकर देना होगा।

श्री सतीश अग्रवाल ने अनन्तिम वसूली अधिनियम का प्रश्न उठाया और यह कहा कि इस अधिनियम के कारण बजट के प्रस्तुत किये जाने के बाद केवल 75 दिन का समय मिलता है, जो विभिन्न अनुदानों की मांगों पर सभा द्वारा विचार किये जाने के लिए काफी नहीं है। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूँ कि कर की अनन्तिम वसूली अधिनियम विचार विमर्श की दृष्टि से कोई बाधा नहीं है, क्योंकि बजट 18 जून को पेश किया गया था और 75 दिन अगस्त के अन्त में पूरे होंगे। वास्तव में लेखानुदान के कारण पूरी तरह चर्चा नहीं हो पाती जो हम केवल दो महीने के लिये लेते हैं और इसी अवधि में विनियोग विधेयक इस सभा में और राज्य सभा में पारित कराना होता है। इसलिए हमें अनुदानों की मांगों पर चर्चा के लिए कुछ निश्चित अवधि तय करनी होती है जिसके अन्त में अनुदानों की मांगें का गिलोटन कर दिया जाता है। पार्टियों के नेता इस पर कार्य मंत्रणा समिति में विचार कर सकते हैं और इस मामले पर सहमत हो सकते हैं। इस समय को हम 15 या 20 दिन के लिए बढ़ा सकते हैं ताकि सभा में और अधिक चर्चा हो सके मैंने हमेशा ही यह सब महसूस किया है कि केवल यही एक ऐसा अवसर होता है। जब

देशवासी यह जान सकते हैं कि विभागों में क्या हो रहा है। यदि बहुत सी माँगों का गिलोटिन कर दिया जाये, तो इससे विभिन्न विभागों में हो रहे कार्य के बारे में जानकारी से लोग वंचित हो जाते हैं।

महोदय, श्री भाटिया ने सिन्धु नदी जल सन्धि का उल्लेख किया और यह कहा कि ऐसा बहुत सा पानी जिसका भारत में इस्तेमाल किया जाना चाहिए पाकिस्तान को चला जाता है। माननीय सदस्य यह जानते हैं कि भारत-पाकिस्तान सिन्धु नदी सन्धि करार के अन्तर्गत विश्व बैंक ने पाकिस्तान को भारत सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपये दिये हैं। हम तीन नदियों—रावी, सतलुज और एक अन्य नदी के जल के हकदार हैं। इन नदियों के जल का हम इसलिए इस्तेमाल नहीं कर पाये हैं क्योंकि चियान बांध, जो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, का निर्माण नहीं हो सका है। यह बहुत बड़ी योजना है, इस पर 450 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इस समस्या का कोई तत्काल समाधान मेरे पास नहीं है। मैं राजस्थान, पंजाब तथा अन्य राज्यों, जिन्हें इस जल से लाभ मिलेगा, की सरकारों से बातचीत करना चाहता हूं ताकि इस बारे में कोई सहमति हो सके और थियान बांध का निर्माण प्राथकिता के आधार पर किया जा सके।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृततसर) : इस बांध पर काम शुरू कर दिया जाये, करार बाद में किया जा सकता है।

श्री आर. वेंकटरामन : समस्या यहीं से पैदा होती है समस्या यह है कि हम आपस में समझौता नहीं कर सके हैं जिसके कारण हमारा बहुमूल्य पानी बहकर पाकिस्तानको चला जाता है। इस पानी के उपयोग के बारे में राज्य सरकारों को बातचीत करनी चाहिए और यदि कोई समझौता हो जाये, तो समस्या का हल आसान हो जायेगा। फिर भी राज्य सरकारों के लिए यह कार्य आसान नहीं होगा क्योंकि उनके पास इन परियोजनाओं के लिए भारी ससाधन नहीं है। इतनी भारी परियोजना के लिए वित्त सम्बन्धी समस्या का कोई हल भारत सरकार खोज सकती है। मैं केवल यही कह सकता हूं।

इसी तरह सुखाड़िया जी ने राजस्थान नहर का मामला उठाया। यह भी एक बड़ी परियोजना है। सुखाड़िया जी को स्मरण होगा कि उन दिनों हम दोनों राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेते थे। श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी तथा अन्य लोग भी वहां होते थे केन्द्र ने पहली योजना में इन बड़ी योजनाओं को लिया था दूसरी योजना में सम्बद्ध राज्य सरकारों ने सिंचाई योजनाओं को अपने हाथ में लिया था और राज्य इन बड़ी परियोजनओं में से एक भी परियोजना को समय पर पूरा नहीं कर पाये हैं। अतः इस मामले पर पुनर्विचार की गुंजाइश है। माननीय योजना मंत्री मेरे पास बैठे हैं। वह इस ओर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि यह बड़े दुःखकी बात है कि हमारे देश में एक ओर तो पानी की इतनी कमी है, दूसरी ओर हमारा पानी बेकार जा रहा है। राजस्थान नहर और सिन्धु जल दोनों के लिए हमें कोई हल खोजना चाहिए। नर्मदा का जल भी बेकार जा रहा है मैं आशा करता हूँ कि राज्यों के बीच बातचीत होगी और वे आपस में कोई समझौता कर सकेंगे।

पिछड़े क्षेत्र तथा क्षेत्रीय असन्तुलन ऐसा विषय है जिसमें सभी पक्षों ने समान रूप से दिलचस्पी दिखाई है। इस मामले को सुखाड़िया जी ने उठाया और दूसरे पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने इसकी जोरदार पैरवी की। इस पिछड़े पन के ऐतिहासिक कारण हैं। इस देश में जब

अंग्रेजों का शासन था, उस समय तीन राज्यों—बम्बई, कलकत्ता और कुछ सीमा तक मद्रास ने प्रगति की, बाकी राज्यों, विशेषकर रजवाड़ों में पिछड़ापन बना रहा। इसके परिणामस्वरूप उद्योग उन क्षेत्रों में लगाये जाते हैं जहाँ सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। अन्य राज्यों के मुकाबले बम्बई और कलकत्ता की विकास दर ऊंची है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई-उत्तर-पूर्व) : लेकिन बम्बई के लोगों को उसका लाभ नहीं मिलता।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : क्योंकि उन्होंने सुब्रह्मण्यम स्वामी को चुना है।

श्री आर. वेंकटरामन : मैं यह कहना चाहता हूं कि इस असंतुलन को समाप्त करने के लिए हमने बहुत से प्रोत्साहन दिये हैं। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए हम 15% पूंजी देते हैं। कुछ अन्य रियायतें भी दी जाती हैं। ब्याज की दर भी भिन्न हैं, लेकिन इन सब रियायतों के बावजूद क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त करने की दिशा में बहुत प्रगति नहीं हो सकी है। यह एक ऐसा मामला है, जिसको लेकर आपस में हमारा सहयोग होना चाहिए ताकि इस असंतुलन को समाप्त करने का प्रयास किया जा सके, क्योंकि जब तक पूरे देश का विकास नहीं होता, तब तक देश मजबूत नहीं बन सकता। हम नहीं चाहते कि देश में गरीबी हो। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की यह पुरानी कहावत है कि एक स्थान की गरीबी सभी स्थानों की समृद्धि के लिए खतरा है। अत: हमें देश में विद्यमान गरीबी को दूर करना चाहिए। असंतुलन को समाप्त करने के लिए योजना आयोग भरसक प्रयास कर रहा है। (व्यवधान)

काले धन के बारे में बहुत से सवाल किये गये। यह बहुत बड़ी समस्या है। वास्तव में यदि कोई अर्थशास्त्री काले धन की समस्या का हल ढूंढ सके तो उसे इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। (व्यवधान) आपको अधीर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं प्रत्येक सुझाव पर विचार व्यक्त करूंगा। एक सुझाव श्री रघुनन्दन लाल भाटिया का है। उन्होंने कहा है कि कुछ विशेष प्रीमियम पर लोगों को अपने काले धन को बदलने की अनुमति दी जाये। उन्होंने कहा कि ऐसे बॉंड जारी कर दिये जाएं जिनका खरीद मूल्य 150 रुपये हो और अंकित मूल्य 100 रु. या इतना ही कुछ हो। इसके द्वारा काले धन को बदलने की अनुमति दे दी जाये। एक पक्ष का यह कहना है कि पूरी मुद्रा का विमुद्रीकरण कर दिया जाये। इन दोनों बातों के बहुत गम्भीर परिणाम होंगे। मुद्रा में लोगों के विश्वास को तोड़ने से जो गड़बड़ी और अव्यवस्था होगी, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती और इस विश्वास को फिर से पैदा करना बहुत मुश्किल होगा। अत: कोई भी कड़ा कदम उठाने से पहले समाज पर पड़ने वाले उसके परिणामों पर विचार करना चाहिए। लेकिन साथ ही मैं यह नहीं कहता मैंने इन सुझावों को ठुकरा दिया है। कुछ संशोधित रूपों में इन सुझावों पर विचार किया जा सकता है।

इसी प्रकार, मैं कहना चाहूंगा कि जहाँ तक बॉंड जारी करने का प्रश्न है इसके बहुत बुरे परिणाम सामने आएंगे क्योंकि इससे जनता में यह धारणा पैदा होगी कि आप काला धन इकट्ठा करते रहिए और फिर किसी दिन उसे वैध धन में बदल लीजिए। इस प्रकार इस पर भी कुछ संशोधनों के साथ विचार किया जा सकता है। इस समय तो मैं सभा को यही बता रहा हूं कि मैं इस मामले से अवगत हूं और इन परिस्थितियों में यथासंभव जो हो सकेगा करूंगा। इस

मामले में क्या किया जा सकता है इसमें न तो सभा को न ही किसी अन्य को बताया जा सकता है। परन्तु काले धन के अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे प्रभावों से मैं पूर्णतया वाकिफ हूं। बहुत लोग सोचते हैं कि काला धन सोने, चांदी अथवा करेंसी नोटों आदि के रूप में रखा जाता है। केवल तुलनात्मक रूप से कम जानकार लोग ही ऐसा करते हैं। अधिक जानकार और काला धन रखने वालों का एक अच्छा वर्ग काले धन को इस प्रकार से रखते हैं कि उसका आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता। वह इसे रद्दी माल, वस्तुओं और स्थाई चीजों के रूप में सारे देश में फैले हुए गोदामों में रखते हैं ताकि आसानी से उसका पता न लगाया जा सके। वह काला धन उन वस्तुओं में लगाते हैं जो बिक्री योग्य हैं। वह काले धन से कम मिलने वाली वस्तुएं खरीद लेते हैं। मान लीजिए गुड़ या तेल की कमी है, काला धन उसे हथिया लेता है। इस प्रकार अन्य वस्तुओं के मामले में भी इसी प्रकार की कठिनाईयां आती हैं। इस स्थिति को सम्भालने का एक ही तरीका है कि सख्त कदम उठाए जाएं। यदि सभा मुझे सहयोग दे तो निवारक नजरबन्दी उपाय इस उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : कीजिये।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : आप निवारक नजरबन्दी उपायों का उपयोग करें और हमें बतायें।

श्री आर. वेंकटरामन : कुछ सदस्यों ने बीड़ी उद्योग का प्रश्न उठाया है। बिड़ी उद्योग में एक बहुत कठिन स्थिति पैदा हो गई है। जो चीज प्रत्यक्षतः कमजोर वर्ग के लिए रियायत के तौर पर थी वह संगठित क्षेत्र और श्रमिकों के लिए बहुत कठिन साबित हो रही है। यह मामला बिना ब्राड वाली बीडी को उत्पाद शुल्क से राहत दिलाने का है, क्योंकि बिना ब्रांड वाली बीड़ी पर उत्पाद-शुल्क नहीं लगता है, बहुत से बड़े उपक्रमों के लोग अपनी फर्मों का विभाजन करके इस विभाजन के भी आगे और विभाजन करके बिना ब्रांड वाली बीड़ी की श्रेणी में लाकर, इस छूट का लाभ उठाते हैं। मुझे इस स्थिति का पता मंत्री बनने के कुछ महीने बाद ही चल गया था। और यदि मैंने बिना ब्रांड वाली बीड़ी पर कोई कर नहीं लगाया तो केवल इस कारण कि आपकी आलोचना से बच सकूं क्योंकि आप यह कहते कि श्री चरणसिंह ने तो बिना ब्रांड वाली बीड़ी पर कोई कर नहीं लगाया और आप इस प्रकार की बीड़ी पर कर लगा रहे हैं। मुझे विभिन्न राज्यों, जैसे मध्य प्रदेश, केरल आदि से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जहां बीड़ी उद्योग सहकारिताये चलाती हैं और यहां श्रमिक संघ्या भी बने हुए हैं। इस प्रकार इस छूट का अधिक दुरुपयोग किया जा रहा है। यह छूट गरीब वर्ग के लाभ के स्थान पर उनको क्षति पहुँचा रही है। जैसा कि मैंने कहा कि इस दशा को सुधारने के लिए मुझे अच्छे समय का इन्तजार करना होगा।

श्री भागवत झा आजाद : आज ही कर दो।

श्री आर. वेंकटरामन : यह नहीं हो सकता क्योंकि अब मैं कर घटा सकता हूं कर बढ़ा नहीं सकता।

अब मैं एक दो और मुद्दों के बारे में बताना चाहूँगा। मुझे आशा थी कि मेरे मित्र श्री ज्योतिर्मय बसु आए होंगे। क्योंकि उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने मुझसे वादविवाद के उत्तर के सम्बन्ध में कुछ मुद्दे स्पष्ट करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि

पिट्स वायुयान पर शुल्क की दर कम लगी है और इसका स्पष्टीकरण उन्होंने मांगा था। यह ऐसा मामला है जहां आयातिक विमान पर सीमा शुल्क सांविधिक रूप से 40 प्रतिशत लगता है। तब यहां एक अतिरिक्त···

(इस मौके पर श्री ज्योतिर्मय बसु सभा में आए)

श्री भागवत झा आजाद : शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर।

श्री आर. वेंकटरामन : देवदूत का नाम लो और वह आ गए।

श्री भागवत झा आजाद : मेरे कथन पर मंत्री महोदय द्वारा किए गए इस संशोधन पर मुझे आपत्ति है।

श्री आर. वेंकटरामन : श्री ज्योतिर्मय बसु कृपया ध्यान दें कि विमान और उसके पुर्जों पर आयात शुल्क अर्थात संविधिक शुल्क 40 प्रतिशत है। एक सहायक शुल्क है और एक प्रति संतुलनकारी शुल्क भी है। परन्तु हर सांविधिक शुल्क की प्रभावी दर होती है और प्रभावी दरें सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती हैं और जैसा कि श्री सतीश अग्रवाल अपने अनुभव से जानते हैं कि प्रभावी दर विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर निर्धारित की जाती हैं। विमान पर प्रभावी दर अधिसूचना सख्या-145-विमान आदि पर तीन प्रतिशत है।

श्री सतीश अग्रावाल (जयपुर) : कृपया तारीख बताएं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : कृपया एक प्रति भेजें।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन (वडागरा) : इस अधिसूचना की तिथि क्या है ?

श्री आर. वेंकटरामन : मैं आपको बता दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे मालूम है कि आप इसे बताने में नहीं हिचकिचाएंगे।

श्री आर. वेंकटरामन : यह जनता सरकार की 9 जुलाई, 1977 की अधिसूचना है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं उसे देखना चाहूंगा। कृपया मुझे उसकी एक प्रति दे दें। इस काम को चार वर्ष तक मैंने ही किया है।

श्री आर. वेंकटरामन : इस अधिसूचना के आधार पर इसका मूल्यांकन किया गया और इकसठ हजार रुपये तक का कर वसूल किया गया। इसलिए यह कहना कि हमने इसमें कुछ गलत किया है बिल्कुल निराधार है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने कभी भी शुल्क के बारे में नहीं कहा, मैंने तो देश में विमान लाने की वैधता के बारे में पूछा था। (व्यवधान) मैं तृतीय पाठन के समय जवाब दूंगा।

श्री आर. वेंकटरामन : उनके द्वारा भेजे गए पत्र की एक प्रति मेरे पास है। मैं उस पत्र का एक अंश पढ़ूंगा :

"मैंने आपके सीमा-शुल्क समाहर्ता से कल बातचीत की थी, मुझे बताया गया कि विमान पर कुल आयात-शुल्क 53 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि सरकार के एक परिपत्र द्वारा इस पर शुल्क की दर कम कर दी गई है। मैं उसकी एक प्रति देखना चाहूंगा। इस बीच, आप कृपया उसकी जांच करके मुझे यह बताएं कि यह शुल्क कैसे निर्धारित किया गया जबकि घोषित लागत बीमा भाड़ा 4·5 लाख रुपये हैं।

अब उन्होंने जो मुद्दा उठाया है और जो पत्र लिखा है, उससे यह स्पष्ट होता है कि

हमने अधिसूचना में परिवर्तन किया है और हमने तीन प्रतिशत वसूल किया है। परन्तु जैसा कि मैंने कहा कि यह अधिसूचना दिनांक 9 जुलाई, 1977 को जारी की गई थी।

श्री सतीश अग्रवाल के फायदे के लिए मैं यह भी याद करना चाहूंगा···

श्री ज्योतिर्मय बसु . भारत में वह विमान किस तारीख को आया है।

श्री आर. वेंकटरामन : यह प्रश्न काल नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मान जाएंगे तो उन्हें जवाब मिल सकता है। वह तो मान नहीं रहे हैं।

श्री आर. वेंकटरामन : क्या मैं इसे समाप्त करूं। श्री ज्योतिर्मय बसु का यहां कुछ ढूंढ़ पाने का प्रयत्न करना, उस प्रयत्न के समान है जैसे कोई दृष्टिहीन व्यक्ति अन्धेरे कमरे में उस काली बिल्ली को ढूंढना चाहे जो वहां है ही नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : देखिए, अन्त में क्या होता है। श्री सुब्रह्मण्यम अब तक मारुति का पक्ष लेते रहे और अब वह चले गए, तो उनका स्थान आपने ले लिया। (व्यवधान)

श्री आर. वेंकटरामन् : इससे सम्बद्ध एक प्रश्न यह भी है कि क्या सरकार के पास सांविधक दर के स्थान पर प्रभावी दर अधिसूचित करने का अधिकार होना चाहिए। इस संबंध में लोक लेखा समिति ने भी इस मामले पर विचार किया है और यह सुझाव भी दिया है कि प्रभावी दर की अधिसूचना सरकार द्वारा नहीं दी जानी चाहिए। इसकी जांच पहले कांग्रेस सरकार द्वारा और बाद में जनता सरकारा द्वारा कर ली गई है और दोनों ही सरकारें इस निर्णय पर पहुंची हैं कि ऐसी परिस्थितियों जैसे व्यापार, उद्योग, निर्यात आदि जैसी चीजों की रक्षा के लिए यदि सरकार को दरों में परिवर्तन करना पड़े तो उसके पास ऐसे अधिकार होने चाहिए और यदि वह ऐसे अधिकारों का दुरुपयोग करती है तो उसकी निन्दा की जानी चाहिए, लेकिन सरकार के पास ऐसे अधिकार होने ही चाहिए।

मैं सभा के प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत धैर्य से मेरी बात सुनी, और मुझे उम्मीद है कि वह इसे स्वीकार भी करेंगे।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आप हमें विमान को लाए जाने की तारीख बताएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : तृतीय पाठन होना है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : मैंने छः वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा प्रधान मन्त्री द्वारा पंजाब और सिंध बैंक के बारे में की गई टिप्पणी का भी जिक्र किया था।

श्री आर. वेंकटरामन : मैंने प्रधान मन्त्री से विचार विमर्श किया है और उन्होंने मुझे बताया है कि यह सही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सतीश अग्रवाल। श्री ज्योतिर्मय बसु, जब वित्त मंत्री, वित्त विधेयक पर हुये वाद-विवाद का जवाब दे रहे थे। उस समय आप सभा में उपस्थित नहीं थे। केवल वह सब, जो यहां उपस्थित थे, उन्हें ही मैं बुला सकता हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी समय आएं और प्रश्न पूछना शुरू कर दें।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं माननीय वित्त मन्त्री से एक स्पष्टीकरण जानना चाहूँगा। क्या यह सच नहीं है कि कानून के अनुसार किसी भी आयातित वस्तु पर सीमा शुल्क उस वस्तु के देश में आयात होने की तारीख से ही लिया जाता है ? यह एटार्नी जनरल की सुविचारित राय है। क्योंकि इस विमान का आयात, देश में जुलाई, 1977 से पहले किया गया था, तो शुल्क उस हिसाब से लिया जाना चाहिए था, जो दरें, देश में उसके आयात किए जाने की तारीख को प्रचलित थीं। यह कानूनी स्थिति है और एटार्नी जनरल की सुविचारित राय है। अगर आप इस समय इसका जवाब दे सकते हैं, तो अभी दे दीजिए, अन्यथा बाद में, दे दीजियेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, एक घंटे से ज्यादा समय से बहस का जवाब दे रहे हैं। अगर माननीय सदस्यों को मन्त्री जी से कोई स्पष्टीकरण चाहिए, तो वह उन्हें लिखकर दे सकते हैं। प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले···

श्री आर. वेंकटरामन : मैं यह भी कहना चाहता हूं वायुयान पर प्रभावी दर पिछले काफी वर्षों 1949 से 3% रही है।

अधिसूचना (संशोधित) 9.7.1977 को जारी की गयीं।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम पता लगाएंगे।

गृह मंत्री (श्री ज़ैल सिंह):

असम के बारे में वक्तव्य

महोदय, सदन को मालूम ही है कि सरकार असम में विदेशियों की समस्या का संतोषजनक समाधान करने के लिए अत्यधिक उत्सुक रही है। सरकार ने बार-बार यह बात स्पष्ट की है कि वह बातचीत के लिए सदा इच्छुक है।

2. मणिपुर के मुख्य मंत्री श्री आर. के. दोरेन्द्र सिंह ने आल असम स्टूडेंट्स यूनियन और आल असम जन संग्राम परिषद से बातचीत करने की पहल की है ताकि सभी प्रकार के आंदोलन वापस ले लिए जाएं और सरकार से फिर बातचीत की जाए। बातचीत के बाद श्री आर. के. दोरेन्द्रसिंह को यह आश्वासन दिया गया है कि आल असम स्टूडेंट यूनियन तथा आल असम जन संग्राम परिषद कच्चे तेल की नाकाबन्दी को छोड़कर सभी प्रकार के आंदोलन वापस ले लेंगे, यदि यह घोषणा की जाए कि :

(क) उन नजरबन्द व्यक्तियों की रिहायी जो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन में सम्मिलित हैं; और

(ख) असम विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम और सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनाएं वापस लेना।

3. तदनुसार सरकार ने उन सभी नजरबन्द व्यक्तियों को रिहा करने जो हिंसा में ग्रस्त नहीं हैं तथा 2 अगस्त, 1980 को संबन्धित अधिसूचनाएं वापस लेने का फैसला इस आश्वासन पर किया है कि आ. अ. स्टू. यू. और आ. अ. ज. सं. प. उसी तारीख से उपरोक्त आंदोलन वापस ले लेंगी।

4. सदभाव और परस्पर मैत्री का वातावरण बनाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कार्रवाई करने का फैसला किया है :

(क) साम्प्रदायिक हिंसा के कार्यों पर किये गये सामूहिक जुर्मानों की वसूली को समाप्त करना, बशर्ते कि प्रभावित समुदायों के प्रतिनिधियों द्वारा हिंसा त्यागने और सद्भाव तथा शांतिपूर्वक रहने का आश्वासन दिया जाए।

(ख) उन व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किये गये मुकदमों की समीक्षा करना, जो हिंसा के कार्यों में अन्तर्ग्रस्त नहीं हैं।

5. सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात पूर्णतः सरकार और उसके कर्मचारियों का मामला है। राज्य सरकार गुणादोष के आधार पर अनुशासनात्मक मामलों की समीक्षा करेगी। इस संबंध में प्रधान मंत्री ने आदेश दिया है कि नीति सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए।

6. सरकार इस सम्बन्ध में मणिपुर तथा अन्य के मुख्य मंत्री के प्रयत्नों की सराहना करती है और उसको विश्वास है कि असम में अब सद्भाव तथा सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी। सरकार सभी वर्गों से सहयोग की आशा करती है ताकि जल्दी ही कोई संतोषजनक हल निकाला जा सके।

वित्त (संख्या २) विधेयक— जारी

अध्यक्ष महोदय : अब मैं वित्त (संख्या 2) विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव सदन में मतदान कराने के लिये रखूंगा। प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब इस विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भकरेंगे। धारा 2 और 3 में कोई संशोधन नहीं है। इसलिये मैं उन्हें सदन में मतदान के लिये रखूंगा। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खन्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 4

अध्यक्ष महोदय : श्री सतीश अग्रवाल ने खण्ड 4 के लिये संशोधन दिये हैं। क्या आप इस का प्रस्ताव करना चाहते हैं ?

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

2. पृष्ठ 7, पंक्ति 2 और 3,— "और सदैव से अंतः स्थापित समझा जायेगा" का लोप कर दिया जाये।

वित्त मंत्री खण्ड 4 में, खण्ड 23 (क) (क) इस विचार से अंतः स्थापित करना चाहते हैं कि आयकर अधिनियम की धारा 10 में खण्ड 23 (क) के बाद निम्नलिखित खण्ड "और— सदैव से अतः स्थापित समझा जायेगा" अतः स्थापित किया जायेगा मेरा संशोधन है कि "और सदैव से अंतः स्थापित समझा जायेगा" शब्दों को हटा दिया जाय। इसका सीधा सादा

कारण यह है कि मैं उन संशोधनों के मूल रूप से विरुद्ध हूँ जिनका भूतलक्षी प्रभाव हो, और वह भी 1962 से इन खण्डों के बारे में जो स्पष्टी करण किये जा रहे हैं उनमें बताया गया है कि यह संशोधन एक अप्रैल, 1962 से' अर्थात् 18 वर्ष पूर्व लागू होगा। इसकी क्या जरूरत है। मैं उन व्यानीयों को इसमें शामिल किये जाने के विरुद्ध नहीं हूं जो सशस्त्र सेनाओं के संघ द्वारा सशस्त्र सेनाओं के भूतपूर्व और वर्तमान सदस्यों और उनके अश्रितों के कल्याण के लिये स्थापित किये गये रेजीमैंट निधि या असार्वजनिक निधी से कुछ लाभ या आय प्राप्त करते हैं। बुनियादी तौर पर मैं इन ट्रस्टों और निधियों को छूट दिये जाने के विरुद्ध नहीं हूँ। लेकिन सवाल तो यह है कि इस 1962 से देने की क्या जरूरत है ? क्या इसका या इन व्यक्तियों का 1962 से ही कर निर्धारण नहीं हुआ है ? यदि ऐसी स्थिति है तो बात ही अलग है। तब इसे आगे से लागू करना होगा यदि उनका 1962 के बाद कर-निर्धारण किया गया है तो क्या सरकार उन निकायों को कर की राशि वापस करेगी या नहीं ? क्या वित्त मत्री इस स्थिति का स्पष्टी करण करेंगे ? क्या वाकई इस निधि का 1962 से कर-निर्धारण नहीं हुआ है, यदि नहीं, तब तो पिछली तारीख से इसे लागू करने की जरूरत नहीं है ? यदि कर-निर्धारण हुआ है तो क्या सरकार इसे वापस करेगी, यदि हाँ तो कितनी राशि ? इसी वजह से मैं "और सदैव से ही अंतः स्थापित समझा जायेगा।" शब्दों का लोप चाहता हूं।

श्री आर. वेंकट रामन : मुझे यह सूचना देते हुए हर्ष हो रहा है कि उस पर न तो कोई कर लगाया गया है और न ही सरकार उस पर कोई कर लगाना चाहती है। यह तो केवल यह सुनिश्चित करने के लिये किया गया है कि इस प्रकार की कोई आपत्ति न उठने पाये कि देय कर की वसूली नहीं की गई और इसीलिये इसे पिछली तारीख से लागू किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसे वापस लेंगे ?

श्री सतीश अग्रवाल : यदि कभी तक किसी प्रकार का कर–निर्धारण नहीं हुआ है, तो आप इसे भविष्य के लिये कर सकते हैं··· (व्यवधान) यह 18 वर्ष बाद से कैसे हो सकता है ? काफी समय निकल चुका है। 18 वर्ष बाद, कौन विश्वास करेगा। यदि उन पर कर लगना था और कर नहीं लगाया गया तब यह गल्ती विभाग की है। और तब इस संशोधन को बहुत पहले कर दिया जाना चाहिये था। मेरा मतलब है यह बड़ी अजीब बात है कि आयकर का निर्धारण ही नहीं हुआ। इसे पिछली तारिख से क्यों लागू किया गया, इसे भविष्य के लिये लागू करना चाहिये। मुझे इसमें कोई आपत्ती नहीं है।

श्री आर. वेंकटरामन : मैं इसे स्पष्ट करता हूं। उन पर कोई कर नहीं लगाया गया है और ऐसा कोई प्रस्ताव है भी नहीं। इसलिये, यदि अधिनियम में आप चाहते हैं कि यह कर लगाने योग्य है, तो कोई भी यह पूछ सकता है कि कर क्यों नहीं लगाया गया। इसलिये, हमने इसे पिछली तारीख से कहा है। न तो इस पर कर लगाया गया है और न ही यह कर लगाने योग्य है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सतीश अग्रवाल : कुछ भी हो जो तर्क किये गये है वे संतोषजनक नहीं हैं। अतः मैं अपने संशोधन पर जोर देता हूं। मैं सिद्धान्ततः असहमत नही हूँ। ··· (व्यवधान) लेकिन उन पर अभी तक कोई कर नहीं लगाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सतीश अग्रवाल द्वारा प्रस्तावित खण्ड 4 के लिये संशोधन संख्या 2 सदन में मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है—

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खन्ड 5

श्री सतीश अग्रवाल : मैं प्रस्ताव करता हूं।

3. पृष्ठ 7, पंक्ति 8,—

"1981" के स्थान पर "1980" प्रति स्थापित किया जाये इस खण्ड विशेष में, वित्त मंत्री पेंशनरों की भी मानक कटौतियों के संबध में कुछ सुविधाय देने जा रहे हैं।

मैंने एक संशोधन का प्रस्ताव किया है कि आयकर अधिनियम की धारा 16 के शुरू-शुरू के शब्द "1 अप्रैल 1981 से लागू" के स्थान पर मैं कहता हूं "कि यह "1980 से लागू" होना चाहिये। आप पेंशनरों को 1981 से लाभ देने जा रहे हैं। यदि आप लाभ पहुंचाना ही चाहते हैं तो हमें क्यों 1 अप्रैल 1980 से लागू किया जाय? आप कहेंगे कि यह कर-निर्धारण वर्ष 1981-82 के लिये वर्ष 1981 से लागू होगा। मैं कहता हूँ कि यह 1980-81 लागू किया जाये। इस विशेष वित्त विधेयक में सभी खण्डों में उपबन्ध या तो पुरानी तारीखों से अर्थात 1962, 1962 1972 से या फिर आगे आने वाली तारीख से जैसे 1981 और इसके बाद से लागू किये गये हैं। आप या तो इस की बात करते हैं या फिर भविष्य की लेकिन वर्तमान को भूल जाते हैं। मैं कहता हूँ कि यह फायदा पहुंचाने वाला उपबन्ध है और आपने मानक कटौतियों के लिये पेंशनरों को हिमायत प्रदान की है तो क्यों न इसे 1 अप्रैल 1980 से लागू किया जाय। इसे 1 अप्रैल 1981 के लिये क्यों स्थगित किया गया है? आप जरा सोचिये तो कि यदि फरवरी 1981 में कोई दूसरा वित्त मन्त्री बजट प्रस्तुत करें तब क्या स्थिति पैदा होगी। वह कहेगा "इसकी कोई जरूरत नहीं है"। उस समय यह विशेष उपबन्ध हटा दिया जायेगा और वे लोग इस लाभ से वंचित हो जायेंगे। इस बात की क्या गारंटी है कि यह उपबंध उस वक्त भी बना रहेगा। एक बार जो उपबंध कम से कम इसी वर्ष से कानून का अंग बना दिया जाता है- तो इसकी क्या गारंटी है कि वह अप्रैल 1981 से शुरू होने वाली कानून की किताब में भी रहेगा ही क्योंकि बजट फरवरी 1981 में प्रस्तुत किया जायेगा। मेरी शुभ कामना है कि वह ही रहें और वह रहेंगे भी। मैंने अपनी शुभकामनायें उन्हें दी हैं परन्तु स्वाभाविक आशंका तो है ही। जनता की भलाई के लिये आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं, उसका फायदा उन्हें अभी से इसी साल से मिलना चाहिये। उन्हें इसका लाभ उठाने दीजिये। इस हर्षोल्लास को एक वर्ष के लिये और क्यों स्थगित कर रहे हो। यही मेरा संशोधन है। यदि आप स्वीकार करते हैं तो ठीक है।

श्री आर. वेंकटरामन : मुझे आश्चर्य है कि बहुत ही अनुभवी भूतपूर्व मंत्री जो गत वर्ष यही कार्यभार सभाल रहे थे, ऐसा प्रश्न उठा रहे हैं। माननीन सदस्य जानते हैं कि वर्ष 1980-81

के कर पहले ही वसूल कर लिए गये हैं। इसलिये इस वर्ष के लिये, केवल पैंशनरों से ही नहीं बल्कि और भी सभी से बिना इस रियायत के कर पहले ही वसूल कर लिया जायेगा। यदि वे कहते हैं कि इसे अभी से लागू करो तो मुझे चालू वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि वापस करनी पड़ेगी और मैं इस राशि को वापस नहीं करना चाहता।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : यह सच है. मुझे कोई आपत्ती नहीं है। जैसी कि उन्होंने घोषणा की है और सदन ने भी इसकी सराहना की है कि वे पेंशन पाने वालों को मानक कटौतियाँ दे रहे हैं। इस वर्ष उन्हें इसका लाभ होगा। मैं राजस्व विभाग में रहा हूं, यदि उन्हें कोई कठिन ई पेश आती है तो मैं यह नहीं चाहता कि सरकार रुपया लौटाये। मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर जोर नहीं देता।

अध्यक्ष महोदय : क्या सदन इस बात से सहमत है कि श्री सतीश अग्रवाल द्वारा रखा गया संशोधन प्रस्ताव वापस ले लिया जाए ?

अनेक माननीय सदस्य : हां।

सदन की अनुमति से संशोधन वापस ले लिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड 5 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6

अध्यक्ष महोदय : श्री मूलचन्द डागा। वह सदन में उपस्थित नहीं हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं :

5. पृष्ठ 7, पंक्ति 21, '1985' के स्थान पर '1983' प्रतिस्थापित किया जाए।

6. पृष्ठ 7, पंक्ति 24, आधे' के स्थान पर 'चौथाई' प्रतिस्थापित किया जाये।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं प्रस्ताव पेश करती हूँ।

पृष्ठ 7, पंक्ति 2', 'आधे' के स्थान पर 'तिहाई' प्रतिस्थापित किया जाए।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7, पंक्ति 31 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।

'संयंत्र स्थापित किया जाता है अथवा यदि मशीनरी या संयंत्र ठीक बाद के पूर्व वर्ष में पहली बार उपयोग में लाया जाता है तो उस पूर्व वर्ष की बाबत'।

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, मेरे संशोधन संख्या 5 और 6 बहुत ही साधारण से हैं। सरकार 1985 तक अतिरिक्त मूल्यह्रास छूट देना चाहती है और कम की गई राशि फिलहाल मूल्यह्रास धारा के अन्तर्गत उपलब्ध राशि का 50 प्रतिशत है। पहला संशोधन तो ये है कि वर्ष 1985 की बजाय इसे 1983 किया जाना चाहिए। मैं महसूस करता हूँ कि 1985 तक का समय बहुत अधिक हो जाएगा। परीक्षण आधार पर ही इसे 1983 तक करके देखिये। दूसरे, सरकार मूल्यह्रास छूट को 50 प्रतिशत कर रही है, इसे मैं 25 प्रतिशत कम कराना चाहता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मेरा संशोधन बहुत ही साधारण सा है। मैं चाहती हूँ कि नई

मशीन के लिये मूल्यह्रास छूट कम होनी चाहिए। मैंने कहा है कि आधे की बजाय इसे एक-तिहाई कर दिया जाना चाहिये। यह बहुत ही आसान है। मैं नहीं चाहती कि इतनी रियायत दी जाए।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, श्री अग्रवाल के पहले संशोधन में अवधि कम करने के लिए कहा गया है। आगामी योजना अवधि अर्थात 1980-85 के लिए यह अतिरिक्त मूल्यह्रास छूट देने का उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना है। ऐसे निवेश को बढ़ावा देने के लिए तीन वर्ष का समय बहुत ही कम है। इसलिये, सरकार का विचार है कि समय पाँच वर्ष ही होना चाहिये।

उनका दूसरा संशोधन तथा श्रीमती गीता मुखर्जी का संशोधन है कि अतिरिक्त मूल्यह्रास छूट को 25 प्रतिशत कम कर दिया जाये ये प्रतिशत कुछ भ्रामक प्रतीत होते हैं। अतिरिक्त मूल्यह्रास छूट से मूल्यह्रास छूट को 50 प्रतिशत है। आम तौर पर, एक शिफ्ट के कार्य के लिये मशीन की कीमत के 10 प्रतिशत मूल्य का मूल्यह्रास किया जाता है। इसका मतलब है कि यह 15 प्रतिशत हो जाएगा। यह हरेक साल के लिए नहीं है बल्कि मशीन लगाने के पहले साल के लिए ही है। इसलिए यह एक बहुत उदार रियायत नहीं है, यद्यपि यह निश्चित रूप से एक प्रोत्साहन है। इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य अपनी आपत्तियाँ वापस ले लें।

मैंने यही संशोधन रखा है। इस खंड के अन्तर्गत, केवल उसी वर्ष के लिए मूल्यह्रास छूट प्राप्त की जा सकती है जिस वर्ष में मशीन लगाई गई है। वर्तमान कानून के अन्तर्गत, मूल्यह्रास छूट केवल उसी वर्ष प्राप्त की जा सकती है जिस वर्ष मशीन चालू की जाए। ऐसा सम्भव हो सकता है कि मशीन तो पिछले वर्ष लगा दी गई हो और उसे अगले वर्ष चालू किया जाए। मैंने इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यह संशोधन पेश किया है कि यह छूट या तो उसी साल के लिये ली जा सकती है जिस साल मशीन लगाई गई हो या जिस साल मशीन चालू की गई हो।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

'पृष्ठ 7 में पंक्ति 31 के स्थान पर निम्नलिखित प्रति स्थापित किया जाये।

'संयंत्र स्थापित किया जाता है या यदि मशीनरी या संयंत्र ठीक बाद के पूर्व वर्ष में पहली बार उपयोग में लाया जाता है तो उस पूर्व वर्ष की बाबत।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य अपने संशोधनों पर जोर दे रहे हैं ?

श्री सतीश अग्रवाल : जी नहीं। मैं उन्हें वापस लेना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सदन माननीय सदस्य को संशोधन सं० 5 और 6 वापस लेने की अनुमति प्रदान करती है ?

सदस्य गण : हाँ।

संशोधन संख्या 5 और 6 सदन की अनुमति से वापस लिए गये।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्रीमती गीता मुखर्जी का संशोधन सं० 106 मतदान के लिये रखूँगा।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि :

खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 7

श्री सतीश अग्रवाल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'पृष्ठ 8—पंक्ति 8 से 20 तक का लोपकिया जाए।'

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 8, पंक्ति 19 और 20 के स्थान पर रखे जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।'

'अप्रैल 1981 के प्रथम दिन से रखे जायेंगे' प्रति स्थापित किया जाये।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव पेश करता हूं कि—

'पृष्ठ 9—पंक्ति 6 से 16 तक का लोप कर दिया जाये।

श्री आर० वैंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'पृष्ठ 8, पंक्ति 23, '(i)' के स्थान पर प्रति स्थापित किया जाए—

'(i) प्रारम्भ के पैरा ग्राफ' में प्रति स्थापित किया जाये।

श्री सतीश अग्रवाल : जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इस प्रावधान को भूतलक्षी प्रभाव किया जायेगा। यदि माननीय मंत्री स्पष्टीकरण को देखें तो वे पायेंगे कि उप-धारा (क) (i) का संशोधन 1 अप्रैल, 1981 से लागू होगा परन्तु उप-धारा (क) (ii) के भूतलक्षी प्रभाव होंगे और यह आय-कर अधिनियम के लागू होने के समय से अर्थात् 1962 से प्रभावी माना जाएगा। बुनियादी तौर पर मैं वित्त विधेयक में भूतलक्षी प्रभाव से अर्थात 1962 से संशोधन करने की सरकार की बात का विरोध करता हूं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार 18 वर्ष तक सोती रही। मैंने यह संशोधन इसलिए पेश किया है कि मैं वित्त विधेयक को 18 वर्ष पहले से भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने के विरोध में हूँ।

आपको याद होगा और वित्त मन्त्री महोदय को भी याद होगा कि इसी सदन में कांग्रेस सरकार के पिछले वित्त मन्त्री ने एक आश्वासन दिया था कि वित्त विधेयक में संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से नहीं होने चाहिए ये आगे की तारीख से प्रभावी होने चाहिए। जब कि किन्हीं गम्भीर मामलों में जहां कुछ राशियां लौटाई जानी हों की बहुत गम्भीर जल्दबाजी न हो।

श्री मूलचन्द डागा : संसद में वित्त (सं० 2) विधेयक, 1967 प्रस्तुत करते हुए, तत्कालीन उप प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री, श्री मोरारजी देसाई ने कहा था।

> वार्षिक वित्त अधिनियम केवल कर की दरें ही निर्धारित नहीं करते बल्कि प्राय विभिन्न दिशाओं में फायदे या नुकसान करते हैं। ये फायदे या नुकसान तभी सार्थक सिद्ध हो सकते हैं जब इन्हें आगे से लागू किया जाए। इस विचार के अलावा किसी विशिष्ठ आम वर्ष के लिये कर दाता को पहले से अपनी कर-देयताओं की जानकारी होनी चाहिए।

तो यह जो बेसिक प्रिंसपिल है कि अगर कोई सरकार पहले घोषणा करती है कि इस प्रकार के इनसेंटिव दिये जाएँगे और उनको देने के बाद सरकार कहे कि जो हमने इनसेंटिव दिये हैं, उन इनसेंटिव को हम वापस लेना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि सरकार पर किसी को विश्वास नही रहेगा। कोई भी सरकार हो, अगर वह इतसेंटिव देती है और उनको ध्यान में रखकर लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, कैपीटल इन्वेस्टमैंट कर देते हैं, मकान बना लेते हैं,

मशीनरी खरीद लेते हैं, तो उसके 8-10 साल के बाद सरकार कहती है कि हम इन इनसेंटिव्ज को विद्ड्रा करते हैं, तो यह मेरी समझ में सही नहीं है। यह ऐसा इलाज है, जिस पर हम डिस्क्शन नहीं कर सकते क्योंकि यह मनी बिल है और इसको बहुत जल्दी पास करना होगा। इसलिए मैं यह समझता हूँ कि इस प्रकार का जो एमेंडमेंट है, इस पर हम को विचार करना चाहिए और मेरा कहना यह है कि इसको रिट्रोस्पेक्टिवली हमको लागू नहीं करना चाहिए। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। इसके बारे में मुझे इतना ही कहना है।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, खण्ड 7 में वैज्ञानिक अनुसंधान पर किए गये खर्च के बारे में कटौती की व्यवस्था है। एक कार्यक्रम बनाना होगा, एक योजना बनानी होगी और फिर वह योजना हमारे देश की "समाजिक, आर्थिक और औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए" समक्ष अधिकारी से अनुमोदित करवानी होगी ये शब्द "समाजिक, आर्थिक और औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये", अस्पष्ट हैं और मनमानी कार्यवाही के लिए काफी गुन्जाइश रह जाती है। यह बहुत आपत्तिजनक बात है जिसके कारण मैंने संशोधन का प्रस्ताव किया है कि चाहे यह योजना निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दी जाये फिर भी यदि इस धारा विशेष के अधीन अन्य कटौती के लिए दावा किया जाता है तो सयत्रो मशीनों के मूल्य ह्रास की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। अत: यह बहुत कठोर शर्त होगी की चाहे योजना प्राधिकृत प्राधिकारी से अनुमोदित हो और धारा-विशेष के अधीन छूट का दावा किया जाए तो भी अधिनियम की पूर्ववर्ती धारा के सम्बन्ध में संयंत्र तथा मशीनों के मूल्य ह्रास का कोई दावा नहीं किया जा सकता। मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसकी व्यवस्था इसलिए की गई है कि संयंत्र तथा मशीनों पर दोहरी कटौती की अनुज्ञा न मिल जाये। एकमात्र उद्देश्य तो वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। अत: मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि ऐसा उपबन्ध रखने से वास्तव में कोई लाभ नहीं होगा। मेरे सशोधन में इस उपबन्ध को हटाने की बात है कि संयंत्र तथा मशीनों पर मूल्य ह्रास के लिए छूट नहीं दी जायेगी। मुझे कुछ कहना है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लाभ वास्तविक होने चाहिए, केवल दिखावटी ही नहीं।

श्री आर. वेंकटरामन : मैं स्थिति स्पष्ट करूंगा तो सभी माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि आयकर अधिनियम की धारा 35 के अधीन वैज्ञानिक अनुसंधान पर खर्च की गई धनराशि आय में से शतप्रतिशत काटी जा सकती है। इसलिए, यदि यह मान लिया जाएं कि एक एक व्यक्ति एक लाख रुपये खर्च करता है, तो वह एक लाख रुपये उसके राजस्व खर्च में से कम कर दिये जाते हैं और वह उस पर कर नहीं देता। लेकिन होता यह है कि उस लाख रुपये में से वह उपकरण और मशीनें खरीद लेता है और बाद में वह उन मशीनों के एक लाख रुपये पर, जिसका वह इस्तेमाल कर चुका है, मूल्यह्रास का दावा करता है। अत: वह दोहरी कटौती का दावा करता है, पहले उस पर शत प्रतिशत कटौती जिसे वह खर्च कर चुका है और फिर उस मशीन और उपकरण पर मूल्यह्रास के रूप में कटौती जिसका यह इस्तेमाल कर चुका है।

इस सम्बन्ध में न्यायधिकरणों के कई निर्णय हैं जिनमें अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाये गए हैं। कुछ कहते हैं कि इसकी अनुज्ञा दी जानी चाहिए जबकि दूसरे कहते हैं कि नहीं दी

जानी चाहिए। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का कोई निर्णय इस सम्बन्ध में नहीं है। विधि में बहुत उलझन है। अतः हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का उद्देश्य 100 प्रतिशत कटौती देने का है 200 प्रतिशत कटौती देने का नहीं। और वह 100 प्रतिशत तब बनता है जब खर्चा धारा 35 के अधीन काटा जाता है। मशीनों तथा संयंत्र पर इसके अलावा और मूल्यह्रास छूट काटने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। इसीलिए हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है। कई नई न्यायपीठ हैं अतः प्रश्न यह नहीं है कि यह कब हुआ। एक बार निर्णय ले लिया जाये तो यह संभव हो सकेगा। यदि कई न्यायपीठ हैं और किसी भी उच्च न्यायालय ने निर्णय नहीं लिया है और आप चाहें कि जब तक उच्च न्यायालय की कोई न्यायपीठ या उच्चतम न्यायालय निर्णय नहीं लेता तब तक कुछ न कुछ किया जाये तो स्थिति और उलझ जायेगी यदि विधि को अस्पष्ट स्थिति में रहने दिया जाएगा तो इससे विधि निर्धारिती को कोई सहायता नहीं मिलेगी।

जहां तक मेरे संशोधन का सम्बन्ध है यह औपचारिक है, यह केवल स्पष्टीकरण करने के लिए है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 8, पंक्ति 22, "(i)" के स्थान 42 "(i) प्रारंभिक पैराग्राफ में", प्रति स्थापित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृति हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री सतीश अग्रवाल के संशोधन संख्या 7 पर आते हैं। श्री अग्रवाल, क्या आप इस पर आग्रह करना चाहते हैं ?

श्री सतीश अग्रवाल मैं केवल खण्ड 7 (क) (ii) के सम्बन्ध में अपने संशोधन पर आग्रह करूंगा, जो इसे भूतलक्षी बनाता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह केवल संशोधन के बारे में हैं ?

श्री सतीश अग्रवाल : हां श्रीमान्। मैं इस पर आग्रह करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब संशोधन संख्या 7 को मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री मूलचन्द डागा के संशोधन संख्या 8 पर आते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

श्री ए. के. राय : नहीं। हमें मत विभाजन का दावा करने का अधिकार है। जब एक बार प्रस्ताव रख दिया गया तो वह अब सभा की सम्पत्ति बन गया।

अध्यक्ष महोदय : फिर तो मुझे इस संशोधन को मतदान के लिए सभा में रखना होगा।

प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 8, पंक्ति 19, 20···

"और सदैव से रखे गये समझे जाएंगे" के लिए

"1 अप्रैल, 1981 से रखे जाएंगे। प्रतिस्थापित किया जाये।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या—8

पक्ष में

अग्रवाल, श्री सतीश
बनातवाला, श्री जी. एम.
*गौजागिन. श्री एन
मंडल, श्री घनिक लाल
मंडल, श्री सनत कुमार
मेहता प्रो. अजित कुमार
मुलतान सिंह, चौधरी
परुलेकर, श्री बापूसाहिब
पासवान, श्री राम विलास
राजदा, श्री रतनसिंह
राय, श्री ए. के.
सारण, श्री दौलतराम
त्रिलोक चन्द्र, श्री
उन्नीकृष्णन, श्री के. पी.
वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद

विपक्ष में

अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अकराल, श्री जेवियर
बरवा, श्री बनवारी लाल
वाजपेयी, डा. राजेन्द्र कुमारी
बन्सीलाल, श्री
बरवे, श्री जे. सी.
बहेरा, श्री रास बिहारी
भगत, श्री एच. के. एल.
भगवान देव, श्री
भारद्वाज, श्री परसराम
भीखा भाई, श्री
भोई, डा. कृपासिंधु
वीरबल, श्री

*उन्होंने गलती से किसी अन्य की सीट से मतदान किया और तदनुसार बाद में अध्यक्ष को सूचित कर दिया।

बीरेन्द्रसिंह राय, श्री
ब्रार, श्रीमती गुरविन्दर कौर
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी. वी.
चरणजीत सिंह, श्री
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चव्हाण, श्री एस. बी.
चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या
दलबीर सिंह, श्री
दंडवते, प्रो, मधु
डेनिस, श्री एन.
देवराजन, श्री बी.
दंडपाणि, श्री सी. टी.
डूंगर सिंह, श्री
इरा मोहन, श्री
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री बी. एन.
गांधी, श्रीमती इंदिरा
गहलोत, श्री अशोक
गिरिराज सिंह, श्री
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौडा, श्री एच. एन नन्जे
गुलशेर अहमद, श्री
हेम्ब्रम, श्री सेत
जाफर शरीफ, श्री सी. के.
जैन, श्री भीकूराम
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जेना, श्री चिन्तामणि
काहनडोल, श्री जैड. एम.
कलानिधि, डा. ए.
कमलाकुमारी, कुमारी
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
कृष्ण दत्त, श्री
कृष्ण प्रतापसिंह, श्री

कृष्णन्, श्री जी. वाई.
लकप्पा, श्री के.
लक्ष्मनन्, श्री जी.
माधुरी सिंह, श्रीमती
महाजन, श्री विक्रम
महाला, श्री आर. पी
महेन्द्र प्रसाद, श्री
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु
मिश्र, श्री रामनगीना
मोहसिन, श्री एफ. एच.
मोतीलाल सिंह, श्री
मुखोपध्याय, श्री आनन्द गोपाल
मुन्डाकल, श्री जार्ज जोसफ
मूर्ति, श्री एम. वी. चन्द्रशेखर
नायडू, श्री पी. राजगोपाल
नायर, श्री वी. के.
नामग्याल, श्री पी.
नारायण, श्री के. एस.
पांडे, श्री केदार
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पनिका, श्री राम प्यारे
पराशर, प्रो. नारायण चन्द
पारधी, श्री केशवराव
पटेल, श्री सी. डी.
पटेल, श्री उत्तमभाई एच.
पाटिल. श्री ए. टी.
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पाटिल, श्री शिवराज वी.
पट्टाभि रामा राव, श्री एस. वी. पी.
फुलवारिया, श्री विरदाराम
प्रधानी, श्री के.
पुलय्या, श्री दारुर
कादरी, श्री एस. टी.
रहीम, श्री ए. ए.
राजामल्लू, श्री के.

रंगा, प्रो. एन. जी
राव, श्रीमती वी राधाबाई आनन्द
राव, श्री एम. नागेश्वर
राव श्री एम. सत्यनारायण
राव, श्री पी. वी. नरसिंह
रावत, श्री हरीशचन्द्र सिंह
रेड्डी, श्री एम. राम गोपाल
रेड्डी, श्री पी. वेंकट
समीनुद्दीन, श्री
सईद, श्री पी. एम.
सेठी, श्री अर्जुन
शक्तावत, प्रो. निर्मला कुमारी
शक्यवार, श्री नाथूराम
शर्मा, श्री चिरंजीलाल
शर्मा, श्री कालीचरण
शर्मा, श्री सुन्दर
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शिव शंकर, श्री पी.
सिंह, डा. बी. एन
सिंह देव, श्री के. पी.
सोरन, श्री हरिहर
स्पैरो, श्री आर. एस.
स्टीफन, श्री सी. एम
सुखाड़िया, श्री मोहनलाल
सुन्दरसिंह, श्री
तैयब हुसैन, श्री
तिवारी, प्रो. के. के.
तिवारी, श्री नारायण दत्त
वैराले, श्री मधुसूदन
वर्मा, श्री जयराम
वेंकटरामन, श्री आर.
वेंकटसुब्बया, श्री पी.
वीरभद्र सिंह,श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
याजदानी, डा. गोलम
जैलसिंह, श्री
जैनुल बशर, श्री

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है।

पक्ष में : 16

विपक्ष में : 125

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 102 को सभा में मतदान के लिये रखूंगा।

संशोधन संख्या 102 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

पक्ष में : श्रीमती प्रमिला दण्डवते

विपक्ष में : श्री के. विजय भास्कर रेड्डी, श्रीमती संयोगिता राने, सर्व श्री शिव कुमार सिंह, ब्रजमोहन मोहन्ती, जी. नरसिंहा रेड्डी, शान्ताराम पोतदुखे, डी. एम. पुत्तो गौड़ा प्रो. सत्यदेव सिंह, सर्व श्री नरसिम्ह मकवाना, सज्जन कुमार, हाकम सिंह, आर. एन. त्रिपाठी, रामसिंह यादव, जी. एस. निहाल सिंहवाला, के. टी. कोसलराम।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 7, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 8

श्री सतीश अग्रवाल : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव ररता हूँ :

"पृष्ठ 9, पक्ति 25, —

"1981" के स्थान पर "1982" प्रतिस्थापित किया जाए"

पृष्ठ 9, पंक्ति 27, —

अन्त में जोड़ा जाए —

"और निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात :—

"बशर्ते कि इस धारा के अधीन कटौतियों की अनुज्ञा निम्नलिखित के लिए दी जाती रहेगी—

(i) छोटे पैमाने का निर्यातक,

(ii) निर्यात-गृह का प्रमाण-पत्र धारक, और

(iii) भारत से बाहर लोगों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के व्यापार में लगे, या उन्हें तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने से संबद्ध सेवाएं देने में लगे निर्धारिती।"

श्री जी. एम. बनातवाला : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं,

"पृष्ठ 9, —

पंक्ति 26 और 27 का लोप किया जाए"

श्री सतीश अग्रवाल : श्रीमन् यह बहुत पूर्ण खण्ड है और मैं वित्त मंत्री महोदय से नम्र विवेदन करता हूं कि वे मेरे संशोधनों पर विचार करें। इस विशेष खंड 8 क में वित्तमंत्री ने निर्यात विकास के लिए दी जाने वाली छूट में विद्यमान कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया है। मैं इस संबंध में पूर्णतः आश्वस्त हूँ तथा उनसे सहमत हूं कि यदि निर्यात विकास छूट में कुछ

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मत रिकार्ड कराया।

कमियाँ हों तो उन्हें दूर किया जाना चाहिए। मैंने जो संशोधन प्रस्तावित किये हैं उनके माध्यम से मैं उस स्थिति पर लौट आना चाहता हूँ जो 1978 में थी। 1978 में जो स्थिति थी उसे 1979 में बदल दिया गया और उसके अधीन उपबंधों का दुरुपयोग किया गया था। मैं यह पूरी तरह मानता हूँ। गलत चीज को समाप्त करना ही चाहिए। अतः 1978 की स्थिति पुनः स्थापित की जानी चाहिए क्योंकि उस उपबंध में कोई कमी नहीं है। इसलिए मैंने इस आशय के संशोधन प्रस्तावित किये हैं कि जो उपबन्ध 1981 से लागू होने हैं वे 1982 से लागू होने चाहिए अतः अंक 1981 के स्थान पर 1982 प्रतिस्थापित कियाजाना चाहिए। यह संशोधन संख्या एक है।

मेरा दूसरा संशोधन बड़ा है। यह कहा गया कि :

"उप खंड (क) द्वारा धारा 35 ख की उप-धारा (i) के खंड (ख) में उप-खंड (ii), (iii), (v), (vi) और (viii) का लोप करने की उपेक्षा है। प्रस्तावित संशोधन के अधीन, निर्धारिती के व्यापार वाली है या उसके व्यापार के दौरान उपलब्ध कराई जाने वाली ऐसी वस्तुओं, सेवाओं या सुविधाओं के लिए भारत ने बाहर विपणन के संबन्ध में जानकारी प्राप्त करने पर किया गया व्यय, या ऐसी वस्तुओं, सेवाओं या सुविधाओं के भारत से बाहर वितरण, आपूर्ति या उपलब्ध कराने पर किया गया व्यय या ऐसी वस्तुओं, आदि की भारत से बाहर आपूर्ति के लिए या उन्हें उपलब्ध कराने के लिए टेंडर तैयार करने तथा प्रस्तुत करने पर किया गया व्यय, या भारत से बाहर व्यक्तियों को नमूने या तकनीकी जानकारी देने पर किया गया व्यय या ऐसी वस्तुओं, सेवाओं या सुविधाओं को भारत से बाहर आपूर्ति के लिए कोई संविदा निष्पादित करने के सम्बन्ध में, या इसके प्रसंग में, भारत से बाहर सेवाओं के निष्पादन पर किया गया व्यय भारित कटौती के योग्य नहीं होगा।"

श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है कि इस खण्ड में आप इसे हटा रहे हैं। मैं सहमत हूँ। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं यह परन्तुक जोड़ना चाहता हूँ.....

अध्यक्ष महोदय : श्री सतीश अग्रवाल, 6 बज चुके हैं। आप कल जारी रख सकते हैं। अब सदन आधे घंटे की चर्चा लेगा।

आधे घंटे की चर्चा

अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता पैदा करना

श्री नीरेन घोष (दमदम) : अध्यक्ष महोदय, विद्युत शक्ति की स्थिति के बारे में सरकार कह रही है कि अतिरिक्त विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जायेगा .....

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : अतिरिक्त राजनीतिक शक्ति।

श्री नीरेन घोष : मैं समझता हूँ प्रो. दण्डवते ठीक ही कहते हैं कि राजनीतिक शक्ति का मैं सहमत हूं।

अब मैं मौजूदा स्थिति पर आता हूँ। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी को लेता हूँ। वह कहा हैं ? यहाँ मौजूद नहीं हैं। उन्हें यहां होना चाहिए था। वे

प्रभारी मंत्री हैं। 1947 में पूर्वी क्षेत्र में देश के किसी भी अन्य क्षेत्र से अधिक संस्थापित क्षमता थी। अब यह बहुत ही कम है। आपको याद होगा कि 1972 से 1977 के दौरान वह बिहार के बाद सबसे बड़े राज्य में विद्युत मंत्री थे। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि 1960-61 में पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति खपत 84 कि. वा. घं. है। महाराष्ट्र में यह 73 कि. वा. घं. थी। 1973 से 1978-79 के बीच यह बढ़कर 210 कि. वा. घ. हो गई। पूर्वी क्षेत्र के आंकड़ों में 4755 मे. वा. है। यह अद्यतन स्थिति है। पश्चिमी क्षेत्र बहुत नीचे था, परन्तु वहाँ वर्तमान खपत 7389 मे. वा. है। उत्तर में यह 7700 मे. वा. है। दक्षिण में 6497 मे. वा. है। वृद्धि दर इस प्रकार है : पूर्वी क्षेत्र में 5 प्रतिशत, पश्चिम क्षेत्र में 19.5 प्रतिशत, उत्तरी क्षेत्र में 16.8 प्रतिशत और दक्षिणी क्षेत्र में 6.5 प्रतिशत। अतः देश भर में आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने के लिए सरकार को यह देखना चाहिए था कि देश के सभी क्षेत्रों में विद्युत की वृद्धि दर समान हो। क्योंकि विद्युत की भारी कमी है, इससे भी इनकी नीति के दिवालियेपन का सत्यापन होता है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

पाँच वर्षों के दौरान जब ये माननीय मंत्री राज्य में विद्युत-शक्ति मंत्री थे इन्होंने 10000 से 12000 व्यक्ति राज्य विद्युत मंडल में बिना किसी काम के पदासीन किये। वे ही व्यक्ति हैं जो अब वहाँ विद्युत-उत्पादन में तोड़ फोड़ की कार्यवाही से बाधा पहुँचा रहे हैं। जब वे अतिरिक्त विद्युत उत्पादन समिति की बात करते हैं तो मैं कहूंगा कि मैंने अपने जीवन में उनसे अधिक अक्षम मंत्री नहीं देखा। उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए। (अन्तर्बाधा)

उपाध्यक्ष महोदय : वह पश्चिम बंगाल के बारे में कह रहे हैं।

श्री के. लकप्पा (टुमकुर) : यदि पश्चिम बंगाल सरकार अक्षम है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते परन्तु वह यह नहीं कह सकते कि मंत्री अक्षम है आदि।

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : ये शब्द विशेष वापस लिए जाने चाहिए.....

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकट सुब्बया) : श्रीमन हमें यह देखना चाहिए कि अक्षम शब्द संसदीय है या नहीं। यदि यह असंसदीय है तो इसे कार्य-वाही वृतांत से निकालना होगा।

श्री के. लकप्पा : इसे कार्यवाही वृतांत से निकाल देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं कहूंगा कि यह शब्द असंसदीय है। लेकिन साथ-साथ मैं यह भी कहूँगा कि श्री निरेन घोष न केवल मंत्री बल्कि किसी के विरुद्ध ऐसे शब्द प्रयोग न करें ...।

श्री निरेन घोष : मैं वे बातें नहीं ले रहा हूं जिनके लिए उनका नाम प्रधान मंत्री को भेजा गया है। मैं अब आपको बताऊंगा कि केन्द्रीय सरकार ने विद्युत उत्पादन का अन्तर्ध्वंस कैसे किया है। एक ए. बी. बी. बायलर है जो सतलदीह में लगाया गया है। यह भारतीय विशिष्टियों के बजाय यूरोपीय विशिष्टयों के अनुसार बनाया गया है। जब बायलरों के मुख्य निरीक्षक ने इसे प्रमाणित करने से मना कर दिया तो केन्द्र के दबाव से उसे वहाँ से हटा दिया

गया। उस समय श्री चौधरी पश्चिम बंगाल में विद्युत-मंत्री थे। उसे हटा दिया गया और वह अनुपयुक्त बायलर (अन्तर्बाधा)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्ष-पीठ को संबोधित करें। कृपया सुनिए।

माननीय सदस्य को चाहिए कि वे पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित करें न कि सीधे मन्त्री को। इसी बात से विवाद शुरू होता है। कृपया पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित कीजिए।

श्री निरेन घोष : मुख्य बायलर निरीक्षक, जिसने सर्टिफिकेट देने से इन्कार कर दिया था, को वहां से हटा दिया गया। किसी और से प्रमाणित करा लिया गया और बायलर स्थापित कर दिये गये तथा इस प्रकार सन्तालडीह परियोजना को धूल में मिला दिया गया। यह बात कई वर्ष पहले संसद में स्वीकार की गई थी। दामोदर घाटी निगम केन्द्रीय प्रबन्ध के अधीन है। इससे कम से कम 1500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने की अपेक्षा की जाती है। अब नवीनतम आंकड़े यह बताते हैं कि यह 300 या 350 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है। सरकार अब कुछ सुपर तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने की बात कर रही है। मैं यह मांग करता हूं कि क्यों न ये संयंत्र पूर्वी क्षेत्र में स्थापित किए जाएं। उस क्षेत्र की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता, तो इसके क्या कारण हैं? वह क्षेत्र सबसे आगे होता था परन्तु अब उसका दर्जा सबसे पीछे हो गया है। मैं यह नहीं कहता कि आप किसी दूसरे क्षेत्र में और संयंत्र स्थापित न करें, परन्तु मेरा कहने का मतलब यह है कि इस इलाके की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। यदि बिहार के तापीय विद्युत संयंत्र की उत्पादन क्षमता 200 मे. वाट हो सकती है तो फरक्का तापीय विद्युत संयंत्र की क्षमता भी 2000 मे. वाट क्यों नहीं हो सकती? मैं माननीय मन्त्री से इसका जवाब चाहता हूं। बिजली की कमी···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सवाल पूछिए।

श्री निरेन घोष : 1979-80 में देश भर में बिजली की कुल कमी 16 प्रतिशत थी। जनवरी-मार्च 1980 में यह कमी 21·0 प्रतिशत थी। 1978-79 में इसी अवधि के दौरान यह कमी 11·7 प्रतिशत थी। इस शासन के दौरान यह कमी 10 प्रतिशत बढ़ गई है और बिजली की भारी कमी हो गई है। ये है इनका योगदान।

फरवरी, 1980 के अन्त में, उत्तरी क्षेत्र में बिजली की कटौती 50 प्रतिशत और इससे भी ज्यादा थी, महाराष्ट्र में 35 से 45 प्रतिशत, कर्नाटक में 40 से 60 प्रतिशत तथा पूर्वी क्षेत्र में 28·5 प्रतिशत थी। वहां बिजली कटौती कम है। हमारे भारत जैसे देश में जहां नदियों का जाल बिछा हुआ है बिजली का अधिकतम उत्पादन पन बिजली से किया जाना चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमारे कुल बिजली उत्पादन में पन-बिजली की मात्रा केवल 45 प्रतिशत है। स्थिति यह है। मेरा प्रश्न यह है कि क्यों न इस स्थिति को उलट कर दिया जाए ताकि पन-बिजली का उत्पादन 70 प्रतिशत हो जाए तथा परमाणु और तापीय बिजली के उत्पादन का अनुपात केवल 30 प्रतिशत ही रह जाए। इसके लिए मन्त्री महोदय का क्या उत्तर है?

एक प्रक्रिया, जिसे 'मैग्नेटो हाइड्रोडाइनैमिक उत्पादन प्रक्रिया कहते हैं, के द्वारा कोयले को बिजली में परिवर्तित किया जाता है। यह एक नवीनतम प्रक्रिया है जिसे सोवियत संघ और

पश्चिमी देशों द्वारा अपनाया जा रहा है। इसकी प्रौद्योगिकी की भी पहले से जानकारी है। मेरा सवाल है, जबकि सारे देश में बिजली की भारी कमी है, तो आप इस प्रौद्योगिकी को क्यों नहीं अपनाते। वित्त मंत्री के कथन को सुनकर कि, उन्होंने बिजली उत्पादन के मामले में सबसे बड़ी बाधा को पार कर लिया है, बड़ा आश्चर्य होता है। परमात्मा हमारे वित्त मन्त्री महोदय की रक्षा करें।

बुनियादी मसला यह है कि विद्युत-उत्पादन में अपर्याप्त वृद्धि की गई है। जहाँ तक कोयले का सवाल है, वह भी इसी मन्त्रालय के अधीन है। बी. एच. ई. एल. ट्यूबों आदि का उत्पादन करती है। मैं नहीं जानता कि ट्रांसफार्म सही होते ही हैं। वे ए. बी. बी. से प्राप्त वायलर स्थापित कर रहे हैं। यह एक बहु-राष्ट्रीय कम्पनी है। उन्होंने बड़े अधिकारियों को लाखों रुपया देकर उनकी मुट्ठी गर्म कर दी है। उन्होंने जहां-कहीं भी अपने वायलर लगाए हैं, वहीं उन्होंने विद्युत परियोजनाओं को मटियामेट कर दिया है। ऐसी हालात है।

बिजली उत्पादन को बढ़ाने के बारे में उनकी कोई योजना नहीं है। बिजली उत्पादन में अपर्याप्त वृद्धि की जा रही है। उन्हें न तो यह पता है कि बिजली की हमारी आवश्यकता कितनी है और न ही उनके पास कोई संदर्शी योजना है। उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उन्हें बिजली की कितनी जरूरत होगी। जहां तक इस मंत्रालय का सवाल है, मैं जानता हूं कि वे फिलहाल दो चीजों की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि जहाँ संयंत्र क्षमता कम है वहाँ बिजली का उत्पादन कम है। उनके अनुसार, चाहें मशीनरी की हालत कैसी भी हो, कोयला जो सप्लाई किया जा रहा है वह घटिया किस्म का है, उसमें बड़े-बड़े पत्थर होते हैं और कोयले की इतनी कम सप्लाई के कारण बार-बार बिजली उत्पादन बन्द हो जाता है और बिजली का क्षरण होता रहता है। कोयले की कम सप्लाई बिजली की भारी कमी के लिए जिम्मेदार मूल कारण है।

एक दूसरी चीज जिसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा, वह है परमाणु बिजली। हालांकि यह इस मंत्रालय के अधीन नहीं है परन्तु क्योंकि हम बिजली के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे इस बारे में भी बोलने का अधिकार है। आधुनिक विश्व में, विशेष तौर पर पश्चिमी यूरोप, फ्रांस तथा अन्य देशों में और किसी हद तक अमरीका और काफी सीमा तक सोवियत संघ में, जीवन के सभी पहलुओं में आवश्यक बिजली का उत्पादन करने के लिए परमाणु विद्युत का बहुत अधिक योगदान है। हमारे देश में, परमाणु विद्युत का योगदान लगभग केवल 1 प्रतिशत है। यह है परमाणु बिजली का योगदान। 12 परियोजनाएं निर्धारित समय से 5 से 7 वर्ष तक पीछे हैं। हमें इसकी सही जानकारी नहीं दी गई। हमारे देश को इसकी आवश्यकता है। सरकार परमाणु विद्युत के लिए बड़े पैमाने पर कार्य क्यों नहीं करती और परमाणु विद्युत संयंत्रों का विकास क्यों नहीं करती ? हमारे पास यूरेनियम है, हमारे पास थोरियम है। उचित भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। यदि हम ऐसा करें तो हमें और अधिक यूरेनियम और थोरियम प्राप्त होगा। यदि हम परमाणु विद्युत परियोजनाओं पर बड़े पैमाने पर कार्य करें तो बिजली की कमी की समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी।

अब, उनका कहना कि जहाँ संयंत्र क्षमता-उपयोग अपेक्षाकृत कम है, वहाँ वे अपने

विशेषज्ञ भेजेंगे। 'बिजली' राज्य सूची के अन्तर्गत आती है। यदि, इसके बाद भी राज्य सरकारें वर्तमान मशीनरी से बिजली का उत्पादन शीघ्र ही नहीं बढ़ा सकते तो उनका कहना है कि मैं इनका राष्ट्रीयकरण कर दूंगे, जबकि कोई सही अनुरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि कोयले की सही सप्लाई की व्यवस्था नहीं की गई है और राख की मात्रा इतनी अधिक है कि उसके कारण बार-बार बिजली का उत्पादन बन्द हो जाता है या बिजली का क्षरण होता है॥ मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर न जाएं। इतना ही नहीं, वे इस कार्य को गैर सरकारी क्षेत्र को सौंपना चाहते हैं। बिजली सरकारी क्षेत्र का विषय है॥ टाटा बन्धुओं को पहले ही एक सौ मैगावाट बिजली उत्पादन करने के लिए कहा गया है। यह बिजली घर स्थापित किया जा चुका है। उन्होंने 500 मैगावाट क्षमता के एक और लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। सरकार को चाहिए कि वे ऐसा लाइसेंस टाटा बन्धुओं को न दें और इनके अलावा भी गैर सरकारी क्षेत्र के किए अन्य कम्पनी को बिजली उत्पादन के क्षेत्र में न आने दें।

जब कभी भी राज्य सरकारों को सहायता चाहिए, सरकार को उन्हें हर संभव सहायता देनी चाहिए तथा उन्हें मशीनों के कल-पुर्जे उत्पादन करने चाहिए और उनके शीघ्र आयात की अनुमति देनी चाहिए। हम अभी अपने देश में उनका उत्पादन नहीं कर रहे हैं।

जो सरकार दामोदर घाटी निगम में बिजली पैदा नहीं कर सकती उसके बारे में कौन यह विश्वास करेगा कि यदि वे अन्य परियोजनाओं का नियन्त्रण अपने हाथ में ले लेते हैं तो वे बिजली का उत्पादन कर लेंगे ? ऐसा करने से, अब जो भी उत्पादन हो रहा है, वह भी खत्म हो जाएगा।

10 वर्षीय विस्तार कार्यक्रम के बारे में जो कि उन्होंने हाथ में लिया है, यह अच्छा होगा यदि वे इसका एक सही तरीके से विस्तार करें और सुपर तापीय विद्युत संयंत्रों की व्यवस्था करें। बड़े सुपर तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए धारिया, रानीगंज और कोठागुड़म स्थान उपयुक्त है। ये संयंत्र उचित स्थान पर ही लगाए जाने चाहिये। इन्हें इन स्थानों पर तथा दूसरे स्थानों पर एक साथ लगाने से हम बिजली की कमी की समस्या को हल करने की दिशा में प्रगति कर सकते हैं। क्योंकि यह मंत्रालय बुरी तरह से असफल रहा है, इसलिए इस मंत्रालय में दोबारा फेर-बदल होना चाहिये और इन मन्त्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए।

ऊर्जा और कोयला मंत्री (श्री ए. बी. ए. गनी खाँ चौधरी) : माननीय सदस्य को मुझे गाल देने की आदत है। इसलिए उन्हें गालियां देने दो। लेकिन वे गालियां न मुझे लगती हैं न किसी और को आज जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि देश में बिजली की स्थिति को सुधारा जाए। मुझे सदन को यह बताते हुये हर्ष है कि माननीय सदस्य की जानकारी अद्यतन नहीं है। बिजली की जितनी भारी कटौती पश्चिमी बंगाल में है इतनी कहीं भी नहीं है। यदि कटौती है भी तो वह बहुत ही नगण्य है—मेरी समझ में, लगभग 25 प्रतिशत जितनी कटौती उत्तर प्रदेश में है। बिहार, पश्चिम बंगाल और किसी हद तक दामोदर घाटी निगम में स्थिति बदतर है।

माननीय सदस्य यह नहीं जानते कि दामोदर घाटी निगम ने पर्याप्त उन्नति की है। और मैं समझता हूं कि उनके लिए खुश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दामोदर घाटी निगम में

उन्नति नहीं होती है तो उन्हें खुशी होगी। परन्तु क्योंकि दामोदर घाटी निगम ने उन्नति की है। इसलिये उन्हें इस पर खुशी होने की कोई बात नहीं है। दामोदर घाटी निगम अब 600 या कभी-कभी 700 मैगावाट बिजली पैदा कर रहा है। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी शक नहीं है कि यदि वे तकनीकी कमियों को दूर कर सकें तो और अधिक प्रगति देखने में आएगी। यदि बिजली का उत्पादन अच्छा नहीं है तो इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है चाहे वह गैर-सरकारी क्षेत्र में हो या केन्द्र सरकार के क्षेत्र में।

आम तौर से 55 प्रतिशत क्षमता का आयोग होना चाहिये। परन्तु यदि ऐसा नहीं होता है तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। हम राज्य बिजली बोर्डों से अधिक उत्पादन करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं, हम उन्हें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वे अपनी कार्यकुशलता में सुधार लायें।

जहाँ तक पश्चिम बंगाल का संबंध है, मैं वहां के मुख्य मंत्री से मिला हूँ, और जिस किसी सहायता के लिए भी उन्होंने कहा, उन्हें दी गई है। फिलहाल वहाँ जो अध्यक्ष हैं, वे भी उन्होंने मुझी से माँगे थे। मैंने उन्हें वे दे दिए। उन्होंने समय-समय पर जो कुछ सहायता माँगी, हमने वह सहायता उन्हें दी तथा हम ऐसी सहायता उन्हें देते रहेंगे।

माननीय सदस्य को इस बारे में मुख्य मंत्री से बात करनी चाहिये और इस मामले की जानकारी प्राप्त करनी चाहिये। हम तदुद्देश्यीय दल भेज रहे हैं। यदि वे तदुदेश्यीय दल चाहते हैं, तो हम इसे भेज सकते हैं, परन्तु यह तय करना उनका काम है। माननीय सदस्य ने जो असन्तुलनों की ओर ध्यान दिलाया है उसके विषय में श्रीमान आप जानते ही हैं कि असन्तुलन तो है ही और आप उन्हें एक दिन में दूर नही कर सकते। लेकिन इन असन्तुलनों से बचने के लिये हमने राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड प्रणाली (नेशनल पावर ग्रिड सिस्टम) शुरू किया है जिस में बिजली देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचाई जाती है। असन्तुलनों को दूर करने का यह सबसे द्रुत तरीका है। निर्माण कार्य चल रहा है। विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में अधिकतर मुख्य मंत्रियों और विद्युत मंत्रियों ने जिसमें आपके मुख्य मंत्री भी शामिल हैं, इस राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड प्रणाली को स्वीकार किया है। जहां तक वृहत्तर ताप विद्युत संयंत्रों (सुपर थरमल पावर प्लांट) का सम्बन्ध है, वर्तमान नीति यह है कि जहाँ कहीं भी कोयला है, पानी है और तकनीकी व्यवस्था है, वहीं वहाँ पर हम एक वृहत्तर ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना करेंगे। शायद माननीय सदस्य को इसकी जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य की सूचना के लिये मैं बता रहा हूँ कि फरक्का में पहले ही 1000 मैगावाट की क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना की स्वीकृति दी जा चुकी है। हम इसे 2000 मैगावाट करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत शीघ्र ही मैं आपको यह सूचना दे सकूंगा कि फरक्का में 2000 मैगावाट की क्षमता वाले संयंत्र के लिये स्वीकृति दी गई है। बिहार में खलगाँव में हम पहले ही 1000 मैगावाट का एक और संयंत्र स्थापित करने की स्वीकृति दे चुके हैं। दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में, हम 600 मैगावाट की क्षमता वाले एक और विद्युत विस्तार संयंत्र लगाने की सोच रहे हैं। हम और भी आप लोगों की तलाश में हैं चाहे वह पश्चिम बंगाल में हो या बिहार में, जहाँ हम वृहत्तर ताप विद्युत संयंत्र स्थापित कर सकते हैं, वहां भी हमें पानी उपलब्ध होगा वहां पर भी हम एक और वृहत्तर ताप विद्युत संयंत्र लगाने की सोच रहे है।

कुछ माननीय सदस्य : उड़ीसा

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें देखिये मत

कुछ माननीय सदस्य : तालचेर

श्री ए. बी. ए. गन्नी खां चौधरी : (माल्को) वहां भी हमने एक बृहत्तर ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिये स्थान चुन लिया है। जैसा कि हमने कहा है कि यह केवल पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये ही नहीं सोचा जा रहा है बल्कि हम इसे··· के अनुसार सोच रहे हैं। हमने एक परियोजना के लिये स्वीकृति और स्थापित करने की इजाजत भी दे दी है। मैं सदन को सूचित कर सकता हूं और आप देख भी सकते है कि छठी पंच वर्षीय योजना में ऊर्जा विभाग में हमने सभी परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है और उन पर निर्माण कार्य जारी है। और हम इस कार्य को समय पर पूरा करने के लिये कृत संकल्प है। हमने इसे चुनौती के रूप में लिया है। हम इसे निर्धारित समय में पूरा कर देंगे। हम कमियों को दूर करना चाहते हैं, और इसमें कोई कमी रहेगी भी नहीं। हम प्रतिकूल स्थिति को अनुकूल बना देना चाहते हैं। और मैं पूरी गम्भीरता से कहता हूँ कि सातवीं पचवर्षीय योजना तक की भी जो बहुत सी परियोजनायें राज्य बिजली बोर्डों ने हमें भेजी थी उन्हें हमने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस प्रकार यह स्थिति है। मैं सदन को यह आश्वासन दे सकता हूं कि शायद मार्च तक बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी, कमी को लोग भूल जायेंगे। एक-दो राज्यों को छोड़ कर जिसके लिये मुझे खेद है, बिजली की कमी बीती बाते हो जायेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री निरेन घोष अपनी राय बदल देंगे। वे (श्री चौधरी) योग्य मंत्री हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस बात को गम्भीरता से न लें। श्री लकप्पा

श्री के. लकप्पा (टुमकुर) : उपाध्यक्ष महोदय माननीय ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य और देश में बिजली के उत्पादन में 10% वृद्धि के बारे में हमारी प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से उत्पन्न चर्चा को सुनकर यह अत्यन्त आवश्यक है कि यह सरकार एक योजना बनाये।

श्री घोष बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। वहां तक कि उनके राज्य ने भी केन्द्र के पास कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। देश के प्रधान मंत्री का वक्तव्य और माननीय मन्त्री महोदय का वक्तव्य सुनकर हमें प्रसन्न होना चाहिये कि हमारे देश में शीघ्र ही बिजली के उत्पादन में वृद्धि होगी और यह देश समृद्धशाली हो जायेगा। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूँगा कि क्या इस मंत्रालय को राज्यो से कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वियन के बारे में कुछ विशिष्ट प्रस्ताव मिले है? मैं विशेष रूप से कर्नाटक राज्य के बारे में जानना चाहूंगा। कर्नाटक राज्य ने ताप विद्युत परियोजनायें तैयार की हैं। केवल वही राज्य ऐसा है जिसने इन प्रस्तावों को अन्य राज्यों से पहले भेजा है। ये परियोजनाएं वितीय सहायता के अभाव में अभी तक पड़ी हैं। कर्नाटक और अन्य राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के अनेकों कार्यक्रम और परियोजनायें हैं। मैं विद्युत उत्पादन उठाने हेतु जल विद्युत परियोजनाओं के तेजी से कार्यान्वियन के लिये किये गये वितीय नियतनों के बारे मे भी जानना चाहूँगा। इस सम्बन्ध में मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि क्या मंत्रालय द्वारा किसी तदुद्देश्यीय दल के बारे में भी सोचा गया है जो इन परियोजनाओं में समन्वय स्थापित कर सके और इनको तेजी से कार्यान्वियन भी कर सके ताकि इस देश में जो स्थिति है उसका मुकाबला किया जा सके? क्या इस बारे में विशेषज्ञों की भी कुछ राय है?

माननीय मंत्री ने 22 तारीख के अपने उत्तर में बताया था कि कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वयन और संवर्द्धन के बारे में ब्रिटेन और जर्मनी के विशेषज्ञों ने भी कुछ सिफारिशें की हैं और कुछ अन्य विशेषज्ञों की राय आदि भी है। मैं मंत्री महोदय से इस विषय पर विस्तार से जानकारी चाहूँगा। कृपा करके वह इस बात पर ध्यान दें कि देश में बिजली की कमी न होने पाये और माननीय मंत्री महोदय इस बारे में कुछ गतिशीलता भी दिखायेंगे। मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं। मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है जो भी बातें यदि उस सब को कार्यरूप दिया जा सका तो।

क्या मंत्री महोदय मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम विलास पासवान। विचार-विमर्श आधे घंटे का ही है कृपया अपना वक्तव्य संक्षेप में ही दीजिये।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : मन्त्री महोदय ने कहा था कि बिहार की कंडिशन होपलैस है। उसका कोई इलाज नहीं। वह ला इलाज है। मैं समझता हूं कि इससे मन्त्री महोदय की जवाब ही और भी बढ़ जाती है। परिवार में कोई आदमी है जो बीमार रहता है तो परिवार के लोग भूखे रह कर भी उस बीमार के लिए फल, दूध वगैरह की व्यवस्था करते हैं। बिमार को मरने के लिए छोड़ नहीं दिया जाता है और यह नहीं सोचा जाता है कि चार आदमी रहेंगे तो खूब मजे में खाएंगे। बीमार को क्योर करने की यह बात है—

उपाध्यक्ष महोदय : शरीर को दवा स्वीकार कर लेनी चाहिए।

श्री रामविलास पासवान : अब आप देखें कि 11 जुलाई को मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है सुपर थर्मल पावर स्टेशन के सम्बन्ध में कहलगांव में वह क्या था और 15 जुलाई को क्या था और 22 जुलाई को क्या था ? एक बार कहते हैं हां एक बार कहते हैं ना पहली बार कह दिया हम कमिटड हैं एक हजार मेगावाट का वहां सुपर थर्मल पावर स्टेशन खोलने के लिए। दूसरी बार कह दिया सबजैक्ट टू अवेलेबिलटी आफ कोल। उसके बाद कहते हैं 22 तारीख को कि वहां नहीं खोलेंगे।

मैं आपके सामने तथ्य रखना चाहता हूं। 1972 में एक शम्भू कमेटी योजना आयोग ने बनाई थी जिसे रिकोमेंड किया था कि पावर शार्टेज को मीट करने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है सिवाय कोल पिट हैड पर पावर स्टेशन बना जाने के। यह 1972 की शम्भू कमेटी की रिपोर्ट है। इसे प्रधान मंत्री ने स्वीकार भी किया था। उसी के आधार पर बिहार सरकार ने 1977 के जून महीने में एक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेजी थी कहा गया था कि कहलगाँव में तीन हजार मैगावाट का थर्मल पावर स्टेशन बनाया जाना चाहिए और ऐसा करना तकनीकी दृष्टि से फीजिबल है। फीजिबिलिटी रिपोर्ट भी उसने दी। मन्त्री महोदय ने कहा है कि फीजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं मिली है। यह रिपोर्ट मेरी बनाई हुई नहीं है। यह हिन्दी अंग्रेजी दोनों में है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना 3000 मेगावाट ताप बिजली स्टेशन परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट खण्ड I, 1977

यह सरकारी रिपोर्ट है। मैं आग्रह करता हूं कि इसको सभा पटल पर रखने की* इजाजत

*अध्यक्ष महोदय द्वारा बाद में अनावश्यक अनुमति न दिये जाने के कारण इन दस्तावेजों को सभा पटल पर रखा गया नहीं माना गया।

दी जाए । यह मेरी रिपोर्ट नहीं है, सरकारी रिपोर्ट है । इसको मैं आपकी अनुमति से सभा पटल पर रखता हूं :

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी निश्चित रूप से जाँच की जायेगी ।

श्री रामविलास पासवान : हाँ आप एग्जैमिन कर लें ।

दुर्भाग्य की बात है कि उस रिपोर्ट को दबा दिया गया ।

पुनः मन्त्री महोदय ने औचित्य को स्वीकार किया और कहा कि एक हजार मैगावाट का वहाँ थर्मल पावर स्टेशन बनाया जायेगा । मेरी डिमांड है कि तीन हजार का बनाया जाए । इसके पक्ष में मैं आपके सामने तथ्य रखना चाहता हूं । इसलिए मैं यह चाहता हूं कि ज्यालोजिकल सर्वे आफ इंडिया के मुताबिक वहाँ पर 3123 मिलियन टन कोयला उपलब्ध है, कहलगाँव के बगल में । अगर तीन हजार मैगावाट का स्टेशन आप वहाँ लगाते हैं तो पूरे प्लांट की लाइफ में चार सौ मिलियन टन कोयला पावर जैनरेट करने में लगेगा । कुल मांग है 400 मिलियन टन और वहां उपलब्ध है 3123 मिलियन टन । उसके बाद प्लान्ट की लाइफ यहां पर खत्म हो जायेगी ? कोयले की कमी के सम्बन्ध में जो शर्तें लगा देते हैं, तो उसकी वहाँ पर कमी नहीं है । कोयला इतना है कि 3,000 मैगावाट चलाइये कहलगाँव में और 2 हजार मेगावाट चलाइये फरक्का में और लकप्प साहब वहाँ से ले जाना चाहें, तो ले जायें फिर भी कोयला नहीं घटेगा । वहा रेलवे लाइन की सुविधा मिलेगी, लेकिन फिर भी बरौनी, मुजफ्फरपुर पावर स्टेशन ले जाने ही रेल लाइन लगानी ही है । वैसे भी सुपर पावर स्टेशन लगेगा तो भी लाइन लगेगी तो इकनामिक दृष्टिकोण से खर्च बचता है ।

दूसरी जो पिट हैड की बात कहते हैं, तो कहलगाँव की दूरी मुश्किल से 24 किलोमीटर भी नहीं है । आपने जो कहा है कि वहाँ 1,000 मेगावाट का चला रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या काम वहाँ चल रहा है ? जिस रफ्तार से काम चल रहा है, उससे कितने वर्ष लग जायेंगे, यह कहना मुश्किल है ।

इस आधार पर पूरा औचित्य है कि आप कहलगाँव में एक सुपर थर्मल पावर स्टेशन लगाइये और 3 हजार मेगावाट का लगाइये ।

मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जब वहाँ कोयला उपलब्ध है, पानी उपलब्ध है, रेलवे सस्ते में आपको उपलब्ध है, जब ये सारी चीजें हैं, मजदूर उपलब्ध हैं, बगल में आदिवासी इलाका है, तो फिर वहाँ क्यों नहीं 3 हजार मेगावाट का थर्मल पावर स्टेशन लगाते हैं ? यदि आप इसको स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि वहाँ 3 हजार मेगावाट का बनाना चाहते हैं तो सर्वेक्षण का काम धीरे धीरे चल रहा है । क्या उसे तेज करेंगे ? इन्होंने बिहार की हालत को होपलैस कहा है, तो क्या बिहार में किसी और जगह इस तरह का थर्मल पावर स्टेशन बनाने का विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो वह जगह कौन-सी है ?

श्री रामावतार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली की कमी की जो अवस्था हमारे देश में है, यह सर्वविदित है । जैसाकि अभी कुछ देर पहले वित्त मन्त्री महोदय ने बहुत वाहवाही लूटने की कोशिश की कि बहुत सारे राज्यों में बिजली संकट पहले के मुकाबले में बहुत कम हो गया है, लेकिन स्वयं सरकार जानती है और बार बार यह कहते रहे हैं कि हमारी दिक्कत है, कई राज्यों में अभी दिक्कत बनी हुई है और तमाम देश की दिक्कत है । इसका हल निकालने के

लिए इन्होने 10 साल की योजना बनाई है जिसके अन्तर 28,701 मेगावाट बिजली पैदा करना चाहते हैं।

बिहार की बात आपने सुनी और आपने स्वयं कहा कि वहाँ की बीमारी बहुत गहरी है। असाध्य तो नहीं, लेकिन बहुत गहरी है।

मैं बिहार की बात कहना चाहता हूँ बिहार विद्युत बोर्ड ने सरकारी खर्च पर बहुत सारे इंजीनियरों को विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजा था, कई सौ की उनकी तादाद है। क्या यह सच है कि ट्रेनिंग लेकर वापिस आने के बाद वे इंजीनियर जनरेशन के काम से हटकर डिस्ट्रीब्यूशन की साइड में वे चले गये, जिसका असर पड़ा पतरातू और बिहार के दूसरे बिजली के कारखानों के उत्पादन पर ? अगर यह बात है, तो इसको ठीक करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? 'ठीक करने' का मतलब यह है कि जो व्यक्ति जेनीरेशन का इंजीनियर है, उसको जेनरेशन के काम में ही लगाया जाये। अगर मन्त्री महोदय को मालूम है कि इस बारे में बिहार सरकार ने कोई कार्यवाही की है, तो वह बतायें, ताकि जेनरेशन बढ़ सके और बिजली की कमी दूर हो सके।

कुछ दिन पहले माननीय सदस्य, श्री भोगेन्द्र झा, ने कोसी नदी पर बराह क्षेत्र में हाई डैम बना कर बिजली पैदा करने का सवाल उठाया था, जिसका जवाब श्री महाजन ने दिया था। मुझे जो जानकारी दी गई है, उसके अनुसार यह हाई डैम बना कर 28 लाख मेगावाट बिजली तैयार की जा सकती है। लेकिन लाखो रुपये खर्च करने के बाद भी इस काम को शायद इस आशंका से पूरा नहीं किया गया है कि इतनी बिजली की खपत कहाँ होगी। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी राय सरकार को किन अधिकारियों ने दी और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है। ऐसी गलत सलाह देकर उन लोगों ने बिहार को बिजली संकट में मुब्तिला रखने का अपराध किया है। इस योजना के बारे में सरकार की स्थिति क्या है और वह क्या करना चाहती है ?

अभी माननीय सदस्य ने कहलगांव में थर्मल पावर स्टेशन बनाने की बात कही है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर और कटिहार में भी थर्मल पावर स्टेशन बनाने की बात कही गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन दोनों जगहों के बारे में सरकार की योजना किस स्टेज में है और उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। बिहार में जो बिजली संकट है, उसके बारे में स्वय मंत्री महोदय ने कहा है कि वह एक गहरी बिमारी है। अगर इन कामों को किया, जाय तो हम पूरे हिन्दुस्तान को बिजली दे सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कोसी नदी पर हाई डैम बना कर बिजली तैयार करने और मुजफ्फरपुर तथा कटिहार में थर्मल पावर स्टेशन स्थापित करने के बारे में इस समय क्या स्थिति है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं एकदम स्पष्ट प्रश्न पूछूंगा। मेरा पहला प्रश्न समस्या के लिए क्या नीति अपनाई, गयी है, इस बारे में है। यह प्रश्न काफी बार उठाया जा चुका है और आज भी उठाया गया है और मुझे आशा है, मन्त्री महादय इसका जवाब देने की कृपा करेंगे। भारत सरकार गैर सरकारी क्षेत्र को बिजली उत्पादन के लिए लाइसेंस दिए जाने पर विचार कर रही है। यह सरकार की औद्योगिक नीति का उल्लंघन है। क्या सरकार बिजली उत्पादन के बारे में गैर सरकारी क्षेत्र को लाइसेंस दिए जाने सम्बन्धी अपनी नीति को स्पष्ट करेगी। दूसरे

सरकार ने यह दावा किया है कि बिजली की स्थिति सुधारने के लिए कुछ प्रभावकारी कदम उठाए गए हैं। यहां तक कि आज दोपहर में भी, वित्त मन्त्री ने अपने भाषण में यह कहा है कि बाधा समाप्त हो चुकी है।

अब, मेरे पास एक रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उनके अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि अगर सब कुछ सही और योजना बद्ध तरीके से होता है तो बिजली की कमी, जैसी कि इस समय है, 16.1 प्रतिशत से घट कर आगामी वर्ष में 7 प्रतिशत रह जाएगी। प्रश्न यह है कि अगर सुधार के सभी तरीके काम में लाए जाते हैं तथा योजना बद्ध तरीके से सब कुछ होता है तथा अपेक्षित परिणाम भी सामने आ जाता है, तो भी देश को 7 प्रतिशत की कमी तो भुगतनी ही पड़ेगी। अब, इस संदर्भ में क्या मैं माननीय मन्त्री जी से यह जान सकता हूँ कि हमारे यहाँ हमेशा बिजली की कमी बनी रहेगी, अगर नहीं, तो किस समय तक, किस दशक तक—जैसा कि उन्होंने दशक का समय बताया है—कौन से दशक में, कब तक हमारे यहाँ बिजली की कमी नहीं रहेगी ?

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री लकप्पा ने 10 प्रतिशत रिजर्व के बारे में पूछा है, जिसका कि प्रधान मंत्री ने ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में उल्लेख किया था। ठीक है, हमने इसे नोट किया है, योजना आयोग ने भी इसे नोट कर लिया है और हमारी योजना भी इसी प्रकार बदल रही है कि हम हर समय 10 प्रतिशत बिजली रिजर्व रख सकें जिससे कि बिजली की कटौती, जो कि इस समय एक आम बात है, का बार बार किया जाना रोका जा सके उन्होंने मुझसे उनके राज्य की कुछ पन बिजली परियोजनाओं के बारे में पूछा है। मैं उन्हें बता रहा हूं कि मुझे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की कई पन बिजली परियोजनाओं के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई है। लेकिन राज्यों के बीच कुछेक विवाद हैं और जब तक कि अन्तराज्यीय पहलुओं पर कोई समझौता नहीं हो जाता, हमारे लिए उन पर काम करना कठिन है। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम इस बारे में जल्दी ही सभी सम्बद्ध राज्यों को बुला रहे हैं और समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी ही हम हल निकाल लेंगे।

खालगांव के बारे मे माननीय सदस्य ने मुझे एक पुस्तक दिखाई है। शायद उन्हें पता नहीं है कि.....

एक माननीय सदस्य : यह एक रिपोर्ट है।

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी : शायद उन्हें पता नहीं है, उन्हें पता होना चाहिए कि व्यवहार्यता रिपोर्ट अधूरी है। इसके सभी पहलुओं से केन्द्रीय सरकार संतुष्ट नहीं है और उन्हें इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए कि यह परियोजना रिपोर्ट विश्व बैंक को अवश्य ही भेजी जानी है, क्योंकि हमें विश्व बैंक से काफी सहायता लेनी है। अतः हमने इस परियोजना को एकदम तैयार रखने को कहा है तथा राष्ट्रीय ताप बिजली निगम इस परियोजना रिपोर्ट को तैयार करेगा एवं 2000 अथवा 3000 अथवा 1000 मेगावाट के बारे में कोई विवाद नहीं है।

जैसा कि मैंने अभी हाल ही में एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा था 1000 मेगावट के बारे में कोई भी विवाद नहीं है। अगर 200 मे. वा. के लिए कोयले का भण्डार है, तो हम 2000 मे. वा क्षमता बना लेंगे।

इस बारे में कोई शक नहीं है, लेकिन एक मंत्री होने के नाते और इस बारे में पूरा ज्ञान न रखने के कारण, मैं सभा को तब तक इसकी जानकारी नहीं दे सकता, जब तक कि मुझे विशेषज्ञों द्वारा दी गई रिपोर्ट नहीं मिल जाती 1000 मे. वा. का उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। कोयले से सम्बन्धित अधिकारियों ने मुझे जानकारी दी है कि यह किया जा सकता है। अगर वे मुझे 2 000 मे. वा. का आश्वासन दें तो मैं, सभा को इसका आश्वासन दे सकता हूं। यही समस्या है।

माननीय सदस्य को शायद पता नहीं है कि अभी हाल ही में मैंने मुख्य मंत्री से लम्बी बातचीत की है। हम उनकी सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं, उपाय ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इस समय बिहार में अधिष्ठापित क्षमता लगभग 800 या 900 मे. वा. है, लेकिन इस समय कितना उत्पादन हो रहा है? अगर मैं इसे बता दूँ तो आप नाराज होंगे। विद्युत् उत्पादन समवर्ती सूची का विषय है। राज्य विद्युत् मंडल इस मामले में सर्वे सर्वा है। हम केवल सुझाव भेजते हैं, उन्हें मनवाने की कोशिश करते हैं, समझा सकते हैं, अपने तदुद्देशीय दल आदि भेज सकते हैं। इस समय उत्पादन 125 मे. वा. है। कुछ दिनों पहले यह नहीं के बराबर थी। बिहार में यह स्थिति है। स्वाभाविक ही है कि अगर मैं राज्य विद्युत् मंडल की आलोचना करता हूँ, तो इसलिए नहीं कि मैं उस राज्य से नाराज हूँ अपितु इसलिए कि उनका कार्य अच्छा नहीं रहा है। देश इस तरह नुकसान नहीं उठा सकता। ऐसा नहीं है कि वहाँ मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी की सरकार है, इसलिए हम एक तरफा सोच रहे हैं। बात यह नहीं है। यह उनकी कार्य-प्रणाली है। उनका कार्य प्रदर्शन अवश्य ही बेहतर होना चाहिए। यही यहां प्रमुख विषय है।

दूसरी समस्या भी मेरे समक्ष रखी गई है : मुझे काफी बार गलत समझा गया है। मैंने यह कहा है कि निजी क्षेत्र ने आकर सरकार की आलोचना की। मैंने उन्हें बताया कि उन्होंने केवल हमारी आलोचना की है, वे स्वयं कुछ नहीं करते। मैंने उन्हें कहा कि वे पैसा लगाएँ और किसी कोयले क्षेत्र के समीप 2000 अथवा 3000 मे. वा. उत्पादन करें, लेकिन एक शर्त यह है कि वे बिजली या तो राज्य सरकार को या केन्द्रीय प्राधिकरण को बेचेंगे। वे इसका वितरण नहीं कर सकेंगे। उनके पास कोई संप्रेषण लाईन नहीं होगी। लेकिन दुर्भाग्य से मेरे कहने का गलत अर्थ लगाया गया और मुझे गलत उद्धृत किया गया। मैंने यह कभी नहीं कहा कि निजी क्षेत्र बिजली उत्पादन शुरू कर सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो कुछ कहा था, उससे अभिप्राय निजी और सरकारी दोनों के संयुक्त प्रयास से था।

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी : यूरोप में यह आम बात है। अगर कोई बिजली का उत्पादन करता है, तो यह सीमा पार दूसरे देश को बेची जाती है। मेरे ख्याल में बिजली खरीदने में कोई बुराई नहीं है। मैं सभा को बताना चाहूँगा कि इस बारे में किसी ने भी पहल नहीं की है।

श्री चित्त बसु : टाटा बन्धुओं ने की है।

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी : टाटा केवल एक लाइसेंसी है। कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम केवल एक लाइसेंसी है। उनकी समझावधि-बढ़ा दी गई है, इसमें कोई बुराई नहीं है।

श्री निरेन घोष (दमदम) : आप ही की सरकार ने दी है।

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी : आप इतने भावुक क्यों हो रहे हैं। भावुक होने की कोई जरूरत नहीं है। इस तथ्य को तो हर किसी को स्वीकार करना होगा कि कलकत्ता विद्युत निगम का कार्य प्रदर्शन इस समय सबसे अच्छा है। इसे तो मानना ही होगा। इस सच्चाई को आप नकार नहीं सकते। टाटा के बारे में हमें कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : कोसी के बारे में क्या कहेंगे ?

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी : यह एक अन्तर्राष्ट्रीय नहीं है। जाहिर है, अन्तर्राष्ट्रीय समझौता करना होगा · स्पष्ट रूप से, हम उन्हें राजी कर रहे हैं। जब तक नेपाल पहल नहीं···

श्री रामावतार शास्त्री : क्या उन्होने आपत्ती की है ? जहाँ तक मुझे जानकारी है, उन्होंने बिलकुल भी आपत्ती नहीं की है।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री विक्रम महाजन) : उन्होंने अब तक स्वीकृति नहीं दी है। हम उन्हें सहमत करा रहे हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : यह सही नहीं है। (व्यवधान)

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी : मेरे माननीय मित्र अगर यह सोचते हैं कि वे ही सच बोलते और हम झूठ ही बोलते हैं तो सच में मुझे बहुत खेद है।

अभी हाल ही में विश्व बैंक के उपाध्यक्ष यहाँ उपस्थित थे और हमने नेपाल की बहुत-सी परियोजनाओं पर बात-चीत की थी। उन्होने भी अपनी इच्छा व्यक्त की थी। मैंने उन्हें बताया था कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और हम शुरूआत कर रहे हैं। स्थिति यह है। नेपाल एक प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्र है। जब तक वे सहमत नहीं होते, अपने आप हम इसे नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 11 बजे म. पू. तक पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हो गई।

मध्याह्न पश्चात् 7·02 बजे

तत्पश्चात लोकसभा गुरुवार 31 जुलाई, 1980/ 9 श्रावण, 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स 472 पुरानी साईकिल मार्किट दिल्ली-6